खण्ड-475, अंक-5
सोमवार, 25 माघ, शक संवत् 1932
(14 फरवरी, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 475 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की गम्भीर घटनाओं विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7
वेलेन्टाइन डे पर शुभकामनायें	7-8
प्रश्नोत्तर	8-118
वर्ष 2010-2011 में पूर्वांचल निधि की बची धनराशि को पी0एल0ए0 में डालने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	119
नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर अनुरोध के बावजूद पढ़ा न माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	119-120
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-62 का उत्तर गोपनीयता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	120
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, गंगा भक्त सिंह, टम्बरेश्वर प्रसाद, प्रताप सिंह, शमीम आलम, राधेश्याम, पीतम सिंह, मान बहादुर सिंह, तीरथ राम कोहली, अमर पाल सिंह, महावीर प्रसाद, खुरशीद अहमद अंसारी, सहदेव सिंह, विद्या शंकर, श्रीमती चारूशीला, नेमपाल, सन्त बक्श रावत तथा बजरंग बली ब्रह्मचारी के निधन पर शोकोद्गार ...	122-128
भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के निधन पर शोकोद्गार	128-129
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी परियोजना अभियन्ता पैक फेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ललिया बनकटवा मार्ग से लालपुर विशुन मार्ग पर स्थित चकयैया डिप को बरसात में क्षतिग्रस्त होने पर दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ में ई-सुविधा एजेन्सी द्वारा बिजली मीटरों की रीडिंग बिल व्यवस्था बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद इलाहाबाद स्टेट लैण्ड पर दो दशक से आवास बनाकर रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
जनपद फतेहपुर में कतिपय ग्रामों में सिंचाई की गम्भीर समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप शीघ्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत रोहटा रोड पर गन्दे पानी की निकासी के लिये दोनों तरफ नाले का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद एटा के जलेसर क्षेत्र में कई ग्रामों में खारे पानी एवं निम्न जल स्तर की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
आई0एम0एस0 इंजीनियरिंग कालेज ए0एन0-24 अध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद में बायोटेक्नालाजी के प्रथम वर्ष की छात्रा कु0 रिचा नाग के वजीफे में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
फैजाबाद नगर में जल निकासी, सीवर लाइन तथा नाले के न होने के कारण जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134-135
जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	135-136
जनपद लखीमपुर खीरी निवासी मीरपुर, थाना कोतवाली श्री बैजनाथ पुत्र रघुवर दयाल लेखपाल, राजस्व विभाग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद बांदा ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी बड़ोखर खुर्द में 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम व मजरे के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	136-137
जनपद सुल्तानपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा रामलाल की प्रतिमा स्थापित करने हेतु वर्ष 1998 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा स्वीकृत रकम जारी करने के बावजूद अभी तक प्रतिमा न स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के मिश्रीपुर तराई के दो परिवारों का सरकारी रास्ता बन्द करने एवं विधवाओं को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	138
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	139
उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्षीय पीठ एवं शासन स्तर से विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल सम्बन्धी समय-समय पर दिये गये कड़े निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा उनका पालन न करने से सदन की गरिमा प्रभावित होने सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	139-142
प्रदेश का वार्षिक बजट पारित किये जाने से पूर्व बजट समितियों द्वारा विचार करने हेतु बजट समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	142-143
विधायक निधि द्वारा कार्य कराने वाली कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के खातों को सीज करने एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त चालू खाते चालू करने के आदेश दिये जाने के बावजूद चालू न किये जाने से तथा माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर धनराशि निर्गत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा हैण्डपम्प न लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	143-144
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन की स्वीकृति) विनियमावली, 2010 .... (सदन के पटल पर रखी गई) ...	145
उत्तर प्रदेश जल निगम के 30वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 ... (सदन के पटल पर रखा गया)	145
उत्तर प्रदेश जल निगम के 31वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 ... (सदन के पटल पर रखा गया)	145
उत्तर प्रदेश जल निगम के 32वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 ... (सदन के पटल पर रखा गया)	145
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	146
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का प्रथम प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)... ...	146
लोक लेखा समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर चर्चा की मांग	146
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का द्वितीय प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)... ...	146

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 126वां (एक सौ छब्बीसवां) प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	146
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 127वां (एक सौ सत्ताइसवां) प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	147
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 128वां (एक सौ अठाइसवां) प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	147
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का प्रथम प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)... ...	147
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का छठा प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)... ...	147
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का सातवां प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)... ...	148
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ... (स्वीकृत)	148-150
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (पुरःस्थापित) ...	150
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (पुरःस्थापित)	150-151
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	151
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	151-169
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को कार्यसूची के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पुरःस्थापन की मद रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... (जारी)	169-172
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	173-174
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को कार्यसूची में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पुरःस्थापन की मद रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	174-177
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें...	177-181

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	181-233
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	233-234
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक, पारित)	234-240
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)...	240-242
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 ... (पारित)...	242-244
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	244-246
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिकल कालेज के पास मिर्जापुर गांव की भूमि अवैधानिक तरीके से अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का वक्तव्य...	246-249
जनपद रायबरेली स्थित अटेहा डीह एवं उदयपुर रजबहा की रिमॉडलिंग के लिये स्वीकृत विश्व बैंक से करोड़ों रुपये की धनराशि में किये गये गबन के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	249-251
प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा पट्टी, आसपुर में इन्दिरा आवासों के निर्माण एवं वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, तालाब के निर्माण आदि में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का वक्तव्य ...	251-252
प्रदेश में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	252-253
पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, सरकारी चिकित्सालय, शाहजहांपुर में हार्टस्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन एवं सीटी स्केन मशीन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	253-254

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी शहर में नगर निगम व जलकल विभाग के कारण शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति एवं सीवरों के ओवरफ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	255-256
उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय, जौनपुर में आई0सी0यू0, सी0सी0यू0, वेन्टीलेटर डायलिसिस की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद अंसारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य	256-257
कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज एफ0आई0आर0 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने एवं विधायक के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	257-259
नत्थियां	260-270

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-316

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
13. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
18. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
19. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
20. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
21. अमित गौरव, श्री — एटा
22. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
23. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
30. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
32. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
33. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
36. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
37. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
39. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
40. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
41. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
42. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी
43. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
44. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
45. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी

47. आसिफ, श्री हरदोई
48. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
52. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
57. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
58. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
59. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
60. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
61. काशीराम, श्री रामपुर
62. कुवेर सिंह, श्री एटा
63. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
66. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
67. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
68. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
69. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
70. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
71. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कैलाश साहू, श्री झांसी
74. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
75. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
76. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
77. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
78. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
79. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
80. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
81. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
82. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
84. घूराराम, श्री बलिया
85. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
86. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
87. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
88. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
89. छोटे सिंह, श्री जालौन
90. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
94. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
97. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
98. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
99. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
100. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
101. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
102. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
103. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
104. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
105. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
106. दयाराम, श्री कौशाम्बी

107. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
108. दाउद अहमद, श्री हरदोई
109. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
110. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
111. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
112. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
113. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. दूधराम, श्री बस्ती
116. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
117. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
118. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
120. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
121. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
122. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
123. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
124. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
125. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
126. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
128. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
129. नारायण सिंह, श्री आगरा
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
132. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
134. पशुपति, श्री गाजीपुर
135. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
136. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. प्रजापालन, श्री एटा
139. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
142. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
143. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
144. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
145. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
148. फागू चौहान, श्री मऊ
149. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
150. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
151. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
152. बिरजू राम, श्री जौनपुर
153. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
154. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
155. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
156. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
157. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
158. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
159. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
160. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
161. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
162. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
163. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
164. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
165. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
166. ममतेश शाक्य, श्री एटा
167. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
168. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
169. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर

170. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
171. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
172. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
173. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
175. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
176. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
177. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
178. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
179. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
180. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
181. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
182. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
183. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
184. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
185. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
186. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
187. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
188. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
189. याकूब हाजी, श्री मेरठ
190. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
191. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
192. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
193. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
194. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
195. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
196. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
197. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
198. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
199. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
200. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
201. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
202. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
203. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
204. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
205. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
206. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
207. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
208. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
209. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
210. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
211. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
212. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
213. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
214. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
215. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
216. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
217. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
218. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
219. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
220. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
221. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
222. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
223. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
224. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
225. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
226. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
227. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
228. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
229. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
230. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
231. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़

232. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
233. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
234. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
235. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
236. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
237. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
238. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
239. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
240. लखीराम नागर, श्री मेरठ
241. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
242. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
243. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
244. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
245. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
246. वारिस अली, श्री बहराइच
247. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
248. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
249. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
250. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
251. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
252. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
253. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
254. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
255. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
256. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
257. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
258. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
259. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
260. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
261. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
262. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
263. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
264. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
265. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
266. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
267. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
268. शिवशंकर, श्री बलिया
269. शीशराम, श्री बिजनौर
270. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
271. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
272. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
273. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
274. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
275. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
276. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
277. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
278. संजय कपूर, श्री रामपुर
279. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
280. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
281. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
282. संध्या, कुमारी मैनपुरी
283. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
284. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
285. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
286. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
287. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
288. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
289. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
290. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
291. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
292. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
293. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
294. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
295. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
296. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़

297.	सुखलाल, श्री	पीलीभीत
298.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
299.	सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
300.	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
301.	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
302.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
303.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
304.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
305.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
306.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
307.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
308.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
309.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
310.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
311.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
312.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
313.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
314.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
315.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
316.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :-मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती), लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास, कृषि तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भू-तत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, अवस्थापना विभाग एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की गम्भीर घटनाओं विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, लगातार पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ नाबालिक लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी गम्भीर घटनायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

उदयराज जी, आप बैठें, आपकी उन्नाव की नोटिस और कई अन्य घटनाओं की नोटिसों को सुनने के लिए लिया गया है।

(श्री उदयराज, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा व श्री आरिफ अनवर हाशमी के खड़े होकर बोलते रहने पर शोर/व्यवधान)

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 की नोटिस है, सुन तो लीजिए। मैं चाहता हूं कि सारे नियम निरस्त करते हुए इस पर चर्चा करायें, इससे महत्वपूर्ण घटना और कोई नहीं हो सकती।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 में हम लोगों की सूचना है। इसमें महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। सरकार के इशारे पर शिकोहाबाद की पुलिस पीड़ित परिवार के घर जा करके उनको धमका रही है।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी बैठिये। आपकी नोटिस को सुनने के लिए लिया गया है उस समय आप बोल लीजिएगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार गुण्डों और बलात्कारियों की सरकार है और इसके अधिकांश मंत्री अपराधों में लिप्त हैं। कोई दिन नहीं बीतता है जब सत्तापक्ष का कोई विधायक व मंत्री हत्या और बलात्कार में लिप्त न पाया जाता हो।

बेलेन्टाइन-डे पर शुभकामनायें

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, प्रेम और सौहार्द के प्रतीक का दिन है, तो मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन को प्रेम और सौहार्द के लिए बधाई और शुभकामनायें देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तिवारी जी को आज कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जाना है इसलिए इनको छुट्टी दे दीजिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर मा0 अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। पूरे सूबे में बलात्कार व हत्या जैसी गम्भीर घटनायें हो रही हैं। तिवारी जी द्वारा इस प्रश्न को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। यह गलत परम्परा और गलत बात है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश वासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाये जाने की योजना

**1-श्री जोखू लाल यादव, डा0 अजय तोमर, श्री मदन चौहान तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशवासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के अन्तर्गत 3980 मे0वा0 एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 31390 मे0वा0 क्षमता की नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य योजना बनायी गयी है। परियोजनाओं से सम्बन्धित विवरण मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ मा0 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जोखूलाल यादव जी, अपना अनुपूरक करें उसके पहले मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करूंगा। प्रश्नकाल में मुश्किल से दो-तीन प्रश्न आ रहे हैं मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सहयोग करें ताकि सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आया करें। अनुपूरक करने वाले सदस्यों की संख्या कम हो और ज्यादा से ज्यादा शब्दों में अपनी बात रखने के बजाय सीधे अनुपूरक प्रश्न करें और मंत्री जी उस पर जवाब दे दें जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सकें यह व्यवस्था आपकी सहायता के लिए चाहता हूं।

श्री जोखूलाल यादव-

अध्यक्ष जी, मैंने सवाल किया था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश वासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि जी हां तो अगर कोई है तो उसका विवरण क्या है ? उस विवरण पर आपने उत्तर दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के अन्तर्गत 3980 मे0वा0 एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 31390 मे0वा0 क्षमता की नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य योजना बनायी गयी है। परियोजनाओं से सम्बन्धित विवरण मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ मा0 सदन के पटल पर रख दिया गया है। मान्यवर, ऊर्जा मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है यह विकास के लिए आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करें।

श्री जोखूलाल यादव-

मैं मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आई हैं वर्ष 2007 से आज 2011 तक आपने कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया है और मांग क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 14 वर्ष से मैं इस सदन में आ रहा हूं कभी इधर बैठता रहा हूं कभी उधर बैठता रहा हूं श्री जोखूलाल जी का प्रश्न है कि प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन हो गया। मान्यवर, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्य मंत्री वर्ष 1995 में मात्र चार महीने के लिए बनीं तब चार महीने के अन्दर किसी परियोजना का लगना सम्भव नहीं था। उसके बाद वर्ष 1997 में 6 महीने का समय मिला उसमें भी कोई नई परियोजना को लगाने का समय नहीं मिला क्योंकि किसी परियोजना को लगाने के लिए एक साल से दो साल तक का समय उसकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने में लगता है। जमीन अधिगृहण की कार्यवाही, पर्यावरण की सहमति, पानी की व्यवस्था, कोयले की व्यवस्था इन सब औपचारिकताओं को पूर्ण करने में एक साल से लेकर दो साल तक का समय लगता है। जब वर्ष 2002 में बहन कुमारी मायावती तीसरी बार मुख्य मंत्री बनी तो मुझे याद है कि 30-11-02 को मुख्य मंत्री जी ने परीछा जनपद झांसी में 210-210 मेगावाट की दो यूनिट लगवाने का काम किया था जिससे 2007 से 420 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गया है और चौथी बार बहन कुमारी मायावती जब मुख्य मंत्री बनी तो ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पांच साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो जाए उसके लिए 25 हजार मेगावाट की कार्य योजना बनाकर तैयार की। मुझे याद है कि 30-11-07 को मुख्य मंत्री जी ने परीछा में जाकर 210-210 मेगावाट की दो इकाइयों का लोकापर्ण किया उसके बाद हरदुआगंज में 250-250 मेगावाट की दो यूनिट का माननीया मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास किया इसी के साथ हरदुआगंज में 250 मेगावाट की दो यूनिट लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद अनुपरा-डी एक हजार मेगावाट परियोजना का काम शुरू कराने का काम किया। इस तरह से मान्यवर, राज्य क्षेत्र में 2000 मेगावाट की परियोजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शुरू हुई हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र में आनपारा सी की जो परियोजना 1200 मेगावाट की लगाई है, इसका कार्य मान्यवर, 2007 में शुरू हुआ। इसके अलावा एक परियोजना श्रीनगर में चल रही है, उससे भी 2011 के अंत तक 330 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। इस तरह से मान्यवर, हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने 25 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है। माननीय जोखूलाल यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है, माननीया मुख्य मंत्री जी ने श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में जवाब देते हुए सारी परियोजनाओं के बारे में बताया था कि कौन-कौन सी परियोजनाएं हमने लगाई है और उनसे कब तक हमको कितनी-कितनी विद्युत मिलने लगेगी। मान्यवर, वर्ष 2014 तक उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जायेगा। इसी के साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे तिवारी भी बैठे हैं, माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं। मान्यवर, 1989 के बाद अगर किसी सरकार ने

उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये नई योजना लगाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है तो वह हैं माननीया मुख्य मंत्री जी बहन कुमारी मायावती जी।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सीधा-सीधा अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो आनपारा सी, आनपारा डी, पारीछा या और जो भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं उनकी जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 4 वर्ष में इनका कार्य पूरा हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उस समय सीमा के अन्तर्गत जो कार्य आपका हो जाना चाहिए था, वह हो चुका है ? दूसरा प्रश्न बारा और करछना में जो कार्य शुरू करने के लिये माननीय मंत्री जी इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करते रहे, मेरी सूचना है कि वहां पर कार्यदायी संस्था अपना सामान उठाकर वहां से जा रही है। भूमि के कारण या और इसी कारण से जाने की तैयारी में हैं। तो इसके बारे में माननीया मंत्री जी बतायें कि वहां पर कार्य की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें कि जो दो परियोजनाओं के बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि वहां पर उन योजनाओं में कार्य की क्या स्थिति है ? काम चल रहा है कि नहीं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आनपारा सी में काम बहुत तेजी से चल रहा है और प्रथम इकाई मान्यवर, मार्च, 2011 में और दूसरी इकाई जुलाई, 2011 में आ जायेगी। मान्यवर, जहां तक बारा और करछना की बात है, बारा में तेजी से काम चल रहा है। करछना में किसानों ने कुछ आन्दोलन कर दिया था, इसलिये वहां पर काम स्थगित हो गया है। ऐसा नहीं है मान्यवर, विकास के कार्य चल रहे हैं, मशीनों का आर्डर दे दिया है टरबाइन आदि खरीदने के लिये आर्डर दे दिये हैं, कार्य प्रगति पर है मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा अनुपूरक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि विद्युत परियोजनाओं का काम ऐसा नहीं है कि महीने दो महीने में शुरू हो जाय। इसके लिये पहले सरकार कार्य योजना बनाती है, वार्ता करती है, एम0ओ0यू0 करती है, भूमि का अधिग्रहण होता है और इस सबको करने में समय लग जाता है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि पूर्ववर्ती सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्य काल में जो योजनाएं स्वीकृत हुई जिन पर करार हुए, जिन पर कार्य प्रारम्भ हुआ, उनमें से कौन-कौन सी अधूरी हैं, कौन-कौन सी पूरी हो गई और उनसे कितना उत्पादन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दे दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी और माननीय हुकुम सिंह जी ऊर्जा मंत्री रहे हैं और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आनपारा सी के लिये मान्यवर, मुझे याद है 2002 में जे0वी0आई0सी0 बैंक से ऋण की व्यवस्था की थी। माननीय हुकुम सिंह जी अच्छी तरह से जानते होंगे हमारी दो परियोजनाएं थीं जिनके लिये भारत सरकार में, उस समय माननीय अटल बिहारी जी प्रधान मंत्री थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैं वही आ रहा हूं। उत्तर पर ही आ रहा हूं आपने क्या किया, मैं उसे भी तो माननीय सदन को बता दूं ? मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैं वही आ रहा हूं। आपको उत्तर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, वो वहीं आ रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

29 अगस्त, 2003 से लेकर 13 मई, 2007 के मध्य का मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

पूर्व सरकारों में विद्युत उत्पादन की कोई योजना चल रही थी या नहीं चल रही थीं बस इतना बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सारी योजनायें तो उस सरकार ने शुरू की थीं लेकिन यह वाह-वाही ले रहे हैं यह बता तो दें इसमें शर्म किस बात की है।

श्री अध्यक्ष-

बता रहे हैं आप सुने तो।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, सत्य हमेशा कड़वा होता है।

श्री अध्यक्ष-

इनको मीठा लगेगा। (हंसी)

श्री रामवीर उपाध्याय-

चौधरी साहब ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और बीच में ही खड़े हो गये। यह वरिष्ठ सदस्य हैं मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं अनपारा सी के बारे में बता रहा था, अनपारा-सी में 2002 में फाइनल हो गया था और जे0बी0सी0आई0 बैंक से सारे ऋण की व्यवस्था हो गई थी। अगस्त 2003 में जापान सरकार के तमाम अधिकारी सर्वे करने के लिए और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए यहां आए थे उसके बाद हमारी सरकार चली गई और अनपारा सी का जो एग्रीमेंट होना था जो जे0बी0सी0आई0 बैंक के साथ जो एग्रीमेंट होना था जिसमे हमें ऋण मिलना था, जो कार्य योजना बननी थी जो करीब एक हजार मेगावाट की योजना थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया और इन्होंने किसी अपने निजी व्यक्ति को देने के लिए दुबारा इसकी बीडिंग की और जिसको यह देना चाहते थे उसे यह दे नहीं पाए.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, शान्त रहें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

2006 में उसका फाइनल हुआ टेण्डर हुआ और 2006 से 2007 एक साल तक यह जमीन अधिग्रहण नहीं करा पाए उसके बाद जब हमारी सरकार आई बहन जी माननीय मुख्य मंत्री जी बनी तब हमने उसका काम शुरू कराया।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री अम्बिका चौधरी-

हमने यह पूछा कि उस दौरान जो योजनायें स्वीकृत हुई उनमें कितने पर काम प्रारम्भ हुआ कितनी योजनायें अधूरी हैं कितना उत्पादन हुआ मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह नहीं पूछा कि कौन सी योजनायें इन्होंने शुरू की जो हमने रद्द कर दी हमने यह पूछा नहीं। सीधा उत्तर दिलायें और शर्म महसूस न करें।

श्री अध्यक्ष-

पिछली सरकारों द्वारा, चौधरी साहब स्पष्ट हो रहा है आप बैठें। ऊर्जा मंत्री जी पिछली सरकारों में आपने कोई योजनायें संचालित की थी या नहीं उनकी प्रजेन्ट वस्तुस्थिति क्या है ? किया था या नहीं किया था उसकी वस्तु स्थिति क्या है बता दें ? (शोर)

शान्त रहें उत्तर देने दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको साफ-साफ बता दिया कि 2006 में इन्होंने टेण्डर किया लैण्ड को अधिग्रहण नहीं कर पाए जिसको देना चाहते थे उसको दिया नहीं और एक साल तक यह काम नहीं शुरू कर पाए उसका काम नहीं शुरू कर पाए इन्होंने कोई काम शुरू नहीं कराया काम हमारी सरकार ने शुरू कराया। (शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

इनकी सरकार में कोई बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। जो विद्युत उत्पादन हुआ वह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का नतीजा है, आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं संरक्षण तो इतना दिया बिना अनुमति के बोल रहे है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो योजनायें चल रही हैं जो उत्पादन हो रहा है उसका मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी इनका प्रश्न स्पष्ट है कि पिछली सरकारों ने कोई योजनायें चालू किया था या नहीं किया था अगर चालू किया था या उनकी सरकार में कोई विद्युत उत्पादन की योजना

विचाराधीन थी तो उसकी वस्तुस्थिति क्या है चल रही हैं या बंद हो गई ? एक तो आपने परिस्थिति बताई कि इन परिस्थितियों में एग्रीमेंट नहीं हो पाया वह रूक गई और कोई योजना इनकी सरकार की रही है इन्होंने कोई विद्युत उत्पादन का काम किया था या नहीं किया था।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी की जो मिली-जुली सरकार थी। उन्होंने यहां खड़े होकर और बाहर खड़े होकर केवल भाषण दिए, इसके अलावा कोई नई परियोजना शुरू नहीं की, केवल भाषण देने का काम किया था। मान्यवर, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का यदि किसी ने काम किया है तो वह बहन कु0 मायावती जी की सरकार ने किया है, 10 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है और उस पर युद्ध-स्तर पर कार्य जारी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(श्रीमती शादाब फातिमा के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी, आज 14 तारीख है, उसका ख्याल करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है, मैं सदन का एक सेकेण्ड भी समय जाया नहीं करना चाहता लेकिन जब माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो यह प्रश्नकाल कैसे चलेगा ? मान्यवर, आपने तीसरी बार पूछा, लकिन उत्तर नहीं आया, यह तबला बजा रहे हैं, तबला बजाने से कुछ काम नहीं चलने वाला है, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है इसलिए उसका सीधा-सीधा उत्तर आना चाहिए। मान्यवर, हम कहां जायें, यदि इस सदन में इतने सीधे प्रश्न का भी उत्तर नहीं आयेगा तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रहेगा ? यह हमारा अधिकार है, आप उत्तर दिलवाइये, यह मेरा अनुरोध है। मान्यवर, चार साल में इस सरकार का एक ही काम है, इस समय यह हो गया, उस समय यह हो गया, लेकिन क्या हुआ, यदि यह बता सकते हैं तो बतायें। हमारा सीधा प्रश्न था, मान्यवर, उसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इनकी जब सरकार थी, बिजली उत्पादन के लिए कोई कार्य किया, उनकी कोई योजना थी या नहीं थी, यह बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, इन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी परियोजना की शुरूआत नहीं करायी। मान्यवर, रोजा बहुत पहले से चल रही थी, श्रीनगर भी बहुत पहले से चल रही थी। हां, इन्होंने दादरी की जमीन अधिग्रहण की थी लेकिन वह मामला भी कोर्ट में लम्बित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इतना ही बताना था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, बार-बार आपके निर्देशों के बावजूद मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, बल्कि अवमानना और उपहास की स्थिति मा0 मंत्री जी पैदा करना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से सरका के इस दृष्टिकोण की भर्त्सना करता हूं और इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, मंत्री जी से, बहुतों ने बहुत से प्रश्न किये कि आपने कितना उत्पादन बढ़ाया ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा तो नहीं है, बल्कि कम हुआ है, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। क्या आप बतायेंगे कि 1989-90 से 2011 तक, कोई भी मानक आप मान लें, कितना मेगावॉट उत्पादन बढ़ा है, ऐड हुआ है, लक्ष्य क्या था और पहले से उत्तर प्रदेश में जो पॉवर प्लान्ट चल रहे थे, कितने उसमें से बेचे गए हैं, बताने का काम करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न मा0 तिवारी जी ने किया है। मान्यवर, इस सम्मानित सदन को यह आश्चर्य भी होगा कि देश की आजादी से लेकर अब तक अधिकतर सरकारें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इनकी रही हैं। हमारी सरकार तो 5 साल कुछ महीने होती है।

(श्री हुकुम सिंह जी और श्री प्रमोद तिवारी जी के बीच में बोलने पर)

मा0 हुकुम सिंह जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे और तिवारी जी से तो हम सीखते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी तक मैंने यह तो नहीं कहा है कि किस सरकार में बिके हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जो ऊंचाहार, रायबरेली में, संसदीय कार्य मंत्री जी के जनपद टाण्डा में, ये दोनों परियोजनायें जिनमें लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कांग्रेस की सरकार ने शुरू कराया था, क्या वह अभी भी उत्तर प्रदेश में शामिल है या वो बेच दी गयी यह बता दें ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, टाण्डा और ऊंचाहार, 1992 मे कौन मा0 चीफ मिनिस्टर थे, मुख्य मंत्री थे, उस समय बेची गयी। मान्यवर, उसके बाद 2002 में कौन मुख्य मंत्री थे, उस समय ऊंचाहार बेचा गया। एक 925 करोड़ रुपये में बेचा गया और एक 1000 करोड़ रुपये में बेचा गया। मान्यवर, एनटीपीसी को बेचे गये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हम जो जोड़ कर गये थे, उसको भी बेचकर खा गये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिन्होंने सारा देश बेच दिया, आज वह चिन्ता कर रहे हैं। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपसे पहली सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि दादरी में गैस आधारित बिजली उत्पादन होगा, बहुत बड़ा प्लाण्ट लगेगा और बिजली से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं का निदान हो जायेगा। किसानों की जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया, वहां संघर्ष भी हुये, लाठी चार्ज भी हुये और किसानों की गिरफ्तारी भी हुई। इतना कुछ होने के बाद हाईकोर्ट से मुकदमा भी जीत गये। सब कुछ होने के बाद में उस योजना में क्या प्रगति है ? कब तक चालू होने की संभावना है ? और यदि वह निरस्त हो गयी तो कम से कम वह जमीन तो किसानों को वापस कर दी जाय। यह मेरा सवाल है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, दादरी प्रोजेक्ट का सारा मामला मा0 उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है इसलिये उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कोई टिप्पणी नहीं मांग रहा हूं। मेरा सवाल तो यह था कि प्रगति क्या है ? प्रगति तो बतायें आज क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मा0 सुप्रीम कोर्ट में करीब 100 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं।

श्री मदन चौहान-

मा0 अध्यक्ष, मेरा भी एक क्वेश्चन है।

श्री अयक्ष-

क्वेश्चन तो और भी साथियों का रहा है। आधा घण्टे तक तो इसमें अनुपूरक हो गये हैं। आप ही के समर्थन में तमाम लोग अनुपूरक कर लिये हैं।

प्रदेश में कतिपय बीमारियो से प्रभावित मृतकों की संख्या एवं इसके इलाज की कार्य योजना

**2-श्री सतीश महाना, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, डा0 रोजन्द्र सिंह तथा श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2010 में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाइन फ्लू के इलाज के अभाव में कितने मरीजों की मृत्यु हो गई ? क्या सरकार द्वारा वर्ष 2011 में उक्त रोगों के समुचित एवं त्वरित इलाज हेतु कोई कारगर कार्य-योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अन्नन्त कुमार मिश्रा)-

वर्ष 2010 में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाइल फ्लू से प्रभावित मृतकों की संख्या निम्नवत् है :--

डेंगू	08
चिकनगुनिया	शून्य
स्वाइन फ्लू	24

जी हां।

कार्य योजना संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं सीधा प्रश्न पर आ रहा हूं कि मा0 मंत्री जी ने यह जो कार्य योजना दी है, इसमें इन्होंने जिलेवार दिया है कि किस जिले के अन्तर्गत कितनी घटनायें हैं। मान्यवर, सबको मालूम है कि पिछले दिनों में अस्पतालों मे मरीजों को भर्ती करने के लिये जगह नहीं थी। एक-एक बेड पर दो-दो, तीन-तीन मरीज थे और जरूरत पड़ने पर फर्श पर भी लेटे हुये थे और मान्यवर, जो संख्या आयी है कानपुर महानगर की कि 92 लोग थे। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो समस्या हुई रोगों की स्वाइन फ्लू की, चिकनगुनिया की इसमें दवाई छिड़कने के लिये एण्टीलारवा होता है, क्या यह समय से खरीदा गया और समय से दिया गया ? पहला प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने आंकड़े दिये हैं, ये केवल सरकारी अस्पतालों से सम्बन्धित जो उन्होंने फैब्रिकेट करके दिये हैं, यह है या फिर पूरे जिले के अन्तर्गत जो अन्य अस्पताल हैं, उनमें भी आपने सारी संख्या लेकर दी है। मान्यवर, ये दो प्रश्न आपके माध्यम से मेरे हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश में कार्य योजना बनी, उसमें उसके दो पक्ष हैं। एक बचाव पक्ष है, एक उपचार पक्ष है। एक बात तो इन्होंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दी कि वर्तमान सरकार में जिला अस्पतालों में लोगों को दवाई और इलाज उपलब्ध हो रहा है। विश्वनियता बढ़ी है, लेकिन निश्चित रूप से आप नगर विकास मंत्री पूर्व में रहे हैं, जो कार्य योजना बनती है, वह स्वास्थ्य विभाग बनाकर जिलों में भेज देता है और जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे कार्यान्वयन होता है। इसलिए 28 पन्नों की यह जो कार्य योजना है बहुत डीटेल में हमने मा0 सदस्यों के लिए भेज दिया है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। अब 28 पन्नों में तो सदन का समय नहीं बर्बाद किया जा सकता है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो उत्तर दे रहे हैं, मा0 मंत्री जी।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जो हमारे जिलों में फॉगिंग की व्यवस्था के विषय में कहा गया है। वह पिछले वर्ष समय से खरीद लिया गया था, इस वर्ष की कार्य योजना में पूर्णतः उसमें हमने बता दिया है। जो मा0 सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं, वह अधिकृत संख्या हैं, जिसको शासन ने इस सदन को सूचित किया है। यह निश्चित रूप से वही सूचना है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

बस, ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न है कि यह जो संख्या है यह केवल सरकारी अस्पतालों की है, या बाकी सारे जिले के अस्पतालों की है ? यह मंत्री जी खड़े होकर बता दें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

इसमें सारा है। यह पूरा है, पूरा सरकारी अस्पतालों का है और जो भी सूचित है, जो रिर्पोटेड है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक चीजें करिए आप।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं एक छोटा-सा अनुपूरक पूछना चाहता हूं, पहले धन्यवाद देता हूं कि मा0 मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कार्य योजना की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूर्वांचल से आता हूं, गोरखपुर जापानीज इंफेलाइटिस या ए0ई0एस0 जिसके लिए आपने वर्कशाप किया उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन कहीं-न-कहीं पर ये जो आपने प्रीवेन्शन एण्ड ट्रीटमेंट, ये दोनों बातें जो आपने कही और इसमें आपने कहा कि सर्विलेन्स पर जोर है। कार्य योजना में रोगियों के पुष्टिकरण के लिए जो लैब की स्थापना की गई है। 10 सेंटीनल सर्विलेंस लैब स्थापित की गयी हैं उसमें मा0 अध्यक्ष जी, गोरखपुर का नाम कहीं देखने को नहीं मिला है। यह कब तक स्थापति कर दी जायेगी दूसरा डेंगू से बीमार मरीज का यह कह देना कि यह गंभीर बीमारी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं मान्यवर। डेंगू के मरीजों को जो प्लेटलेट्स ट्रान्सफ्यूजन किये जाते हैं जो ब्लड सेपरेटर यूनिट है, उसके बारे में आपने कहा है कि हमने ब्लड सेपरेशन की सुविधा हेतु मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, झांसी, आगरा, इलाहाबाद आदि 22 स्थानों पर शासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। यदि यह सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है तो यह सुविधा कब तक मिल जायेगी ? जिससे कि वहां पर भी उन रोगियों को ब्लड सेपरेशन यूनिट के माध्यम से उनको प्लेटलेट्स मिल सकें और उनकी जान बचाई जा सके।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। टेण्डर प्रक्रिया होती है, वह अक्टूबर माह में शुरू कर दी गई थी और निश्चित रूप से इसी वर्ष इसका टेण्डर हो जायेगा और तीन महीने का समय लगता है सेपरेशन यूनिट लगाने के लिए वह तीन महीने के अंदर लग जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह जो आकंड़े दिये गये हैं अकेले जनपद बुलंदशहर में डेंगू से मरने की जो घटना है, वह जीरो दिखाई गयी है। हमारी जानकारी में है कि बुलन्दशहर में कम-से-कम 30-40 लोगों की डेगू से मौत हुई है लेकिन जो आपने कार्य योजना किया है वह काफी मोटे में दी है डिस्ट्रिक हास्पिटल

का काम केवल इतना था, सबको पता है, सारे 403 विधायक बैठे हैं, यहां सदन में वहां पर मरीज जायेगा, यहां पर कोई ईलाज नहीं है यह कहकर रेफर कर देते थे। कैलाश हास्पिटल, नोयडा के हास्पिटल, ऐसे बहुत से लोगों की मौत हुई। डिस्ट्रिक हास्पिटल में डेंगू का कोई ईलाज जनपद-बुलन्दशहर में न था और न ही कोई योजना थी। कम-से-कम इसको लिखते समय कुछ देख तो लेते यदि आपने कहा है कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है यह तो आप यहां इस विधान सभा के तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दें, उसमें मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी वहां हों तो हम इनको 30-40 लोगों के नाम बता देंगे कि फलां-फलां की मृत्यु हुई है। यदि ऐसे सम्वेदनशील इशू पर भी इस तरह के जवाब आयेंगे, तो बहुत गम्भीर परिणाम होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सारा का सारा प्रश्न का उत्तर झूठ का पुलिन्दा दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे संरक्षक हैं कि तीन लोगों की एक कमेटी गठित कर दी जाय जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी रहें, हमारे साथ चलें हम इनको हमारे यहां जितनी मौतें हुई हैं, सबके नाम और पते नोट करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिये, हां सोलंकी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ?

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंनें माननीय मंत्री जी से अपने सवाल के माध्यम से यह जानना चाहा था कि वर्ष 2011 जो चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें किन बीमारियों की रोक-थाम के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है ? चूंकि पिछले वर्ष तमाम लोग डेंगू से और इसी तरह की तमाम बीमारियों से मौत के काल में समा गये। मेरे जनपद मेरठ और बागपत में किसी भी हास्पिटल में डेंगू के मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं था, जो सच्चाई है, फर्श पर लिटा कर इलाज किया जा रहा था। माननीय मंत्री जी ने जो कार्य योजना दी है मुझे लगता है शायद मा0 मंत्री जी ने इस कार्य योजना को पढ़ने का काम नहीं किया है। अगर इसे पढ़ लेते तो इस कार्य योजना को हम सदस्यों के पास भेजने का काम नहीं करते। माननीय मंत्री जी मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य योजना में वर्ष 2011 के लिए आपने क्या उपाय किये हैं, कहीं किसी पेज पर कोई जिक्र नहीं किया गया है ? यह बीस पेज की कार्य योजना है अगर इसमें डेंगू के उपचार के लिए आपने वर्ष 2011 के लिए क्या तैयारी की है वह कहीं लिखा हो तो वह पढ़ कर बताने का काम कर दें ? इसमें लिखा गया है, डेंगू का लक्षण क्या है, डेंगू के बीमार मरीज कितने हैं, उनकी जिलों में संख्या कितनी है, हमने तो संख्या नहीं जाननी चाही कि जिलों में संख्या कितनी है, बिल्कुल सीधा प्रश्न है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

पृष्ठ संख्या-6 पर देखें, कार्य-योजना की रणनीति के बारे में लिखा गया है, अगर आप कहें तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मैंने तो पूरी कार्य योजना पढ़ ली, मुझे तो कहीं मिला नहीं, बताइये कौन से पेज पर है। पृष्ठ-6 पर तो आपने लिखा है मा0 मंत्री जी कि यदि कम से कम 24 घंटे से बिना औषधि लिये बुखार न आ रहा हो।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको पढ़िये नहीं, चलिये कार्य योजना के लिए अनुपूरक हो गया। मा0 मंत्री जी वर्ष 2011 के लिए डेंगू के लिए अगर कोई कार्य योजना हो तो मा0 सदस्य को उसे बता दें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय मंत्री पृष्ठ-6 पर तो आपने शिकायत लेने के बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रिकाशन लेने की बात दर्शायी गई है, यही तो कार्य योजना है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया पृष्ठ-17 पर देख लें, इसमें मय डेट के सारी कार्य योजना का विवरण दिया गया है। अब हमारी तो नजर ठीक है, आप जरा देख लें, इसमें डेट वाइज पूरी कार्य योजना का विवरण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने पूरा विवरण दिया है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां मा0 जावेद अंसारी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न करता हूं, मुझे एक अनुपूरक कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सदस्य जावेद अंसारी जी का नाम पुकार लिया है, इसलिए पहले इन्हें अनुपूरक कर लेने दें, जब इनका अनुपूरक हो जाय तब आप अपना अनुपूरक कर लीजिएगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य योजना के बारे में मा0 मंत्री जी से जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब जवाब उन्होंने दे दिया, कार्य योजना बता दी, बस हो गया। हां मा0 जावेद अंसारी जी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

मान्यवर, जैसे हर बीमारी में एक कोई कैप्सूल सा दे दिया जाता है उसी तरह से इसमें एक कैप्सूल टाईप सुझाव दिया गया है।

(व्यवधान)

इसमें यह बताया गया है कि इस महामारी की रोकथाम के लिए उपचार से बेहतर है कि मरीज परहेज करे, उस परहेज को जरूरी बताया गया है। मान्यवर, मैंने अपने जनपद जौनपुर के बारे में कहा था कि सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पतालों में कोई स्थान नहीं मिलता।

(व्यवधान के मध्य)

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, गरीब लोग जो इन बीमारियों से पीड़ित थे उनको कोई इलाज नहीं मिल पाया है। कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं बतायी जा रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए 'गरीब विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी' सदन का त्याग किया)

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

मान्यवर, जौनपुर के बारे में जो इसमें आंकड़े दिये गये हैं वह गलत हैं और भ्रामक हैं। मान्यवर, यह जो विभाग द्वारा आंकड़े दिये गये हैं जिसकी सत्यता पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसकी सत्यता की जांच किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसको स्वीकार कर लिया गया है अब माननीय मंत्री जी अपने ही उत्तर की जांच कैसे करायेंगे ? आपको पता है कि हमारे नियमों में इसके लिए विस्तृत व्यवस्था है यदि आंकड़े और उत्तर गलत हैं, आपको लगता है तो आप **हमें लिखकर दें हम जांच कराने के लिए कह देंगे।**

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर में कितने-कितने लोग भर्ती किये गये हैं और उनका कहां-कहां इलाज हुआ और उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई ? इसमें मृत्यु की संख्या शून्य दी गयी है। मैं इसीलिए पुनः मांग कर रहा हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं और जो गलत हैं उनकी जांच आप किसी सक्षम एजेंसी से करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपसे कहा कि आपको लगता है कि आंकड़े और उत्तर गलत हैं तो आप नियमों के अन्तर्गत हमें लिखकर दे दें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्वाइन फ्लू से इतनी-इतनी मौतें हुई हैं। मान्यवर, यह जो महामारी है इसका प्रकोप हमारे देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल और नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं जैसे लखीमपुर खीरी इनमें यह महामारी फैलती है। इसमें जो मरने वालों के आंकड़े आये हैं तो उसमें क्या सरकार ने उनके परिवारीजनों को मुआवजा दिया है ? दूसरे, यह जो महामारी फैलती है इसकी रोकथाम के लिए और इसके इलाज के लिए क्या सरकार ने कोई मोबाइल सेवा शुरू की है या कोई टीम गठित की है जो ग्रामीणों का इलाज करे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह सचल चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह सचल चिकित्सा व्यवस्था का प्रश्न परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि इसमें एक हजार एम्बुलेंस खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। सचल चिकित्सा व्यवस्था माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने जन्म दिन के अवसर पर पूरे प्रदेश के लिए शुरू की है जिसमें अभी 15 जिलों में यह शुरू की गयी है।

(कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, पीलीभीत, सहारनपुर और बहराइच सबसे ज्यादा प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जिन जनपदों का इशारा कर रहे हैं पटेल जी, जो तराई इलाके का है उसके बारे में बता दिया गया है, बस हो गया। अब आप लोग बैठें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

*1-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दूबे)-

जी हां। प्रदेश की प्रमुख-गंगा, यमुना तथा गोमती नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, जे0एन0एन0यू0आर0एम0, यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 एवं वर्तमान मे भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु योजनायें चलाई जा रही हैं।

उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से नदी के किनारे बसे शहरी क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था, नालों की टैपिंग एवं सीवेज को शोधित किया जाना सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त नदी प्रदूषण के अन्य कारक जैसे ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक, खुले में शौच की प्रवृत्ति आदि को रोकने तथा समुचित व्यवस्था किया जाना प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो उत्तर माननीय मंत्री द्वारा आया है मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर महानगर में जो गंगा नदी बह रही है उसमें पीछे से जो काली नदी के नाम से फर्रूखाबाद से आकर कानपुर महानगर में आती है और कानपुर महानगर के टेनरी का जो अपशिष्ट होता है यह सारा का सारा गंगा नदी में जाता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि कानपुर महानगर में कितना वाटर वेस्ट है और कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है और कितने का ट्रीटमेन्ट करके गंगा नदी में जा रहा है ? कितना वहां का टेनरी का अपशिष्ट है और जो सीवरेज का है इसकी कितनी टोटल मात्रा है और कितना उसका शोधन किया जा रहा और क्या जो शोधन हो रहा है वह मानकों के अनुरूप हो रहा है ? जितनी शोधन क्षमता के वहां पर प्लांट लगे हुए हैं वह मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं ? मान्यवर, यह दो प्रश्न हैं ?

श्री नकुल दूबे-

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी मे प्रदूषण रोकने के लिए विस्तृत योजनाएं 1985 से इस प्रदेश में चलाई जा रही हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दे दें।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, सीधा उत्तर दे रहा हूं। कानपुर में 8 पम्पिंग स्टेशन वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें कुल जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं उनकी 171.00 क्षमता है और इसके माध्यम से कानपुर जनपद की सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गयी है। जहां तक टेनरीज का प्रश्न है कानपुर नगर में 404 टेनरी इकाइयां स्थापित हैं और इन टेनरीज को अन्य स्थान पर विस्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है इनमें से 101 टेनरी अपने आप से बन्द हैं, मानकों के अनुरूप अनुपालन न किये जाने के कारण जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग बन्द किये गये है उनकी संख्या 70 है, संचालित इकाइयां 231 हैं, ड्राई पॉसेस पर आधारित उद्योग जिनमें शुद्धीकरण संयत्र की आवश्यकता नहीं है उनकी संख्या 28 है और जिनमें वर्तमान में शुद्धीकरण संयत्र स्थापित कर दिया गया है उनकी संख्या 203 है। जहां तक जाजमऊ, कानपुर स्थित चमड़ा इकाइयों के प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के शुद्धीकृत उत्प्रवाह के फाइनल ट्रीटमेंट हेतु जाजमऊ कानपुर नगर का प्रश्न है गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 36 एम0एल0डी0 क्षमता 9 एम0एल0डी0 टेनरी उत्प्रवाह का और 27 एमएलडी घरेलू जल-मल का संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण सी0ई0टी0पी0 स्थापित है। जिसके द्वारा शोधित उत्प्रवाह इरीगेशन चैनल के माध्यम से सिंचाई हेतु प्रयोग में लाये जाने की व्यवस्था है। एस0टी0पी0 द्वारा उत्प्रवाह का शोधन मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। जाजमऊ के अलावा कानपुर नगर मे दो टेनरी इकाइयां अन्य स्थानों पर स्थापित हैं। जिनमें एक इकाई बंद है, इसके अलावा उन्नाव और शुक्लागंज भी उससे जुड़े हुये क्षेत्र हैं, वहां पर भी किसी उद्योग द्वारा यदि शुद्धीकरण के मानकों/नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग उसके खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्ट धारा 33-ई के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने का प्रश्न रखा है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया है। मेरा एक बिल्कुल सीधा सा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि अभी सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोग जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, उन्होनें पढ़ा होगा कि जल निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0 के0 श्रीवास्तव ने कहा है कि यह जो एस0टी0पी0 लगाये जा रहे हैं, इसके लगाने से नदियों में जो रासायनिक पदार्थ आर्सेनिक, आयरन, मैगनीज, लेड और जिंक जो पड़ी हुयी है, यह शुद्ध नहीं होने वाली है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि नदियों में जो आर्सेनिक मिल रहा है जो जहर है और मनुष्य के शरीर के लिये घातक है उस प्रदूषण से नदियों को मुक्त करने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो सब प्रदूषण ठीक कर रहे हैं उसमें आर्सेनिक भी ठीक हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह समस्या अकेले कानपुर की नहीं है। यह पूरे प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने की समस्या है। मेरा सीधा-सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि जिन स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट फंक्शनल नहीं हैं या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट अधूरे पड़े हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य पूरा कराकर नदियों को प्रदूषित होने से बचायेगें ? विशेषकर मैं माननीय मंत्री जी से शाहजहांपुर जनपद के बारे में जानना चाहता हूं, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट कुछ लाख रुपये खर्च न होने की वजह से अधूरा पड़ा है, तो क्या उसको पूरा करा करके शाहजहांपुर की दोनों नदियों को प्रदूषण से मान्यवर बचायेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही छोटा अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि काशी में जो गंगा नदी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी जो जल की दशा है वह बहुत ही खराब है और लगभग सभी लोगों की यह रिपोर्ट है। तो मैं आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि आज तक जो कुछ भी किया गया उसके बाद भी वाराणसी में गंगा नदी में दर्जनों की संख्या में मल-जल युक्त नाले मिल/बह रहे हैं तो उसको तत्काल बंद कराये जाने की आपकी कोई योजना है, अगर है तो वह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी और जल को प्रदूषण से मुक्ति मिल जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार प्रदेश भर की सम्पूर्ण नदियों चाहे वह मां गंगा हों, चाहे वह यमुना हों, चाहे गोमती हों, हर नदी में गम्भीर अभियान चलाकर सरकार शुद्धीकरण की कार्यवाही में संलिप्त है। अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने यहां के एस0टी0पी0 के बारे में जिक्र किया मान्यवर, मैं अपेक्षा कर रहा

था और मुझे उम्मीद थी कि सम्पूर्ण सदन एक मत से बधाई देगा प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने दिनांक 15 जनवरी, 2011 को सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं एशिया के सबसे बड़े एस0टी0पी0 प्लान्ट का आपके लखनऊ जनपद भरवारा में केवल लोकार्पण ही नहीं किया बल्कि उसी दिन से गोमती नदी को शुद्ध करने की एक ऐतिहासिक योजना प्रारम्भ हो गई। जहां तक अन्य नदियों का सवाल है, वाराणसी के बारे में मा0 सदस्य श्यामदेव राय चौधरी साहब स्वयं अवगत हैं कि वहां पर इस समय एस0टी0पी0 आदि पर काफी गम्भीरता से ध्यान आकर्षित किया गया है। वहां काशी जी और मां गंगा जी की स्वच्छता और शुद्धीकरण पर पूरी व्यवस्था के साथ कार्य किया जा रहा है।

(सदस्य श्री पूरन प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, दर्जनों की संख्या में जो नाले नदियों में गिर रहे हैं क्या मा0 मंत्री जी उन्हें बन्द कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, उसको धीरे-धीरे बन्द करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उसे करा देंगे। मा0 पूरन प्रकाश जी संक्षेप में पूछें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक बात जानना चाह रहा हूं। मान्यवर, मथुरा जनपद में यमुना नदी में करोड़ों आदमी आचमन करने आते हैं, जिस समय वह आचमन लेते हैं, जल जबान पर रखते हैं उसी समय उल्टी हो जाती है। दिल्ली से हरियाणा से पानी बहकर यमुना जी में आता है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने की क्या कोई कार्य योजना है ? क्या यह सही है कि पिछले एक महीने में लाखों-करोड़ों मछलियां यमुना नदी के पानी से मर चुकी हैं क्योंकि जो श्रद्धालु यमुना में आते हैं वह आचमन के नाम पर जैसे ही यमुना नदी का पानी लेते हैं उनके उल्टी हो जाती है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, मूल प्रश्नकर्ता हैं इसलिये आप संक्षेप में प्रश्न पूछ लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन किया था कि कानपुर के बारे में बतायें। मुझे खुशी है कि मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि एस0टी0पी0 मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है और एस0 टी0 पी0 के बारे में बधाई भी चाहते हैं। मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि कानपुर महानगर में कितना प्रवाह है, वह तो आपने बताया नहीं। जो फैक्ट्रियों का प्रवाह है क्या 9 एम0एल0डी0 पानी की फैक्ट्रियों का प्रवाह है या इससे ज्यादा है ? जो एस0टी0पी0 ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, लोग वहां पर मौज ले रहे हैं और आप लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह नहीं चल रहा है तो क्या उसके लिये जिम्मेदार लोगों के

खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की और उसे ठीक करने का कोई उपाय किया या उसे ठीक करने की आगे कोई कार्य योजना है ? जो आपने बताया कि गंगा नदी में एक 36 एम0एल0डी0 है और 130 एक है। इसके अलावा जितना पानी जा रहा है क्या उसके बाद जो खराब प्रवाह है चाहे वह इण्डस्ट्रियल हो या कुछ और हो क्योंकि एक तरफ एस0टी0पी0 बना हुआ है और उन्नाव की तरफ एस0टी0पी0 भी नहीं बना हुआ है और दोनों तरफ से प्रवाह जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो खराब है उसे ठीक करने के लिये और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर क्या मा0 मंत्री जी विचार करेंगे ? इसके अतिरिक्त कितना गन्दा पानी जा रहा है उसे रोकने के लिये क्या मा0 मंत्री जी कार्रवाई करेंगे ?

श्री नकल दुबे-

माननीय महाना साहब को अवगत हैं कि कानपुर में जो घरेलू मल जल या उत्प्रवाह निकल रहे हैं। जो एस0 टी0 पी0 है वह बढ़ती जनसंख्या के कारण कारगर नहीं है और इन एस0 टी0 पीज के अपग्रेडेशन की आलरेडी योजनायें स्वीकृत हैं एम0जी0आर0पी0ए0 में। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के लगातार दबाव के कारण 285.4 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। बहुत शीघ्र ही वहां पर उसका कार्य प्रारम्भ कराकर प्रयास करेंगे कानपुर के जाजमऊ स्थित गंगा नदी में जितना भी प्रदूषण युक्त जल बह रहा है उसके शुद्धिकरण की कार्यवाही करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं आया है इसलिये मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री सतीश महाना ने सदन का त्याग किया)

प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने की योजना

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी हां।

राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कराये गये गुणता सर्वेक्षण (प्रथम चरण) के आधार पर दिनांक 01-04-2005 को प्रदेश में 612 खारेपन से प्रभावित बस्तियां चिन्हित की गयी थी। खारेपन से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न 02 कार्य योजनायें बनाई गई हैं :-

1-पाइप पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना।

2-गहरे जल स्तर तक डीप बोर के हैण्डपम्प लगाकर स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

वर्तमान में खारेपन से प्रभावित उक्त 612 बस्तियों की योजनाएं विरचित करके राज्य स्तरीय सोर्स फाइन्डिंग एवं तकनीकी समिति से स्वीकृत करा ली गयी हैं। दिनांक 31-03-2010 तक उक्त प्रभावित 612 बस्तियों में से 376 बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 236 बस्तियों के सापेक्ष दिनांक 31-12-2010 तक 88 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा अवशेष 148 बस्तियों को भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखूलाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

मा0 मंत्री जी ने जवाब पढ़ा है। मेरी पीड़ा यह है कि देश की आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद हम लोग 118 देशों से खराब पानी पीते हैं। आज भी हम लोग प्रदेश के लोगों को खारे पानी से निजात नहीं दिला पाये हैं, उस पर जो जवाब आया है, जरा देखें, 01-04-2005 में 612 खारे पानी की बस्तियों को चिन्हित किया गया है और मान्यवर, सरकार की इसमें प्रगति यह है कि अभी तक इन 612 बस्तियों को शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध करा पाये। 2007 से लेकर 2011 तक आपकी जो 612 खारे पानी की बस्तियां थीं जिसको उससे निजात दिलाने के लिये यह सरकार कटिबद्ध थी, 4 साल बीत जाने के बाद इन बस्तियों को खारे पानी से निजात नहीं दिला पाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो 148 बस्तियां हैं इनको आप कब तक खारे पानी से निजात दिला देंगे ? हमारी विधान सभा क्षेत्र में 5-7 गांव ऐसे हैं -वृन्दावन, बेला नेवादा, बेलाखास, मुईनिद्दीनपुर, मैलवन व अगरापट्टी जो खारे पानी से बहुत प्रभावित हैं। मान्यवर, इसी तरह से 37 गांव थे जिनमें खुद अपनी विधायक निधि से फण्ड दे करके हमने कोशिश की है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि ये जो 5-6 गांव हैं इनको आप कब तक खारे पानी से मुक्ति दिला देंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, खारे पानी से प्रभावित जो बस्तियां पाइप पेयजल योजना से अभी तक जोड़ी नहीं जा सकी हैं वहां डीप बोर हैण्डपम्प लगा करके वहां की जनता को स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उन बस्तियों में खारे पानी का कोई विकल्प नहीं है, उनमें डीप बोर हैण्डपम्प लगाये गये हैं और उनको स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की बात है तो जो शेष बस्तियां कार्य योजना में ले ली गयी हैं। राज्य स्तरीय सोर्स फाइण्डिंग कमेटी में स्वीकृति प्रदान कर दी है 31 दिसम्बर, 2011 तक उन पर पाइन लाइन पेयजल योजनाएं बना दी जायेंगी।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो तराई बेल्ट है उस तराई बेल्ट में आर्सेनिक की मात्रा केन्द्र सरकार से जांच हुई थी उसमें अधिक पायी गयी। कई दफा विधान सभा में हमने सवाल भी लगाया कि आर्सेनिक की

मात्रा बहुत अधिक संख्या में पाई गई है। हमारे यहां पलिया, निघासन, धौरहरा, नेपाल की सीमा से नीचे जितनी भी तराई बेल्ट है उसके अन्दर आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। आर्सेनिक पानी पीने से तमाम लोग मृत्यु के कगार पर हैं उनकी मौतें हो रही हैं। वहां 80 फीट, 100 फीट पर हैण्डपम्प लगाते हैं जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है कि इस लेबिल पर बहुत अधिक मात्रा में आर्सेनिक होती है। क्या मंत्री जी इसकी गहराई 200-230 फीट तक करेंगे और पानी की टंकियां लगाकर इन इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

अध्यक्ष जी मूल प्रश्न है कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है। मूल प्रश्न खारे पानी से सम्बन्धित है जिसके लिये 612 बस्तियों की सूचना हमने दी है। यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है। माननीय सदस्य इसको लिखकर दे दें हम अलग से सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपके प्रश्न में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। आपने जिन इलाकों का उल्लेख किया है उनको लिखकर दे दें मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि प्रदेश में 612 बस्तियों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 376 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे यहां लखीमपुर खीरी से तेलियार, ग्राम सभा सेमरी, बड़ा गांव, बढ़ेरा आदि गांवों में पानी की टंकियां बनायी गईं लेकिन वह संचालित ही नहीं हो रही हैं उनका निर्माण इतना घटिया स्तर का किया गया कि वह संचालित ही नहीं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मेरा अनुपूरक यही है कि लोग खारे पानी पीकर मर रहे हैं और वह टंकियां संचालित नहीं हो रही हैं इसके लिये क्या व्यवस्था है क्या उनकी जांच करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने यह किया है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

आप इसको लिखकर दे दें हम जांच करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि लिखकर दे दें हम जांच करा देंगे।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मैंने लिखकर भी दिया था कोई जांच नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है कि लिखकर दे दें वह जांच करा देंगे। जब विश्वास ही नहीं है तो क्या किया जाय ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में ग्राम सभा भुर्रा, ग्राम सभा गेलुआरा में पानी की टंकी लगी हुई है इनको दो-तीन साल हो गये लेकिन इनसे पानी की सप्लाई नहीं शुरू की जा रही है न ही उसकी पाइप लाइन बिछाई गई है जिससे गांव के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं यहां न इण्डिया मार्क-टू हैण्डपम्प हैं न पीने के पानी का कोई साधन है।

मान्यवर, ग्राम सभा गिलिवारा और भुर्रा में जो टंकी लगी है, ट्यूबवेल लगा है उसको चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वैसे तो यह सवाल प्रश्न से हटकर है लेकिन माननीय सदस्य एक गांव की बात बता रहे हैं, इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री भोला पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां का बहुत ही खारा पानी है अभी दिसम्बर महीने में जल निगम के सचिव वहां गये थे। गांव धरपीनुर बिसयां, रसलामपुर, परसुराम आदि में।

श्री अध्यक्ष-

अब आप एक-एक गांव का पूछ रहे हैं। यह तरीका नहीं है। सब लोग ऐसे ही एक-एक गांव का लेकर खड़े हो जायं तब तो हो गया। यह गलत बात है।

श्री भोला पासवान-

वहां जांच में भी यह पाया गया। क्या उसके लिये कोई योजना बनाई गई है ? मैं यह स्पेसिफिक प्रश्न जानना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं0-3 पुकारे जाने पर सदस्य श्री राम बिशुन आजाद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों एवं साइवर अपराध से निपटने हेतु पुलिस बल में वृद्धि किये जाने की मांग

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई आतंकवादी और नक्शलवादी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु प्रदेश में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में एक लाख लोगों पर 115 पुलिस बल ही उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस बल को फारेंसिक जांच, जासूसी ट्रेनिंग और साइवर अपराध से निपटने में कुशल बनाये जाने हेतु पुलिस बल की संख्या में और वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रदेश में बढ़ते हुये आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु शासनादेश संख्याः 4147/6-पु-1-08-120/08, दिनांक 11-12-2008 के द्वारा नागरिक पुलिस के कुल 204021 पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश की एक लाख की आबादी पर 83.6 पुलिस कर्मी उपलब्ध हैं। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत पदों के समक्ष भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही उ0 प्र0 पुलिस भर्ती/प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा चरणबद्ध रूप से की जा रही है। कालान्तर में भर्ती/प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रति लाख आबादी पर प्रदेश में 223 पुलिस कर्मी उपलब्ध हो जायेंगे। फलतः पुलिस बल को फोरेन्सिक जांच, जासूसी ट्रेनिंग और साइबर अपराध से निपटने में कुशल बनाये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मेरा प्रश्न था कि एक लाख की आबादी पर 115 पुलिस बल ही उपलब्ध है, इस जानकारी पर मैंने अपर्याप्त कहा था जो वर्तमान में पुलिस है। लेकिन ऊपर आपने कह दिया कि जी नहीं, पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। लेकिन आगे जाकर आप कह रहे हैं कि 115 नहीं वर्तमान में सिर्फ 83 ही पुलिस उपलब्ध है प्रति एक लाख पर। मैं आपकी इस विसंगति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ? दूसरी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जो आबादी है और उसके अनुपात में जो अपराध हो रहे हैं उसको देखते हुये आदर्श मानक क्या है ? प्रति लाख की आबादी पर कितने पुलिस जनों की आवश्कता है ? यह जो 223 उपलब्ध हो जायेंगे भविष्य में, क्या वह उस आदर्श मानक के अनुसार पर्याप्त होंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मानक के अनुसार ही यह पदों की स्वीकृति की गई है और वह भर्ती होने पर मानक के अनुसार हो जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आप कहते हैं कि मैं बहुत टैक्नीकली घुमाता हूं। मैं कहीं घुमाता फिराता नहीं हूं। मेरा सीधा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। बहुत ही प्वाइन्टेड प्रश्न है कि मेरा जो प्रश्न था और जो आपका उत्तर है उसमें विरोधाभास क्यों ? आज प्रति लाख आबादी पर 83 पुलिस जन उपलब्ध हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरा जो प्रश्न है कि अनुपलब्धता है, आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं। एक तो विरोधाभास का कारण क्या है ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि आदर्श मानक प्रति लाख की आबादी पर कितने पुलिस जनों की है ? और क्या यह जो आपकी योजना है कि 223 पुलिस कर्मी प्रति लाख की आबादी पर उपलब्ध हो जायेंगे क्या वह आदर्श मानक के अनुसार पर्याप्त होंगे ? यदि नहीं होंगे, तो क्या उनकी संख्या में आप और बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर मैंने दे दिया।

यह जो वर्तमान में 83.6 नागरिक पुलिस की उपलब्धता प्रति लाख पर है इसमें विरोधाभास नहीं है हम छिपा तो रहे नहीं हैं, हमने जवाब दिया आप पूछ रहे थे 115, मैंने कहा 83.6 सिविल पुलिस हैं, इसके अतिरिक्त अन्य पुलिस अलग है।

श्री अध्यक्ष-

बता तो दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

एक आदर्श मानक क्या होगा ? वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उस पर, यह पूछा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, पूछा यह गया है कि एक लाख की आबादी पर आदर्श मानक की संख्या कितनी है यह 223 होती है, 225 होती है, 115 होती है आप कहते हैं कि 223 होने पर आदर्श मानक पूरा हो जायेगा तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि एक लाख की आबादी पर आदर्श मानक की संख्या 223 ही है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने इसका उत्तर दे दिया है। मानक के अनुसार पद स्वीकृत किये गये और जब इसकी भर्ती पूरी हो जायेगी तो यह निश्चित रूप से पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ तो गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आदर्श मानक क्या है ? आप 223 मानते हैं, 225 मानते हैं या 250 मानते हैं आप कहते हैं कि 223 पूरा हो जाने पर, तो क्या यह मान लिया जाए कि एक लाख की आबादी पर आपका आदर्श मानक 223 ही है।

श्री अध्यक्ष-

यही तो कहे हैं कि हमारा एक लाख मानक पर इतने उपलब्ध हो जायेंगे उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 83.6 है इनकी उपलब्धता पूरी हो जायेगी तो 223 हो जायेंगे, तो नार्म्स पूरे होंगे। यही बताया कि 223 होने पर मानक पूरे हो जायेंगे। उपलब्धता पूरी हो जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और जो यहां अपराध की संख्या है उसको देखते हुए क्या आदर्श मानक पुलिस बल का क्या होगा ? प्रति लाख आबादी पर क्या आदर्श मानक होगा ? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और अपराध की संख्या को देखते हुए आप कह रहे हैं, पहले यह बता दें तब दूसरा प्रश्न पूछंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बता दे रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग वर्ष 1960 की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न संवर्गों हेतु पद सृजन के मानक निर्धारित किये गये थे और उस मानक के अनुसार मान्यवर, अलग-अलग बता सकते हैं कि किस थाना नियतन की क्या स्थिति है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आदर्श मानक पूछे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 1960 में, उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग वर्ष 1960 की संस्तुतियों के आधार पर, प्रदेश पुलिस के विभिन्न संवर्गों हेतु पद के सृजन के मानक निर्धारित किये गये थे तथा तद्नुसार ही अब तक विभिन्न श्रेणी के पद सृजित किये जाते रहे हैं वर्ष 1960 के पश्चात् प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं अन्य परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं जहां आबादी में 270 प्रतिशत से अधिक वृद्धि रही वहीं पुलिस बल के सम्मुख मान्यवर, जो मानक उस समय निर्धारित किया गया था प्रति लाख पर उसके आधार पर, उस मानक को देखते हुए बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर यह पद सृजित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसी के सापेक्ष किया गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मैं मान रहा हूं 1960 में जो संस्तुति की गई थी उसके आधार पर यह 223 है।

श्री लालजी वर्मा-

उस समय जो प्रति लाख आबादी पर मानक निर्धारित था उसके सापेक्ष।

श्री अध्यक्ष-

जो मानक निर्धारित था उसके सापेक्ष इन्होंने उपलब्धता बताई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

जिससे कोई मतलब न हो वह उत्तर न दिलावें मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1960 के अनुसार जो संस्तुति की गई थी उसका उल्लेख माननीय मंत्री जी कर रहे हैं तो 1960 और 2010 को भी मान लें तो जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि को देखते हुए जो संस्तुति के आधार पर आप बता रहे हैं वह पर्याप्त है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो संस्तुतियां की गई थीं, वह जनसंख्या के आधार पर की गई थीं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इसका अलग-अलग मानक रखा गया था और उस आधार पर वर्तमान में, 2007 में उसी को आधार मानते हुए व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जहरीले पानी को रोकने हेतु जल शुद्धीकरण की योजना

*1-श्री सुखलाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमीन के भीतर के पानी में आर्सेनिक फ्लोराइड नाइट्रेट व अन्य विषाक्त तत्वों के कारण पानी जहरीला होने से लोग विभिन्न रोगों का शिकार हो रहे हैं। यदि हां, तो क्या सरकार रासायनिक खादों के असीमित प्रयोग व फैक्ट्रियों के जहरीले कचरे को जमीन में जाने से रोकने एवं जल शुद्धीकरण की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम (एन0डब्लू0एम0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश के 10 जिलों गोरखपुर, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद में 25 नमूना स्थलों पर भू-गर्भ जल गुणता का अनुश्रवण नियमित रूप से वर्ष में दो बार (अप्रैल तथा अक्टूबर माह में) किया जाता है।

वर्ष 2009 (अप्रैल तथा अक्टूबर माह) तथा वर्ष 2010 (अप्रैल) के भू-गर्भ जल के अनुश्रवण के आंकड़ों के अनुसार सभी जिलों के भू-गर्भ जल में सल्फेट, पीएच तथा नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है।

माह अप्रैल तथा अक्टूबर, 2009 एवं माह अप्रैल, 2010 में 5 स्थलों सरदार नगर गोरखपुर, अमीनसन्स उन्नाव, जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र, पनकी, औद्योगिक क्षेत्र कानपुर, इफको फूलपुर इलाहाबाद पर फ्लोराईड की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। अप्रैल, 2009 में फ्लोराइड की मात्रा रायबरेली जिले में 2 स्थलों तथा मेरठ जिले में 2 स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। इसी प्रकार अप्रैल, 2010 में फ्लोराइड की मात्रा उन्नाव में 4 स्थलों, लखनऊ के 2 स्थलों, रायबरेली के 2 स्थलों, मेरठ के 2 स्थलों एवं इलाहाबाद के 4 स्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र एवं गाजियाबाद के भू-जल में वर्ष 2009 तथा 2010 में क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। इसी प्रकार वर्ष 2009 में लेड की मात्रा पिलखुवा औद्योगिक क्षेत्र में तथा वर्ष 2010 में बागपत शहर में निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।

कानपुर देहात के कुछ क्षेत्रों जैसे ग्राम खानपुर तथा कानपुर में जूही बाबरिया, पनकी तथा नौरय्या खेड़ा में पूर्व में उद्योगों द्वारा अवैध रूप से फेंके गये परिसंकटमय अपशिष्ट के कारण भू-गर्भ जल में क्रोमियम की मात्रा आई0टी0आर0सी0 के माध्यम से कराई गई जांच के अनुसार मानकों से अधिक पाई गई।

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा उन्नाव जिले के विभिन्न ग्रामों में भू-गर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा का अनुश्रवण किया गया है। अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3 ग्रामों के भूगर्भ जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। इसी प्रकार बलिया जिले के तहसील सदर एवं बैरिया के विभिन्न गांवों में भू-गर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।

पानी में आर्सेनिक फलोराइड नाइट्रेट की अधिकता से बीमारी हो सकती है। वर्ष 2010 में प्राप्त भू-गर्भ जल नमूनों में उक्त दोनों तत्व मानक से अधिक नहीं पाये गये हैं।

रासायनिक खादों के संतुलित प्रयोग हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों/खादों के प्रयोग की संस्तुतियां पूरे प्रदेश में फसलवार की जाती हैं। वर्ष 2009-10 तक लगभग 20 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण कर संस्तुतियां दी गई थीं। वर्ष 2010-11 में 30 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण कर संस्तुतियां प्रदान की जा रही हैं।

जल अधिनियम, 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है, जिससे इन इकाइयों द्वारा सरिता/भूमि पर निस्तारित शुद्धि-पत्र उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। औद्योगिक इकाइयों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे भू-गर्भ जल में किया जाना अनुमन्य नहीं है।

औद्योगिक इकाइयों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण नियमानुसार टी0एस0डी0एफ0 (संयुक्त अपशिष्ट निस्तारण सुविधा) के माध्यम से कराया जाता है।

जिन स्थानों पर नैसर्गिक कारणों से भू-जल गुणता प्रभावित पाई जाती है उन स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है। जिन क्षेत्रों में भू-गर्भ गुणता औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रभावित होती है, उन क्षेत्रों में चिन्हित दोषी उद्योग के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तथा दोषी इकाइयों के अंशदान से जिला प्रशासन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री नकुल दुबे, मा0 पर्यावरण मंत्री ने उत्तर पढ़ना शुरू किया)

श्री सुखलाल-

मान्यवर, लिखित उत्तर को पढ़ा हुआ मान लें ताकि मैं अनुपूरक पूछ सकूं।

(मंत्री जी उत्तर पढ़ते रहे)

श्री सुखलाल-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर को पढ़ा मान लेते हैं, आप प्रश्न पूछें।

श्री सुखलाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक पूछना चाहता हूं कि फैक्ट्रियों के जहरीले कचरे को जमीन में जाने से रोकने के लिये, उसके शुद्धीकरण की योजना बनाई है, मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो फैक्ट्रियां हैं, एक शुगर फैक्ट्री और दूसरी बजाज शुगर मिल। मान्यवर, इससे पहले वहां पर नदी का पानी बिल्कुल साफ रहता था, नीला पानी था लेकिन फैक्ट्री लगने के बाद नदी का पानी बिल्कुल गन्दा हो गया है, वह काले पानी की नदी हो गई है। अगर आपने उसमें शुद्धीकरण के संयंत्र लगवाये हैं और वह मानक के अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर वहां की नदियों का जल काला क्यों हो रहा है ? वह पानी किसी भी जीवधारी के लिये उपयोग लायक नहीं रह गया है और न

वह किसी भी जीवधारी के लिये उपयोग लायक नहीं रह गया है और न वह किसी फसल के काम में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो आपके मानक गलत हैं या आपके मानक के अनुसार फैक्ट्रियों में संयंत्र नहीं लगाये गये हैं और वह काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उसकी जांच करवायें जिससे वहां के रहने वाले लोगों, जीव-जन्तुओं और फसलों को उस प्रदूषित पानी से बचाया जा सके।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, हमने लिखकर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में जाली नोटों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्य योजना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने हेतु आतंकवादी गिरोह से जुड़े हुए लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाली नोटों का कारोबार किया जा रहा है ? क्या सरकार जाली नोटों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश एवं लिप्त लोगों को सजा दिलाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

जी नहीं।

जाली नोटों के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

जाली नोटों के प्रसार पर प्रभावी रोकथाम एवं अंकुश लगाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ आ0बी0आई0, कस्टम तथा प्रवर्तन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। बैठक में विचार-विमर्श कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराई जाती है।

इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समन्वय समिति बनाई गई है जो प्रत्येक त्रैमास में गोष्टी आयोजित कर जाली नोटों के अवैध करोबार की रोकथाम हेतु समुचित कदम उठाती है।

जाली नोटों से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विस्तृत निर्देश जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों तथा उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को दिये गये हैं। प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के वायु एवं रेलमार्गों के प्रवेश स्थल तथा एयरपोर्ट पर भी इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोजनों की प्रभावी पैरवी कराई जाती है तथा मा0 न्यायालय में लम्बित जाली नोट सम्बन्धी वादों के सम्बन्ध में नियमित मानीटरिंग जनपद स्तर पर भी कराई जाती है। ''प्रिवेन्शन आफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट'' तथा ''कस्टम एक्ट'' के तहत भी संबंधित विभागों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कराई जाती है।

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[पहले मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के गंगा नदी के पानी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उपाय

*5-श्री उदयभान करवरिया-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत गंगा नदी का पानी जहरीला हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

इलाहाबाद नगर से घरेलू जल श्राव, जो सीवर अथवा नालों के माध्यम से गंगा नदी में जा रही है, को इन्टरसेप्ट एवं डायवर्ट करके शोषित करने की कार्य योजना बनाई गई है।

इलाहाबाद नगर में वर्तमान में 232 मिलियन लीटर प्रतिदिन घरेलू गन्दा श्राव जनित हो रहा है, जिसकी मात्रा वर्ष 2025 तक 295.85 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाने का आंकलन किया गया है। वर्तमान में इलाहाबाद शहर से घरेलू श्राव के शोधन हेतु 89 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता में दो सीवेज शोधन संयंत्र चालू हैं, जिसमें से एक नैनी में 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का है एवं दूसरा बक्शी बांध सलोरी में 29 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की इलाहाबाद सीवरेज योजना (डिस्ट्रिक्ट-डी) जो निर्माणाधीन है, उसमें 60 एम0एल0डी0 क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट बनाया जाना है तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत योजना में 105 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के चार सीवेज शोधन संयंत्र बनाये जाने हैं, जिसके लिये अनुबन्ध हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को प्रेषित सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 'सी' की योजना में एक एस0टी0पी0 14 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का प्रस्तावित है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 'एफ' एवं 'जी' जो विचाराधीन है एवं जिनके प्राक्कलन मार्च, 2011 तक प्रेषित कर दिये जायेंगे, उसमें नैनी में 35 एम0एल0डी0 तथा फाफामऊ में 10 एम0एल0डी0 का सीवेज शोधन संयंत्र प्रस्तावित है। उक्त सभी संयंत्रों के निर्माण के उपरान्त इलाहाबाद शहर में जनित सम्पूर्ण घरेलू श्राव की शोधन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी तथा गंगा नदी में इलाहाबाद शहर से जनित घरेलू श्राव से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण सम्भव हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश

*6-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों यथा चेन स्नेचिंग एवं हत्याएं आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त समाज की स्थापना के लिये वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों तथा चेन स्नेचिंग एवं हत्यायें आदि पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा सरकार गठन के प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही, समाज के संगठित अपराधियों, माफियाओं, गुण्डा तत्वों, कुख्यात पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की नीति अपनाई गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रदेशवार प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपराध दर की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में 34वें स्थान पर है तथा इससे कई गुना अपराध दर अन्य प्रदेशों में है। यह स्थिति सरकार की अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की दशा में विशेष संवेदनशीलता बरतने एवं कटिबद्धता तथा कठोर कार्यवाही के कारण ही सम्भव हो सकी है।

इसके अतिरिक्त अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

*7-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर दूसरे सोमवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के सुधारने की योजना

*8-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त तथा अपराधों की रोकथाम के लिये समय-समय पर मा0 मुख्य मंत्री जी, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करके कानून

व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में समीक्षायें करके आवश्यक दिशा-निर्देश उनके स्तर पर भी जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेज की कतिपय सेवाओं में कार्यरत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*9-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेजों एवं प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध छात्रों को मेडिकल प्रवेश में विशेष आरक्षण तथा निःशुल्क शिक्षा देने की नीति पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी नहीं।

विद्यमान आरक्षण नीति तथा चिकित्सा शिक्षा में होने वाले व्यय को देखते हुए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं को रोकने की नीति

*10-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कितनी घटनाएं पंजीकृत हैं ? क्या सरकार की महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रोकने हेतु कोई ठोस नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पंजीकृत घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

अपराध	पंजीकृत अपराध		
	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009
दहेज हत्या	2074	2211	2128
बलात्कार	1418	1672	1667

शीलभंग	2628	3024	2701
अपहरण	4356	4243	3651
छेड़खानी	2497	3537	2975
महिला उत्पीड़न	8971	9734	9122

जी हां।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने हेतु निम्न नीति अपनाई गई है :-

1-प्रत्येक जनपद में महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है।

2-प्रत्येक जनपद में महिला सेल की स्थापना की गई है।

3-प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाइन की स्थापना की गई है।

4-प्रत्येक जनपद में एण्टी ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना की गई है।

5-प्रदेश के समस्त जिला पुलिस प्रमुखों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु निर्देश जारी किये गये है।

6-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कामकाजी महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा को रोकने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग में शिकायत कमेटी का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

*12-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रम के इच्छुक जॉब कार्ड धारक वयस्क व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में बी0पी0एल0 परिवारों को विभिन्न रोजगार परक विधाओं में प्रशिक्षण देकर एकल लाभार्थी तथा समूह में बैंक से ऋण दिलाकर रोजगार मुहैया कराया जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में भी रोजगार परक योजनाओं को वित्त पोषित कर रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की गणना

*13-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0 2-3012/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 2 सितम्बर, 2010 के बिन्दु-4 के स्पष्टीकरण के क्रम में विनियमित कार्मिकों जिन्हें पूर्व व्यवस्था के तहत 01 दिसम्बर, 2008 तक सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दिया जा चुका है, को 14 वर्ष की सेवायें पूरी न होने अथवा नयी व्यवस्था लागू हो जाने के कारण समयमान वेतनमान नहीं दिया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कार्मिकों की निरन्तर संतोषजनक सेवाओं की गणना करके ए0सी0पी0 का लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-3012/दस-62(एम)/2008, दिनांक 2 सितम्बर, 2010 निर्गत नहीं किया गया है।

राज्य में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3012/दस-62(एम)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-4 में स्पष्ट किया गया है कि समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, उन सेवाओं को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु भी गणना में लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*14-श्री अब्दुल वारिस खां-

[तीसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गरीब लोगों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत नगर क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी

*15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के लिये ''स्वास्थ्य बीमा योजना'' लागू है ? यदि हां, तो किन-किन नगरों में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 15 दिसम्बर तक कितने-कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के नगर क्षेत्र में यह योजना कब तक पूर्णतः लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना समस्त जनपदों में लागू है। योजना के प्रथम चरण में 63,741 एवं द्वितीय चरण में 3,37,752 इस प्रकार 15 दिसम्बर, 2010 तक कुल 4,01,493 बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है।

योजना के तृतीय चरण में नगरीय क्षेत्र के समस्त बी0पी0एल0 परिवार भी योजना से आच्छादित हैं। तृतीय चरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विकलांगों की पेंशन एवं कृत्रिम अंग देने हेतु पेंशन एवं धनराशि आवंटन की व्यवस्था

*16-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार ने विकलांगों की पेंशन एवं कृत्रिम अंग देने हेतु क्या कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा कब तक सभी विकलांगों को पेंशन मिल सकेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कृत्रिम अंग देने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) स्वीकृत करने की नियमावली तथा ''शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली'' बनी है।

आय-व्ययक प्राविधान के आधार पर विकलांगजन को पेंशन प्रदान की जाती है।

कृत्रिम अंग देने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल रु0 250.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना

*17-श्री जोखूलाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश की ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

1-शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नये हैण्डपम्प के माध्यम से।

2-शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रिबोर हैण्डपम्प के माध्यम से।

3-पांच हजार से अधिक आबादी पर ग्राम में पाइप पेयजल योजना के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत।

4-गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल हेतु योजनाओं को वरीयता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर नगर में सड़कों पर अतिक्रमण हटाये जाने की व्यवस्था

1-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के मूलगंज चौराहे पर स्थित अल्का मेडिकोज स्टोर से लेकर मेस्टन रोड होते हुए कोतवाली चौराहे तक सड़कों पर स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या सरकार सुचारू यातायात संचालन हेतु उक्त अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। कानपुर नगर के मूलगंज चौराहे पर स्थित अल्का मेडिकोज स्टोर से लेकर मेस्टन रोड होते हुए कोतवाली चौराहे तक सड़कों पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मूलगंज चौराहे से मेस्टन रोड तक सड़क के बीच में स्थानीय दुकानदारों द्वारा अस्थाई रूप से वाहन पार्क किये जाते हैं।

जी हां। नगर निगम, कानपुर द्वारा सुगम यातायात हेतु समय-समय पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाता रहा है। पिछला अभियान दिनांक 12-8-2009 को चलाया गया था। जिसमें कच्चे पक्के 122 अतिक्रमण ध्वस्त किये गये थे। दिनांक 4-10-2010 को उक्त क्षेत्र में बैनर, होल्डिंग, क्यास एवं अन्य अस्थाई रूप से खड़े वाहन हटाये गये थे।

दिनांक 09 फरवरी, 2011 को पुनः अभियान प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के कालपी रोड पर सर्वधर्म द्वार का निर्माण

2-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के कालपी रोड पर स्थित नगर निगम कानपुर द्वारा सचिन रमेश तेन्दुलकर द्वार के निर्माण की लागत कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निर्माण किस वित्तीय वर्ष में कराया गया है एवं उसका लोकार्पण किस वर्ष में किया गया ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर के कालपी रोड पर सर्वधर्म द्वार बनाया गया था जिसकी लागत रु0 7.09 लाख थी।

उक्त सर्वधर्म द्वार का निर्माण वर्ष 2003-04 में कराया गया था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में पुलिस थानों की संख्या

3-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत में कुल कितने पुलिस थाने हैं एवं धनकुना व धुन्यिहाई सहित कितने नये पुलिस थाने खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद पीलीभीत में कुल 15 थाने हैं। धनकुना धुन्यिहाई सहित कोई नया थाना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पुलिस सुधार आयोग गठन पर व्यय एवं उसकी सिफारिशों को लागू कराये जाने की मांग

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए वर्ष 2006-07 में राज्य पुलिस सुधार आयोग का गठन किया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस पर कितना धन खर्च हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस आयोग ने अब तक कितनी सिफारिशें की हैं एवं उन्हें कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस सुधार आयोग का गठन कार्यालय ज्ञाप सं0 5375/6-पु0-10-2007, दिनांक 01-01-2007 द्वारा किया गया है।

उ0प्र0 राज्य पुलिस सुधार आयोग पर गठन से माह अगस्त, 2010 तक कुल धनराशि रु0 1,14,04,196/- (एक करोड़ चौदह लाख चार हजार एक सौ छियान्वे मात्र) व्यय हुआ है। प्रश्नगत आयोग द्वारा अभी तक सिफारिशें शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

आयोग अभी कार्यशील है।

लखनऊ नगर निगम द्वारा पोलीथीन पकड़ने के अभियान एवं इसके निस्तारण सम्बन्धी जानकारी

5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम में 20 माइक्रोन से कम मोटी पोलीथीन पकड़ने के अभियान के तहत हाल ही में करीब 30 कुन्तल पोलीथीन बरामद हुई है ? यदि हां, तो उसके निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जब्त की गई पॉलीथीन नगर निगम की केन्द्रीय कार्यशाला में रखी गई है। प्रकरण के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित होने के कारण उक्त पालीथीन का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर में नालों की सफाई पर व्यय धनराशि

6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में सभी नालों की सफाई हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नालों की सफाई पर वर्ष 2010-11 में रु0 03,28,55,390.00 (तीन करोड़ अट्ठाइस लाख पचपन हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की धनराशि व्यय हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में कतिपय कालोनियों में सोसायटी द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था

7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में एल0डी0ए0/आवास विकास परिषद् के अतिरिक्त सोसाइटी द्वारा भूखण्ड बेच कर बनी कालोनियों में प्राइवेट ट्यूबवेल लगाकर जलापूर्ति करके जल के मूल्य के रूप में पैसा लिया जा रहा है और पानी की बर्बादी की जा रही है ? क्या सरकार ऐसी कालोनियों में लगे ट्यूबवेल को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कतिपय कालोनियों जहां जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ की जलापूर्ति व्यवस्था नहीं है, में संबंधित सोसायटी द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्ययोजना

8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 2008 प्रख्यापित की गई है, जिसमें दुर्घटना से जन सामान्य की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर में अंकुश लगाने हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। यथा नियामक चेतावनी सड़क संकेत के बोर्ड, विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिगनल आदि लगाये जाते हैं।

सड़क सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। समय-समय पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनी लगाना, यातायात सप्ताह, यातायात माह, यातायात त्रैमास तथा अन्य कार्यक्रम जैसे यातायात सेमिनार, गोष्ठियां, रैली व अन्य तत्संबंधी कार्यक्रम प्रदेश के जनपदों में आयोजित कराया जाता है। स्पीड रडार विद प्रिन्टर द्वारा तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चेकिंग करके कार्यवाही भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

9-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक वाहन दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार वाराणसी के दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करने व वाहन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद वाराणसी में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में सबसे अधिक हुई सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2008-09

घटना स्थल	थाना क्षेत्र	मृतकों की संख्या
मोहन सराय	रोहनियां	15
बाबतपुर-हरहुआ बीच	बड़ागांव	14
डाफी	लंका	10

वर्ष 2009-10

घटना स्थल	थाना क्षेत्र	मृतकों की संख्या
हरहुआ बावतपुर रोड	बड़ा गांव	29
मोहन सराय	रोहनियां	20
डाफी	लंका	19
लालपुर	कैण्ट	10

वर्ष 2010-11

घटना स्थल	थाना क्षेत्र	मृतकों की संख्या
मोहन सराय	रोहनियां	23
बाबतपुर-हरहुआ के बीच	बड़ागांव	18

वाहन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में यातायात पुलिस एवं थानों से पिकेट ड्यूटी लगाई जाती है। तेज रफ्तर एवं नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध समय-समय पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है। यातायात नियमों के पालन हेतु जनजागरूकता अभियान एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है। दुर्घटना बाहुल्य स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों पर गति नियंत्रण/स्लोगन बोर्ड लगवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्पीड ब्रेकर आदि भी लगवाये जाते हैं। समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा वाहनों की चेकिंग भी कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के जन संस्थान में कतिपय सृजित पदों की संख्या एवं अनेक पदों पर एक ही व्यक्ति से कार्य किये जाने की जांच की मांग

10-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जल संस्थान में वर्तमान में जल कल नगर निगम में लेखाकार, लेखाधिकारी तथा वित्त अधिकारी के कितने पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि विगत अनेक वर्षों से लेखाकार, वित्त अधिकारी एवं लेखाधिकारी का दायित्व एक व्यक्ति द्वारा वहन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वाराणसी जल संस्थान/जलकल विभाग, नगर निगम में लेखाकार के 03 पद, लेखाधिकारी के 01 पद तथा वित्त अधिकारी के 01 पद सृजित है।

जी हां।

जल संस्थान/जलकल विभाग, नगर निगम में लेखाकार, लेखाधिकारी एवं वित्त लेखाधिकारी का पद अकेन्द्रीयित सेवा का पद है। लेखाकार के 03 पद के सापेक्ष वर्तमान में 02 पद भरे हुए हैं तथा 01 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त लेखाधिकारी एवं वित्त अधिकारी का पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों पर सम्प्रति पदोन्नति की कार्यवाही अभी नहीं की जा सकी है, जिसके कारण विभागीय लेखाकार द्वारा उक्त पदों का कार्य स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत देखा जा रहा है। इसके लिये लेखाकार को कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की क्षेत्र पंचायत पूरा के कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मडना क्षेत्र पंचायत पूरा के संलग्न प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-50/आ0स0/09, दिनांक 12-11-2009, जो गांव की अनुसूचित बस्ती के बीच ठाकुर प्रसाद मांझी के घर के पास नाले पर एक आर0सी0सी0 पुलिया एवं डिहवा सम्पर्क मार्ग एवं पंचायत भवन अनुसूचित बस्ती होते हुए जग प्रसाद कहार के घर तक आर0सी0सी0 मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

क्षेत्र पंचायत पूरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मड़ना में अनुसूचित बस्ती के बीच ठाकुर प्रसाद मांझी के घर के पास नाले पर एक आर0सी0सी0 पुलिया एवं डिहवा सम्पर्क मार्ग, पंचायत भवन अनुसूचित बस्ती से होते हुए जग प्रसाद कहार के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष

2011-2012 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उक्त निर्माण कार्य वर्ष 2011-12 में सुनिश्चित कराने के निर्देश जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत फैजाबाद को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के ब्लाक मोहम्मदाबाद के सलेमपुर मोड़ से भावरकोल थाने तक के मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

12-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लाक के अन्तर्गत सलेमपुर मोड़ से भावरकोल थाने तक जाने वाली सड़क तक 3 किमी0 के हिस्से के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के संलग्न-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-138/आ0स0/10, दिनांक 8-2-2010, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग-''रा0मा0 19 पर स्थित कबीरपुर से होते हुए मलसा सोमाडी, अवथही मार्ग'' के अपग्रेडेशन हेतु सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है तथा डीपीआर भी तैयार कर ली गई है परन्तु वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मात्र निम्नलिखित चार श्रेणियों से आच्छादित कार्य/प्रस्ताव ही स्वीकृत किये जा रहे हैं :-

1-प्रस्तावित कार्य नव सम्पर्कता के अन्तर्गत हो तथा उससे 1000+आबादी वर्ग की शेष रह गई किसी वेबसावट को एकल सर्वऋतु मार्ग सम्पर्कता के आधार पर जोड़ा जाना लक्षित है।

2-प्रस्तावित कार्य विश्व बैंक अथवा एशियन डेवलपमेंट के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु संरचित किया गया हो।

3-प्रस्तावित कार्य नक्सल प्रभावित जनपदों से सम्बन्धित हो तथा नव सम्पर्कता के अन्तर्गत सरचित किया गया हो।

4-प्रस्तावित कार्य स्पेशल रोड कनैक्टिविटी पैकेट के अन्तर्गत तैयार किया गया हो तथा बार्डर एरिया के अन्तर्गत चिन्हित जनपद से सम्बन्धित हो।

चूंकि प्रश्नगत मार्ग उक्त चारों श्रेणियों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। अतः सम्बन्धित मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम रसूलपुर से रामनाथ के दरवाजे तथा खड़ण्जा निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

13-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट ब्लाक बनीकोडर, ग्राम सभा-रसूलपुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर से रामनाथ के दरवाजे से

करारीदास बाबा तक का मार्ग खड़ण्जा निर्माण हेतु लगभग 600 मीटर तथा ग्राम दिलावलपुर से मियां का पुरवा मार्ग खड़ण्जा लगभग 1100 मीटर निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-128/आ0स0/10, दिनांक 29-1-2010, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम-रसूलपुर पक्की सड़क के रामनाथ के दरवाजे से करारीदास बाबा तक 500 मीटर सम्पर्क मार्ग वर्ष 2009-10 से मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम-दिलावलपुर पक्की रोड से बेलपुर पक्की सड़क तक लगभग 800 मीटर सम्पर्क मार्ग वर्ष 2007-08 में तथा ग्राम सरोहा पक्की रोड से असरफपुर बाडर तक सम्पर्क मार्ग लगभग 01 कि0मी0 वर्ष 2010-11 में मिट्टी पटाई का कार्य ग्राम पंचायत रसूलपुर द्वारा करा दिया गया है।

दिलावलपुर रोड से मियां का पुरवा भट्ठे से होते हुए मियां का पुरवा में जब्बार के दरवाजे तक लगभग 800 मीटर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जो फसल की कटाई के पश्चात् कराया जा सकेगा।

उक्त सम्पर्क मार्गों पर खड़ण्जा का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में 60 श्रमांश तथा 40 सामग्री का अनुपात में न होने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है। जनपद स्तर पर विकास कार्यों हेतु अन्य मदों में धनराशि प्राप्त होने पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड, बनीकोडर के ग्राम पंचायत बेलपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर बी0पी0एल0 कार्डधारकों को इन्दिरा आवास दिलाये जाने की मांग

14-श्री लल्लू सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड बनीकोडर, पोस्ट-बेलपुर, ग्राम पंचायत, बेलपुर के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारक साहेबलाल पुत्र जवाहर लाल एवं राम सागर पुत्र श्री भजन सहित कुल 13 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-126/आ0स0/10, दिनांक 28-1-2010, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित 13 व्यक्तियों में से 08 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिया जा चुका है। 03 व्यक्ति अपात्र है। 02 व्यक्तियों का नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची तथा बी0पी0एल0 सूची के नाम न होने के कारण इन्दिरा आवास की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर की ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन कराये जाने की जानकारी

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-5-2010 से 15-6-2010 तक नियुक्ति विभाग, उ0 प्र0 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कितने आदेश प्रदेश के डिप्टी कलेक्टरों की सेवा सम्बन्धी ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? क्या प्राप्त सभी आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आदेशों का समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत अनुपालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

01

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोवर्धन महाराज के पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर टिन शेड मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

16-श्री अशोक कंसल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए ब्रज क्षेत्र में पौराणिक स्थल गोवर्धन महाराज के पर्वत की परिक्रमा करने हेतु परिक्रमा मार्ग को पक्का कराये जाने एवं परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं के आराम करने हेतु टिन शेड निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

ब्रज क्षेत्र में पौराणिक स्थल गोवर्धन महाराज के पर्वत की परिक्रमा मार्ग के विकास हेतु पर्यटन विभाग की इस समय कोई योजना नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस परिक्रमा मार्ग का सुधार, चौड़ीकरण एवं मार्ग में दो बड़े पड़ाव स्थल के निर्माण की योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हेतु महानगरों का चयन एवं निर्माण कार्य

17-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा गंगा बेसिन प्राधिकरण योजनाओं के अन्तर्गत विकास हेतु किन-किन महानगरों को चयनित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद महानगर में सीवर पेयजल नाला निर्माण एवं परिवहन यातायात में क्या-क्या निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा मथुरा नगरों को चयनित किया गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के तीन नगरों कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी को चयनित किया गया है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-1, स्वीकृत लागत रु0 8969.00 लाख तथा इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-2 स्वीकृत लागत रु0 162.34 करोड़ के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के कार्य कराये जा रहे हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद नगर में सीवरेज योजना फेज-1 (डिस्ट्रिक्ट-डी) के अन्तर्गत भी कार्य कराये जा रहे हैं। नाला निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। परिवहन यातायात के अन्तर्गत महानगर में मार्गों पर यात्री शेल्टर, बस टर्मिनल एवं कार्यशाला का निर्माण नगर निगम एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-1 का कार्य 31 मार्च, 2011 तक तथा इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-2 का कार्य अक्टूबर, 2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार सीवरेज योजना फेज-1 सेक्टर डी का कार्य दिनांक 20-10-2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। परिवहन यातायात का कार्य पूर्ण कराया जाना मिशन अवधि तक लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

18-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3-948570 दिनांक 30 अगस्त, 2010 जो जनपद एटा में 14 हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है ? उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उल्लिखित 14 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में जांच के उपरान्त निर्धारित मानक के अनुरूप पात्र पाये गये 07 हैण्डपम्पों के लगाये जाने की स्वीकृति कर दी गई है। स्वीकृत 07 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा की तहसील जलेसर में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना विषयक जिलाधिकारी एटा के पत्र पर कार्यवाही

19-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जलेसर में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हेतु जिलाधिकारी एटा का पत्र सं0-327/ओ0एस0डी0-ज्ञापन दिनांक 22-2-10 जो प्रमुख सचिव, न्याय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 22-1-2008 द्वारा जनपद एटा की तहसील जलेसर में नवगठित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 26-3-2010 को निर्गत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के हापुड़ रोड की पशुवधशाला में काटे जाने वाले पशु एवं नगर निगम द्वारा पशु शुल्क से प्राप्त आय का विवरण

20-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर चलने वाली पशुवधशाला में रोजाना कितने पशु काटे जा रहे हैं तथा इन काटे जाने वाले पशुओं का एटीमार्टम एवं पोस्टमार्टम किस डाक्टर द्वारा किया जा रहा है ? उससे कितना शुल्क प्रति पशु वसूला जा रहा है ? वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-2010 में कितना रुपया शुल्क के रूप में नगर निगम के खाते में जमा किया गया ?

श्री दद्दू प्रसाद-

नगर निगम मेरठ की पशुवधशाला में अधिकतम 350 पशुओं का मांस आपूर्ति हेतु प्रतिदिन पशुवध किया जाता है। यह संख्या घटती बढ़ती रहती है किसी दिन 100 पशु, किसी दिन 150 पशु, किसी दिन 300 पशु तथा इन काटे जाने वाले पशुओं का चिकित्सकीय परीक्षण ठेकेदार द्वारा निजी पशुचिकित्सक डा0 सरताज (पशुचिकित्सक) द्वारा कराया जा रहा है।

जहां तक पशुवध शुल्क वसूले जाने का प्रश्न है, तो इस पर ठेकेदार एवं नगर निगम के मध्य विवाद है। ठेकेदार का कहना है कि ठेका पशुवध करने का लिया गया है जबकि नगर निगम द्वारा मीट की आपूर्ति का ठेका दिया गया है।

पशुवधशाला से पशुवध शुल्क वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में वसूल नहीं किया गया है। पशुवधशाला से वर्ष 2009-10 में मीट की आपूर्ति के ठेके से सम्बन्धित मात्र 25 लाख रुपया ही जमा हुआ है।

मेरठ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत मीट पैकेजिंग प्लांट की संख्या एवं इसके लाइसेंस के सम्बन्ध में जानकारी

21-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम मेरठ सीमा के अन्तर्गत कितने मीट पैकेजिंग प्लान्ट लगे हैं ? क्या नगर निगम मेरठ द्वारा इन मीट पैकेजिंग प्लान्ट्स को पशु कटान का लाइसेन्स जारी किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मीट प्लान्ट को कितने पशु रोजाना काटने का लाइसेन्स जारी किया गया है ? क्या मंत्री जी इसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम मेरठ की सीमान्तर्गत मात्र एक पैकेजिंग प्लांट निक्की फूड लि0 जेल चुंगी अब्दुल्लापुर रोड मेरठ है, जिसको वित्तीय वर्ष 2009-10 में मीट पैकेजिंग प्लान्ट हेतु लाइसेंस जारी किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम मेरठ द्वारा पशुकटान हेतु लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने की मांग

22-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा किस तिथि को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव/अनुरोध का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है।

प्रकरण दिनांक 5-9-1995 को भारत सरकार को संदर्भित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की योजना

23-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर में अभी तक मूलभूत सुविधा जैसे सीवर लाइन/वाटर लाइन/कूड़ा-कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण यहां के नागरिक खुले में शौच हेतु विवश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगरपालिका परिषद् की रिहायशी कालोनी में सीवर लाइन जलापूर्ति तथा कचरे के निस्तारण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरपालिका परिषद् बुलन्दशहर में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जल उपलब्ध है। नगर में सीवर लाइन आंशिक रूप से मात्र कुछ ही भाग में उपलब्ध है। नगरपालिका परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था सामान्य रूप से कराई जाती है। यह सही नहीं है कि उक्त के कारण वहां के नागरिक खुले में शौच हेतु विवश है।

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत जलापूर्ति सीवर लाइन तथा कचरे के निस्तारण हेतु योजना बनाई गई है।

बुलन्दशहर नगर हेतु यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत रु0 1937.86 लाख की स्वीकृत लागत से पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है। सीवरेज व्यवस्था हेतु अनुमानित लागत रु0 217.02 करोड़ की विरचित कर भारत सरकार का धनावंटन हेतु प्रेषित की गई है जिसका धनावंटन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मिशन अवधि हेतु उत्तर प्रदेश को आवंटित परिव्यय समाप्त हो गया है। इसी कारण कूड़ा कचरा निस्तारण योजना को अन्तिम रूप देकर भारत सरकार को नहीं भेजा जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की काली नदी की भूमि पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

24-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की सीमा में काली नदी की भूमि पर बड़ी मात्रा में अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है ? क्या सरकार उक्त नदी की भूमि पर से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

काली नदी की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की काली नदी के दूषित पानी को स्वच्छ करने की योजना

25-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर से गुजरने वाली काली नदी के दूषित पानी को पीने से जानवरों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार काली नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए प्रभावी नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियां जिसमें काली नदी भी सम्मिलित है, को प्रदूषण मुक्त किये जाने की सरकार की नीति है और इस हेतु विभिन्न चरणों में योजनाएं विरचित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की तहसील सादाबाद के वि0 खण्ड सहपऊ में हैण्ड पम्पों की अवस्थापना स्थल का विवरण

26-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-132 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर,

2009 तक रि-बोर किये गये वि0 खण्ड-सादाबाद में संख्या-369 एवं वि0 खण्ड-सहपऊ में संख्या-155 हैण्ड पम्पों की अवस्थापना स्थल की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में गत वर्ष विकास खण्डवार लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण

27-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-132 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में वर्ष 2009-10 में लगवाये गये 750 हैण्डपम्प विकास खण्डवार कितने-कितने लगे ? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों के अवस्थापना स्थल की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद महामायानगर में वर्ष 2009-10 में लगवाये गये हैण्डपम्प का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	लगवाये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1	हाथरस	137
2	सासनी	215
3	सादाबाद	35
4	सहपऊ	24
5	सिकन्द्राराऊ	13
6	मुरसान	212
7	हसायन	114
	योग :	**750**

जी हां। अवस्थापना स्थल की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों की धरोहरों हेतु पर्यटन स्थलों के विकास कार्य सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

28-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव तथा सुल्तानपुर के पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पुरातात्विक व सांस्कृतिक धरोहरों से सम्बन्धित स्थानों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये उनका पर्यटन विकास कराये जाने हेतु श्री नरेश चन्द्र उत्तम,

† छापी नहीं गई।

सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2010 तथा श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30 मार्च, 2010 प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

श्री नरेश चन्द्र उत्तम का ही पत्र दिनांक 16-2-10 प्राप्त हुआ है।

नैमिषारण्य-मिश्रिख चौदह कोशी होली परिक्रमा परिक्षेत्र में आने वाले स्थलों एवं जनपद हरदोई, उन्नाव तथा सुल्तानपुर के कतिपय स्थलों को चिन्हित कर संरक्षित/सुरक्षित किये जाने एवं जनपद सीतापुर स्थित 'ऐसा गांव' में गोमती नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि स्थलों को संरक्षित/सुरक्षित किये जाने एवं पुल बनाने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अपितु पर्यटन महत्व के स्थलों पर पर्यटन सुविधायें एवं विकास कार्य किया जाता है। इस दृष्टि से नैमिषारण्य-मिश्रिख के पर्यटन विकास हेतु रु0 501.38 लाख की परियोजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को वित्त पोषण के लिये भेजी गई है, जिसकी स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है।

हरदोई स्थित सौनिकपुर भरायन में शिव मंदिर के समीप वर्ष 2004-05 में स्वीकृत रु0 5.00 लाख से पर्यटन विकास का कार्य कराया गया है। संत निवास का कार्य पर्यटन विभाग से नहीं कराया जा सकता। पर्यटन निवास, कैन्टीन, प्रकाश व्यवस्था, हैण्डपम्प, सोलर पैनल, लिंक मार्ग आदि का कार्य स्थानीय स्तर का है तथा जिला योजना में यह कार्य अनुमोदित नहीं है जिसके कारण इसका कार्यान्वयन सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अग्निशमन केन्द्रों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

29-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में मात्र 04 अग्निशमन केन्द्रों में कुल 15 गाड़ियां उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या को देखते हुए नये अग्निशमन केन्द्र बनाने व वर्तमान में कार्यरत लाटूश रोड मीरपुर, कर्नलगंज, फजलगंज अग्निशमन केन्द्रों को दो-दो अग्निशमन गाड़ियां दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद कानपुर नगर में कुल 08 अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनके लिये सम्प्रति कुल 17 गाड़ियां उपलब्ध हैं।

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद कानपुर नगर में यथावश्यकता अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

30-श्री संजीव दरियाबादी-

[दिनांक 09-02-2011 के अता0 प्रश्न संख्या-183 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में कतिपय नदियों हेतु नदी पुलिस की स्थापना एवं इस हेतु आवंटित बजट का विवरण

31-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा, यमुना, गोमती, बेतवा जैसी बड़ी नदियों के घाट एवं पुलों की सुरक्षा हेतु जल पुलिस का गठन किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में इसका

अस्तित्व क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जल पुलिस की टुकड़ियां कहां-कहां नियुक्त हैं तथा वर्ष 2005 से 2010 तक वित्तीय वर्षों में कितना बजट जल पुलिस के लिए आवंटित हुआ ? क्या जल पुलिस की वर्तमान में आवश्यकता है ? यदि हां, तो उसके पास क्या-क्या संसाधन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

गंगा प्रदूषण को रोकने एवं अन्य नदियों के घाटों की सुरक्षा की दृष्टि से जल पुलिस का नहीं गठन किया गया है बल्कि नदी पुलिस की स्थापना की गई है।

जनपद इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर, मथुरा, फतेहगढ़, बदायूं, एटा, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, इटावा, फैजाबाद, बलिया एवं आगरा में नदी पुलिस कर्मी उक्त कार्य हेतु नियुक्त है।

वित्तीय वर्ष 2005-2010 तक नदी पुलिस हेतु आवंटित बजट का विवरण :-

वर्ष	आवंटित धनराशि (रु0 में)
2005-06	46,31,000/-
2006-07	47,26,000/-
2007-08	59,14,000/-
2008-09	60,02,000/-
2009-10	63,59,000/-

वर्तमान में मेलों, स्नान पर्वों पर जन धन एवं घाटों की सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत नदी पुलिस की उपयोगिता/आवश्यकता है। इसमें मोटर बोट, कटर बोट, आर्डिनरी बोट एवं ओ0बी0एम0 इंजन आदि संसाधन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के ग्राम भामोरी के शहीद स्थल के जीर्णोद्धार हेतु योजना

32-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के ग्राम भामोरी के शहीद स्थल का जीर्णोद्धार कराने तथा ग्राम भामोरी के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर लाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

मेरठ जनपद के ग्राम भामोरी के शहीद स्थल के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु जनपद मेरठ की वर्ष 2010-11 की जिला योजना में रु0 15.00 लाख का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति मेरठ द्वारा अनुमोदित किया गया। सीमित बजट होने की स्थिति में उक्त योजना का चयन स्वीकृति हेतु नहीं किया जा सका है।

ग्राम-भामोरी के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर लाने हेतु पर्यटन विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के नगरों की संख्या एवं इसकी समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों को बुलाये जाने की मांग

33-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना उ0 प्र0 राज्य के किन-किन शहरों में लागू है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की समीक्षा हेतु किस-किस अधिकारी को बुलाया जाता है ? क्या समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में यू0आई0जी0 कार्यान्श में प्रदेश के 07 मिशन शहर-लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद व मथुरा चयनित हैं। दूसरे कार्यान्श-यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 में कुल 46 नगरों की विभिन्न परियोजनायें स्वीकृत हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है। यथा-प्रतिमाह मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक की जाती है जिसमें परियोजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये जाते हैं। उक्त समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, निदेशक, स्थानीय निकाय/एस0एल0एन0ए0 तथा सम्बन्धित शहर के नगर आयुक्त तथा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं उ0प्र0 जल निगम, सी0एण्ड डी0एस0 तथा नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाता है।

उक्त समीक्षा बैठकों में जन प्रतिनिधियों को बुलाये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जन प्रतिनिधियों को परियोजनाओं के चयन के समय एस0एल0एस0सी0 की बैठक में बुलाये जाने की व्यवस्था है।

34-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[दिनांक 09-02-2011 के अता0 प्रश्न संख्या-159 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर के गंगा बैराज में डूबने वालों की संख्या तथा इसके बचाव के उपाय

35-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित गंगा बैराज में जनवरी, 2007 से मई, 2010 तक डूबने से मरने वालो की संख्या क्या है ? डूबने से होने वाली मौत से बचाव के लिये क्या सरकार किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2007 में 11, 2008 में 05, 2009 में 02 एवं 2010 में मई, 2010 तक 02 की गंगा बैराज में डूबने से मृत्यु हुई है।

डूबने से होने वाली मौतों से बचाव के लिये जनपद स्तर पर स्थानीय गोताखोरों, जल पुलिस एवं स्टीमर की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त गंगा नहान/त्योहार/मेला आदि के अवसर पर फ्लड पी0 ए0 सी0 एवं थाना स्तर पर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के मोतीझील में स्थिति पशुवधशाला को अन्यत्र हटाये जाने की मांग

36-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के मोतीझील में स्थित पशुवधशाला को अन्यत्र हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में आयोजित मेले में श्रद्धालुओं हेतु स्थाई सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

37-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले में महीने भर श्रद्धालु संगम किनारे कल्पवास करते हैं ? क्या यह भी सही है कि मेले में सुविधा हेतु प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा सड़क आदि का अस्थाई निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सड़क आदि का स्थाई निर्माण कराकर प्रतिवर्ष व्यय होने वाले सरकारी धन की बचत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्षा ऋतु में गंगा नदी के बहाव के कारण नदी के बेड में कटान होता रहता है, जिसके कारण सड़क का स्थाई निर्माण क्षतिग्रस्त हो जाता है। अतः इस क्षेत्र में सड़क आदि का स्थाई निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्रों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्य

38-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महायोजना 2014 के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें नगर निगम का क्षेत्र माना गया है, में नगर निगम की तरफ से क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ? क्या इन क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाकर पानी की सप्लाई किये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शासन की अधिसूचना संख्या-6 क-6454/नौ-7-2006-67 ज/1995, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 द्वारा इलाहाबाद नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार किया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-1 एवं 2 कार्यान्वित की जा रही है।

प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के आदेश

39-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल संस्थानों, नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं के सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शासनादेश संख्या-3629/9-1-10-180 सा0/2010, दिनांक 19-11-2010 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण किये जाने के पश्चात ही उनकी सेवानिवृत्ति की कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की राजीव आवास योजना के विवरण की जानकारी

40-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारत सरकार की राजीव आवास योजना लागू है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? और यह किन-किन जनपदों में प्रारम्भ की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

''राजीव आवास योजना'' भारत सरकार द्वारा घोषित योजना है, जिसके विस्तृत मार्ग-निर्देश/मापदण्डों/वित्त पोषण के निर्धारण की प्रक्रिया भारत सरकार स्तर पर प्रचलित होने की सूचना है।

प्रदेश में शहरी इलाकों में स्थानीय निकायों को तालाब एवं पोखरों के संरक्षण हेतु निर्गत निर्देश

41-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के शहरी इलाकों में लगभग 30 प्रतिशत तालाब समाप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या शेष 70 प्रतिशत बचे तालाब एवं पोखरों को बचाने हेतु सरकार के पास कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। प्रदेश के शहरी इलाकों में 30 प्रतिशत तालाब/पोखर समाप्त हो जाने की स्थानीय निकाय निदेशालय की कोई रिपोर्ट नहीं है।

स्थानीय निकायों को तालाब एवं पोखरों के संरक्षण हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते हैं। फिर भी प्रदेश के समस्त जनपदों, नगर निगमों तथा महाप्रबन्धक जल संस्थान, झांसी/चित्रकूट धाम बांदा से शहरी इलाकों में तालाबों एवं पोखरों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। उक्त सूचनाएं प्राप्त हो जाने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी महानगर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिलाये जाने की मांग

42-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी महानगर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में अब तक शासन स्तर से क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। नगर विकास विभाग द्वारा नगरों को नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत एवं नगर निगम घोषित किये जाने का कार्य किया जाता है। शासन की अधिसूचना संख्या-5092/नौ-7-2001-6ज/2000, दिनांक 07 फरवरी, 2002 द्वारा नगर पालिका परिषद्, झांसी को नगर निगम बनाया गया है। शहरों की श्रेणी का वर्गीकरण मूलतः भारत सरकार का विषय है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ के ग्राम लोहागढ़ के प्राचीन किले की मरम्मत कराये जाने की मांग

43-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ के ग्राम लोहागढ़ में स्थित जीर्ण-शीर्ण, प्राचीन किले की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोंठ के ग्राम लोहागढ़ का प्राचीन किला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है। अतः सरकार द्वारा उक्त प्राचीन किले की मरम्मत का कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम डिकौली के जीर्ण-शीर्ण माता मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य

44-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम डिकौली में स्थित जीर्ण-शीर्ण माता मंदिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

पर्यटन विभाग के कार्यक्षेत्र में मन्दिर का जीर्णोद्धार नहीं आता है।

जीर्ण-शीर्ण मन्दिर (भवन) का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यटन विभाग द्वारा जहां पर पर्याप्त मात्रा में पर्यटक आये हैं, वहां पर पहुंच मार्ग, यात्री छादक, बैन्च, सुलभ प्रसाधन आदि मूलभूत सुविधाएं आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाती हैं।

जनपद महामायानगर में गत कई वर्षों में तहसीलवार लगे हैण्डपम्पों का विवरण

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 (माह अक्टूबर, 10 तक) में वर्षवार एवं तहसीलवार कितने नये हैण्डपम्प लगे व कितने हैण्डपम्प रि-बोर किये गये ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 (माह अक्टूबर, 10 तक) में वर्षवार एवं तहसीलवार नये/रिवोर हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	तहसील का नाम	वर्ष			
		07-08	08-09	09-10	10-11 (माह अक्टूबर, 10 तक)
नये हैण्डपम्प					
	हाथरस	376	488	349	142
	सिकन्द्राराऊ	315	234	127	204
	सादाबाद	311	67	59	64
	सासनी	207	156	215	90
	योग	1209	945	750	500
रि-बोर हैण्डपम्प					
	हाथरस	306	182	424	239
	सिकन्द्राराऊ	207	167	98	20
	सादाबाद	323	256	524	74
	सासनी	179	68	154	48
	योग	1015	673	1200	381

जनपद इलाहाबाद में आयोजित माघ मेले में कल्पवासियों के सुविधा हेतु व्यय धनराशि का विवरण

46-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष संगम के किनारे माघ के मेले माह में कल्पवासियों की सुविधा के लिये विगत वर्ष 2009 में किस मद में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि कल्पवासियों से अधिक सुविधा स्वयं सेवी संस्थाओं और सरकारी विभागों को प्राप्त होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद जनपद में आयोजित माघ मेला, 2009 में कल्पवासियों के सुविधा हेतु व्यय धन का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

1-प्रकाश व्यवस्था पर व्यय-	3,30,00,000.00
2-पेयजल आपूर्ति एवं अनुपयुक्त जलनिकासी पर व्यय-	2,51,31,000.00
3-पाण्टून पुल, पाइल पुलिया एवं सड़कों के निर्माण पर व्यय-	1,20,00,000.00
4-स्नानार्थियों की सुविधा हेतु गंगा के कटान पर नियंत्रण पर व्यय-	51,64,000.00
5-साधु संतों एवं कल्पवासियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा पर व्यय-	4,52,785.00
6-साधु संतों एवं कल्पवासियों की होम्योपैथिक चिकित्सा पर व्यय-	3,05,441.00
7-मेला को मक्खी-मच्छर रहित रखने, चिकित्सा स्वास्थ्य मेला क्षेत्र की सफाई एवं सेनीटेशन व्यवस्था पर व्यय-	2,23,98,341.00
8-मेला बसाने हेतु बाढ़ के बाद उबड़-खाबड़ भूमि का समतलीकरण, गंगा तट पर यात्रियों की सुविधा हेतु सरल स्नानघाटों का निर्माण तथा सम्पूर्ण मेला अवधि तक उनका रख रखाव, खाक चौक, आचार्य बाड़ा दण्डी बाड़ा, प्रयागवाल सभा शास्त्री गाटा के साधु सन्तों कल्पवासियों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को टिन, टेन्ट, फर्नीचर, कर्वी, कांसा, पुआल, लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं शीत से बचाव हेतु धर्मशालाओं का निर्माण तथा रात्रि में अलाव की व्यवस्था पर व्यय-	2,18,82,000.00
योग :-	12,03,33,567.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत विभाग द्वारा सड़क निर्माण तथा अन्य कार्य की खराब गुणवत्ता एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य न कराये जाने की तकनीकी जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-222/आ0स0/2008, दिनांक 22-08-08 एवं 23-04-2010 प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

प्रकरण में टेक्निकल आडिट सेल (टी0ए0सी0) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ से जांच करायी गयी। जांच में पाये गये अधोमानक कार्य एवं प्रशासनिक शिथिलता के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पदोन्नति से नियुक्त उप सचिवों के शासनादेश में संशोधन कर न्यूनतम बेसिक पे दिलाये जाने की मांग

48-श्री सुख लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-01-06 के बाद की तिथियों में पे बैण्ड 15600 से 39600 ग्रेड पे 7600 में पदोन्नति से नियुक्त उप सचिवों को मूल वेतन की कुल मासिक परिलब्धियां (रिवाइज्ड बेसिक पे) 29920.00 दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वित्त वेतन आयोग के शासनादेश सं0 वे0 आ0-2/1318/दस-5(एम)/2008, दिनांक 8-12-2008 के पैरा-11 में आंशिक संशोधन करके पदोन्नति के मामले में इस पद का न्यूनतम बेसिक पे दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। शासनादेश सं0-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-2 में दिनांक 01-01-2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उक्त उल्लेख भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

उक्त व्यवस्था में तब तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जब तक कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संशोधित व्यवस्था न की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के ग्राम पंचायतों में तालाबों की खुदाई का कार्य

49-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संरक्षण के लिये जिला-पीलीभीत में 599 ग्राम पंचायतों में खोदे जा रहे तालाबों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूरा किया जाना अपेक्षित था ? यदि हां, तो क्या सभी तालाब खुद गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में 162 तालाबों का निर्माण कराया जा सका, अवशेष 437 निर्माणाधीन तालाबों का निर्माण जलभराव की स्थिति के कारण नहीं कराया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में अवशेष 437 तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् बेलहा के अधिशासी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद् बेल्हा के तत्कालीन प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच किये जाने के सम्बन्ध में सभासदों का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 14 मई, 2010 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2010 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद्, बेल्हा (प्रतापगढ़) के सभासदों का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 14 मई, 2010 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2010 प्राप्त नहीं हुये हैं, बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्रीमती रमा मिश्रा, सभासद का दिनांक रहित पत्र एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को सम्बोधित श्रीमती अनीता यादव एवं अन्य सभासदों के दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुये हैं।

श्रीमती अनीता यादव एवं अन्य सभासदों के दिनांक रहित पत्र की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा की गयी। मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ की जांच आख्या दिनांक 07-01-2011 के अनुसार शिकायतकर्तागण द्वारा की गयी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्रीमती रमा मिश्रा, सभासद के दिनांक रहित शिकायती-पत्र एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा गृह कर नीति में बदलाव एवं गन्दगी करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्डात्मक कार्यवाही

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा गृह कर नीति में क्या बदलाव किये गये हैं और इसे किस प्रकार लागू किया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो प्रतिष्ठान गन्दगी करते हैं, उन पर कोई अतिरिक्त कर लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174 व अन्य संगत धाराओं में उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 22-9-2009 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसे नियमावली के माध्यम से प्रभावी किया जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्दगी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

जनपद मेरठ में मांस निर्यात से प्राप्त राजस्व

52-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद से वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में कितना राजस्व मांस निर्यात से प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मांस निर्यात का प्रतिदिन का औसत क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

भारत के संविधान के अन्तर्गत राज्य को भारत के बाहर माल के निर्यात पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भी माल के निर्यात पर कर देयता नहीं है। अतः मेरठ जनपद में इन वर्षों में मांस निर्यात से प्राप्त राजस्व शून्य है।

मेरठ जनपद में मांस निर्यात करने वाली तीन पंजीकृत ईकाइयों से प्राप्त निर्यात के वार्षिक विक्रय धन के आंकड़ों के अनुसार जनपद मेरठ का मांस निर्यात का प्रतिदिन का औसत वर्ष 2007-08 में रु0 9.38 लाख, वर्ष 2008-09 में रु0 22.22 लाख एवं वर्ष 2009-10 में रु0 31.98 लाख रहा है।

जनपद इलाहाबाद के रायफल एसोसियेशन के पदाधिकारी एवं क्रय किये गये शस्त्रों का विवरण

53-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में गठित रायफल एसोसियेशन के वर्तमान समय में कौन-कौन से लोग पदाधिकारी हैं तथा इस समय एसोसियेशन के पास कितनी धनराशि है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत 10 वर्षों में शूटिंग के लिये कौन-कौन से शस्त्र तथा कारतूस क्रय किये गये हैं एवं वर्ष 2008 से अब तक शूटिंग प्रतियोगिता कब-कब करायी गयी है ?

सुश्री मायावती-

जनपद इलाहाबाद में रायफल एसोसियेशन के वर्तमान में निम्न पदाधिकारी हैं -

1-अध्यक्ष-जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद।

2-वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद।

3-उपाध्यक्ष-सी0ओ0, एन0 सी0 सी0, सी0ओ0 फोर्ट, सी0ओ0 टी0ए0 ब्रांच इलाहाबाद।

4-सचिव-नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

5-कोषाध्यक्ष-नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

6-आर्गनाइजिंग सचिव, सी0 ओ0, पुलिस लाइन, इलाहाबाद।

7-आडिटर-मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

8-गाइड-सीनियर टी0 आई0, पुलिस लाइन, इलाहाबाद।

वर्तमान में इस एसोसियेशन के पास कुल रु0 53,65,695/- जमा है।

विगत 10 वर्षों में कोई शस्त्र कारतूस क्रय नहीं किया गया है। एसोसिएशन के पास पहले से ही 0.22 बोर की 16 रायफल तथा कारतूस उपलब्ध थे, जिनसे दिसम्बर, 2006 में शूटिंग प्रतियोगिता करायी गयी थी।

जनपद इलाहाबाद के कुम्भ मेले में यातायात हेतु सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य

54-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2013 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेला में देश विदेश से आने वाले करोड़ों, भक्तजन साधुसंत महात्मा के सुचारू आवागमन, यातायात हेतु जनपद इलाहाबाद को किन-किन सड़कों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/मरम्मत का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्यों के प्रारम्भ/पूर्ण किये जाने की समय सीमा क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

कुम्भ मेला वर्ष 2012-13 के अवसर पर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा 425 विभिन्न सड़कों, गलियों, नालियों, नालों के मरम्मत का कार्य कराने तथा 67 मार्गों की मरम्मत एवं तहसील हण्डियां में गंगा नदी के सिरसा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्यों को यथा सम्भव मेला आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद फर्रुखाबाद के संकिसा पर्यटक स्थल के सौन्दर्यीकरण की मांग

55-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा का सौन्दर्यीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

विभिन्न योजनाओं में समय-समय पर विकास कार्य किया गया है।

संकिसा में पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में ही यथोचित कार्य निम्नवत कराये गये हैं-

1-यहां पर पर्यटकों के आवासीय एवं खान-पान व्यवस्था हेतु स्तरीय पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया गया है एवं उसका संचालन भी हो रहा है।

2-पर्यटकों की सुविधा हेतु संकिसा में 10 सीटर सुलभ प्रसाधन का निर्माण कराकर मई, 2010 में लोकार्पित किया जा चुका है।

3-रु0 2.00 लाख की लागत से 04 सोलर लाइट एवं 03 वाटर कूलर की स्थापना का कार्य कराया गया है।

4-दिनांक 30 एवं 31 मई, 2010 को बौद्ध महोत्सव रु0 3.00 लाख की लागत से कराया गया है।

प्रदेश में चौकीदारों का मानदेय बढ़ाये जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

56-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चौकीदारों का वेतन महंगाई को देखते हुये बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौकीदारों का वेतन बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्राम चौकीदारों को मानदेय दिया जाता है। मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के थानों में होम गार्डों की भांति पी0 आर0 डी0 जवानों की ड्यूटी लगाये जाने सम्बन्धी जानकारी

57-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में सिपाहियों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार होमगार्डों की भांति थानों में पी0आर0डी0 के जवानों की ड्यूटी लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 11-12-2008 के द्वारा नये मानकीकरण के अनुसार आरक्षी के 1,51,091 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरे जाने हेतु उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण में 35,000 आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा शेष रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः पी0 आर0 डी0 के जवानों की ड्युटी लगाने का कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन के कतिपय गेटों पर जल भराव की समस्या के निराकरण की मांग

58-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में विधान भवन के भूमि की सतह तीनों तरफ जाने वाली सड़कों से ऊंची थी तथा वर्ष 2010 में तीनों तरफ की सड़कों से नीची हो गयी है ? क्या यह सत्य है कि वर्षा के कारण विधान भवन के गेट संख्या 5, 6, 7 व 10 पर जल भराव के कारण आवागमन में बहुत ही कठिनाई होती है ? यदि हां, तो विधान भवन के समस्त द्वारों पर जल भराव रोकने हेतु कोई स्थायी व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। गेट नं0-5 एवं 6 की तरफ सड़क ऊंची है। विधान भवन का परिसर नीचा है। गेट नं0-7 व 10 के पास सड़क विधान भवन परिसर से हल्की नीची है।

विधान भवन के गेट संख्या 5 व 6 पर कोई जलभराव नहीं होता है। गेट संख्या 7 व 10 पर अतिवृष्टि के समय कुछ समय के लिये जल भराव की स्थिति रहती है। आवागमन में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है।

अतिवृष्टि के समय कुछ समय के लिये जल भराव की स्थिति रहती है। अतः स्थाई व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बांसमंडी चौराहे का नामकरण

59-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ ने अपनी बैठक दिनांक 13-7-90 में प्रस्ताव संख्या अ (3) द्वारा बासमंडी चौराहे का नामकरण ''विश्वकर्मा चौराहा'' करते हुये नाम पट्ट लगवाया था ? यदि हां, तो क्या जनवरी, 2010 में स्थानीय दुकानदारों द्वारा नाम पट्ट हटाकर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये वहां पुनः विश्वकर्मा चौराहा का नाम पट्ट लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं। मौके पर ''विश्वकर्मा चौराहा'' का नाम पट्टा लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय खानपान निगम में बैकलाग कोटा पूर्ण करने सम्बन्धी जानकारी

60-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय खानपान निगम के अन्तर्गत जलपान गृहों में प्रबंधक/सहायक प्रबंधक एवं विक्रेता का बैकलाग कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त कोटा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

उ0 प्र0 साचिवालय खान-पान निगम सम्प्रति उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से अलग गठित कर दिनांक 01-04-2007 से स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्था के अलग गठन के समय संस्था के लिये अतिरिक्त पदों के सृजन पर रोक है। उ0 प्र0 सचिवालय खान-पान निगम कर्मचारी सेवा नियमावली सम्प्रति उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 प्रख्यापित कराने की कार्यवाही की जा रही है। नियमावली के प्रख्यापित होने के पश्चात ही बैकलाग कोटा पूर्ण होने की स्थिति स्पष्ट हो पायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने की मांग

61-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पदोन्नति, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा मृतक आश्रित जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है, इसके कार्मिक अपने आर्टिकिल ऑफ एसोसियेशन से संचालित होते हैं, तथा उसमें

निहित व्यवस्था को स्वीकार करते हुये कार्यरत हैं, इसलिये वे सरकारी कार्मिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन, ग्रेच्युटी एवं मृतक आश्रित जैसी सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं है। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में निर्गत मार्ग निर्देश/व्यवस्था के अन्तर्गत कतिपय संवर्ग के कार्मिकों को विहित प्रक्रिया का अनुशीलन कर समय-समय पर पदोन्नत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

62-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

63-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में जेट पम्पों द्वारा पानी की बरबादी को रोकने सम्बन्धी जानकारी

64-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में जेट पम्पों द्वारा पानी की बरबादी को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी

65-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना लागू है ? यदि हां तो कब से और उसका विवरण क्या है ? वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 1 अप्रैल, 2010 से 10-10-10 तक इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ एवं गोरखपुर में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने लोग इस योजना द्वारा लाभान्वित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में गत वर्षों में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों का विवरण

66-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में वर्षवार एवं तहसीलवार कितने शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद महामायानगर में वर्ष 2007-2008, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या की वर्षवार एवं तहसीलवार सूचना निम्नवत् है :-

तहसील का नाम	वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2008-09 में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2010-11 (दि0 15-01-2011 तक) में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या
हाथरस	67	130	112	78
सिकन्दराराऊ	09	45	74	70
सादाबाद	56	97	85	57
सासनी	56	90	40	34

उपरोक्त निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की सूची मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/भारत निर्माण योजनान्तर्गत वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-महामायानगर की तहसील-सादाबाद में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (जो भारत निर्माण में सम्मिलित है) के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कुल रु0 196.84 लाख, वर्ष 2008-09 में कुल रु0 380.34 लाख, वर्ष 2009-10 में कुल रु0 180.33 लाख तथा वर्ष 2010-11 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में रु0 770.51 लाख आवंटित किये गये/व्यय किये गये हैं। उक्त व्यय की गयी धनराशि से प्रश्नगत तहसील में वर्ष 2007-08 में 12, वर्ष 2008-09 में 09, वर्ष 2009-10 में 05 तथा वर्ष 2010-11 में 01 कार्य स्वीकृत तथा पूर्ण कराये गये है। वर्षवार एवं कार्यवार विवरण पृथक से मा0 सदस्य विधान सभा को भेज दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की कतिपय नगर पंचायत में गत वर्षों में विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि कार्यों का विवरण

68-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नगर पंचायत, सादाबाद एवं सहपऊ जनपद-महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में विकास कार्यों

हेतु वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, नगर पंचायत सादाबाद एवं सहमऊ में विकास कार्यों हेतु वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये विकास कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

नगर पंचायत, सादाबाद

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख में)	कराये गये कार्यों का विवरण
2007-08	181.42	नगर पंचायत सादाबाद द्वारा वर्ष 2007-08 में नगर के वार्ड नं0 2, 4, 6, 9, 12, 16 व अन्य मार्गों पर इण्टर लाकिंग सड़क, नाली सहित कुल 16 निर्माण कार्य।
2008-09	157.27	वर्ष 2008-09 में नगर पंचायत द्वारा सड़क/नाली के 28 निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था के कार्य।
2009-10	223.23	वर्ष 2009-10 में नगर में 20 इण्टर लॉकिंग/सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।
2010-11	274.93	वर्ष 2010-11 में 15 मार्गों पर इण्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य एवं 4 स्थानों पर सेमी हाई मास्क लाईट लगवाने का कार्य।
		नगर पंचायत, सहपऊ
2007-08	57.02	नगर पंचायत सहपऊ द्वारा वर्ष 2007-08 में वार्ड सं0 1, 2, 4, 5, 6 व 9 में इण्टर लॉकिंग सड़क व नाली निर्माण के कुल 09 कार्य।
2008-09	51.63	वार्ड नं0 1 से लेकर 10 तक नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008-09 में इण्टर लॉकिंग सड़क व नाली निर्माण के कुल 23 निर्माण कार्य।
2009-10	105.90	वर्ष 2009-10 में नगर पंचायत द्वारा वार्ड सं0-2 से लेकर वार्ड सं0-9 तक कुल 9 वार्डों में इण्टर लॉकिंग सड़क व नाली निर्माण के 21 कार्य।
2010-11	60.81	मुख्य बाजार में मार्ग निर्माण स्टोर रूम के निर्माण एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, जो कि निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या हेतु सुविधाओं के विस्तार/स्टाफ बढ़ाने की कार्यवाही

69-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार/स्टाफ को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार/स्टाफ को बढ़ाने की कार्यवाही क्रमिक रूप से प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के गंगा बैराज के एम0एल0डी0 वाटर वर्क्स द्वारा जल वितरण सम्बन्धी जानकारी

70-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज पर 200 एम0एल0डी0 वाटरवर्क्स पूर्ण क्षमता से काम कर रहा है ? यदि हां, तो इसका जल किस-किस क्षेत्र में वितरित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

200 एम0एल0डी0 वाटर वर्क्स से क्षेत्र के सामान्य उपभोक्ताओं की वर्ष 2016 की परिकल्पित आबादी 8.23 लाख हेतु 142 एम0एल0डी0 एवं क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को बल्क उपभोक्ताओं के रूप में 54.5 एम0एल0डी0 पेयजल आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में क्षेत्र की आबादी लगभग 5.30 लाख है एवं मानक के अनुसार जल की मांग लगभग 92 एम0एल0डी0 है परन्तु क्षेत्र में अधिकांश नागरिकों द्वारा स्वयं की बोरिंग/सबमर्सिबल पम्प लगाये जाने के कारण योजना पर अभी तक सम्भावित 80,000 गृह संयोजन के विरुद्ध लगभग 17,000 गृह संयोजन हुए हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा वर्तमान में नलकूपों के माध्यम से अपनी-अपनी पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इन संस्थानों द्वारा बल्क उपभोक्ता के रूप में संयोजन नहीं लिये गये हैं। इन संस्थानों को इस योजना से संयोजन लेकर जलापूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 30 से 40 एम0एल0डी0 जल का शोधन कर आपूर्ति की जा रही है।

मेरठ शहर में निकलने वाले कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था

71-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर से प्रतिदिन कितने टन कूड़ा निकलता है एवं इसके निस्तारण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मेरठ शहर में वर्तमान में 565 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। इसके निस्तारण हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत मेरठ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की रु0 22.59 करोड़ की योजना स्वीकृति की गयी है। योजना अन्तर्गत घर-घर से कूड़ा एकत्रित कर शोधन संयंत्र में शोधन के उपरान्त अवशेष को वैज्ञानिक विधि से विकसित लैण्ड फिल में भरकर प्रतिदिन ढका जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

72-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद पीलीभीत के थाना क्षेत्र जहानाबाद दमकल यूनिट लगाये जाने की मांग

73-श्री सुख लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के थाना क्षेत्र, जहानाबाद के दर्जनों गांवों में गेहूं के सीजन में प्रायः आग लग जाती है ? यदि हां, तो क्या जिला मुख्यालय से दमकल पहुंचने में देर होने के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल आग की भेट चढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जहानाबाद में दमकल यूनिट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। आग लगने की घटनायें गेहूं के सीजन में सामान्यतः घटित होती है।

जनपद पीलीभीत मुख्यालय से जहानाबाद मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के दृष्टिगत अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होने पर अग्निशमन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करा दी जाती है।

जहानाबाद क्षेत्र में फिलहाल अग्निशमन केन्द्र/यूनिट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद कानपुर में जवाहर लाल नेहरू रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत कतिपय पार्कों में ओवर हेड टैंक बनाये जाने का प्रस्ताव

74-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरु रिन्यूवल मिशन योजना के तहत जनपद कानपुर के तेजाब मिल कैम्पस जी0टी0 रोड अम्बेडकर पार्क, अनवरगंज एवं अच्युतानन्द पार्क चमनगंज में डीप बोरिंग/ओवरहैड टैंक बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त तीनों स्थानों पर डीप बोरिंग/ओवर हैड टैंक बनाने का कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त तीनों क्षेत्रों को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के प्रथम चरण की योजना में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त क्षेत्रों में गंगा बैराज से सरफेस वाटर के रूप में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद मैनपुरी के ग्राम मीठेपुर के पास हुई दुर्घटना में मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता

75-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम मीठेपुर पुलिस चौकी के आधा किलोमीटर दूरी पर डी0सी0एम0 एवं ट्रैक्टर से दिनांक 19-6-10 को दुर्घटना होने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। जनपद मैनपुरी के ग्राम मीठेपुर पुलिस चौकी से आधा कि0मी0 दूरी पर डी0सी0एम0 एवं ट्रैक्टर से दिनांक 19-6-2010 को दुर्घटना होने से 07 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा 03 व्यक्तियों की उपचार हेतु पी0जी0आई0 सैफई (इटावा) ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतकों में 09 व्यक्ति जनपद इटावा के तथा 01 व्यक्ति जनपद मैनपुरी का निवासी था। इन मृतकों के पारिवारीजनों को क्रमशः जिलाधिकारी, इटावा के आदेश संख्या-1809/आर0ए0-नौ0यू0आई0-टी0आर0-27/10, दिनांक 21-6-10 तथा जिलाधिकारी, मैनपुरी के आदेश संख्या-699/जे0ए0 दिनांक 19-6-10 द्वारा कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि आहरित कर रु0 1.00 लाख प्रति मृतक की दर से (मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से) आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करा दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगरीय निकाय को शक्तियां दिये जाने का प्रस्ताव

76-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों नगर पंचायतों को संविधान की 12 वीं अनुसूची के प्राविधानों के अनुरूप शक्तियां देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्य नगरीय निकाय को सौंपे जाने हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें अधिकांश कार्य निकायों द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। अवशेष कार्यों को भी शीघ्र निकायों को सौंप दिया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

77-डा0 अजय तोमर-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया

78-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के कुल 571 पद रिक्त हैं।

आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचन के सापेक्ष आयोग के पत्र दिनांक 16-11-2010 द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के कुल 383 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अवशेष रिक्तियों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने की कार्यवाही भी प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कतिपय ब्लाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत रोजगार दिलाये जाने की व्यवस्था

79-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के ब्लाक छपरौली व ब्लाक बागपत के कितने-कितने लोगों को ग्रामवार रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिये गये हैं ?

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त ब्लाकों के कई जॉब कार्ड धारकों को काम न मिल पाने के कारण अन्यत्र मजदूरी पर जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जॉब कार्ड धारकों को उक्त योजना के अन्तर्गत रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत के ब्लाक-छपरौली की 26 ग्राम पंचायतों में 538 रोजगार कार्ड धारकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया हैं ग्रामवार लाभान्वित परिवारों की सूची संलग्न† है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी रु0 120/-है, जबकि प्रदेश में सामान्य मजदूरी दर प्रतिदिन रु0 100/-है। जनपद बागपत में गन्ना उद्योग तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण अधिकांश श्रमिक उक्त प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, जबकि योजना में काम पर्याप्त रूप से उपलब्ध होने के पश्चात् भी जाब कार्ड धारक श्रमिक कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को डिग्री की मान्यता दिलाये जाने की मांग

80-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0बी0बी0एस0 की डिग्री की मान्यता के लिये मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया ने कौन-कौन सी कमियां बताई हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0बी0बी0एस0 की डिग्री की मान्यता के लिये दिनांक 24 व 25 नवम्बर, 2010 को मेडिकल कालेज, गोरखपुर का निरीक्षण एम0सी0आई0 द्वारा किया जा चुका है। एम0सी0आई0 की निरीक्षण आख्या प्राप्त नहीं हुयी है, अतः मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा दर्शायी गयी कमियां बताया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि एम0सी0आई0 द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम इन्द्रामऊ के विद्यालय में हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

81-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र सिंह प्रधान माननीय सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 13 सितम्बर, 2010 का पत्र जो कि ग्राम इन्दामऊ विकास खण्ड बीघापुर जनपद उन्नाव में स्थित विद्यालय के छात्रों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 260 पर)

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये जे0 एन0 एन0 व आर0 एम0 योजना का संचालन

82-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार हेतु नगर निगम, कानपुर अथवा नगर विकास मंत्रालय द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर नगर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार हेतु नगर निगम कानपुर द्वारा जे0 एन0 एन0 व आर0 एम0 योजना में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

1-सालिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वीकृत लागत-56.23 करोड़

2-सीवरेज योजना प्रथम चरण स्वीकृत लागत 190.88 करोड़

3-सीवरेज योजना द्वितीय चरण-सीवर 210 एम0 एल0 डी0 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बिन्गवा का निर्माण (पार्ट-2) स्वीकृत लागत 101.80 करोड़

4-सीवरेज योजना तृतीय चरण-सीवरेज वर्क्स इन डिस्ट्रिक्ट-फोर्थ (पार्ट-3) स्वीकृत लागत-207.36 करोड़

5-जलापूर्ति प्रथम चरण, पुराने शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वाटर सप्लाई का जीर्णोद्धार स्वीकृत लागत 270.95 करोड़

6-जलापूर्ति वित्तीय चरण स्वीकृत लागम-377.79 करोड़

7-नगरीय परिवहन बस स्वीकृत लागत-127.66 करोड़

8-कम्युनिटी पार्टीशिपेशन फण्ड स्वीकृत लागत-0.56 करोड़

9-ई-गवर्नेन्स स्वीकृत लागत-23.00 करोड़

जनपद गोरखपुर के बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज को एम0 सी0 आई0 द्वारा मान्यता न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

83-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्नातकोत्तर स्तर (एम0डी0/एम0एस0) पर किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा उनमें से किन-किन विषयों की डिग्री को एम0सी0आई0 ने किन कारणों से मान्यता नहीं दी है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न विषयों में एम0 डी0/एम0एस0 की शिक्षा दी जाती है :-

1-एम0 डी0/स्नेस्थीसिया, 2-एम0एस0 एनाटामी, 3-एम0 एस0 आब्स0 एण्ड गायनाकोलाजी, 4-एम0डी0 मेडिसिन, 5-एम0 एस0 आपथलमोलाजी, 6-एम0 एस0 आर्थोपेडिक्स, 7-एम0 डी0 पीडियाट्रिक्स, 8-एम0डा0 पैथोलाजी, 9-एम0 डी0 फार्माकोलाजी, 10-एम0डी0 फिजियोलाजी, 11-एम0डी0 उरमेटोलाजी, 12-एम0 डी0 एस0 पी0 एम0, 13-एम0 एस0 सर्जरी।

उपरोक्त में से 1-एम0एस0 एनाटमी, 2-एम0 एस0 आर्थोपेडिक्स, 3-एम0डी0 मेडिसिन, 4-एम0 डी0 फार्माकोलाजी, 5-एम0डी0 फिजियोलाजी, तथा एम0 डी0 एस0 पी0 एम0 पाठ्यक्रम की मान्यता अभी नहीं प्राप्त हो सकी है जिनके कारण निम्नवत् है :-

1-एम0सी0आई0 द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रदेशित अभ्यर्थियों की फाइनल परीक्षा के समय सम्पन्न की जाती है। एम0 एस0 एनाटमी एवं एम0 डी0 फिजियोलाजी पाइ्यक्रम में से विगत वर्ष 2000 से 2008 तक कोई अभ्यर्थी प्रवेशित न होने के कारण निरीक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करायी जा सकी। वर्ष 2008 में प्रवेशित अभ्यर्थियों की परीक्षा मई/जून, 2011 में होनी है, तत्समय प्रधानाचार्य द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

2-एम0 डी0 फार्माकोलाजी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एम0 सी0 आई द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही विगत वर्ष की जा चुकी है तथा एक एसोसिएट प्रोफेसर की कमी पूर्ण कर अनुपालन की प्रतीक्षा में रिपोर्ट लम्बित है। संविदा पर एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में आहूत साक्षात्कार में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सकें। अतः सेवानिवृत्त प्रोफेसर को संविदा पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

3-एम0 डी0 एस0 पी0 एम0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एम0 सी0 आई0 निरीक्षण हेतु प्रधानाचार्य द्वारा मई, 2010 में होने वाली परीक्षा के समय एम0 सी0 आई0 से निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु तत्समय एम0 सी0 आई0 द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि अब पुनः मई/जून, 2011 में परीक्षा के समय निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

4-एम0 एस0 आर्थोपेडिक्स पाठ्यक्रम में एम0 सी0 आई0 निरीक्षण की कार्यवाही टीचिंग फैक्लटी एवं कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी कमियों के कारण पूर्व में नहीं सम्पन्न करायी जा सकी। कमियां पूर्ण हो गयी हैं एवं प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी सूचनानुसार अब निरीक्षण की कार्यवाही मई/जून, 2011 में परीक्षा के समय कराने की कार्यवाही की जा रही है।

5-एम0 डी0 मेडिसिन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में मई, 2006 में सम्पन्न एम0 सी0 आई0 निरीक्षण की रिपोर्ट के क्रम में अनुपालन आख्या एम0सी0आई0 को प्रेषित की जा चुकी है तथा एम0 सी0 आई0 द्वारा वेरीफिकेशन हेतु निरीक्षक भी नामित किये जा चुके हैं, परन्तु निरीक्षकगण द्वारा अभी तक निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है। आगामी परीक्षा के समय निरीक्षण सम्पन्न कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में इन्सेफलाइटिस के मरीजों हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का विवरण

84-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस के मरीजों की भारी संख्या को देखते हुये, सरकार ने मेडिकल कालेज तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालय को मिलने वाले सामान्य अनुदान के अतिरिक्त, 2007 से अब कब-कब तक किस मद में कितनी आर्थिक सहायता दी गयी तथा उससे क्या कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस के मरीजों की भारी संख्या को देखते हुये बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं उससे सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय को सामान्य अनुदान के अतिरिक्त वर्ष 2007 से अब तक आयोजनागत पक्ष में निम्नवत् मदों में धनराशि स्वीकृत की गयी है :-

(रु0 लाख में)

वित्तीय वर्ष	वृहत्त निर्माण	उपकरण	औषधि तथा रसायन
2006-07	276.22	60.77	--
2007-08	239.98	266.68	106.00
2008-09	--	--	100.00
2009-10	--	--	25.00
2010-11	--	--	25.00

उक्त स्वीकृत धनराशि से इन्सेफलाइटिस मरीजों के लिये शोध केन्द्र एवं एपेडिमिक वार्ड का निर्माण कराया गया है तथा इन्सेफलाइटिस मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय किया गया है एवं औषधि रसायन मद हेतु स्वीकृत धनराशि से आवश्यक औषधि आदि का क्रय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल के राष्ट्रीय झील संभरण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के समबन्ध में जानकारी

85-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के सौन्दर्यीकरण एवं शुद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय झील संभरण योजना में कितनी लागत से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये है तथा यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? योजना के पूर्ण होने के बाद इसके अनुरक्षण हेतु सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 124.32 करोड़ की लागत से इण्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन कार्य (आर0 सी0 सी0

रिटेनिंग वाल, चैनल फार सीवेज कन्वऐन्स फार 6 ड्रेन्स, स्क्रीन एण्ड ग्रिट चैम्बर के साथ), गोड़धोइया नाला पर एसपीएस-1, पैडलेगंज नाला पर एसपीएस-2, कम्पाउण्ड वाल, राइजिंगमेन (एसपीएस-1 से एसटीपी-1 एवं एसपीएस-2 से एसटीपी-2), सीवर एपूर्टीनेन्स, 15 एमएलडी क्षमता का एसटीपी-1 महरवा की बारी पर, 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी-2 देवरिया बाईपास पर, सिंचाई हेतु सम्पवेल एवं पम्पिंग स्टेशन, अन्य भवन निर्माण कार्य, स्टोरेज एण्ड गोडाउन इत्यादि, डी-वीडिंग, डी-सिल्टिंग, न्यूट्रीऐन्ट इनएक्टिवेशन, एरेशन सिस्टम, हाइड्रालिक इम्प्रूवमेंट आफ इन्फ्लोचैनल्स, डिमाकेशन आफ लेक आउन्ड्री, 6 नग (10 सीटेड) लो कास्ट सेनिटेशन यूनिट, पश्चिम तरफ के मौजूदा बन्धे का सुधार (5 कि0मी0), लेक आउटलेट, ओमेग आई लैण्ड (2 नग), लाइटनिंग, नेचर इंटरप्रिटेशन सेन्टर, एफारेस्टेशन/मा प्लाण्टेशन, गार्डेन एरिया, स्नैक ज्वाइन्टस, आब्जर्वेशन टावर, पैडल बोटस, पब्लिक एवेयरनेस और वाटर क्वालिटी मानीटरिंग कार्य स्वीकृत हुये हैं। उक्त योजना के कार्यों को 31-3-2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

योजना के पूर्ण हो जाने के बाद इसका अनुरक्षण गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर, नगर निगम, गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि से किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

राम जन्म भूमि के उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप शान्तिभंग हेतु हुई गिरफ्तारियां एवं सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय धनराशि का विवरण

86-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम जन्म भूमि के उच्च न्यायालय के दिनांक 30.09.2010 के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश के किन-किन स्थानों पर शांति भंग हुयी तथा कुल कितनी गिरफ्तारियां हुईं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त प्रकरण में सुरक्षा व्यवस्था पर हुए व्यय का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राम जन्म भूमि के उच्च न्यायालय के दिनांक 30-09-2010 के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश में किसी भी स्थान पर शान्ति भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई।

प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पर कुल रुपये 3,96,04162/- व्यय हुये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राप्ती नदी के प्रदूषण की जांच एवं इसे प्रदूषण से बचाये जाने की योजना

87-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी के जल प्रदूषण की जांच की गयी है ? यदि हां, तो जल किन-किन स्थानों पर कितना प्रदूषित है तथा इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा इस पर नियन्त्रण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

राप्ती नदी के अपस्ट्रीम डोमिनगढ़ की अपेक्षा डाउनस्ट्रीम राजघाट पर जल की गुणत्ता में कुछ ह्रास पाया गया है जिसका प्रमुख कारण नदी में गोरखपुर शहर से निस्तारित होने वाला घरेलू जल-मल है।

गोरखपुर नगर से निस्तारित घरेलू जल-मल के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत रामगढ़ झील संरक्षण व सौन्दर्यीकरण नाम से एक योजना तेयार की गयी है एवं इसके साथ ही एक योजना यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गारेखपुर के बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज की केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान बनाये जाने की मांग

88-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान बनाये जाने हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान बनाये जाने हेतु केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है, अपितु मेडिकल कालेज, गोरखपुर को ''सेन्टर आफ एक्सलेन्स'' बनाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्र में विद्यालयों द्वारा चिन्हित स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना

89-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्रों में रहने वाले अल्प आय वर्ग के क्षेत्रों में पूर्व की भांति विधायकों द्वारा चिन्हित स्थान पर हैण्डपम्प लगाये जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2010-11 में कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शहरी क्षेत्र में मा0 विधायकगण द्वारा चिन्हित स्थान पर हैण्डपम्प लगाये जाने की कोई योजना नहीं है। आवश्यकतानुसार जिला योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़ा में पानी की टंकी का निर्माण

90-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़ा में रेल की पटरी के निकट वाटर सप्लाई के लिये पानी की टंकी का निर्माण करा रही है ? क्या इसी भूमि

पर ग्राम के लोगों के अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त अनधिकृत कब्जे को हटवा कर पानी की टंकी का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के अनेकों ग्रामों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु उपाय

91-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बल्देव, जनपद मथुरा के गोठा, हसनपुर, सलेयाबाद, अरतौनी, झरौठा, करनऊ, फतेहपुरा, जटौरा, सराय, सालवाहन, रदोई, सराय दाऊद, गढ़ी नन्दू, गढ़ी सुक्खा, गोला, सेहत, नगला हेता, नगला पेठ, भादौर, फूलपुर, गठी खांडा आदि ग्रामों का पानी खारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के निदान हेतु उक्त ग्रामों की टी0टी0एस0पी0 योजना से संतृप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम-जटोरा में पाइप पेयजल योजना एवं ग्राम-मादौर में टी0टी0एस0पी0 योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्राम-गोठा, हसनपुर, अरतौनी, फतेहपुरा, झरौठा एवं करनऊ के 182 बस्तियों में टीटीएसपी योजना जिसकी अनुमानित लागत रु0 1746.05 लाख है, निर्माणाधीन है, जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम-सलेमाबाद, सराय सालवाहन, सराय दाऊद, गढ़ी नन्दू, गढ़ी सुक्खा, सेहत, नगला हेता एवं गठी खांडा के 143 बस्तियों में टी0टी0एस0पी0 योजना जिसकी अनुमानित लागत रु0 662.26 लाख है, निर्माणाधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम-गोला, रदोई, नगला पेठ एवं फूलपुर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना विवेचना की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम विकास अभिकरण के कर्मियों की सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

92-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 मार्च, 2001 तो तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों की सेवा नियमावली मई, 2001 तक बनाने का आदेश दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त नियमावली अब तक नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवा नियमावली बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं, उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को संचालित करने हेतु एक अधिनियम बनाया जाय। अधिनियम को प्रख्यापित करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा व्यवहारित की गयी, किन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों के स्वयंसेवी संस्था के कार्मिक होने एवं इनका अर्टिकिल आफ एसोसियेशन होने के दृष्टिगत अधिनियम बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जहां तक सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने का प्रश्न है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिक संविधान के अनुच्छेद-309 में बनने वाली सेवा नियमावली बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के कतिपय इलाकों में पेयजल योजना में ओवर हेड टैंक का निर्माण

93-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सआदतगंज लखनऊ पेयजल योजना व कन्हैया माधोपुर पेयजल योजना में ओवर हेड टैंक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित ओवर हेड टैंक कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सआदतगंज तथा कन्हैया माधोपुर में 2-2 ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जाना है।

सआदतगंज में एक उच्च जलाशय 1600 कि0ली0/22 मीटर स्टेजिंग का निर्माण कार्य पक्का आग में कराया जा रहा है जिसे जून 2011 तक पूर्ण किया जाना है। दूसरे उच्च जलाशय 1500 कि0ली0 क्षमता/22 मीटर स्टेजिंग के निर्माण हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। भूमि उपलब्ध होने पर 9 माह में कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

कन्हैया माधोपुर में 1600 कि0ली0 क्षमता/22 मीटर स्टेजिंग के उच्च जलाशय का निर्माण कराया जा रहा है जिसे अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरा उच्च जलाशय 1000 कि0ली0 क्षमता/22 मीटर स्टेजिंग का निर्माण मल्हपुर कानपुर बाईपास में किया जा रहा है जिसके समस्त कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की टिकैतराय एल0 डी0 ए0 कालोनी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

94-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैट राय एल0डी0ए0 कालोनी मोहान रोड लखनऊ में नया ट्यूबवेल लगाने एवं वाटर लाइन डालने से पार्क एवं सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पार्क की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां। सड़कों की मरम्मत धन की उपलब्धता के अनुसार करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायकों की संस्तुतियों के अनुसार हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

95-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में 225 हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती थी ? क्या उक्त योजना वर्ष 2008-09 में समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल संकट दूर करने के लिए उक्त व्यवस्था पुनः लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-जी0आई0-116/38-5-10-72 सम/10 दिनांक 26 जुलाई, 2010 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को मा0 सांसदों/विधायकों/मा0 अन्य जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों पर मानकों के अन्तर्गत परीक्षण कर प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम नब्बूपुरवा से लखीमपुर बिजुआ भीरा तक मार्ग के निर्माण की मांग

96-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बिजुआ के ग्राम नब्बूपुरवा से लखीमपुर बिजुआ भीरा तक सम्पर्क मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

ग्राम नब्बूपुरवा (जनसंख्या-546) लखीमपुर बिजुआ भीरा मार्ग से ईंट-खड़ण्जा मार्ग जुड़ा हुआ है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में तैयार किये गये जनपद के कोरनेटवर्क में ग्राम नब्बूपुरवा को जुड़ा हुआ दर्शाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि को बढ़ाये जाने की मांग

97-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई एवं भवन निर्माण सामग्री के बढ़ते हुये मूल्यों को ध्यान में रखते हुये विधायक निधि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के साथ दुराचार/बलात्कार की घटनाओं के रोकथाम के उपाय

98-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग (एन0सी0पी0सी0आर0) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में बच्चों एवं महिलाओं के साथ दुराचार तथा बलात्कार की सर्वाधिक घटनायें उत्तर प्रदेश में हुई हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

निहित व्यवस्था के अनुसार एन0 सी0 पी0 सी0 आर0 द्वारा केन्द्र सरकार को ही अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन0सी0आर0बी0) नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में बच्चों एवं महिलाओं के साथ दुराचार तथा बलात्कार की घटनायें सर्वाधिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों, पार्कों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हटाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

99-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों व पार्कों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों का सर्वे कराकर उन्हें हटाने की कोई कार्य-योजना एवं समय-सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0-(एस) 8519/2006 यूनियन आफ इंडिया बनाम गुजरात राज्य व अन्य में पारित आदेश दि0 29-9-2009 अनुपालन में शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009, दि0 29-10-2009 द्वारा सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुये धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों के चिन्हांकन के निर्देश निर्गत किये गये थे। चिन्हांकन के दौरान प्रकाश में आये धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-एस0सी0-13/छः-पु0-9-10-31(15टी0)/2009, दि0 3 अप्रैल, 2010 द्वारा निम्न नीति/कार्य योजना निर्धारित की गयी :-

क-शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु0-9-09-31(15टी0)/2009 दि0 29-10-2009 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा अपने जनपद के ऐसे प्रत्येक निर्माण के बारे में स्थानीय परिस्थितियों, जनभावनाओं, शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के विभिन्न पहलुओं का संज्ञान लेते हुये प्रत्येक निर्माण के बारे में अलग-अलग उसे हटाये जाने अथवा किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर विस्थापित किये जाने अथवा उसे यथास्थान बनाये रखने के सम्बन्ध में गुण-दोष के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा। प्रत्येक प्रकरण के बारे में सम्बन्धित पक्षकारों को भी सुनने का अवसर दिया जायेगा।

ख-जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय से यदि कोई व्यक्ति/संगठन/समुदाय संतुष्ट नहीं है तो वह मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय समिति के समक्ष दो महीने से अनधिक समय के अन्दर अपील कर सकेगा।

ग-जनपदस्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की दशा में अपील के निर्णय के उपरान्त तथा यदि जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती है तो उस दशा में अपील की समय अवधि बीत जाने के बाद अनधिकृत निर्माण की भूमि के लिये उत्तरदायी विभाग द्वारा जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुये अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के क्षेत्रों में आवंटित हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन

100-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 व 2008-09 में जनपद झांसी के विधान सभा एवं विधान परिषद् के समस्त मा0 सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों में आवंटित हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007-08 में झांसी सहित प्रदेश के कुछ जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विधान सभा/विधान परिषद् के मा0 सदस्यों द्वारा चयनित स्थलों पर कुल 475-475 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

श्री दीप नरायन सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा चयनित 475 हैण्डपम्पों में से 455 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। अवशेष 20 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन सहभागिता अंशदान प्राप्त न होने के कारण नहीं कराया जा सका।

श्री रणजीत सिंह जूदेव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा चयनित 432 हैण्डपम्पों में से 270 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। अवशेष 162 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन सहभागिता अंशदान प्राप्त न होने के कारण नहीं कराया जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद झांसी के विधान सभा/विधान परिषद् के समस्त मा0 सदस्यों को आवंटित समस्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 में मा0 विधान सभा/विधान परिषद्, सदस्यों को हैण्डपम्प आवंटित नहीं किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में गत वर्षों में विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता विषयक प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही

101-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं सितम्बर, 2010 तक उनके कार्यालय में विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित

कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उनमें से कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

वर्ष 2007, 2008 में मा0 प्रश्नकर्ता का विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2009 में श्री अमित कुमार पुत्र श्री मूल चन्द्र बुधौलिया निवासी-काशीपुरा, तहसील-मोंठ, जनपद-झांसी को वर्ष 2010 में श्री धीरज यादव पुत्र श्री राम कुमार यादव ग्राम-बंगरा, तहसील-गरौठा, जिला-झांसी एवं श्री राजू पुत्र श्री प्रकाश साहू, ग्राम-साकिन, तहसील-मोंठ, जिला-झांसी को आर्थिक सहायता दिये जाने के पत्र प्राप्त हुये हैं। इन तीनों प्रकरणों में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय ब्लाकों में विधायकों की संस्तुतियों पर हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं विवरण

102-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक मोंठ, गुरसराय तथा बामौर में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद् सदस्यों की संस्तुति पर अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण क्या है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007-08 में झांसी सहित प्रदेश के कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विधान सभा/विधान परिषद् के मा0 सदस्यों द्वारा चयनित स्थलों पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा एवं बामौर में वर्ष 2007-08 में मा0 सदस्यों की संस्तुति पर कुल 721 हैण्डपम्पों के सापेक्ष वर्ष 2007-08 में 159 हैण्डपम्प एवं अवशेष 562 हैण्डपम्प वर्ष 2008-09 में अधिष्ठापित किये गये जिनका संकलित ब्लाकवार विवरण निम्नवत् है :-

जनप्रतिनिधि का नाम	विकास खण्ड			
	गुरसराय	बामौर	मोंठ	योग
श्री दीप नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा, गरौठा	111	170	174	455
श्री रणजीत सिंह जूदेव, मा0 सदस्य, विधान परिषद्	15	30	171	266
योग	126	250	345	721

वर्ष 2008-09 में मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों द्वारा संस्तुत स्थलों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

103-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम्य विकास अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के कुल 850 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 150 पद रिक्त हैं।

ग्राम विकास अधिकारियों के 8286 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2629 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के नगरपालिका क्षेत्र महमूदाबाद के गांवों में पेयजल की परियोजना

104-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के गांवों में जहां पर वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, को पानी देने हेतु ओवर हेड टैंक व ट्यूबवेल लगाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग 12 करोड़ रुपये की योजना जल निगम, सीतापुर के द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसे स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में नगर पालिका क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर की पेयजल की परियोजना बनायी गयी थी परन्तु इस कार्यान्श में भारत सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत (ए0 पी0 ओ0) की नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

105-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनरेगा योजना को कार्यान्वित कराने हेतु अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (ए0पी0ओ0) की नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 29-4-10 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (ए0 पी0 ओ0) की तैनाती के निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 10-01-2006 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती है। सहायक विकास अधिकारी, सांख्यिकी, जो नियमित कार्मिक हैं, को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनाती की भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लोवर जुडिशियल अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित वेतनमान दिये जाने का आदेश

106-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के लोवर जुडीशियल अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-4-2009 द्वारा गठित जस्टिस ई0 पद्मनाभन समिति की संस्तुतियों के अनुसार राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को शासनादेश संख्या-793/दो-4-2010-45(12)/91टी0सी0-6, दिनांक 30-4-2010, शासनादेश संख्या-2123/दो-4-2010-45(12)/91टी0सी0-6, शासनादेश संख्या-2123(2)/दो-4-2010-45 (12)/91टी0सी0-6, शासनादेश संख्या-2123(4)/दो-4-2010-45(12)/91टी0सी0-6, दिनांक 16-10-2010 द्वारा संशोधित वेतनमान सहित भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद के अल्लापुर क्षेत्र में सीवर बिछवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

107-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28.4.10 को इलाहाबाद के अल्लापुर क्षेत्र में सीवर बिछवाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वैसे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्लापुर के आंशिक क्षेत्र में सीवर लेइंग के कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त क्षेत्र को सीवर लाइन से आच्छादित करने हेतु रु0 138.14 करोड़ के आगणन एन0जी0आर0बी0ए0 से वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को धनावंटन हेतु प्रेषित किये गये हैं।

वाराणसी जल संस्थान को कतिपय जोनल पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता वृद्धि हेतु प्राप्त धनराशि को फिक्स डिपाजिट करने एवं बैंक बन्द हो जाने के कारण डूबी धनराशि के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

108-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में वाराणसी जल संस्थान को शासन से प्राप्त 47 लाख रूपये की अनुदान की धनराशि शासनादेश के विरुद्ध एक अराष्ट्रीयकृत नगरीय सहकारी बैंक में एफ0डी0आर0 करायी गयी तथा पुनः नियम विरुद्ध तरीके से 3-3 माह के लिए नवीनीकरण किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अराष्ट्रीयकृत बैंक बन्द हो जाने के कारण पूरी रकम डूब गयी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जाँच एवं दोषियों के विरुद्ध जवाब देही सुनिश्चित कर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13.5.10 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्ष 1997-98 में वाराणसी जल संस्थान को राजघाट व मैदागिन जोनल पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता वृद्धि हेतु शासनादेश संख्या-5432/9-5-97-37 बजट/17टी0सी0 दिनांक 11 दिसम्बर, 97 के द्वारा रु0 47.00 लाख अनुदान के रूप में शासन द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया था। उक्त धनराशि जल संस्थान, वाराणसी द्वारा शासनादेश संख्या-से-9/12सी0आई0 दिनांक 14-7-1987 जिसमें स्थानीय निकाय एवं अन्य विभागों के खाते नगरीय सहकारी बैंक में खोले जाने के निर्देश/सुझाव प्रसारित किये गये थे, के दृष्टिगत नगरीय सहकारी बैंक, वाराणसी में उक्त अनुदान की धनराशि को वर्ष 1989 में खोले गये खाते में रु0 40 लाख का फिक्स डिपाजिट जमा कराया गया था तथा अन्तिम बार 03-03 माह के लिए नवीनीकरण माह मार्च, 2004 में कराया गया था।

अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष रु0 40.00 लाख वाराणसी जल संस्थान के द्वारा नगरीय सहकारी बैंक, वाराणसी में फिक्स डिपाजिट कराया गया था। प्रश्नगत योजना का कार्य प्रारम्भ होने पर 10.00 लाख का भुगतान फिक्स तोड़कर किया गया एवं वर्तमान में रु0 30.00 लाख (मूल धनराशि) तथा ब्याज के रूप में देय रु0 22.74 लाख (कुल रु0 52.74 लाख) उक्त बैंक में जमा है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निर्देश दिनांक 10-7-1999 के अनुपालन में नगरीय सहकारी बैंक, वाराणसी द्वारा दिनांक 23-8-1999 से भुगतान रोक दिया गया तथा पुनः दिनांक 5-6-2004 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने उक्त बैंक का लाइसेन्स रद्द कर दिया जिसके कारण उक्त धनराशि का नवीनीकरण दिनांक 5-6-2004 के पश्चात् नहीं हो सका है तथा वर्तमान में भुगतान अवरुद्ध है।

बैंक में उक्त जमा धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु जल संस्थान, वाराणसी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0-4747/2000 दाखिल की गयी है जोकि वर्तमान में मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

जी हां।

शिकायती-पत्र दिनांक 13-5-2010 के परिप्रेक्ष्य में मण्डलायुक्त, वाराणसी को प्रकरण की जांच कराकर आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराने एवं दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मण्डलायुक्त, वाराणसी के पत्र दिनांक 24-1-2011 द्वारा जांच आख्या प्राप्त हुयी है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों के जल प्रदूषण को रोकने की योजना

109-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के प्रदूषण को रोकने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो कानपुर एवं इलाहाबाद के संदर्भ में इस हेतु क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

कानपुर एवं इलाहाबाद नगर के घरेलू जल-मल से होने वाले नदी प्रदूषण को रोकने हेतु विस्तृत सीवरेज योजनायें तैयार की गयी हैं और इस समय भी की जा रही हैं। इन योजनाओं में नये सीवेज शोधन संयंत्र, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, ट्रंक सीवर लाइन, राइजिंग मेन, ब्रांच सीवर लाइन बिछाने तथा आगमेन्टेशन आफ ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आदि के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

उक्त योजनायें नदी प्रदूषण नियंत्रण/जे0एन0एन0यू0आर0एम0/एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के गठन के मूल उद्देश्य के अनुसार वर्ष 2020 तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के दाऊदपुर मोहल्ले में वर्षा से हो रहे जल भराव को रोकने के उपाए

110-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर के दाऊदपुर मोहल्ले में प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद भीषण जल-जमाव हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस जल-जमाव को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा महानगर के जल भराव वाले क्षेत्रों की जल निकासी हेतु प्रत्येक वर्ष पूरे महानगर को जोन के रूप में विभाजित कर जोनल अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की तैनाती की जाती है जो आवश्यकतानुसार भारी वर्षा के उपरान्त जल जमाव वाले क्षेत्रों से पम्प सेट के माध्यम से जल निकासी कराते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होम्योपैथिक विभाग में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

111-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कितने होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त है तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि होम्योपैथिक अस्पतालों में नियुक्ति हेतु फार्मेसिस्टों की योग्यता क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा-

प्रदेश के अन्दर होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में फार्मेसिस्ट के कुल स्वीकृत 1572 पदों के सापेक्ष कुल 1104 फार्मेसिस्ट नियुक्त हैं तथा 468 पद रिक्त हैं।

अधिसूचना प्रकीर्ण दिनांक 24-7-1991 द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 होम्योपैथिक भेषजिक सेवा नियमावली, 1991 के तहत होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुरक्षित संस्था में एक वर्ष का होम्योपैथिक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में होम्योपैथिक कम्पाउण्डर का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो या होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् द्वारा समुचित रूप से निबन्धित मेडिकल प्रैक्टिशनर के अधीन होम्योपैथिक कम्पाउण्डर का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो निर्धारित है। शासनादेश संख्या-1630/71-4-2010-92/96 टी0सी0, दिनांक 19-8-2010 द्वारा शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट (साइंस विषय) संशोधित करते हुए दो वर्षीय प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

लखनऊ शहर में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर की संख्या एवं उसमें कार्यरत फार्मेसिस्ट के सम्बन्ध में जानकारी

112-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में कितने होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर हैं और उनको चलाने के लिए औषधि व प्रशासन नियम 1940 की धारा 49 के अनुसार सभी मेडिकल स्टोरों पर फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जनपद लखनऊ में 182 फुटकर एवं 99 थोक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर के लाइसेन्स निर्गत हैं। औषधि व प्रशासन नियम-1940 की धारा 49 के अनुसार समस्त होम्योपैथिक मेडिकल स्टोरों पर फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की संख्या एवं इसके हेतु ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मांग

113-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण हेतु कितनी प्रयोगशालायें हैं तथा वे कहां-कहां स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार होम्योपैथिक ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण हेतु प्रदेश में केवल भारत सरकार की 01 प्रयोगशाला जनपद गाजियाबाद में स्थापित है।

होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय होम्योपैथिक परीक्षणशाला की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-239/71-4-10-23(वी0)/09, दिनांक 24-2-2010 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल स्टोरों में बिक रही होम्योपैथिक दवाइयों पर एक्सपाइरी डेट लिखे जाने सम्बन्धी जानकारी

114-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेडिकल स्टोरों पर बिक रही होम्योपैथिक दवाओं की शीशियों पर एक्सपाइरी डेट लिखी होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा गत वर्षों में कराये गये कार्यों की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

115-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09 में वार्डर डेवलेपमेन्ट की धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराने एवं उन सड़कों को पुनः बनवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र सं0 सी0एम0/वि0 को/एम0 228297/2010 दिनांक 24.7.10 द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

माननीय सदस्य के उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित 8 मार्गों की तकनीकी जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा की

गयी, जिसमें रसियावन खुर्द से करमैनी एवं सरदार नगर गांव के दक्षिण बेलखी मार्गों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उत्तरदायी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में रिक्त पदों के सापेक्ष आयोजित परीक्षाओं के निरस्त होने पर धनराशि वापसी के सम्बन्ध में जानकारी

116-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्त पदों के सापेक्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु शुल्क के रूप में आयोजकों द्वारा मांगी गयी धनराशि परीक्षा आयोजित न होने की दशा या परीक्षा निरस्त होने की स्थिति में अभ्यार्थियों को वापस किये जाने का कार्मिक विभाग का कोई नियम है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि का उपयोग किस मद में किया जाता है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेकर यथावश्यक कार्यवाही की जाती है।

जनपद गोरखपुर के झारखण्डी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की मांग

117-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित झारखण्डी मन्दिर की ऐतिहासिकता तथा धार्मिक महत्व को देखते हुये उसके सौन्दर्यीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

किसी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग की कोई नीति प्रतिपादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश

118-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपराधों पर नियन्त्रण हेतु सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण शासन की प्रमुख वरीयताओं में से एक है। वर्तमान सरकार द्वारा सरकार गठन के प्रारम्भ से ही अपराध नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही, समाज के संगठित अपराधियों, माफियाओं, गुण्डा तत्वों, कुख्यात पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की नीति अपनायी गयी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रदेशवार प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपराधदर की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में 34वें स्थान पर है तथा इससे कई गुना अपराधदर अन्य प्रदेशों में है। यह स्थिति सरकार की अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की दशा में विशेष संवेदनशीलता बरतने एवं कटिबद्धता तथा कठोर कार्यवाही के कारण ही संभव हो सकी है।

इसके अतिरिक्त अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है तथा बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अपराधों के नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा भी अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षायें करके आवश्यक दिशा-निर्देश उनके स्तर पर भी जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर में गंगा ऐक्शन प्लान अन्तर्गत व्यय धनराशि की जानकारी

119-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित गंगा प्रदूषण इकाई के द्वारा गंगा ऐक्शन प्लान जाजमऊ के अंतर्गत छबीलेपुरवा से सीवर ट्रीटमेंट प्लान तक नाले की सफाई हेतु कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्थान और दूरी तक नई सीवर लाईन पड़ने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री नकुल दुबे-

गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत जाजमऊ कानपुर के छबीलेपुरवा से सीवेज शोधन संयंत्र तक नाले की सफाई नहीं अपितु टेनरी उत्प्रवाह को ले जाने वाली अवरुद्ध राइजिंग मेन की सफाई में वर्ष 2008-09 में रु0 2,16,51,350.00 व्यय हुआ है।

टेनरी उत्प्रवाह को ले जाने हेतु एक और राइजिंग मेन बिछायी जाने के कार्य हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत स्वीकृत विस्तृत आगणन में रु0 3.26 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

कानपुर महानगर में खराब हैण्डपम्पों की संख्या एवं उनको रिबोर कराये जाने की व्यवस्था

120-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में कितने हैण्डपम्प खराब हैं तथा कितने रिबोर की स्थिति में हैं ? क्या उक्त हैण्डपम्पों को रिपेयर तथा रिबोर कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कानपुर महानगर में 490 नग हैण्डपम्प खराब हैं एवं 1929 नग हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं।

जी हां। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 760 नग हैण्डपम्प रिबोर कराये जा चुके हैं। शेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत सीवर लाइन की गुणवत्ता की जांच विषयक कथित शिकायती-पत्र

121-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0 यू0एम0 योजनान्तर्गत गहरी सीवर लाईन की गुणवत्ता की जांच से संबंधित मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 29-04-10 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने अन्तर्गत कानपुर नगर में कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

122-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत प्रदेश में किन-किन स्थानों पर गहरी सीवर लाईन डालने का कार्य हो रहा है ? कानपुर नगर में सीवर डालने का कार्य किस चरण तक पूरा हो चुका है तथा कितना कार्य शेष है ? शेष कार्य किस अवधि तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा नगरों में गहरी सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

कानपुर शहर में प्रस्तावित 199 कि0मी0 सीवर लाइन के सापेक्ष 77 कि0मी0 सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है। 122 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाया जाना शेष है।

शेष कार्य मार्च, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

दारुलशफा बी ब्लाक के वाहन पार्किंग से चोरी फिएट की दर्ज एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही

123-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 28, 29 जुलाई, 10 की रात में दारूलशफा, बी0 ब्लाक के वाहन पार्किग स्थल से वासुदेव नारायण-70 बी0 दारूलशफा लखनऊ की फिएट नं0 यू0पी0 32-ए0के0 3304 चोरी चली गयी थी जिसकी एफ0आई0आर0 हजरतगंज कोतवाली में दर्ज करा दी गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त के सम्बन्ध में एस0एस0पी0 तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या वह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वादी श्री वासुदेव नारायन पुत्र श्री श्रीपति नारायन नि0-70 बी दारुलशफा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिनांक 28/29-07-10 की रात्रि में बी ब्लाक पार्किंग से मारुती 800 यू0पी0

32 ए0के0 3304 के चोरी चले जाने के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज, लखनऊ पर मु0अ0सं0-554/10 धारा-379 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी की आख्या के अनुसार विधायक निवास-2 पुराना परिसर के मध्य वाले पार्किंग स्थल में मा0 मंत्रीगण/मा0 विधायक के वाहनों की चौकीदारी हेतु 04 कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है। मा0 मंत्रीगण/मा0 विधायक के अतिरिक्त अन्य अध्यासियों के वाहन की सुरक्षा राज्य सम्पत्ति के कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की आख्या के अनुसार काफी छानबीन एवं प्रयास के बावजूद उपरोक्त चोरी गयी गाड़ी अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट संख्या-बी-365, दिनांक 10-10-10 को प्रेषित की जा चुकी है।

लखनऊ के निरालानगर में कूड़े को हटाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

124-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को सम्बोधित अनुसचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-7 का पत्र संख्या 72 एम0एल0ए0/नौ-7-2010-33 एल/10, 2010 जो महल मायानगर, निरालानगर लखनऊ के सामने पड़ने वाले कूड़े को हटाये जाने तथा स्थानीय निवासियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

संदर्भित क्षेत्र पर कोई कूड़ाघर नहीं है बल्कि स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़ा डाला जाता है जिसे लखनऊ नगर निगम द्वारा नियमित उठान कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

125-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुणवत्ता विहीन पानी की समस्या से ग्रसित ग्राम नगला भुजा (भाग खेडिया) एवं सोनिगा मार्ग वि0 खण्ड-अकोला, जनपद आगरा के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

नगला भुजा (भाग खेड़िया) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 03 नग टी0टी0एस0पी0 योजना स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विकास खण्ड अकोला के ग्राम सोनिगा बाह में विरचित पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वहां के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनगणना की सूचनाओं को एकत्रित कर ग्रामों का डाटाबेस तैयार करने सम्बन्धी जानकारी

126-डा0 अनिल चौधरी-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि '' रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन'' एवं जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग व सन् 2001 की जनगणना की सूचनाओं को एकत्रित कर प्रदेश के समस्त ग्रामों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह डाटाबेस समस्त जनपदों में उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या सरकार जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद, सहपऊ एवं भुरसान के सभी ग्रामों का डाटाबेस एवं समस्त सूचनाएं नक्शे इत्यादि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

जी हां।

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन के पटल पर रखा जा सकता है।

जनपद महामायानगर के वि0 खण्ड सहपऊ के अम्बेडकर ग्राम धाधऊ में सी0सी0 रोड का कार्य पूर्ण कराया जाना

127-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम धाधऊ, वि0 खण्ड सहपऊ, जनपद महामायानगर के मजरा नगला सेवा में विगत वर्ष अम्बे0 ग्रा0वि0यो0 के अन्तर्गत सी0सी0 कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो अधूरा कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

डा0 अम्बेडकर ग्राम धाधऊ, विकास खण्ड सहपऊ, जनपद महामायानगर वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु चयनित किया गया था। उक्त डा0 अम्बेडकर ग्राम धाधऊ एवं मजरा नगला सेवा में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण हेतु कार्य योजना के अनुसार कुल लागत रु0 221.171 लाख आंकलित थी किन्तु शासनादेश के अनुसार रु0 139.63 लाख की लागत का कार्य ही एक ग्राम सभा में कराया जा सकता था। अतः उक्त वित्तीय सीमा तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

128-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के थानों में थानाध्यक्ष की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था

129-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी जिलों के पुलिस थानों में आठ प्रतिशत पुलिस कर्मी/चौकी इंचार्ज अल्पसंख्यक समाज से रखे जाने का शासनादेश सरकार ने वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस थानों में आठ प्रतिशत अल्पसंख्यकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश दिनांक 18-7-2007 द्वारा प्रदेश के जनपदों के थानों पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है। इसमें 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। अन्य पिछड़े वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में के0ए0यू0के0 इण्टर कालेज पड़रिया तुला की विवादित भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

130-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी का पत्र दिनांक 28-12-09 जो के0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, पड़रिया तुला, जिला-खीरी की विवादित भूमि पर अवैध कब्जे दारों से कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में है, थानाध्यक्ष भीरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण की जांच से पाया गया कि ग्राम पड़रियातुला में स्थित यू0के0यू0 इण्टर कालेज से अलग विवादित भूमि है, बीच में नहर है। विवादित भूमि पर सम्भा सिंह पुत्र मंगल सिंह, नि0-राधनपुरवा, थाना-भीरा, जनपद-खीरी द्वारा काफी समय पहले चहारदीवारी बनवा दी गई है। विवादित भूमि को दोनों पक्ष अपना-अपना बताते हैं। उक्त प्रकरण में सम्भा सिंह के विरुद्ध धारा-115डी का वाद दायर कराया गया है। वर्तमान में कोई निर्माण कार्य आदि नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश में पी0सी0एस0 अधिकारियों की संख्या एवं उनकी वार्षिक प्रविष्टियां अंकित कराये जाने की मांग

131-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने पी0सी0एस0 अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि पी0सी0एस0 अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टि न दिये जाने के कारण उनको पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 में वर्तमान में कुल 1080 पी0सी0एस0 अधिकारी कार्यरत हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पी0सी0एस0 अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करायी जाती हैं। सम्बन्धित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के उपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में की गई संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के टाउन एरिया पैंतेपुर में लगी हार्डमाक्स लाइटों को ठीक कराने की मांग

132-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र महमूदाबाद, टाउन एरिया पैतेपुर जनपद सीतापुर में जो हार्डमाक्स नगर पालिका, विधायक/सांसद निधि से लगायी गयी है, वह जल नहीं रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्नगत हार्डमाक्स लाइटों को सही करा दिया गया है तथा वह जल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, करवई में स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की तैनाती की मांग

133-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/करवई, जनपद झांसी में कितने चिकित्सक व स्टाफ तैनात हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, करवई जनपद झांसी में चिकित्साधिकारी-1, फार्मासिस्ट-1, भृत्य-1, स्वच्छक कम चौकीदार-1 कुल 04 स्टाफ तैनात है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कारवई जनपद झांसी में स्वीकृत पद के सापेक्ष सभी स्टाफ तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मनकामेश्वर मन्दिर में हुई चोरी की दर्ज एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही की मांग

134-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मुख्य धार्मिक स्थल मनकामेश्वर मन्दिर में दिनांक 17-01-10 को हुयी चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना-हसनगंज में एफ0आई0आर0 संख्या 13/2010 दर्ज हुयी है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्त पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 17-1-10 को मनकामेश्वर मन्दिर में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में मन्दिर के महन्त देव्यागिरि द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना हसनगंज, जनपद-लखनऊ में मु0अ0सं0-23/10 धारा 457/380 भा0दं0वि0 का अभियोग दर्ज कराया गया है।

विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

घटना का अनावरण नहीं हुआ है।

कानपुर नगर में शस्त्र आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण कराये जाने की मांग

135-श्रीमती अरूणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर के कार्यालय में 31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2010 के मध्य पुलिस एवं राजस्व विभाग की संस्तुतियों के साथ प्राप्त 489 शस्त्र आवेदन पत्रों का निस्तारण आयुध अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली के तहत न किये जाने के क्या कारण है ? उक्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण करने में विफल सक्षम प्राधिकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुये लम्बित शस्त्र आवेदन-पत्रों का निस्तारण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद कानपुर नगर में उक्त अवधि में पुलिस एवं राज्य विभाग की संस्तुति के साथ प्राप्त 489 शस्त्र आवेदन पत्रों में से 354 शस्त्र आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। शेष 135 आवेदन पत्रों का निस्तारण त्रिस्तरीय पंचस्थानिक चुनाव होने के कारण नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत शस्त्र आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलम्ब के लिये सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं। अवशिष्ट 135 शस्त्र आवेदन पत्रों का निस्तारण आयुध अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के थाना गजनेर में दर्ज एफ0आई0आर0 में दोषी विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही

136-श्रीमती अरूणा तोमर

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के थाना-गजनेर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 288/08 आई0पी0सी0 की धारा 420/467 दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 में फाइनल रिपोर्ट लगाने वाले विवेचक को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो दोषी पूर्व विवेचक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

भविष्य में सजग रहकर कार्य करने एवं कठोर चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की सीवर लाइन के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

137-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर की सीवर लाइन पर अब तक पौने दो करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद इसको चालू नहीं किया गया है और न ही सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अभी तक स्थापित हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन को कब तक चालू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शाहजहांपुर नगर में सीवरेज व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1979-80 में रु0 214.79 लाख की योजना विरचित की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्ष 1983-84 से 2001-02 तक रु0 198.81 लाख की

धनराशि प्राप्त हुई थी। इस धनराशि से जनता को लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्य कराये गये हैं। शेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण अवशेष कार्य नहीं कराये जा सके।

सीवर लाइन को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2010-11 में अनुमानित लागत रु0 165.24 करोड़ का प्राक्कलन बनाया गया है। प्राक्कलन के स्वीकृति होने एवं धनावंटन होने पर सीवर लाइन के कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोखले मार्ग, इन्टेलीजेन्स कार्यालय के पास स्थित मन्दिर को तोड़ने के सम्बन्ध में जानकारी

138-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1, गोखले मार्ग, लखनऊ इन्टेलिजेन्स कार्यालय के पास स्थित शिव जी व हुनमान जी का 104 साल पुराना मन्दिर मार्ग, 2010 में तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तोड़ने वालों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करायेगी एवं मन्दिर का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोखले मार्ग, इन्टेलिजेन्स कार्यालय के पास चौकी सुल्तानगंज का शिव व हनुमान मन्दिर है जिसमें किसी प्रकार की तोड़-फोड़ नहीं हुई है। मन्दिर अपने स्थान पर पूर्ववत् वहीं मौजूद है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् के पार्कों पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

139-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित राजाजीपुरम् के कई पार्कों में बंगलादेशी नागरिकों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क को खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की टिकैतराय आवासीय योजना फेज प्रथम में विधायक निवास के सामने पार्क की मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं सौन्दर्यीकरण का पूर्ण कार्य

140-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय आवासीय योजना, फेज प्रथम में विधायक निवास के सामने बने पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करने के लिये एल0डी0ए0 ने नगर निगम को स्थानान्तरित करने के पूर्व धन दिया था ? यदि हां, तो कितना और किस-किस मद में तथा इस पार्क का सौन्दर्यीकरण अभी तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

एल0डी0ए0 द्वारा प्रश्नगत कालोनी के पार्कों हेतु रु0 2,98,140/-मात्र की धनराशि नगर निगम, लखनऊ को पूर्व में प्राप्त करायी गयी थी। फेज-प्रथम में विधायक निवास के सामने स्थित पार्क की मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में उक्त पार्क पूर्ण रूप से विकसित है।

लखनऊ नगर निगम सीमा में पंजीकृत नर्सिंग होम की संख्या एवं इसके कचरे को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

141-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं तथा इन नर्सिंग होम को कचरे आदि से प्रदूषण मुक्त रखने के लिये क्या लखनऊ नगर निगम ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत 379 नर्सिंग होम पंजीकृत है। लखनऊ शहर में संचालित हो रहे नर्सिंग होम में उत्सर्जित होने वाले जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के सुरक्षित व प्रदूषण रहित निस्तारण हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा इन्सीनेटर की व्यवस्था सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत मोहनलालगंज में की जा रही है। वर्तमान में नगर निगम का इन्सीनेटर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार बन्द कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे शताब्दी अस्पताल में राजकीय अस्पतालों से भिन्न सुविधाएं

142-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर में बन रहे शताब्दी अस्पताल में आम नागरिकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा क्या अन्य राजकीय अस्पतालों से भिन्न होगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अस्पताल में आपात कालीन सेवायें उपलब्ध रहेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में विचार

143-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐड-मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद के माध्यम से प्रदेश में ''पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान' की स्थापना के लिये फिजविलिटी स्टडी करायी गयी थी और उसकी रिपोर्ट 2003 में तैयार की गयी

थी, यदि हां, तो उसके अनुसार लखनऊ में उपरोक्त संस्थान की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

लखनऊ में पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी फिजविलिटी स्टडी में स्थिति अनुकूल पायी गई। ऐसी स्थिति में बोर्ड के माध्यम से पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौतें एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

144-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 09 से 13 मई, 2010 तक पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुई तथा उक्त मौतों के लिये दोषी लोगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 09 से 13 मई, 2010 तक पुलिस हिरासत में कुल 13 मौतें होना प्रकाश में आया है। दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/अभियोग पंजीकृत करके समुचित कार्यवाही करायी गयी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

145-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[दिनांक 09-02-2011 के अता0 प्रश्न सं0-186 द्वारा उत्तरित]

शहरों से निकलने वाले अजैविक कूड़ा तथा पालीथीन से हो रहे प्रदूषित पर्यावरण की रोकथाम के उपाय

146-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने कृपा करेंगे कि शहरों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण की कोई विधि न होने के कारण जैविक, अजैविक कूड़ा तथा पालीथीन को एक साथ पैक किया जाता है, जिससे पालीथीन का कोई उचित निस्तारण न होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई रूपरेखा बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाकर प्रसारित की जा चुकी है। जिसका अनुपालन सभी नगर निकायों के लिए अनिवार्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के टेलीफोन आपरेटर के वेतनमान एवं उनके पदनाम को बदलने सम्बन्धी जानकारी

147-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों का मूल वेतन 4000 ग्रेड पे 2400 तथा पुराने कार्यरत आपरेटरों का वैयक्तिक रूप में 4500 ग्रेड पे 2800 है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि टेलीफोन आपरेटरों को सहायक समीक्षाधिकारी के समकक्ष मानते हुये उनकी अगली पदोन्नति समीक्षाधिकारी अथवा उसके समकक्ष टेलीफोन निरीक्षक के पद पर वेतनमान 5500 ग्रेड पे 4200 में की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टेलीफोन आपरेटरों को लेखाकारों की भांति पदनाम परिवर्तित कर सहायक समीक्षाधिकारी टेलीफोन तथा टेलीफोन निरीक्षकों का समीक्षाधिकारी टेलीफोन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, उत्तर प्रदेश सचिवालय के तत्कालीन टेलीफोन आपरेटर सम्प्रति कम्प्यूटर सहायक (वेतनमान रु0 4000-6000) का वर्तमान वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 सादृश्य वेतन रु0 5200-20200, ग्रेड-पे रु0 2400 तथा पूर्व की व्यवस्था में 14 वर्षीय प्रोन्नत वेतनमान (रु0 4500-7000) का लाभ पाने वाले तत्कालीन टेलीफोन आपरेटर सम्प्रति कम्प्यूटर सहायक को वैयक्तिक रूप से वर्तमान वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 सादृश्य वेतन रु0 5200-20200, ग्रेड पे रु0 2800 का वेतनमान अनुमन्य है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

148-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[दिनांक 09-02-2011 के अता0 प्रश्न सं0-187 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा के सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक यूनानी की औषधियों की सप्लाई एवं खरीद का विवरण

149-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद यूनानी की कितनी-कितनी औषधियां वर्ष 2008-09, 2009-10 से सितम्बर, 2010 तक जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा के सरकारी अस्पतालों में दी गयीं ? क्या कुछ दवायें जिले के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय से खरीद कर भी दी गयी हैं ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वर्ष 2008-09, 2009-10 से सितम्बर, 2010 तक जनपद बलरामपुर के सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों में कुल रु0 21,35,317.30 एवं जनपद गोण्डा के सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों में कुल रु0 29,27,989.00 की औषधियां दी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर नवाबगंज मार्ग से ग्राम बकड़हिवा का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

150-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में मनकापुर नवाबगंज मार्ग से ग्राम बकड़हिवा लगभग 3 कि0मी0 तक 400 मीटर लेपन कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पैक्सफेड गोण्डा को 6.70 लाख रुपया के दिये गये प्रस्ताव पर जिला ग्राम्य विकास अधिकरण गोण्डा द्वारा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा लगभग पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लेपन कार्य नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

स्थल विवाद के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के थानों में तैनात पुलिस कर्मी के स्थानान्तरण का कथित प्रकरण

151-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थानों व पुलिस चौकियों में कितने पुलिस कर्मी गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे पुलिस कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद लखीमपुर खीरी में कोई भी पुलिस कर्मी विगत 03 वर्षों से एक ही थाना व पुलिस चौकियों पर तैनात नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के थानों/चौकयों में उर्दू अनुवादकों की तैनाती की मांग

152-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में सभी पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति शासन द्वारा की गयी थी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त उर्दू अनुवादकों को थानों से हटाकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उर्दू अनुवादकों को थानों पर ही तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग में 23 उर्दू अनुवादकों के नियतन के सापेक्ष 10 उर्दू अनुवादक नियुक्त हैं, जिनमें से 01 उर्दू अनुवादक पुलिस कार्यालय खीरी एवं 01-01 उर्दू अनुवादक

को क्षेत्राधिकारी गोला/मोहम्मदी में लिपिक संवर्ग की कमी के कारण अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया गया है। जैसे ही लिपिक संवर्ग की रिक्ति पूर्ण हो जाती है इन्हें इनके नियुक्ति थाने पर वापस भेज दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी धुलाई भत्ते को बढ़ाये जाने की मांग

153-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता 20/- रुपये दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान महंगाई तथा छठे वेतनमान को दृष्टिगत रखते हुये उक्त धुलाई भत्ते में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी वेतन समिति का गठन किया गया है। धुलाई भत्तों की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस सम्बन्ध में वेतन समिति की कोई संस्तुति प्राप्त होती है तो उस पर तत्समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के संवर्ग का संवर्गीय पुनर्गठन का शासनादेश जारी करने सम्बन्धी जानकारी

154-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के संवर्ग का संवर्गीय पुनर्गठन (कैडर रिव्यू) का प्रस्ताव मुख्य सचिव की बैठक दिनांक 11-8-08 में अनुमोदित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या संवर्गीय पुनर्गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

अनुमोदन नहीं अपितु संस्तुतियां की गयी थी।

जी नहीं।

कार्मिक विभाग द्वारा संवर्गीय पुनर्गठन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 31-12-08 तक उक्त संस्तुतियों के क्रम में निर्णय न हो पाने के कारण संवर्गीय पुनर्गठन का शासनादेश जारी नहीं हो सका।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस कर्मियों को उनके बकाये वेतन के भुगतान की मांग

155-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 में प्रदेश के पुलिस/पी0ए0सी0 सिपाहियों तथा पुलिस रेडियो विभाग में नियुक्त सहायक परिचालकों (ए0ओ0) जिन्हें मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन पुनः सेवायोजित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस तथा पी0ए0सी0 के सिपाहियों को वर्ष 2009 के पूर्व का बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि

हां, तो पुलिस रेडियो विभाग में कार्यरत सहायक परिचालकों के बकाया वेतन भुगतान न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार सहायक परिचालकों (ए0ओ0) के बकाया वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। सम्बन्धित कार्मिकों को अनन्तिम रूप से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन नियुक्त किया गया है।

सम्बन्धित कर्मियों के वेतन भुगतान करने एवं बर्खास्तगी अवधि के पूर्व नियुक्त अवधि तक के एरियर का भुगतान किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। तद्नुसार कार्यवाही प्रचलित है। बर्खास्तगी अवधि के एरियर वेतन भुगतान पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील पर निर्णयोपरान्त यथास्थिति निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्त के अधीन उ0 प्र0 रेडियो विभाग में नियुक्त सहायक परिचालकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में रेडियो मुख्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव की भांति उप एवं अनु सचिवों को न्यूनतम वेतन का भुगतान कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

156-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत उप सचिव से पदोन्नत संयुक्त सचिवों को उनके वेतन बैंड-4 (37,400-67,000) के वेतन बैंड के न्यूनतम 37,400-00 एवं ग्रेड पे 8700-00 कुल 46,100-00 न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो अनु सचिव से पदोन्नत उप सचिवों को वेतन बैंड-3 (15,600-39,100) के वेतन बैंड के न्यूनतम 15,600 एवं ग्रेड पे 7600 कुल न्यूनतम वेतन 29,500-00 तथा अनुभाग अधिकारी से पदोन्नत अनु सचिवों को वेतन बैंड-3 (15,600-39,100) के वेतन बैंड के न्यूनतम 15,600 एवं ग्रेड पे 6600-00 कुल 25,350-00 का न्यूनतम वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त सचिवों की भांति उप सचिवों एवं अनु सचिवों को भी सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में उनके पद के पे बैंड एवं ग्रेड वेतन के कुल न्यूनतम वेतन का भुगतान करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सचिवालय में अनु सचिव से प्रमुख सचिव तक के पदों पर नियुक्ति पदोन्नति से होती है ? यदि हां, तो क्या इन पदों पर न्यूनतम वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

अनु सचिव से पदोन्नत उप सचिवों को न्यूनतम वेतन रु0 29,500 का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुभाग अधिकारी से पदोन्नत अनु सचिवों को न्यूनतम वेतन 25,350 का भुगतान किया जा रहा है। उप सचिवों को न्यूनतम वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-वे0-आ0-2-1316/दस-59(एम)/2006 दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-2 में दिनांक 01-01-2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

उक्त उल्लेख भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2000 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। उक्त व्यवस्था में तब तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जब तक कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संशोधित व्यवस्था न की जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि उप सचिव व अनु सचिव के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति कोटे के पद है।

सचिवालय सेवा के अन्तर्गत केवल अनु सचिव से विशेष सचिव के पद सृजित हैं जिन पर नियुक्ति शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् स्थित ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

157-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् में स्थित ग्रीन बेल्ट पर काफी संख्या में कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ियां बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाकर ग्रीन बेल्ट को पर्यावरण सुरक्षित रखने हेतु हरित पट्टी के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

158-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[निदेश संख्या-28 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

159-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में नरेगा योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों को वर्ष 2009-10, 2010-11 में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या ब्लाक एवं जनपद स्तर द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को धन आवंटन में समानता का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

नरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड आसपुर, देवसरा की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में आवंटित की गयी धनराशि की सूची संलग्न[†] है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के मार्ग निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी की गयी धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग कर लेने के उपरान्त अगली किश्त ग्राम पंचायतों को अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है। ग्राम पंचायतों को समान धनराशि निर्गत करने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 261-264 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि

160-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में वर्ष 2007-08 व 2008-09 में नरेगा योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या धन आवंटन में सभी ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के सापेक्ष समानता का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

नरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड-आसपुर देवसरा की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में आवंटित की गयी धनराशि की सूची संलग्न[†] है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के मार्ग निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी की गयी धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग कर लेने के उपरान्त अगली किश्त ग्राम पंचायतों को अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है। मार्ग निर्देश में जनसंख्या के आधार पर धनावंटन का कोई निर्देश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में भवानी ईंट उद्योग द्वारा मानकों के विपरीत ईंट के उत्पादन पर कार्यवाही

161-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-2010, 22-3-10 तथा 13-4-10 श्री सत्यदेव पाठक निवासी कधई मधुपुर तहसील पट्टी के शिकायती-पत्रों के साथ मां भवानी ईंट उद्योग बोझी मधुपुर द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत संचालन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पत्र दिनांक 22-3-2010 तथा 13-4-2010 प्राप्त हुए हैं।

मै0 मां भवानी ईंट उद्योग जो कि बी0आर0एस0 मार्का ईंट का उत्पादन कर रहा था, को स्थापित मानकों के विरुद्ध पाये जाने के कारण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-एफ 02574/सी-6/ईंटभट्ठा/17आर0बी0एल0 दिनांक 14-6-2006 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जा चुका है। दिनांक 28-1-2011 की अद्यतन निरीक्षण के अनुसार मै0 मां भवानी ईंट उद्योग के नाम से कोई ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाकों में खराब एवं ठीक कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण

162-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की बोरिंग कराये जाने के मानक क्या हैं ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 265-270 पर।)

ब्लाकों में मानक के अनुसार अब तक खराब सभी हैण्डपम्पों को रि-बोर करा दिया गया है ? यदि हां, तो ब्लाकवार खराब एवं ठीक कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रदेश में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु असेवित बस्ती एवं हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी का मानक निर्धारित किया गया है।

डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बसावटों में 100 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या के मध्य 01 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने का मानक निर्धारित है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी ब्लाकों में दिनांक 31-3-2010 तक परीक्षणोपरान्त रि-बोर योग्य पाये गये 286 हैण्डपम्पों के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में 240 हैण्डपम्पों को रि-बोर करा दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ब्लाकवार रि-बोर योग्य खराब एवं रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड	दिनांक 31-3-10 तक रि-बोर योग्य पाये गये हैण्डपम्प	रि-बोर कराये गये हैण्डपम्प (2010-11)
1	पट्टी	56	45
2	मंगरौरा	55	48
3	आसपुर देवसरा	63	54
4	बेलखरनाथ	112	93
	योग :-	286	240

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में रि-बोर योग्य पाये गये 286 हैण्डपम्पों में से अवशेष 46 हैण्डपम्पों को वित्तीय वर्ष 2010-11 में रि-बोर कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद महामायानगर के नगर पंचायत का उन्नयन कर नगरपालिका परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव

163-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या-92 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद, जनपद महामायानगर में नगर पंचायत का उन्नयन कर नगरपालिका परिषद् के गठन हेतु जिलाधिकारी, महामायानगर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-जीआई-165/तीन-09-15(1)/2009, दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा जनगणना को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिकाओं, राजस्व ग्रामों,

तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में सीवर लाइन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

164-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उक्त नगर पंचायत, सहपऊ प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि अभी जिला मुख्यालय, मण्डल मुख्यालय एवं धार्मिक/ऐतिहासिक महत्वपूर्ण नगरों की प्राथमिकता है।

छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में डायबिटीज फूटिक यूनिट खोले जाने की मांग

165-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में डायबिटिक फूटिक यूनिट खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

वर्तमान में एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ के इण्डोसर्जरी विभाग में डायबिटिक फुट के रोग का उपचार किया जा रहा है। इस रोग के इलाज हेतु औसतन 15 मरीज प्रतिमाह पंजीकृत हो रहे हैं। अतः इस रोग के मरीजों की क्रम संख्या को देखते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ में डायबिटीज फूटिक यूनिट खोलने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में घर-घर कूड़ा उठाने की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

166-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घर-घर कूड़ा उठाने की योजना प्रदेश में लागू है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत 19 शहरों अर्थात् प्रदेश के कुल 26 शहरों में

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनायें स्वीकृत हैं जिसके अन्तर्गत घर-घर से कूड़ा एकत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

योजना अन्तर्गत घर-घर से कूड़ा एकत्रित कर शोधन संयंत्र में शोधन के उपरान्त अवशेष को वैज्ञानिक विधि से विकसित लैण्डफिल में भरकर प्रतिदिन ढका जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में पार्कों की संख्या एवं उनमें माली की व्यवस्था करने सम्बन्धी जानकारी

167-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में कितने विकसित और कितने अविकसित पार्क हैं ? क्या सरकार अविकसित पार्कों को विकसित कर उनमें माली रखने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में 231 विकसित पार्क एवं 66 अविकसित पार्क हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ शहर में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के रि-बोर कराये जाने की मांग

168-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ शहर में रि-बोर करने योग्य इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है और इनको रि-बोर करने हेतु सरकार द्वारा धनराशि जल निगम को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो हैण्डपम्पों को कब तक रि-बोर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखनऊ शहर में 729 नग हैण्डपम्प रि-बोर योग्य एवं 200 नग हैण्डपम्प मरम्मत योग्य हैं। इन हैण्डपम्पों के रि-बोर/मरम्मत हेतु जिला योजना में स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त लखनऊ शहर को नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 25-1-2011 द्वारा रु0 311.59 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रु0 155.79 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उक्त हैण्डपम्पों को तीन माह में रि-बोर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0बी0बी0एस0 होम्योपैथिक एवं यूनानी स्नातक छात्रों के इन्टर्नशिप भत्तों में बढ़ोत्तरी

169-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0बी0बी0एस0, होम्योपैथिक एवं यूनानी स्नातक छात्रों को दैनिक वेतन मजदूरों से भी कम इन्टर्नशिप भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

जी नहीं।

एम0बी0बी0एस0/बी0एच0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 के इन्टर्नशिप छात्रों को पूर्व में प्रदान किये जा रहे इन्टर्नशिप भत्ता रु0 1950/-प्रतिमाह को शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा बढ़ाकर रु0 7500/-प्रतिमाह कर दिया गया है।

वाराणसी नगर निगम के आय-व्ययक में रखी गयी धनराशि का भुगतान ठेकेदारों को कराने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

170-श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम के मूल आय-व्ययक वर्ष 2010-2011 के व्यय मद में मद संख्या 9-15 (10) में 9 लाख 85 हजार रुपये ठेकेदारों के बकाया देयकों के भुगतान करने हेतु रखे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-5-2010 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विषय की गम्भीरता को देखते हुए उक्त देयकों के भुगतान पर रोक लगाने, दर्शाये गये सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन विधायकों, पार्षदों तथा पब्लिक आडिट द्वारा कराये जाने हेतु कोई आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। लेकिन मा0 सदस्य विधान सभा श्री श्याम देवराय चौधरी जी का पत्र दिनांक 26-5-2010 जो मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है उसमें रु0 9.85 करोड़ का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में शासनादेश संख्या-142 सी0एम0/(1)/नौ-7-10-65 सी0एम0(बी)/10, दिनांक 22-6-2010 द्वारा मण्डलायुक्त वाराणसी को जांच कराकर यथोचित कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं। तदोपरान्त उक्त कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उक्त कार्यों की सूची जन सामान्य हेतु नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी है और जन शिकायतों को संज्ञान में लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

171-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सभी पार्षदों के क्षेत्रों में बिना विकास कार्य कराये फर्जी तरीके से रु0 9 करोड़ 35 लाख के भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाने एवं प्रकरण के भौतिक सत्यापन एवं सार्वजनिक आडिट कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26.05.2010 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त इसके दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। परन्तु मा0 सदस्य विधान सभा श्री श्यामदेव राय चौधरी जी का पत्र दिनांक 26-5-2010 जो मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है उसमें रु0 9.85 करोड़ का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में शासनादेश सं0-142 सी0एम0 (1)/नौ-7-10-65 सी0एम0 (बी)/10, दिनांक 22-6-2010 द्वारा मण्डलायुक्त, वाराणसी को जांच कराकर यथोचित कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं। तदुपरान्त उक्त कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम द्वारा नियमों के विपरीत कार्यों का गलत तरीके से भुगतान किये जाने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान सुनिश्चित कराये जाने की मांग

172-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेजू सोनकर, पार्षद, नगर निगम, वाराणसी द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा विभिन्न नियमों व उपनियमों तथा शासनादेशों का उल्लंघन कर करोड़ों रुपये के कार्यों का आवंटन तथा उसका भुगतान अवैध तरीके से किये जाने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक जनहित याचिका संख्या 3280/2010 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2010 के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जनहित याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कर संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु मण्डलायुक्त, वाराणसी को निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर संगत विधि के प्राविधानों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोहडौर के ग्राम पूरे फुरमान नरहरपुर में पिता की हत्या की एफ0आई0आर0 दर्ज करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

173-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमलेशा देवी, पुत्री श्री भागीरथी अनुसूचित जाति, निवासी ग्राम पूरे फुरमान नरहरपुर, थाना कोहडौर, जनपद प्रतापगढ़ में झोला छाप डाक्टर श्री बृजेश वर्मा उर्फ मिट्ठू पुत्र श्री गिरधारी के विरुद्ध अपने पिता की हत्या की एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-3/272000, दिनांक 08.10.2007 एवं पत्र सं0 143/आ0स0/08, दिनांक 08.08.08 तथा पत्र सं0 812/आ0स0/09, दिनांक 17.03.09 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नकर्ता श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या : क-3/27-2000, दिनांक 08-10-2007 एवं पत्र सं0 143/आ0स0/08, दिनांक 08-08-08 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ में प्राप्त हुये थे, लेकिन पत्र संख्या : 812/आ0स0/09, दिनांक 17-03-09 अभिलेखानुसार मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्नकर्ता श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या : क-3/27-2000, दिनांक 08-10-2007 एवं पत्र सं0 143/आ0स0/08, दिनांक 08-08-08 पर जांच कराके आवश्यक कार्यवाही/नियमानुसार अग्रिम उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या : डी0 जी0-पांच-6(73)/2008, दिनांक 19-02-2008 एवं 16-08-2008 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को भेजा गया। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण जांच से आवेदिका कमलेशा व विपक्षी बृजेश कुमार पटेल व थानाध्यक्ष कोहडौर राम आसरे सिंह के बयान आदि के अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका के विपक्षी बृजेश कुमार पटेल का दोष प्रतीत नहीं होता है।

आवेदिका कमलेशा देवी के मृतक पिता श्री भागीरथी के पोस्टमार्टम सं0 397 खो देने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवाजी से जांच करायी, जिसमें उ0 नि0 श्रीराम कटियार को अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में दोषी पाया गया है। पोस्टमार्टम खो जाने की दशा में जांच से दोषी पाये गये उ0 नि0 श्रीराम कटियार को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के आदेश सं0 पी-22/10, दिनांक 23-08-10 के द्वारा परिनिन्दा लेख प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्ड में गत वर्षों में नरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

174-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा एवं बेलखरनाथ धाम में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में नरेगा के अन्तर्गत कुछ चिन्हित ग्राम पंचायतों को ही धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो अन्य ग्राम पंचायतों के मांग के आधार पर धनराशि आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जहां कार्य कराये गये हैं वहां सभी जाब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मनरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त मार्ग-निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी की गयी धनराशि का 60 प्रतिशत उपभोग के पश्चात अगली किश्त मांग किये जाने पर अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है। प्राविधान के अनुसार ही धनराशि का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया गया है। धनराशि आवंटन की सूची संलग्न† है।

नोट :-† छापी नहीं गयी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मांग आधारित योजना है। ग्राम पंचायतों से 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र एवं मांग-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त धनराशि निर्गत की गयी है।

जांबकार्ड धारकों को उनकी मांग पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की सूची वर्षवार एवं विकास खण्डवार संलग्न† है।

मनरेगा श्रम आधारित मांग परक योजना है। जाबकार्ड धारकों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी

175-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 01-01-09 से जून, 2010 तक कितने व्यक्तियो/परिवारों/समूहों द्वारा पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने के लिए आवेदन-पत्र दिये गये हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ? अवशेष हैण्डपम्प कब तक लगवा दिये जयेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में दिनांक 01-01-2009 से जून, 2010 तक पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने के लिये कुल 1034 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

इनमें से 807 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं।

जनपद प्रतापगढ़ का वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य निम्नवत् था :-

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य
2008-09	2320
2009-10	2165
2010-11	1700

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद प्रतापगढ़ में हैण्डपम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य 1700 पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

176-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया]

जनपद शाहजहांपुर में अधूरी सीवर लाइन को पूर्ण कराये जाने का कथित प्रकरण

177-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में अधूरी सीवर लाइन को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† छापी नहीं गयी।

श्री नकुल दुबे-

शाहजहांपुर में अधूरे सीवर कार्य को पूर्ण करने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद् के क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति की नीति एवं शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध कराये जाने की मांग

178-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद के क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी (पेयजल) की आपूर्ति के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार शाहजहांपुर नगर में शुद्ध पेयजल की मानक के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए ओंकार मनीषी पत्रकार वाली गली में आपूर्ति की जाने वाली कीचड़ युक्त वाटर सप्लाई को शुद्ध कराते हुए शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सीवर व्यवस्था रहित नगर पालिका परिषदों में जलापूर्ति दर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा सीवर व्यवस्था सहित नगर पालिका परिषदों एवं जहां सीवर लाइन प्रस्तावित है, में जलापूर्ति दर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानक निर्धारित है।

श्री ओंकार मनीषी पत्रकार वाली गली में जलापूर्ति नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर के माध्यम से की जा रही है। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर निर्धारित मानक के अनुसार जलापूर्ति हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में मच्छरों के प्रकोप की रोकथाम के उपाय

179-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ का शहरी क्षेत्र मच्छरों के प्रकोप से पीड़ित है ? यदि हां, तो क्या सरकार मच्छरों की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

मच्छरों का प्रजनन बसंत ऋतु के समय ज्यादा होता है। इस समय मच्छरों की प्रजनन वृद्धि को रोकने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ अधीनस्थ जिला-मलेरिया अधिकारी के द्वारा एण्टीलार्वा का छिड़काव नालियों आदि में कराया जाता है और मच्छरों की रोकथाम हेतु नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रोस्टर चक्र के द्वारा फागिंग का कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

180-श्री राम बिशुन आजाद-

[तीसरे सोमवार के लिये स्थगित]

181-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[दिनांक 09-02-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-129 द्वारा उत्तरित]

जनपद एटा के मजरा शाह नगर के ग्राम टिकैत में सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने की मांग

182-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3-948571 दिनांक 30 अगस्त, 2010, जो गांवों में कच्ची मिट्टी सहित खड़न्जा बनवाने के संबंध में है, जिलाधिकारी, एटा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम-टिकैत, मजरा-शाहनगर टिमरुआ से आगरा रोड तक की सड़क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। उक्त सड़क का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। वर्तमान में सड़क निर्माण के कार्य में कोई अवरोध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की नगर पंचायत सहपऊ के कार्यालय भवन के निर्माण की मांग

183-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की नगर पंचायत सहपऊ के कार्यालय भवन के निर्माण किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, नगर पंचायत, सहपऊ, जनपद महामायानगर में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के वितरण के पश्चात् अवशेष धनराशि से नगर पंचायत बोर्ड द्वारा 14.67 लाख रुपये से नगर पंचायत के कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में स्मार्ट कार्ड योजना अन्तर्गत कार्डों के वितरण के सम्बन्ध में जानकारी

184-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक-पट्टी, आसपुर, मंगरौरा, बेलखरनाथ धाम में स्मार्ट कार्ड योजना में बी0पी0एल0 परिवारों को 30 रुपये पंजीकरण शुल्क पर साल भर में 30 हजार रुपये तक का इलाज निःशुल्क कराये जाने की व्यवस्था है यदि हां, तो क्या सभी पात्र व्यक्तियों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो सभी पात्र व्यक्तियों को स्मार्ट कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद-प्रतापगढ़ में योजना के द्वितीय चरण में कुल लक्षित 2,57,944 बी0 पी0 एल0 परिवारों (ग्रामीण) के सापेक्ष कुल 1,39,635 परिवारों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किये गये है। इनमें से ब्लाक-पट्टी में 5856, ब्लाक-आसपुर में 13142, ब्लाक-मंगरौरा में 8301 एवं ब्लाक-बाबा बेलखरनाथ धाम में 6431 परिवारों को योजना के स्मार्ट कार्ड निर्गत किये गये हैं।

जनपद-प्रतापगढ़ में योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है एवं दिनांक 15-12-2010 तक कुल 7,848 परिवारों को स्मार्ट कार्ड वितरित किये जा चुके है। स्मार्ट कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया जनपद में बीमा प्रदाता कम्पनी के रूप में कार्यरत यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी को निर्देशित किया गया है कि जनपद में सभी लक्षित परिवारों को समयावधि के भीतर स्मार्ट कार्ड वितरित करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिये क्रीमीलेयर के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना

185-श्री अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' के लिए ''क्रीमीलेयर'' की सीमा केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक रु0 4.5 लाख व राज्य सरकार द्वारा रु0 5 लाख निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश प्रदेश की सभी तहसीलों में प्राप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा क्रीमीलेयर के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना दिनांक 20-10-2008 प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारियों को प्रेषित की गयी है। उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत अधिसूचना के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की व्यवस्था

186-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत रघुनाथ पुर से चिन्तामन पुर की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

मार्च, 2011 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2010-2011 में पूर्वांचल निधि की बची धनराशि को पी0एल0ए0 में डालने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वर्ष 2010-11 में पूर्वान्चल निधि से जो कार्य होने थे, बाद में उनका वर्गीकरण कर दिया गया कि इतना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा, इतना वनीकरण पर होगा, इतना पर्यटन पर होगा, इतना चिकित्सा पर होगा और उसमें यह भी था कि एक लाख से कम का वह होने नहीं पायेगा, लेकिन मदें तो 70 हजार रुपये तक की थी। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों का उसमें कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। मान्यवर, सारा समय उसमें ऐसे ही बीत गया, बाद में उसमें एक शासनादेश हुआ।

श्री अध्यक्ष-

जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया है, उसके बारे में बतायें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अध्यक्ष जी, जब मैंने सी0डी0ओ0 से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शासनादेश नहीं मिला है। मान्यवर, हम व्यवस्था के माध्यम से यह चाहते हैं कि जो शासनादेश में लिखा गया है कि 31 मार्च को वह धन लैप्स हो जायेगा। अध्यक्ष जी, हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है तो वह कार्य समय से कैसे पूरा हो पायेगा। हम चाहते हैं कि उस धन को पी0एल0ए0 में जाने की व्यवस्था कर दी जाए ताकि पूर्वांचल निधि का यह धन लैप्स न हो।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नों के सन्दर्भ में व्यवस्था उठा सकती है, उसके सम्बन्ध में यदि कुछ कहना है तो कहिए। पी0एल0ए0 में पैसा डलवाना है, उसे कहां क्या करना है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। आप प्रश्नों के सन्दर्भ में कोई व्यवस्था चाहती है तो बताइये। प्रश्नों के सन्दर्भ में तो आप कोई व्यवस्था का प्रश्न पूछ नहीं रही है ओर कह रही है कि हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ, पी0एल0ए0 में डलवा दिया जाए। आप जानकार हैं। आपने कोई प्रश्न लगाया, उसके बारे में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में बताइये। आप दुनिया भर का अपना क्षेत्र निधि, विधायक निधि बता रही है।

नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर अनुरोध के बावजूद पढ़ा न माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह प्रश्नकाल सम्मानित विपक्ष के लिये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। मान्यवर, आपने भी आज कृपापूर्वक आज शुरू में ही इस बात को कहा कि हम अधिक से अधिक प्रश्न ले सकें, उसके लिये सीधे अनुपूरक और स्पष्ट बात की जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो नत्थी 'ग' के प्रश्न सं0-1 जो मा0 सदस्य श्री सुखलाल जी का प्रश्न था, रखना चाहूंगा। मान्यवर, अभी 4 मिनट बाकी थे 12 बजकर 20 मिनट होने में और तब मान्यवर, यह प्रश्न आया। प्रायः जिस समय प्रश्न किया जाता है उस समय पढ़ा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ मान लिया जाता है। मान्यवर, जब 4 मिनट बाकी थे तब भी कहा गया कि वह पढ़ा हुआ मान लिया गया। मान्यवर, कौन सा ऐसा खौफ है, कौन सा ऐसा डर है, ऐसी कौन सी बात छिपाना चाहते हैं कि जानबूझकर 4 मिनट तक उस उत्तर को पढ़ते रहे ताकि उनको अनुपूरक करने का अवसर न मिले। मान्यवर, इसमें हमको आपका संरक्षण चाहिए क्योंकि जब प्रश्नकर्ता स्वयं इस बात के लिये निवेदन कर रहा है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और मान्यवर, आपने भी कहा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। आपने भी इस सम्मानित पीठ से हमारा संरक्षण करते हुए कहा कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। मान्यवर, उसके बाद 4 मिनट तक केवल उत्तर को पढ़ने का मतलब है कि सरकार प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देना नहीं चाहती, उनको छुपाना चाहती है और उनसे डरती है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहते हैं कि अगर हमारा जो अधिकार है उसका संरक्षण आप दें। मा0 सदस्य को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए था कि उस पर वह अनुपूरक प्रश्न करते।

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-62 का उत्तर गोपनीयता के आधार पर निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे 11 तारीख को टेंटिटिव एजेण्डा मिला जिसमें अतारांकित प्रश्न सं0-62 पर मेरा जनहित में, लोकहित में प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान समय में स्वीकृत जजों की संख्या क्या है और उनमें रिक्त पदों को कब तक कर दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ? फिर आज प्रातःकाल जब मुझे एजेण्डा मिला तो उसी प्रश्न के आगे लिखा गया कि गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या गोपनीयता है। जजों की कितनी संख्या है, कितने रिक्त हैं और क्या सरकार इसको पूरा करेगी। इसमें गोपनीयता शब्द का प्रयोग करके मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की हत्या है।

श्री अध्यक्ष-

वह सदन में उत्तरित नहीं हुआ था।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, हम लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कितने जज यहां पर हैं ? इसकी सूचना भी मिली तो एजेण्डा के माध्यम से। जबकि मुझे दो प्रश्नों की सूचना दी गयी कि आपका यह स्थानान्तरित कर दिया गया है लेकिन इस प्रश्न के लिये कोई सूचना भी नहीं दी गयी कि आपका यह प्रश्न गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्नों के संदर्भ में निर्धारण या निरस्तीकरण या निस्तारीकरण पर हमको निर्णय लेने के लिये विचार है। मैं इसको दिखवा लूंगा।

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न, प्रश्न प्रहर में असफल होते जा रहे हैं। कोई भी अतारांकित प्रश्न हो, उसका समुचित उत्तर नहीं आता और उनको जानबूझकर टालने की कोशिश की जाती है। मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार प्रदेश में भारत सरकार की राजीव आवास योजना लागू है ? यदि हां तो उक्त योजना का विवरण क्या है और यह किन-किन जनपदों में प्रारम्भ की जा रही है ? मान्यवर, इसमें उत्तर आया है कि राजीव आवास योजना भारत सरकार द्वारा घोषित योजना है जिसके विस्तृत मार्गनिर्देश, मापदण्डों, वित्तपोषण से निर्धारण की प्रक्रिया भारत सरकार स्तर पर प्रचलित होने की सूचना है। मान्यवर, इसमें राज्य नगरीय विकास अभिकरण में 3 बैठक हो चुकी हैं प्रदेश सरकार में। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत अभी 14 सितम्बर, 2010 को बैठक हुयी और 6 जिलों में इसको लागू करने के लिये नगर निगमों को प्राधिकृत किया गया है। ये लोग इसमें वहां जाकर सर्वे करें और इसकी रिपोर्ट दें। यह योजना मान्यवर, 14 सितम्बर, 2009 से चल रही है। लेकिन आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी और यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार के स्तर पर प्रचलित होने की सूचना है। जब यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, कार्यवाही हो रही है, लोगों को निर्देश दिये गये हैं कि सर्वे करिये। लेकिन सर्वे नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसका सही उत्तर आना चाहिए और अगर सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न कौन सा है आपका।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न-40 है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्न के त्रूटिपूर्ण उत्तरों के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं। मा0 सदस्य उन्हें देखकर लिखकर दे सकते हैं। अतः इस व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। गलत उत्तरों के सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत लिखकर दे सकते हैं, तब दिखवा लिया जायेगा।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, गंगा भक्त सिंह, टम्बरेश्वर प्रसाद, प्रताप सिंह, शमीम आलम, राधेश्याम, पीतम सिंह, मान बहादुर सिंह, तीरथ राम कोहली, अमर पाल सिंह, महावीर प्रसाद, खुरशीद अहमद अंसारी, सहदेव सिंह, विद्या शंकर, श्रीमती चारूशीला, नेमपाल, सन्त बक्श रावत तथा बजरंग बली ब्रह्मचारी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया का 24 अप्रैल, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया का जन्म 13 दिसम्बर, 1933 को काशीपुर, तत्कालीन जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) में हुआ था। श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र काशीपुर, तत्कालीन जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे आठवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया वर्ष 1984-85 में श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल के उप मंत्री रहे थे। वे देश व प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे।

श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा भक्त सिंह का 15 अगस्त, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री गंगा भक्त सिंह का जन्म 8 नवम्बर, 1922 को ग्राम हरियावन, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गंगा भक्त सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र बावन, जिला हरदोई से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र बिलग्राम, जिला हरदोई से तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद, जिला हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे छठी लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री गंगा भक्त सिंह अनेक आन्दोलनों में जिला कारागर, बरेली, हरदोई, केन्द्रीय कारागार, नैनी एवं इज्जतनगर में बंदी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश जनसंघ के महामंत्री, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल तथा कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल के मंत्री रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति, राज्य हथकरघा निगम के अध्यक्ष एवं राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वे सेठ बाबू राम इण्टर कालेज, पाली तथा हरियांवा में स्थापित नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय श्री गंगा भक्त सिंह कन्या विद्यालय तथा बाल विद्या मन्दिर के अध्यक्ष थे। शिक्षा, ग्रामीण विकास, सहकारिता व कृषि में उनकी विशेष रुचि थी तथा समाज सेवा प्रिय थी।

श्री गंगा भक्त सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री टम्बरेश्वर प्रसाद का 16 अगस्त, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री टम्बरेश्वर प्रसाद का जन्म 24 फरवरी, 1929 को खैराबाद, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0 (कृषि) की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री टम्बरेश्वर प्रसाद वर्ष 1957 तथा 1962 में निर्वाचन क्षेत्र खैराबाद, जिला सीतापुर से तथा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर, जिला सीतापुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, जिला जनसंघ सीतापुर के प्रधान, लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य,

विधान सभा में जनसंघ दल के सचेतक तथा विधान सभा में प्रतिपक्ष के उपनेता रहे थे। वे वर्ष 1967 से 1968 में श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। वे भारतीय नवयुवक कृषक समाज के आजीवन सदस्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खैराबाद के अध्यक्ष भी रहे थे। अध्ययन में उनकी रुचि थी।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह का 23 अगस्त, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री प्रताप सिंह का जन्म 12 दिसम्बर, 1930 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 एवं डी0पी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रताप सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र टनकपुर, तत्कालीन जिला नैनीताल से तथा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नैनीताल, जिला नैनीताल से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री प्रताप सिंह विभिन्न ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष एवं मंत्री रहे थे। वे जिला स्काउट्स एसोसियेशन के उपाध्यक्ष तथा वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे थे। सामाजिक आन्दोलनों में वे दो बार जेल जा चुके थे। वे वर्ष 1967 से 1968 में श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल में मंत्री भी रहे थे। श्री सिंह नैनीताल जिले की अनेक सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। वे पर्वतीय विकास परिषद् के उपाध्यक्ष एवं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे थे।

श्री प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शमीम आलम का 6 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री शमीम आलम का जन्म 1 जुलाई, 1935 को ग्राम अकबरपुर, झोझा, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0, एम0ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शमीम आलम वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शमीम आलम कई शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। वे वर्ष 1967-68 में श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे अलीगढ़ यूनीवर्सिटी ला सोसाइटी के उपाध्यक्ष तथा हाकी टीम के कप्तान रहे थे। उर्दू शायरी से उन्हें विशेष प्रेम था।

श्री शमीम आलम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राधेश्याम का 7 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री राधेश्याम का जन्म 3 सितम्बर, 1943 को ग्राम सदेवा, दरियाबाद, जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राधेश्याम वर्ष 1991 में जनता पार्टी तथा 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद, जिला बाराबंकी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राधेश्याम राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बाराबंकी जेल में दस दिन बन्दी रहे थे। वे ईंट भट्ठा संघ, बाराबंकी के अध्यक्ष तथा बिन्द्रा प्रसाद मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, सफदरगंज के प्रबन्धक रहे थे। वे वर्ष 1983 से 1991 तक क्षेत्र समिति, मसौली, बाराबंकी के प्रमुख रहे थे। राजनीतिक एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राधेश्याम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पीतम सिंह का 13 अक्टूबर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री पीतम सिंह का जन्म 5 जुलाई, 1940 को ग्राम नेहचलपुर, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पीतम सिंह वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र एटा, जिला एटा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री पीतम सिंह वर्ष 1980 तथा 1990 में राजनैतिक आन्दोलनों में लगभग 35 दिन आई0पी0सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत एटा और मैनपुरी जिला कारागार में बन्दी रहे थे। वे व्यापार मण्डल, एटा तथा खाद्यान्न समिति, एटा के पांच वर्षों तक अध्यक्ष एवं जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला मंत्री व कई वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे थे। वे खाद्यान्न समिति, एटा के संरक्षक, लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जसराना एवं मथुरिया इण्टर कालेज, डिबाई, बुलन्दशहर के आजीवन सदस्य थे। जनसेवा करने में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री पीतम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मान बहादुर सिंह का 15 अक्टूबर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री मान बहादुर सिंह का जन्म जुलाई, 1937 में बलरामपुर, तत्कालीन जिला गोण्डा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मान बहादुर सिंह वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 एवं 1985 में कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर, तत्कालीन जिला गोण्डा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री मान बहादुर सिंह ने राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे 12 दिन तक जिला कारागार, गोण्डा में बन्दी रहे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में प्रवक्ता भी रहे थे। अध्ययन, कृषि एवं स्पोर्ट्स में उनकी विशेष रुचि थी। नियोजन, शिक्षा तथा उद्योग आदि विषयों में भी वे दिलचस्पी रखते थे।

श्री मान बहादुर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तीरथ राम कोहली का 7 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री तीरथ राम कोहली का जन्म 28 अगस्त, 1928 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तीरथ राम कोहली वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद (पश्चिम), जिला इलाहाबाद से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री तीरथ राम कोहली ने आर0एस0एस0 से अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया था। वे वर्ष 1948 में आर0एस0एस0 पर प्रतिबन्ध के समय जेल गये थे। आपातकाल के दौरान भी वे जेल में रहे। वे गो-हत्या के विरोध से सम्बन्धित आन्दोलन में भी जुड़े रहे थे। श्री कोहली इलाहाबाद नगर महापालिका के वर्ष 1967-72 तक विशिष्ट सभासद रहे थे।

श्री तीरथ राम कोहली के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमर पाल सिंह का 15 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री अमर पाल सिंह का जन्म 31 मई, 1946 को ग्राम ढिकौली, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमर पाल सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र सरधना, जिला मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा

सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री अमर पाल सिंह सहकारी गन्ना विकास समिति, मवाना के अध्यक्ष तथा डायरेक्टर रह चुके थे। वे कृषक डिग्री कालेज, मवाना, महाराणा प्रताप विद्यालय, मवाना तथा स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज, सालोरपुर की प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध रहे थे। कृषि, उद्योग विकास तथा खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री अमर पाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महावीर प्रसाद का 28 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री महावीर प्रसाद का जन्म 11 नवम्बर, 1939 को ग्राम उज्जरपार, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री महावीर प्रसाद वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव (अ0जा0), जिला गोरखपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे सातवीं, आठवीं, नौवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे थे। श्री महावीर प्रसाद ग्राम पंचायत, उज्जरयार, गगहा क्षेत्र समिति तथा गोरखपुर जिला परिषद् के सदस्य रहे थे। उन्होंने 34 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था। वे गोरखपुर जिला कांग्रेस समिति के महासचिव तथा जिला समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। वे प्रदेश कांग्रेस समिति (इ0) के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई0) के महासचिव रहे थे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला था। श्री महावीर प्रसाद हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। समाज के निचले स्तर पर शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उनकी विशेष अभिरुचि थी तथा अध्ययन, बागवानी, कृषि, पर्यटन एवं समाज सेवा प्रिय थी।

श्री महावीर प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खुरशीद अहमद अंसारी का 17 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे।

श्री खुरशीद अहमद अंसारी का जन्म 19 मार्च, 1944 को अमरोहा, तत्कालीन जिला मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री खुरशीद अहमद अंसारी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा, तत्कालीन जिला मुरादाबाद से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री खुरशीद अहमद अंसारी राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में जिला कारागार, मुरादाबाद तथा सेन्ट्रल जेल तिहाड़, नई दिल्ली में बन्दी रह चुके थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई), लखनऊ के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वे प्रथमा बैंक के निदेशक तथा मजदूर ट्रेड यूनियन, लकड़ी दस्तकार मजदूर यूनियन एवं मुरादाबाद जिला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रहे थे। श्री अंसारी अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेन्स, उ0 प्र0 इकाई, लखनऊ तथा अखिल भारतीय मुस्लिम पिछड़ा वर्ग संघ, उ0 प्र0 इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे।

श्री खुरशीद अहमद अंसारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सहदेव सिंह का 18 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे।

श्री सहदेव सिंह का जन्म 6 अगस्त, 1919 को ग्राम पालीखुर्द, जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0टी0, एल0एल0बी0, प्रभाकर तथा साहित्यरत्न की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री सहदेव सिंह वर्ष 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा वर्ष 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भरथना, जिला इटावा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री सहदेव सिंह ने राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। उन्होंने पंजाब में हिन्दी के प्रचार का कार्य किया तथा शरणार्थियों की सेवा की थी। वे जिला सहकारी बैंक, इटावा के संचालक, क्षेत्र सहकारी समिति के अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा संघ, इटावा के मंत्री, मजदूर यूनियन, इटावा के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 'हमारा समाज' नामक पत्र के प्रकाशन किया था। अध्ययन में उनकी रुचि थी।

श्री सहदेव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विद्या शंकर का 23 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे।

श्री विद्या शंकर का जन्म वर्ष 1932 में ग्राम बिनैका, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विद्या शंकर वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र गड़वारा, जिला प्रतापगढ़ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री विद्या शंकर पेशे से अधिवक्ता रहे थे। साहित्य, कविता एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री विद्या शंकर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्या श्रीमती चारूशीला का 25 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष की थीं।

श्रीमती चारूशीला का जन्म 12 मार्च, 1916 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने प्रभाकर की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्रीमती चारूशीला वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

श्रीमती चारूशीला ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जिसके फलस्वरूप वे वर्ष 1942 में चार माह मेरठ जेल में रहीं। वे गोमती कन्या इण्टर कालेज, जानसठ की उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस कमेटी, मेरठ की मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्या रही थी। वे समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश की सदस्या तथा मुजफ्फरनगर जिले की अध्यक्ष एवं महिला उद्योगशाला, मुजफ्फरनगर की उप सभापति तथा गाइड कमिश्नर भी रही थीं। सामाजिक कार्यों और अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्रीमती चारूशीला के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नेम पाल का 26 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे।

श्री नेम पाल का जन्म 10 अप्रैल, 1932 को ग्राम चांदपुर, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री नेम पाल वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र डिबाई, जिला बुलन्दशहर से कांग्रेस (आई) तथा वर्ष 1989 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री नेम पाल राजनैतिक आन्दोलनों में अनेक बार जेल गये थे। वे वर्ष 1990 से 1991 में श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे एल0के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल के संस्थापक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया था। आध्यात्मवाद, प्रकृति तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री नेम पाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सन्त बक्श रावत का 7 फरवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे।

श्री सन्त बक्श रावत का जन्म 26 जुलाई, 1942 को ग्राम शिवलर, जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तथा साहित्य भूषण की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री सन्त बक्श रावत वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1980 में जनता (एस) चरण सिंह, वर्ष 1989 में जनता दल, वर्ष 1991 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज (अ0जा0), जिला लखनऊ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री सन्त बक्श रावत आपातकाल और बागपत काण्ड में जिला कारागार लखनऊ तथा केन्द्रीय कारागार वाराणसी में लगभग 13 माह बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1990-1991 तथा वर्ष 1993-1995 में श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति रहे थे। वे वर्ष 1989 से 1991 तक विधान सभा के अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य तथा दल के सचेतक भी रहे थे। श्री रावत पासी जागृति मण्डल, उत्तर प्रदेश के महामंत्री, पासी जागृति कल्याण समिति, लखनऊ के संस्थापक, शिशु मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, गोसाईगंज के अध्यक्ष तथा भूमि विकास बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के संचालक रह चुके थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री सन्त बक्श रावत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी का 7 फरवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष के थे।

श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी का जन्म वर्ष 1925 में ग्राम सातन, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, बी0टी0 साहित्य रत्न, साहित्य सुधाकर तथा साहित्यालंकार की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर, जिला हमीरपुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी कई गुरूकुल महाविद्यालयों के संस्थापक रहे थे। वे बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम व जानकी कुण्ड परियर, उन्नाव के चेयरमैन रह चुके थे। कल्याण पत्रिका (गोरखपुर) में इनके लेख प्रकाशित होते थे।

श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक सेवदनाएं शोकाकुल परिवारों को पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि दो मिनट के लिए मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी का 24 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे।

हिन्दुस्तानी संगीत को अपनी आवाज से पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी, 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनको बचपन से ही शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि थी। संगीत की साधना के लिये 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वर्ष 1936 में पंडित सवाई गंधर्व के शिष्य के रूप में उन्होंने सुर की साधना प्रारम्भ की थी। पंडित भीमसेन जोशी ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं ख्याल, ठुमरी, भजन और अभंग गायकी में महारत हासिल की थी। वे किराना घराना की ख्याल शैली की गायकी के महान गायक थे और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे। ओजस्वी वाणी, सांस पर अद्भुत नियंत्रण और एक राग को कई तरह से पेश करना उनकी विशेषता थी। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया था। वर्ष 1972 में पद्मश्री, वर्ष 1985 में पद्म भूषण, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' को अपनी वाणी देकर पंडित भीमसेन जोशी ने न केवल देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का एक नया जज्बा पैदा किया बल्कि खुद भी देश की आवाज बन गये। उन्होंने स्वयं 'कलाश्री, 'हिंदोलिता' जैसे कुछ रागों की रचना की थी। पंडित भीमसेन ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाया।

सुर सम्राट पंडित भीमसेन जोशी के निधन से देश ने भारतीय संगीत के महान और सर्वाधिक लोकप्रिय शास्त्रीय गायक को खो दिया।

पंडित भीमसेन जोशी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाओं को मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया दो मिनट मौन के लिये खड़े होने का कष्ट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा की आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी परियोजना अभियन्ता पैक फेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के तहसील मिलिक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की है (नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे) चौथी सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ललिया बनकटवा मार्ग से लालपुर विशुन मार्ग पर स्थित चकइयाडिप बरसात में क्षतिग्रस्त होने पर दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की जनपद लखनऊ में ई-सुविधा एजेन्सी द्वारा बिजली मीटरों की रीडिंग बिल व्यवस्था बदलवायें जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद स्टेट लैण्ड पर दो दशक से आवास बनाकर रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की जनपद फतेहपुर में कतिपय ग्रामों में सिंचाई की गम्भीर समस्या को देखते हुये राजकीय नलकूप शीघ्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत रोहटा रोड पर गन्दे पानी की निकासी के लिये दोनों तरफ नाले का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा के जलेसर क्षेत्र के कई ग्रामों में खारे पानी एवं निम्न जल स्तर की समस्या के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की आई0एम0एस0 इन्जीनियरिंग कालेज ए0एन0-24 अध्यात्मिक नगर गाजियाबाद में बायोटेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष की छात्रा कु0 रिचा नाग के वजीफे में गड़बड़ी के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद नगर में जल निकासी, सीवर लाइन तथा नाले के न होने के कारण जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोबर्धन सुरक्षित क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले कपितय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह यादव की है।

(नाम पुकारे जाने पर सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

चौदहवीं सूचना श्री लालजी यादव की है।

(नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

पन्द्रहवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी निवासी मीरपुर थाना कोतवाली श्री बैजनाथ पुत्र रघुबर दयाल लेखपाल राजस्व विभाग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी बड़ोखर खुर्द में 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम व मजरे के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर के स्वतंत्रता सेनानी बाबा राम लाल की प्रतिमा स्थापित करने हेतु वर्ष 1998 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा स्वीकृत रकम जारी करने के बावजूद अभी तक प्रतिमा न स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भवान खेड़ा के मिश्रीपुर तराई के दो परिवारों का सरकारी रास्ता बन्द करने एवं विधवाओं को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह की है।

(नाम पुकारे जाने पर सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(श्री संजय कपूर एवं श्री विद्या सागर गुप्त के अतिरिक्त अन्य स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी परियोजना अभियन्ता पैक फेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा-

[महोदय,

आपका ध्यान तथा सदन का ध्यान संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी परियोजना अभियन्ता पैक फेड उ0 प्र0 के सम्बन्ध में जो कि सिविल में डिप्लोमा भी नहीं है और उक्त अभियन्ता का विनियमितीकरण भी नहीं हुआ है, आजमगढ़ मण्डल का इनको प्रभारी परियोजना अभियन्ता का चार्ज कैसे दिया गया है ? क्योंकि इनके पास सिविल से डिप्लोमा भी नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण की सदन के संज्ञान में लाते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील मिलक की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। तहसील मिलक जनपद रामपुर की काफी पिछड़ी हुई तहसील है। यहां पर कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जिसके कारण इण्टरमीडिएट के बाद गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जिस कारण मिलक में शिक्षा का काफी अभाव है। ब्लाक में असेवित ब्लाक हैं शासन की नीति के अनुसार असेवित ब्लाक में महाविद्यालय खोले जाने का प्राविधान है। जबकि मिलक में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग पिछले 15-20 वर्षों से चली आ रही है। शिक्षा न मिलने के कारण यहां के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। जनहित में तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ललिया बनकटवा मार्ग से लालपुर विशुन मार्ग पर स्थित चकयैया डिप को बरसात में क्षतिग्रस्त होने से दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ललिया बनकटवा मार्ग से लालपुर विशुनपुर मार्ग पर स्थित चकयैया डिप प्रत्येक बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिससे लगभग 50 गांवों के लोगों के आवागमन की असुविधा होती है। अब तक विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 3 बार डिप का निर्माण भी कराया जा चुका है। बार-बार सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। समस्या का समाधान भी नहीं होता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुल के निर्माण की अपेक्षा करता हूं।]

जनपद लखनऊ में ई-सुविधा एजेन्सी द्वारा बिजली मीटरों की रीडिंग बिल व्यवस्था बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर गुप्ता-

[महोदय,

महोदय, निवेदन है कि लखनऊ नगर में ई सुविधा एजेन्सी द्वारा बिजली के मीटरों की रीडिंग का बिल भुगतान हेतु किया जाता है। उस पर दस प्रकार के खरचे लिखे होते हैं पर उन खरचों की कोई व्यवस्था नहीं दर्शायी जाती कि आखिर यह कह देते हैं एक आम उपभोक्ता का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं जान पाता कि मुझे भुगतान किस हिसाब से करना है। मुझे विश्वास है कि ऊर्जा मंत्री भी इसे देखकर यह नहीं बता सकते कि यह किस मद का भुगतान है।

अतः लोकमहत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि इस पद्धति को तुरन्त ठीक करके उपभोक्ता के हाथ में पढ़ने योग्य बिल दिया जाय।]

जनपद इलाहाबाद स्टेट लैण्ड पर दो दशक से आवास बनाकर रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में जमीन फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर,

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्टेट लैण्ड के जमीनों पर लगभग दो दशक से अधिक समय से मध्यम वर्गीय लोग आवास बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। जनपद इलाहाबाद में कुल स्टेट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लैण्ड का क्षेत्रफल लगभग 7872.11 हेक्टेयर है। जिसमें से 90 प्रतिशत भू-भाग पर लाखों की संख्या में लोग परिवारों सहित विगत दो दशक से निवास कर रहे हैं। इलाहाबाद शहर में तेलियरगंज, शिवकुटी, सलोरी गोविन्दपुर, राजापुर बेली आदि मुहल्लों में स्टेट लैण्ड की जमीन पर पक्के आवास निर्मित हैं।

स्टेट लैण्ड पर बने आवास के परिवारों के अन्दर हमेशा भय बना रहता है कि कभी भी मेरा भवन जो जीवन की गाढ़ी कमाई से बनाया गया है, को जमीदोज कर दिया जायेगा तथा मेरा परिवार सड़कों पर आ जायेगा। इलाहाबाद में इस समस्या का निदान केवल एक है कि जिन लोगों ने स्टेट लैण्ड पर दो दशकों से निर्माण कराकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं उनके पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही करके उनके पक्ष में जमीन का हस्तान्तरण कर दिया जाय। इस कार्यवाही से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा तथा परिवारों को भयावह स्थिति से मुक्ति मिलेगी। अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1778/एफ-6-2010ई-क्यू-021021/2010, दिनांक 19-1-11 द्वारा मा0 मंत्री राजस्व विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 में राजकीय आस्थान की भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। यह प्रकरण दो दशक से ज्यादा समय से लम्बित है एवं सदन में लगभग हर सत्र में इसकी बात उठती है। मा0 मंत्री जी भी फ्री-होल्ड करने के पक्ष में है तथा ऐसे संवेदनशील प्रकरण पर तुरन्त विचार कर फ्री-होल्ड के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी भूमि आज तक आश्वासन के बावजूद फ्री-होल्ड न किये जाने का औचित्य क्या है ये समझ से परे है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक एवं जनहित से जुड़े विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्टेट लैण्ड की आवासी भूमि को फ्री-होल्ड करने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर में कतिपय ग्रामों में सिंचाई की गम्भीर समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप शीघ्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में सिंचाई की समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई की गम्भीर समस्या है। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा काफी समय से सिंचाई की समस्या के निदान हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग की जा रही है इसमें ग्राम मनीपुर, ग्राम एकारी, ग्राम सराय मोहन सलेमपुर, ग्राम तारापुर फैड़ेपुर, ग्राम हसनापुर, ग्राम थरियांव, ग्राम मलांव, ग्राम छिछनी, ग्राम जमलामऊ, ग्राम कुसुम्भी, ग्राम हस्वा, ग्राम हैवतपुर, ग्राम गयासपुर, ग्राम गौराकला तथा ग्राम औरेई में राजकीय नलकूप लगाने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु कोई साधन नहीं है। सिंचाई का साधन न होने के कारण सिंचाई हेतु

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय नलकूप लगाये जाने की काफी मांग करने के बाद भी आज तक जिला प्रशासन एवं शासन स्तर से कोई कार्यवाही न किये जाने से किसानों में असन्तोष की भावना है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिंचाई की समस्या के निदान हेतु उपरोक्त ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत रोहटा रोड पर गन्दे पानी की निकासी के लिये दोनों तरफ नाले का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय,

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत रोहटा रोड पर लगभग 2 लाख की आबादी निवास कर रही है। लेकिन इस आबादी के लिए गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले की व्यवस्था न होने के कारण सड़क एवं खाली भू-खण्डों पर जल भराव हो रहा है जिसके कारण 2 लाख की आबादी में भयंकर बीमारी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। रोहटा रोड दिल्ली से मेरठ आने वाले वी0आई0पी0 (बड़े नेताओं) के लिए वी0आई0पी0 मार्ग की श्रेणी में है। जल भराव के कारण यातायात बाधित रहता है जिसके कारण बीमारी के साथ-साथ वी0आई0पी0 को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत रोहटा रोड पर दोनो तरफ तत्काल नाले का निर्माण कराने की आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के जलेसर क्षेत्र में कई ग्रामों में खारे पानी एवं निम्न जल स्तर की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर सिंह-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा के कई ग्रामों में खारे पानी एवं निम्न जल स्तर की समस्या व्याप्त है जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र की कृषि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पानी के अभाव में किसानों को सही उपज नहीं मिल पा रही है। जिसका प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़ रहा है। कृषक आन्दोलित हैं। सिंचाई का कोई प्राकृतिक साधन न होने के कारण सिंचाई नलकूप पर ही आधारित है। किसान निजी नलकूप लगाकर सिंचाई करने को बाध्य है। क्षेत्र में सरकारी नलकूप लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः सिंचाई समस्या एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम मिर्जापुर व उदयपुर के बीच, नगला अतिया व जगतपुर के बीच, भरकना के पास एक-एक नलकूप लगाये जाने व एक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खराब ट्यूबवेल नगला खिल्ली वि0खं0 निधौली कलां का रि-बोर कराकर चालू कराये जाने हेतु इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आई0एम0एस0 इंजीनियरिंग कालेज ए0एन0-24 अध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद में बायोटेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष की छात्रा कु0 रिचा नाग के वजीफे में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य की एक बालिका कु0 ऋचा नाग ने वर्ष 2008-09 में आई0एम0एस0 इंजीनियरिंग कालेज एन0एच0 24 आध्यात्मिक नगर गाजियाबाद में बायोटेक्नालॉजी में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। इस बालिका के पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये से बहुत ही कम है। इस बालिका ने छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरा था और उसका नाम भी लिस्ट में था किन्तु उसे वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जब यह बालिका द्वितीय वर्ष 2009-10 में पहुंची तो भी उसने छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरा, उसे मात्र 15 हजार रुपये दिये गये जबकि उसे 43 हजार रुपये मिलने थे, यह धन भी उसे अभी तक नहीं दिया गया है। तृतीय वर्ष 2010-11 में पहुंचने पर उसने पुनः छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरा किन्तु अभी तक उसे छात्रवृत्ति का आवंटन नहीं किया गया। यह बालिका अत्यन्त गरीब है और उसके पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है किन्तु विद्यालय प्रबन्धतंत्र के दबाव पर किसी प्रकार कर्ज लेकर बालिका को पढ़ा रहे हैं। बालिका को छात्रवृत्ति की 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की सम्पूर्ण छात्रवृत्ति की धनराशि अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने एवं इसके लिए दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं क्योंकि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए लोकमहत्व का विषय है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल सम्पूर्ण छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फैजाबाद नगर में जल निकासी, सीवर लाइन तथा नाले के न होने के कारण जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से फैजाबाद नगर में जल निकासी की समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद नगर में जल निकासी का कोई साधन नहीं है न तो नगर में कोई सीवर लाइन है और न ही नाला है जिसके कारण फैजाबाद नगर में जल भराव की हमेशा समस्या रहती है। फैजाबाद नगर में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु सीवर लाइन की मांग विभिन्न माध्यमों से जिला प्रशासन एवं शासन स्तर से की गयी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है जिससे यहां की सड़कें जल भराव के कारण जल्दी टूट जाती है और आवागमन भी बाधित होता है। जनहित में फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि फैजाबाद मण्डल मुख्यालय है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फैजाबाद नगर में सीवर लाइन की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने के सम्पर्क मार्गों में मरम्मत/लेपन कार्य निम्न मार्गों की सूची के अनुसार कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।

1-कुरकंदा से सनौरा मार्ग।

2-फतिहा मोड से भाहई मार्ग।

3-बेरी मार्ग से बेरी की घड़ी मार्ग।

4-करनपुर से परखम मार्ग।

5-नेशनल हाई-वे 02 से भाहई मार्ग।

6-कौह से जोधपुर मार्ग।

7-झण्डीपुर से बलरई मार्ग।

8-कौंह से जोधपुर मार्ग।

9-नेशनल हाई-वे झण्डीपुर मार्ग।

10-नेशनल हाई-वे 02 से समसाबाद, बेरी मार्ग।

11-फरह ओल मार्ग से धाना जिमना मार्ग।

12-ओल से लुहारा, चौकीपुरा, भदेरुआ मार्ग।

13-बेरी से जिरौली धाना जीवना मार्ग।

14-बामौली से खेरिया मार्ग।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15-बेरी से मिर्जापुर मार्ग।

16-तांगर के नगला से कोरीपुरा मार्ग।

17-मिर्जापुर से थिरावली मार्ग।

18-बरारी से यौरा (आवला सुल्तानपुर मार्ग)।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से मरम्मत कराने के लिये अविलम्ब मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी निवासी मीरपुर, थाना कोतवाली श्री बैजनाथ पुत्र रघुवर दयाल लेखपाल, राजस्व विभाग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

सूचना

*डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[महोदय, मैं अतिमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बैजनाथ प्रसाद पुत्र रघुबर दयाल निवासी मीरपुर तह0 व थाना कोतवाली लखीमपुर खीरी का निवासी हूं श्री बैजनाथ तह0 लखीमपुर में राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत था। वर्तमान में अस्वस्थ्य है दिनांक 8-8-2005 को फालिज व बीमारी हो जाने से दिनांक 8-8-05 से 7-8-06 तक चिकित्सीय अवकाश पर रहा परन्तु शरीर स्वस्थ्य नहीं हो सका। इसलिए बैजनाथ लेखपाल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु सबसे पहले अपनी पत्नी श्रीमती कान्ती देवी द्वारा 8-8-10 को तहसीलदार लखीमपुर को प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बैजनाथ ने पुनः 22-2-10 को डी0एम0 जिला खीरी को सेवानिवृत्ति का प्रार्थना-पत्र दिया वहां से भी कार्यवाही नहीं हुई है बैजनाथ का कार्यकाल 32 वर्ष हो गया है बैजनाथ की बीमारी की वजह से उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं मिलने से परिवार में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए बैजनाथ, लेखपाल तहसील लखीमपुर को सेवानिवृत्त किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी बड़ोखर खुर्द में 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम व मजरे के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम व मजरे सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं, बरसात में बीमार लोग अपने इलाज हेतु नजदीक चिकित्सालय व शहर नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते में ही मौतें हो जाती हैं। इसलिए आगणन/प्रस्ताव तैयार कराकर निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय लोक निर्माण मंत्री जी निर्देश देने की कृपा करें, सम्पर्क मार्ग निम्नवत् है :-1-गडरिका सम्पर्क

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग, 2-अमारा सम्पर्क मार्ग से बड़ा खोड सम्पर्क मार्ग, 3-कुन्डाडोल सम्पर्क मार्ग, 4-बरेहटा से बलकू डेरा सम्पर्क मार्ग, 5-बरेहटा दिप्पा डेरा सम्पर्क मार्ग, 6-लोहारी से सिंहपुर सम्पर्क मार्ग, 7-बुधेड़ा सम्पर्क मार्ग, 8-सिंधनकला के मजरा तगड़ा डेरा सम्पर्क मार्ग, 9-पंडवन डेरा सम्पर्क मार्ग, 10-सवादा दीनदयाल का डेरा सम्पर्क मार्ग, 11-जग्गू का डेरा सम्पर्क मार्ग, 12-महबरा में रामलाल का डेरा सम्पर्क मार्ग, 13-साड़ी का बगीचा डेरा सम्पर्क मार्ग, 14-मुडेरी बनिया खोड़ सम्पर्क मार्ग का शेष भाग, 15-अमारा का मजरा मरोहला डेरा सम्पर्क मार्ग, 16-नांदादेव से मथुरापुरी सम्पर्क मार्ग, 17-नांदादेव से शंकरपुरवा सम्पर्क मार्ग, 18-सिकहुला भौरा उजगरा डेरा सम्पर्क मार्ग, 19-अमलीकौर के भगदरा डेरा सम्पर्क मार्ग, 20-लाहा क्योटरा सम्पर्क मार्ग, 21-गाड़ी डेरा सम्पर्क मार्ग, 22-कांग्रेस का डेरा सम्पर्क मार्ग, 23-महजितिया डेरा सम्पर्क मार्ग, 24-चटगन सम्पर्क मार्ग, 25-पचकौरी हरवंशपुरवा सम्पर्क मार्ग।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा रामलाल की प्रतिमा स्थापित करने हेतु वर्ष 1998 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा स्वीकृत रकम जारी करने के बावजूद अभी तक प्रतिमा न स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप सण्डा-

[महोदय,

बाबा रामलाल मिश्र सुल्तानपुर जनपद के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्थानीय जनता की मांग पर शासन द्वारा सुल्तानपुर के पयागीपुर चौराहे पर बाबा रामलाल की प्रतिमा स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई, जिसकी धनराशि रु0 65310.00 द्वारा चेक नं0 239907 दिनांक 10-8-98 को उ0 प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा पत्रांक 575/क्र0सं0/71/83/98, दिनांक 20-8-98 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर को उपलब्ध करा दी गई थी। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा उक्त धनराशि का चेक अधिशासी अधिकारी सुल्तानपुर को दिनांक 29-8-98 को स्वीकृत स्थान पर प्रतिमा स्थापित किये जाने के उद्देश्य से भेज दिया गया था। परन्तु नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर से उक्त चेक गायब हो गया तथा उक्त राशि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान के खाते से आहरित नहीं की जा सकी। अन्ततः संस्थान द्वारा उक्त रु0 65310.00 की धनराशि दिनांक 18-2-2008 को राजकोष में जमा करा दी गई। आज तक बाबा रामलाल मिश्र की प्रतिमा नहीं लगाई जा सकी है जोकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान है तथा सुल्तानपुर की जनता की भावनाओं का भी अपमान है।

इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले नगरपालिका परिषद् के कर्मचारी/अधिकारी विशेषकर धनराशि का चेक गायब करने वाले तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सहित जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा तत्काल बाबा रामलाल की प्रतिमा लगाने हेतु पर्याप्त धनराशि जारी किया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के मिश्रीपुर तराई के दो परिवारों का सरकारी रास्ता बन्द करने एवं विधवाओं को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा के मिश्रीपुर तराई मौजा के खेत जो अब्दुल्लागंज के निकट हैं। जिसमें से कुछ नाम नीचे दिये गये हैं। ये छोटे-छोटे कास्तकार 3-4-5 बीघा के हैं। यह सभी मोहल्ला मघई टोला, थाना-कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर के निवासी हैं।

1-शकीला पत्नी दिलवर अली (विधवा)

2-शहनाज पत्नी अन्सार खां (विधवा)

3-बेगम पत्नी फारूख खां (विधवा)

4-रुकईया बेगम पत्नी सादिक अली (विधवा)

5-कुल्सूमा पत्नी मतलूम खां (विधवा)

6-मजीद खां पुत्र आशिक खां

7-फरमूद खां पुत्र आशिक खां

8-वसीम पुत्र आशिक खां

9-नवी उल्ला पुत्र वसी उल्ला

10-सज्जाद पुत्र मतलूम खां

11-शहजाद पुत्र मतलूम खां

12-सरदार खां पुत्र मतलूम खां

13-मुस्तफा खां पुत्र शौकत खां

14-तनवीर अहमद पुत्र अतीक तथा 50 अन्य लोगों ने पिछले दो माह से डी0एम0 व एस0पी0 शाहजहांपुर से सामूहिक शिकायत करके बता दिया है कि कल्लन खां व तकी खां व उनके छः बेटे निवासीगण मघई टोला ने उपरोक्त लोगों के खेत को जाने वाला सरकारी रास्ता बन्द कर दिया है। उपरोक्त लोगों को फसल नहीं करने दे रहे हैं। बन्दूक की नोक पर यह लोग चाहते हैं कि उपरोक्त बेवा व गरीब लोग अपना खेत छोड़कर भाग जायं या औने-पौने दाम पर अपना खेत बेच दें। स्थानीय पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध 107 व 116 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी है। इस प्रकार निर्दोषों को पुलिस परेशान कर रही है और जो दोषी हैं वह आतंक के बल पर उपरोक्त लोगों को परेशान कर रहे हैं।

इस प्रकार दो परिवार के लोगों द्वारा सरकारी रास्ता बन्द करने व विधवाओं को परेशान करने व उनके खेतों में फसल न करने से स्थिति काफी भयानक बन गयी है। इस समस्या का तत्काल समाधान होना चाहिए। दोषियों का सजा तथा पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल विभागीय अधिकारी सरकारी रास्ता खुलवाये तथा उपरोक्त लोगों की जो मेढ़ें तोड़ी गयी उसको बनवाये तथा जमीन की नाप तत्काल करवायें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्षीय पीठ एवं शासन स्तर से विधान सभा के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल सम्बन्धी समय-समय पर दिये गये कड़े निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा उनका पालन न करने से सदन की गरिमा प्रभावित होने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। दूसरी सूचना श्री जोखू लाल यादव ने प्रदेश का वार्षिक बजट पारित किये जाने से पूर्व बजट समितियों द्वारा विचार करने हेतु बजट समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री अनूप सण्डा ने शासन द्वारा विधायक निधि कार्य कराने वाली कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के खातों को सीज करने एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त खाते चालू करने के आदेश दिये जाने के बावजूद चालू न किये जाने से तथा माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर धनराशि निर्गत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प न लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी।

शेष अन्य सदस्यों की सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्षीय पीठ एवं शासन स्तर पर विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल सम्बन्धी समय-समय पर दिये गये कड़े निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा उनका पालन न करने से सदन की गरिमा प्रभावित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक और दृढ़ता के साथ एक प्रश्न अपने औचित्य के माध्यम से उठा रहा हूं जो सम्पूर्ण सदन से ही नहीं बल्कि आपकी पीठ से भी सम्बन्धित है। आप समय-समय पर निर्देश देते रहे हैं, आपके निर्देश सरकार को मिलते रहे हैं, सम्बन्धित मुख्य मंत्री से लेकर मा0 मंत्रीगण भी निर्देश देते रहे हैं और वह निर्देश सम्बन्धित जगहों पर पहुंच भी रहे हैं लेकिन मुझे कहने में दुःख और पीड़ा है कि इन निर्देशों का पालन नहीं सुनिश्चित कराया जा रहा है। यह लोकतंत्र है, जम्हूरियत के लिए आज पूरे देश और दुनिया में संघर्ष हो रहा है। लोग लोकतंत्र चाहते है। लोकतंत्र में विधायिका का सर्वाधिक अहम रोल होता है और विधायिका का जो योगदान होता है उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यपालिका के सम्बन्धित अधिकारियों से मिलना पड़ता है। चूकि जो नीतियां शासन बनाती है, सरकार द्वारा बनती है, इस सदन के द्वारा बनती है उनके क्रियान्वयन की जवाबदेही अगर देखी जाए तो सम्मानित विधान सभा सदस्यों की होती है। सम्मानित विधान सभा सदस्य से आम जनता यह आशा करती है कि वह उनकी कसौटी पर खरा उतरे, विकास की गति को बनाये रखे। यही नहीं कहीं अगर किसी को कोई कष्ट होता है तो वह विधायक के माध्यम से चाहता है कि उस कष्ट का निवारण हो, उसे न्याय मिले और उस संदर्भ में सम्बन्धित विधायकों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत से अधिकारियों से वार्ता करनी पड़ती है और कदाचित इसी बात को ध्यान में रखकर आपकी पीठ ने, सरकार ने कुछ पालनीय नियमों की व्यवस्था की है, जिन नियमों को माना जाना चाहिए।

मान्यवर, लेकिन मुझे यह कहने में दुःख है कि यहां बैठे हुए जिस दल के भी विधायक होंगे मेरी बात से सहमत होंगे कि इनका अनुपालन ठीक से सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। वैसे मान्यवर, मैं एक बहुत ही साधारण बात कहता हूं मेरे पास इसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संसदीय कार्य अनुभाग द्वारा 25 अप्रैल, 2007 का संकलन है। इसमें एक नहीं सैकड़ों निर्देश हैं और समय-समय पर मुख्य सचिव ने दिये हैं, सम्बन्धित विभाग के सचिव ने दिये हैं कि एक सम्मानित विधायक के साथ एक सरकारी अधिकारी का आचरण, व्यवहार और पालनीय नियम क्या है ? मान्यवर, मुझे कहने में यह संकोच है कि लिखित निर्देशों के बावजूद उनका पालन नहीं होता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि यदि आप किसी अधिकारी को फोन करें तो उससे यह आशा और अपेक्षा की जाती है कि यदि वह उस समय उपलब्ध है तो फोन पर आये और सम्बन्धित विधायक की या सम्बन्धित मंत्रीगण की भी बातों को सुनकर यथासम्भव विनम्रता के साथ उत्तर ही नहीं दे और यदि कार्य सम्भव हो तो उस कार्य को करने का प्रयास करे, अगर नियम उसके लिए अनुमति देते हों। ऐसा भी हो सकता है कि वह अधिकारी अपने कार्यालय में न हो, अपने आवास पर न हो और लौटकर आने पर उसे सूचना मिले तो आपने उसका भी निर्देश दे रखा है कि जब भी वह लौटकर आये, प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि वह सम्बन्धित सम्मानित सदस्य विधान सभा सदस्य के फोन का जवाब दे कि आपका फोन आया था और अपने फोन के संदर्भ में क्या चाहते हैं ? मान्यवर, मुझे कहने में दुःख है कि आज शायद ही यहां कोई विधायक बहुत ही विश्वास के साथ खड़ा होकर कह सकता है कि वह अगर फोन करता है तो फोन का उत्तर मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक का कोई अधिकारी उसे देता होगा तो मैं उसे बहुत खुशकिस्मत विधायक मानता हूं अन्यथा ऐसे फोन आते रहते हैं और रजिस्टर पर नोट होते रहते हैं। उनको देखने की जहमत सम्बन्धित अधिकारी नहीं करता है। मान्यवर, यह जो बात मैं कह रहा हूं उसको जरूर दिखवा लें कि अगर एक सम्मानित विधायक किसी अधिकारी के कमरे में जायें तो आपने पांच या छः बार निर्देश दिये हैं कि उस सम्मानित अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मानित विधायक को रिसीव करे और रिसीव ही नहीं करे बल्कि उसे उचित आसन पर बिठाकर ध्यानपूर्वक उसकी बात सुने।

मान्यवर, कितने विधायक हैं जिनके जाने पर अधिकारी खड़े होते हैं, पूरा सम्मान मिलता है ? कहने को यह व्यथा सिर्फ विपक्ष की ही नहीं सत्तापक्ष की भी है लेकिन हम कह सकते हैं, वह कह नहीं सकते, फर्क इतना है। यही नहीं मंत्रियों तक के साथ अब व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र रह नहीं जायेगा, आपके सदन की गरिमा रह नहीं जायेगी, आपके पीठ की गरिमा नहीं रह जायेगी अगर विधायकों को सम्मान नहीं मिला, उनके कर्तव्य पालन में अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और प्रोटोकाल के तहत उनके जो अधिकार हैं उनका पालन नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र बेमानी हो जायेगा। यह विधान सभा और सदन बेमानी हो जाएगा। यह सारी बातें बेमानी हो जायेगी। प्रोटोकाल बना हुआ है कि किस अधिकारी के बाद कौन बैठेगा महामहिम श्री राज्यपाल से लेकर मुख्य मंत्री जी से लेकर मंत्रि-परिषद् के सदस्य से लेकर माननीय अध्यक्ष विधान सभा और विधायकों का प्रोटोकाल किसके बाद आता है यह प्रोटोकाल

बना हुआ है। प्रोटोकाल में विधायक प्रमुख सचिव से ऊपर बैठते हैं यह कोड आफ कंडक्ट में है लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि आज अधिकारी राजनीतिज्ञ हो रहे हैं उनका राजनीतिक ज्ञान हमसे और आपसे ज्यादा हो रहा है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि औचित्य के प्रश्न के उत्तर के रूप में संसदीय कार्य मंत्री जी जो उत्तर देंगे वह मुझे मालूम है कि इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उनके पास इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता है लेकिन मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो मैं कह रहा हूं वह एक सच्चाई है। कृपापूर्वक इतना आश्वासन सदन में दे दें कि एक नया परिपत्र जारी हो जाएगा और उसमें गाइडलाइन देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा कि सम्मानित विधायकों के साथ किस तरह का व्यवहार उनसे अपेक्षित है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी स्वयं विधायक हैं सत्ता में बैठे हुए और विपक्ष में बैठे हुए सदस्यगण हमारे कष्टों को समझ सकते हैं मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह सदन को आश्वस्त करें कि भविष्य में कभी भी इस तरह से लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी श्री प्रमोद जी ने जो बात कही मैं पूर्णतया उससे सहमत हूं और उसी पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। निर्देश भी चला जाय मंत्री जी इसको संज्ञान भी ले लें लेकिन जब तक एक आध के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तब तक यह ठीक नहीं होगा। एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो आज सुबह पता लगी। वर्ष 1988-89 में हम जब सरकार में थे मुजफ्फरनगर जिले में सी0ओ0 आफिस का लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया मैं सरकार में मंत्री था एक पत्थर लगा हुआ है। आज मुझे किसी ने फोन करके बताया क्योंकि बहन जी का दौरा हो रहा है वहां के एस0एस0पी0 ने कहा कि यह जो पत्थर लगा हुआ है इसको तुरन्त हटा दो बहन जी नाराज हो जायेंगी। वर्ष 1989 में मंत्री था हमारी सरकार थी उस समय कहां बहन जी थीं। यह मानसिकता आई0पी0एस0 अधिकारियों की होगी। मुख्य मंत्री जी को इस प्रकार का आचरण करके प्रसन्न करने की बात होगी विधायकों के प्रोटोकाल की यह मिसाल मैंने आपको दी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी मुझको अपमानित नहीं कर रहे हैं मेरा अपमान उनसे होने वाला नहीं है लेकिन वह सारी विधायिका के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। विधायिका हम लोगों से बनी हुई है। हम लोग यहां बैठे हुए हैं अगर हम लोगों का सम्मान नहीं होगा तो पूरे सदन का सम्मान नहीं होगा तो पब्लिक का सम्मान कहां से होगा अगर इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो आम जनता को क्या हाल होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाकर व कोई राजनीतिक बात न करके यही आग्रह करता हूं यही अपेक्षा करता हूं कि इस बारे में सुनिश्चित कार्यवाही हो और ऐसे अधिकारी जिनकी मानसिकता इतनी तुच्छ हो गयी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सांसदों, विधायकों के प्रति शिष्टाचार, अनुमन्य प्रोटोकाल का पालन करने, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही किये जाने तथा विधान मण्डल सदस्यों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति सामान्य रूप से शिष्टाचार प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा 14 नवम्बर, 2007, 28 नवम्बर, 2007, 6 फरवरी, 2008, 30 मई, 2008, 31 अक्टूबर, 2008 तथा 24 मई, 2010 के द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश शासन स्तर से दिये गये हैं। मान्यवर, इसको निश्चित रूप से सुनिश्चित करायेंगे कि जो शासनादेश व निर्देश दिये गये हैं उसका पालन हो। जहां तक इस सूचना का प्रश्न है यह नियम-300 में नहीं आती है इसलिए आपसे आग्रह है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इसका पालन कराइए विधिवत्।

मैंने इस सूचना पर श्री प्रमोद तिवारी को सुना, श्री हुकुम सिंह को सुना व संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश का वार्षिक बजट पारित किये जाने से पूर्व बजट समितियों द्वारा विचार करने हेतु बजट समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें बजट कमेटी के प्राविधान, बजट कमेटी बनाये जाने के औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को एडाप्ट किया गया है और उसी के आधार पर काम भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जरा संक्षेप में कहें, दो बजे चौधरी साहब का बजट पर भाषण भी है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं सीधे विषय पर ही कह रहा हूं। मान्यवर, हमारे यहां ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को एडाप्ट किया है और उसी के आधार पर काम भी चल रहे हैं लेकिन लोक सभा ने बजट पास करने से पहले बजट कमेटियों की आवश्यकता को महसूस किया और वहां भी बजट कमेटियों का प्राविधान है। मान्यवर, मैं भी यही चाहता हूं और उसी के अनुसार मेरा प्रस्ताव है कि यहां पर भी बजट कमेटियों का गठन किया जाय क्योंकि सदन भी बहुत कम चलता है और बजट भर कम समय में बैठकर सदन पारित करने जा रहे हैं। जितना विचार बजट पर होना चाहिए जितनी बहस होनी चाहिए, जितना समय मिलना चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर बजट कमेटियां गठित हो जायं तो उसमें लोग उसका अध्ययन करके समझ करके उसमें अपना संशोधन और सुझाव देकर के अगर बजट प्रस्ताव रखा जाय और पास किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत उचित होगा। यह सिर्फ साधारण सदस्यों की ही बात नहीं है, जहां तक मैं यह अनुभव करता हूं कि बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य और मंत्रिगण इस पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं लेकिन यह बजट चूंकि पारित करना होता है। सत्ता पक्ष की संवैधानिक मजबूरी है और सरकार को बजट पास करना भी आवश्यक है तो बगैर गुण-दोष के आधार पर बल्कि संख्या बल के आधार पर पारित होता है इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस औचित्य के प्रश्न पर ऐसी व्यवस्था दें जिससे बजट कमेटी का गठन हो जिससे सुझाव और संशोधनों का समावेश होकर बजट पारित हो जिससे मैं समझता हूं कि एक अच्छी परम्परा होगी। मैं औचित्य के इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि श्री जोखू लाल यादव जी ने इस सम्बन्ध में सुझाव दे दिये हैं लेकिन इसी सन्दर्भ में हमारी विधान सभा की अध्ययन समिति ने 12 मार्च, 1999 को एक प्रस्ताव दिया था और इस पर सहमति नहीं हो पाई थी। अध्ययन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बजट कमेटी गठित नहीं हो पाई थी। फिर भी हमने इनके सुझावों को सुना लेकिन पूर्व में अध्ययन समिति की रिपोर्ट 12 मार्च, 1999 को न मानने की वजह से इस पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो सकी थी। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

विधायक निधि द्वारा कार्य कराने वाली कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के खातों को सीज करने एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त चालू खाते चालू करने के आदेश दिये जाने के बावजूद चालू न किये जाने से तथा माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर धनराशि निर्गत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा हैण्डपम्प न लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-300 के अन्तर्गत अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं लगातार तीसरे सत्र में विधायक निधि जिन कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है उनके ऊपर शासन द्वारा सरकार द्वारा जो रोक लगाई गई है उससे सम्बन्धित समस्याओं को आपके माध्यम से सदन के समक्ष उठा रहा हूं। कुछ संस्थाओं के ऊपर सितम्बर, 2009 में शासन ने रोक लगा दी। माननीय मंत्री जी ने कहा था पिछले सत्र में कि जिन संस्थाओं में सहकारी शब्द जुड़ा होगा उनके ऊपर रोक लगाई है वह अधिकृत नहीं है तो मान्यवर, एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संस्थाओं को कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य देने का काम डी0आर0डी0ए0 से जुड़े सम्बन्धित अधिकारियों ने ही किया है, उससे विधायक और क्षेत्रीय जनता कहीं से जिम्मेदार नहीं है। वर्ष 2009-10 में मेरी विधायक निधि का कम से कम 30-35 लाख रुपया एक ऐसी एक संस्था उत्तर प्रदेश अभियंत्रण एवं संघ सहकारी लिमिटेड के खातों में सीज पड़ा हुआ है। हम लोग अपने क्षेत्र में विकास के प्रस्ताव भेजते हैं आम जनता जो हमसे उम्मीद करती है कि विधायक जी हमारा हैण्ड पाइप लगवा देंगे, छोटे-छोटे हमारे काम करा देंगे और जब उसका काम नहीं होता है तो संस्था के उन वैधानिक अड़चनों को जनता नहीं जानना चाहती। वह जनता स्पष्ट तौर पर समझती है कि विधायक जी उपेक्षा की नीति अपना रहे हैं, हमारी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। मान्यवर, इससे शासन की छवि खराब होती है और जनता की निगाह में हम लोगों की छवि भी खराब होती है। मान्यवर, मैं लगातार अनुरोध कर रहा हूं कि अगर वह संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हैं तो उनको कतई काम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न दिया जाये, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन संस्थाओं के खाते में जो धन सीज है वह धन या तो वापस हमारी विधायक निधि में भेज दिया जाए या उन संस्थाओं को इतनी अनुमति दी जाए कि वह हमारे कार्यों को सम्पूर्ण करा दें। उसको चाहे तो डी0आर0डी0ए0 के अधिकारी अपनी देख-रेख में करा लें। मान्यवर, 5 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय ने दो संस्थाओं के खातों को रिलीज करने का आदेश दिया, लेकिन 5 अक्टूबर से आज 14 फरवरी है अब तक उनके सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं हो सके हैं तो मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि शासन विकास कार्यों के प्रति माननीय विधायकों की समस्याओं के प्रति बहुत उपेक्षा का रवैया अपना रहा है। इसके अलावा मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से जो हम प्रस्ताव भेजते हैं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 21 अप्रैल, 2010 को वर्ष 2009-2010 की....।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

श्री अनूप सण्डा-

पूर्वांचल निधि में मैंने 61 हैण्डपाइपों के प्रस्ताव भेजे थे लेकिन उसमें से एक भी हैण्डपाइप स्थापित नहीं किया गया है। इसी तरीके से मान्यवर जो पैसे हम लोगों की विधायक निधि से जल निगम के पास गये हैं, बोरिंग हुई पड़ी है लेकिन मशीन जल निगम आज तक नहीं दे पा रहा है। मान्यवर, अधिकारियों से लेकर एस0सी0एन0 तक सभी को कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

बैठें बात आ गई है।

श्री अनूप सण्डा-

लेकिन टालमटोल का रवैया रहा है मान्यवर, आपकी बहुत कृपा रही है कि आपने समस्याओं को गम्भीरता से लिया है आज कोई स्पष्ट व्यवस्था पीठ से दे दे कि सरकार समयबद्ध तरीके से हमारी समस्याओं को हल कर दे बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनूप सण्डा जी को सुना वैसे यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है लेकिन माननीय मंत्री जी माननीय विधायक जी के पिछले कुछ वित्तीय वर्षों का जो विधायक निधि का धन है वह अगर किन्हीं परिस्थितियों में खर्चा नहीं हुआ है और कोई व्यवधान है तो इसको जरूर दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, निश्चित रूप से दिखवा लेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह विधायक निधि जनहित के कार्यों में लगे।

श्री अध्यक्ष-

बाकी सूचनायें अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन की स्वीकृति) विनियमावली, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गई ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजन की स्वीकृति) विनियमावली, 2010'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम के 30वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश जल निगम के 30वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक) को उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-50 (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम के 31वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश जल निगम के 31वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक) को उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-50 (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम के 32वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश जल निगम के 32वें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 (1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) को उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-50 (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गयीं।

†† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन††

श्री मोहम्मद इरशाद खान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रन्दहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का प्रथम प्रतिवेदन†

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति, (2010-2011) का प्रथम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित शिक्षा (माध्यमिक) विभाग, खेलकूद विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर चर्चा की मांग

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने प्रतिवेदन रखे जाते हैं इन पर विधान सभा में चर्चा तो होती नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि माननीय लोक लेखा समिति के चेयरमैन जो प्रस्ताव रख रहे हैं इस पर सदन में चर्चा भी कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का द्वितीय प्रतिवेदन†

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति, (2010-2011) का द्वितीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 126वां (एक सौ छब्बीसवां) प्रतिवेदन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 126वां (एक सौ छब्बीसवां) प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास, गृह (पुलिस), चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, राजस्व, लोक निर्माण तथा सिंचाई विभागों के वर्ष 1985 से वर्ष 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 127वां (एक सौ सत्ताइसवां) प्रतिवेदन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 127वां (एक सौ सत्ताइसवां) प्रतिवेदन जो ऊर्जा, आवास एवं शहरी नियोजन, बेसिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, राजस्व तथा पर्यावरण विभागों के वर्ष 1992 से वर्ष 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 128वां (एक सौ अठ्ठाइसवां) प्रतिवेदन†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 128वां (एक सौ अठ्ठाइसवां) प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, नगर विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा शिक्षा तथा गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1992 से वर्ष 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का प्रथम प्रतिवेदन†

सुश्री मीता गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011), उक्त समिति का प्रथम प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का छठा प्रतिवेदन†

श्री धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का छठा प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 2001-2002, 2002-2003 एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा रिपोर्ट 2004-2005 एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का सातवां प्रतिवेदन†

श्री धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2010-2011) का सातवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1992-1993 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, रिपोर्ट 1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 फरवरी, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 फरवरी, 2011 से 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 14 फरवरी, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 10 फरवरी, 2011 से दिनांक 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2011

10 गुरुवार 11 शुक्रवार 12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण। (1) भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (2) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2011 (3) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 (4) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011

† छापे नहीं गये।

15 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
16 बुधवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
17 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण। (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (2) गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (3) शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (4) उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011

फरवरी, 2011

18 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-असरकारी दिवस।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-असरकारी दिवस।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी।
28 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।

मार्च, 2011

01 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-20 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 8 मार्च, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2011 को नियम-311 में प्राप्त 6 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई है। दिनांक 9 फरवरी, 2011 को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेशानुसार चयनित सूचनाओं को उसी क्रम में रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद के करछना में पावर प्लाण्ट के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा मांग रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हुकुम सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव एवं श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री कुबेर सिंह की स्थानीय निकायों में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्रीमती मिथिलेश पाल, श्रीमती विमलेश सिंह की जिला पंचायत सभागार,

† दिनांक 08 मार्च, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मुजफ्फरनगर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महापुरुषों के चित्रों को बैनर से ढक कर अवमानना किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री कृष्णगोपाल पटेल की लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन व पलिया में थारू जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठन (एन0पी0ओ0) को बगैर अनुबन्ध-पत्र के करोड़ो रुपये के अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री उदयराज यादव, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री दीपक कुमार की उन्नाव के ग्राम कंसाखेड़ा की नाबालिग लड़की कुमारी पूनम कुशवाहा के साथ हुये बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में प्राण रक्षक दवाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों की अनुपलब्धता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवी सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त त्रिभाषा अनुदान में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में तथा नवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उनका स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत

पहली सूचना श्री मदन चौहान की मेरठ के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, व्यापारियों एवं किसानों का सरेआम कत्लेआम तथा लूटपाट की हत्याओं के सम्बन्ध में तथा तीसरी सूचना श्री अरविन्द सिंह यादव की विधायक पर हो रहे जानलेवा हमले को देखते हुए सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री अनूप सण्डा, श्री लालजी यादव, श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा, डा0 पी0के0 राय, श्री जोखू लाल यादव, श्री अरविन्द सिंह यादव, श्री उदयराज यादव, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री राजाराम त्यागी, डा0 अनिल चौधरी, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री दीप नारायण सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री सनातन पाण्डेय, श्री लालजी यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्रीमती फसीहा बशीर लारी, श्री सोबरन सिंह यादव, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री राम विशुन आजाद, श्री इरफान सोलंकी, श्री जोखू लाल यादव, श्री अरविन्द सिंह यादव, श्री राजाराम त्यागी, श्री इरफान मसूद तथा श्री प्रदीप माथुर।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में सूचना दी थी आपने कहा था कि इसको नियम-56 में 14 तारीख को लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी इतना महत्वपूर्ण विषय था। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आज जब पूरा प्रदेश अराजकता की आग से जल रहा है तो उसी के सम्बन्ध में था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह मामला सरकार के मंत्री का था, जिम्मेदार मंत्री का था मान्यवर आज भी वे लोग उसको दबाव दे रहे हैं और उसके परिवार को धमका रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय सदन में ले लिया गया है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी आपने हमसे कहा था कि नियम-311 में आज नहीं लेंगे समस्त सूचनाएं नियम-56 में 14 तारीख को ली जायेगी और आज आपने हमारी सूचना निरस्त कर दी। मा0 अध्यक्ष जी हमारी सूचना निरस्त कर दी इसका हमें दुख नहीं है। दुख हमें इस बात का है कि अपने इस प्रदेश को बचाने के लिए जो राजनैतिक अपराधीकरण का वातावरण बन गया है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां रोजाना बलात्कार हो रहे हैं जहां रोजाना बेगुनाहों की हत्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय सदन में आ चुका है। इसलिए अस्वीकृत कर दी गई है। इनको न लिखा जाए।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मुझे मेरी बात नहीं कहने दी जा रही है इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करती हूं।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया)

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर चर्चा हो गयी थी, इसलिए पी0के0 राय साहब इसे नहीं किया गया।

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष हमने नियम-311 में नोटिस दी थी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, 83-84 साल के ब्राह्मण बिरादरी के लोगों पर गैंगस्टर ऐक्ट लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आपका नहीं लिया गया है तो नहीं लिया गया है, आप लोग बैठ जाइये।

(कई विपक्षी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जोखू लाल यादव जी आपको बहुत ले लिया गया है। आपका भूमि अधिग्रहण उसी से सम्बन्धित है, करछना से ही है न, करछना से जोखू लाल यादव का भी उसी से सम्बन्धित है। ठीक है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में मेजा, करछना, बारा में तीन पावर प्लान्ट लगाये जा रहे हैं और किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको तीन साल से अधिग्रहीत कर के रखा गया है। करछना में आठ गांव और बारा में पांच गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई। तीन वर्षों से अधिग्रहीत कर के उस पर भी निर्माण कार्य नहीं किया गया। मुआवजे के सम्बन्ध में किसानों में विवाद था, कुछ

किसानों को मुआवजा दिया और कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों की जो सिंचित भूमि थी उसको बंजर और ऊसर दिखाकर उसके मुआवजे के दाम कम किये जा रहे थे, जिस पर विवाद चल रहा था। किसान, पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति के तत्वाधान में वहां पर लगभग दो साल से धरना चल रहा था। 08 जनवरी से यह धरना आमरण अनशन में बदल गया और यह किसान शान्तिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, कई दौर की वार्ताएं भी चलीं लेकिन सब असफल रहीं और जे0पी0 ग्रुप जो वहां पर पावर प्लाण्ट लगा रहा है वह पुलिस और लाठी के बल पर उनकी जमीन जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। 20 जनवरी, 2011 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे और आमरण अनशनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन दो लोगों को जिनकी हालत खराब थी, उनको वह ले आये और बाकी के सम्बन्ध में उन्होंने वार्ता करने का आश्वासन दिया लेकिन 21 जनवरी, 2011 की सुबह सात बजे पुलिस, पी0ए0सी0, आर0ए0एफ0 और कई थानों की फोर्स लेकर अधिकारीगण अनशनकारी धरना स्थल पर गये और उन अनशनकारियों को जबरदस्ती लाठियों से मारकर के गिरफ्तार कर ले गये, चूंकि सुबह का समय था किसान अपने-अपने खेतों में थे। अलग-अलग जगहों पर। जब उनको पता चला तो वह सारे लोग मीटिंग में इकट्ठा होने लगे तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गईं, टियर गैस के गोले छोड़े गये और साथ ही साथ रबड़ बुलेट भी चलाई गई। जिसमें गुलाब विश्वकर्मा नामक एक किसान के सीने में रबड़ बुलेट लगी और वह गिर गये और इसके बाद वहां पर बेतहाशा लाठी चार्ज होता रहा, जो भी मिलता था, उसको मारा जाता रहा। इसके खिलाफ जनाक्रोश भड़कता गया और धीरे-धीरे किसान इकट्ठे होते गये, वहां बगल में रेल की लाईन है जो हावड़ा और दिल्ली के बीच को जोड़ती है। मिर्जापुर और इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर किसान इकट्ठा होने लगे और धीमे-धीमे जैसा होता है कि अपने बचाव में उस लाठी, गोली के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर वहां पर संघर्ष किया। कुछ लोगों को चोटें आईं और यह क्रम लगातार सुबह से लेकर रात तक जारी रहा, सारी ट्रेनें बाधित हो गई, पूरे दिल्ली से लेकर कलकत्ता के बीच जितनी भी ट्रेनें थीं खड़ी हो गईं और पूरे इलाहाबाद में अस्त-व्यस्त का माहौल हो गया। इसी बीच में पता चला कि गुलाब विश्वकर्मा की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद यह अधिकारीगण भी हतप्रभ थे, लेकिन उसी बीच करीब रात लगभग नौ बजे अधिकारियों ने 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जिलाधिकारी से एक समझौता किया। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी कलेक्टर होते हैं और अधिग्रहीत जमीन की जो मुआवजे की दरें हैं, वह शासन की तरफ से वह निर्धारित करके घोषित करते हैं। उन्होंने 570 रुपये स्क्वायर मीटर जमीन का मूल्य और 2010 की जो किसान पुनर्वास नीति है उसके अनुसार उन्होंने घोषित की। फर्जी मुकदमों को वापस करने की बात कही और चार महीने के अन्दर इस पावर प्लाण्ट को चलवाने की बात कही। लेकिन आज भी वह मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इस बीच पावर प्लाण्ट को लगाने वाले लोग और उनके गुण्डे माफिया उन किसान नेता चाहे राजबहादुर पटेल हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं या राम सजीवन पटेल हैं जो उनके संचालक हैं, उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मान्यवर, इस सदन में मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और उन किसान लोगों को जिनको धमकी मिल रही है, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय और जो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इन्होंने मांगे मानी हैं शासन की ओर से उसको तत्काल लागू कराया जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग सभी तथ्य मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। मान्यवर, इसमें सिर्फ एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जब श्री विश्वकर्मा का निधन हो गया, श्री विश्वकर्मा मारे गये, उसके बाद धरना प्रारम्भ हुआ और जो धरना प्रारम्भ हुआ उसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर और जो वहां पर कर्मचारी थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ। मेरी कोई और मांग नहीं है, मैं किसी और मांग पर बल नहीं देता, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो समझौता जिलाधिकारी के माध्यम से उन किसानों से या पीड़ित परिवार से किया है, उसका अनुपालन किया जाय। मान्यवर, सरकार का इकबाल होता है सरकार की शख्सियत होती है। सरकार समझौता करे और उसके 15 दिन 20 दिन बाद भी वह लागू न हो और उसे हम लोगों को यहां पर सदन में उठाना पड़े यह कहां तक उचित है। मान्यवर, जो यह समझौता हुआ है हजारों लोगों के बीच में हुआ है और उसी के आधार पर वह आन्दोलन स्थगित हुआ था।

मान्यवर, समझौता यह हुआ है कि किसान पुनर्वास नीति वर्ष 2010 लागू होने पर तथा 570 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिफल देने पर ही पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा। इसका अनुपालन नहीं हुआ है। मान्यवर, समझौता यह हुआ कि फसलों का मुआवजा नियमानुसार दिया जायेगा। मान्यवर, जो नियम आपने बनाये हैं उसका अनुपालन होना है। फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया जायेगा। मान्यवर, वह वापस ले लिये जायें। यह भी हुआ था कि 21 जनवरी 2011 को पुलिस अभिरक्षा में लिये गये लोगों को तत्काल रूप से छोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, इसका अनुपालन हुआ है। मान्यवर, यह भी था कि इस घटना से सम्बन्धित कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन हो गया है। यह भी हुआ था कि निर्वासित किसान को पुनर्वास हेतु 300 वर्ग मीटर में मकान बनाकर दिया जायेगा। मान्यवर, इसका अनुपालन नहीं हुआ है। मान्यवर, इस समझौते पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर हैं और जो तमाम भूमिहीन कृषक हो रहे हैं उनके भी हस्ताक्षर हैं। अब जब दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं तो इसका अनुपालन कराया जाय। यह भी समझौता है कि प्रत्येक किसान प्रभावित बच्चों को पावर कारपोरेशन में नौकरी दी जायेगी। उनको नियमानुसार नौकरी दी जाय। मान्यवर, इस समझौते को टाइम बाउंड किया गया था और इसके लिए 4 माह का समय निर्धारित किया गया था। मान्यवर, चार माह के अन्दर इस समझौते का अनुपालन होना है।

मान्यवर, इसमें एक बात यह भी कहनी है कि किसान नेता श्री राज बहादुर पटेल तथा श्री राम सजीवन पटेल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मान्यवर, इसको दिखवाया जाय। मान्यवर, मैं अपनी पार्टी का नेता होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगे। क्योंकि जब तक पावर प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तब तक विद्युत का उत्पादन बढ़ना संभव नहीं होगा और विद्युत संकट का हल नहीं निकलेगा। हम नीतिगत रूप से इसका समर्थन करते हैं। मान्यवर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे हरियाणा में विस्थापित किसानों को मुआवजा दिया जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वही हरियाणा की नीति यहां पर भी लागू की जाय। वह भी आपका पड़ोसी प्रदेश है। मान्यवर, इन सबसे अलग हटकर मैं यह कहना चाहता हूं कि 21 जनवरी, 2011 को जो समझौता हुआ है उस समझौते का अनुपालन करा दें। अन्यथा भविष्य में मान्यवर कभी कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी समझौते का पालन नहीं करेगा उसको नहीं मानेगा। फिर आन्दोलनकारी भी नहीं मानेंगे। मान्यवर, यह जो विश्वकर्मा उसमें मारा गया है उसके पास भूमि नहीं है। उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाय उसकी लड़की की शादी के लिए शादी अनुदान दिलाया जाय। मान्यवर, उसकी मृत्यु से घर का एक चिराग बुझ गया है। उसको समुचित रूप से मुआवजा दिलाया जाय। मान्यवर, इस आन्दोलन के स्थगन के लिए जो समझौता हुआ है उसका समझौता कराया जाय।

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जो करछना पावर प्रोजेक्ट में किसानों के आन्दोलन की बात चल रही है और समझौते की बात चल रही है उसके लगभग सभी पहलू इसमें आ गये हैं। मान्यवर, इसमें कृषक भूमिहीन हो रहे हैं। मान्यवर, सरकार अपने भाषण में कहती है कि जो लघु कृषक हैं उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। मान्यवर, करछना पावर प्रोजेक्ट के लिए 69 लघु कृषकों की जमीनों को लिया गया है। इसमें 65 श्रमिक भूमिहीन हो चुके हैं। 39 दूसरे छोटे किसान हैं। मान्यवर, विवाद कैसे शुरू हुआ और किस बात पर शुरू हुआ इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि उसके बारे में विस्तार से माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी बता चुके हैं। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का आन्दोलन करछना में चल रहा था। मान्यवर, वहां पर जमुना पार क्षेत्र में लाल सलाम नामक संगठन सक्रिय है यह नक्सलवादियों की गतिविधियों को चलाना चाहता है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान करछना का आन्दोलन करे यह तो ठीक है, बारा का करे यह तो ठीक है लेकिन सोनभद्र से एक नेता दीनानाथ क्रान्तिकारी जो नक्सल गतिविधियों से सम्बन्धित है वह आया उसने धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम अपना शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू किया उसके कारण यह उग्र प्रदर्शन हुआ। जिसके कारण से विश्वकर्मा की जान गयी। यह सही बात है कि गुलाब विश्वकर्मा को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैं भी उसके आवास पर गया था हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी गये थे हम लोगों ने आर्थिक सहायता तो उनकी की लेकिन वहीं उन्होंने बतलाया कि 5.00 लाख रुपये का चेक दिया गया लेकिन इस चेक में महिला का नाम गलत अंकित हो गया था शायद इस कारण से उस चेक का भुगतान भी नहीं हो पाया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आकृष्ट करूंगा कि जो चेक उनको सरकारी सहायता के रूप में दिया गया है उसका किसी भी तरह से भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। मान्यवर, मैं केवल करछना, बारा और मेजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि गंगा और यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है। इलाहाबाद में झूसी से लेकर और पूरा सरौरी तक यह पूरी बेल्ट गंगा जी के किनारे पर है और आवासीय क्षेत्र है वहां के लोगों से जब हम लोग कभी मिलते हैं तो उनके मन में मस्तिष्क में हमेशा यह डर सताये रहता है कि हमारे जो बने हुए मकान हैं वह मकान गिरा दिये जायेंगे और इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उनके बीच में भी आन्दोलन की सुगबुगाहट आग पकड़ रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसी प्रकार से धौरिहार विकास खण्ड के पीपल गांव का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 19 गांव जिसमें 300 परिवार है जो किसानी का कार्य करते हैं जो कृषक हैं उनकी उपजाऊ जमीन को नगर निगम के द्वारा अधिग्रहण करके उनकी रजिस्टरियों पर रोक लगा दी गयी है, किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोग लगा दिया गया है। उसे प्रतिबन्धित कर दिया गया है और विज्ञापन दिया जा रहा है कि इन 19 गांवों की जो जमीन है उसको अधिग्रहीत करके इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इसमें आवासीय कालोनी बनायेगी। उपजाऊ जमीन को अधिग्रहीत किया जाना और उस पर आवासीय कालोनी बनाया जाना यह किस प्रकार का विकास है। मान्यवर, विकास होना चाहिए लेकिन विकास को विनाश का रूप नहीं लेना चाहिए। मान्यवर, इस पर मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सदन की कार्यवाही रोककर आपसे आग्रह करूंगा कि जो किसानों की उपजाऊ जमीन है उसके अधिग्रहण पर जरूर रोक लगायी जाय।

*श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद जनपद में करछना तहसील में इस सरकार ने निरंकुश सरकार ने अकारण किसानों पर लाठियां चलवाई हैं, गोलियां चलवाई हैं। करछना के किसानों की भूमि पावर प्लान्ट के लिए अधिग्रहीत की गयी थी और वह किसान उचित मुआवजा चाह रहे थे और अपने परिवार के एक सदस्य की नौकरी चाह रहे थे। मान्यवर, यह कितनी संवेदनहीन सरकार है कि आन्दोलित किसानों ने पूरे 153 दिन क्रमिक अनशन चलाया और इस गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। उनकी मांग थी कि हमारी जो भूमि अधिग्रहीत की गयी है उसका उचित मुआवजा मिले और हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले मान्यवर, 153 दिन यह क्रमिक अनशन चलता रहा और इस गूंगी बहरी सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान आक्रोशित हो गये और बड़ी तादाद में आकर आमरण अनशन पर बैठ गये। वह क्रमिक अनशन आमरण अनशन में बदल गया धीरे-धीरे किसानों की हालत गम्भीर होती चली गयी और यह सरकार अनसुनी करती रही उनकी बात को। वहां के प्रशासन के अधिकारियों ने अगर सूझबूझ से काम लिया होता तो वहां लाठी चलाने और गोली चलाने की नौबत न आती और निर्दोष किसान गुलाब विश्वकर्मा मारा न जाता। मान्यवर, वहां कलेक्टर दल बल के साथ जाते हैं और जबरन लोकतांत्रिक तरीके से चलाये जा रहे किसान आन्दोलन में किसानों को गाड़ियों में बैठाना शुरू किया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू किया जाता है तो जो बहुसंख्यक किसान थे वह इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण को देखकर गुस्से में आ गये। उनकी उचित मांगों को न मानकर उल्टे उनको ही सजा देने की बात करके जो जबरन उन्हें उठाकर धरना स्थल से ले जा रहे थे उससे किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तू-तू, मैं-मैं हुई और इस सरकार ने और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने यदि सूझबूझ से काम लिया होता तो वहां लाठी चलाने और गोली चलाने की नौबत न आती और निर्दोष किसान गुलाब विश्वकर्मा की जान न जाती। मान्यवर, यह सरकार जब से पदारूढ़ हुयी है चाहे वह मथुरा में रहा हो, चाहे वह आगरा में रहा हो, चाहे वह करछना में रहा हो, यह सरकार किसानों पर गोलियां चलवाती रही और अब तक दसियों किसान इस सरकार के द्वारा मारे गये हैं। मान्यवर, क्या दोष था उन किसानों का, उनकी भूमिधरी जमीन ली गयी थी, वह उसका उचित मुआवजा मांग रहे थे,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन परिवारों की जमीनें चली गयीं, कैसे उनका जीवन यापन हो, इसके लिये वह एक सदस्य की नौकरी चाह रहे थे। वह कोई अपराध तो नहीं कर रहे थे, वह अपना काम लोकतांत्रिक तौर-तरीके से कर रहे थे और उन्होंने 153 दिन तक अपना क्रमिक अनशन चलाया, जब उनकी बातें नहीं सुनी गयीं तो उस क्रमिक अनशन को उन्हें आमरण अनशन में बदलना पड़ा। यह गूंगी-बहरी सरकार जो दमनकारी नीति के कारण किसानों पर अकारण गोलियां चलवाती रही है, उसी क्रम में करछना में भी गोलियां चलवा दीं, जिस कारण एक किसान गुलाब विश्वकर्मा की मौत हुयी। हमारी मांग है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है जिस निर्दोष किसान की हत्या हुयी है, उस परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का काम यह सरकार करे। सैकड़ों किसान घायल हुये हैं उनके उपचार के लिये यह सरकार 50-50 हजार रुपये की कम से कम सहायता राशि दे और आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि वह दोषी अधिकारी जिन्होंने अनसुनी करके 153 दिन चले क्रमिक अनशन पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण यह घटना घटी, उनकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को भी सजा दी जाय, मान्यवर, मैं इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर मैं आपसे चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सुबह आपने देखा होगा कि ऊर्जा से सम्बन्धित एक प्रश्न था और जिस पर सभी माननीय सदस्यों की, विशेषकर जोखू लाल यादव माननीय सदस्य की चिन्ता थी कि प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़े। मान्यवर, उसी बात को ध्यान में रखते हुए करछना व बारा में विद्युत तापीय प्रोजेक्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, जहां तक करछना का सवाल है लगभग 515 हेक्टेयर जमीन का मामला है जिसमें 500 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा काश्तकार ले चुके हैं, केवल 15 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा कुछ किसानों द्वारा नहीं लिया गया, वह भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां जमा है। मान्यवर, भारत सरकार का भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 2003 तथा भारत सरकार की पुर्नवास नीति है, उसको अंगीकृत करके यहां मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी और सर्किल रेट से डेढ़ गुना से ज्यादा मुआवजा दिया गया और जो विकासकर्ता है उसकी बीडिंग जनवरी, 2009 में हुयी है। अब मान्यवर, असली समस्या जो आती है माननीय सदस्य ने बार-बार इसका जिक्र भी किया कि मुआवजा ज्यादातर लोग ले चुके हैं। कुछ सीमित लोग रह गये हैं अब उनकी मांग यह है कि जो नई पुर्नवास नीति है उसके अनुसार मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, जब वहां पर काम शुरू हो गया, वहां पर 2009 में बिडिंग हो गयी और वहां पर बिडिंग में विकासकर्ता द्वारा रेट कोड किया गया और जो जमीन पहले ली जा चुकी है उसका फिर नये सिरे से मुआवजा दिये जाने का औचित्य समझ में नहीं आता। माननीय सदस्यगण एक तरफ तो विकास की बात करते है और दूसरी तरफ इस बात को कहते हैं।

जहां तक मान्यवर, जो घटना हुयी उसके सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद से जो सूचना मिली है उसके अनुसार संगम पावर प्रोजेक्ट करछना द्वारा भूमि का कतिपय मुआवजा आदि की मांग को लेकर श्री दीनानाथ सिंह, श्री जगत नारायण पटेल, श्री राम बरन यादव, श्री लक्ष्मी नारायण यादव, श्री राज नारायण पटेल तथा इनके समर्थक अनशन पर बैठे थे, कई बार समझौते का प्रयास किया गया, किन्तु अनशन समाप्त नहीं किया गया। अनशन जारी रखा गया और जब अनशन जारी

रखने के कारण, इन लोगों की सेहत खराब होने लगी तो उनको फोर्सफुल फीडिंग कराने के लिये कार्यवाही की गयी और डाक्टरों द्वारा फोर्सफुल फीडिंग कराने की सलाह दी गयी और जिसके आधार पर 21-1-2011 को सुबह अनशनकारियों पर हल्का बल प्रयोग कर तीनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल इलाहाबाद भेजा गया, कुछ समय बाद आसपास गांव के अनशनकारियों के समर्थक लगभग 1000 की संख्या में, जिसमें काफी संख्या में महिलायें भी शामिल थीं, ने आकर इलाहाबाद से होकर हावड़ा को जाने वाली रेलवे ट्रैक तथा इलाहाबाद से मिर्जापुर जाने वाले राजमार्ग के यातायात को जाम कर दिया यातायात बहाली हेतु आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग किया गया। जिस पर उग्र भीड़ द्वारा ए0डी0एम0, नजूल का वाहन जो मौके पर खड़ा था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा पुलिस बल पर पथराव करने लगे। जिससे विनोद कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री बनवारी लाल, अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार, अपर जिलाधिकारी नजूल, श्री सुभाष उत्तम, श्री आशुतोष मिश्र, क्षेत्राधिकारी, करछना एवं मुख्य आरक्षी हफीज खां, 37वीं वाहिनी पी0ए0सी0 घायल हो गये। इन्हें इलाज हेतु इलाहाबाद भेजा गया। घायल मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 हफीज खां के साथ रायफल मय मैगजीन 20 कारतूस सहित अनशनकारियों द्वारा छीन ली गई। जिसके सम्बन्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर शान्ति व्यवस्था हेतु दो कम्पनी आर0ए0एफ0, पांच कम्पनी पी0ए0सी0 एवं जनपद के पुलिसबल को तैनात कर दिया गया है और आवागमन सुचारू रूप से किया गया हैं। जहां तक गुलाब विश्वकर्मा की हत्या होने की बात आती है, निश्चित रूप से जो टी0वी0 चैनलों पर दिखाया गया है, वह वास्तविकता उससे परे है।

इस सम्बन्ध में सत्यता यह है कि उक्त मृतक व्यक्ति गुलाब चन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री फूलचन्द्र निवासी ग्राम देवरीकला थाना करछना, इलाहाबाद जो नजदीकी गांव का रहने वाला है और भोर में तबियत खराब होने के कारण उसे इलाज हेतु इलाहाबाद ले जाया जा रहा था, जिसकी भीड़ द्वारा लगाये गये जाम में मृत्यु हो गई, पुलिस बल द्वारा किसी प्रकार की फायरिंग नहीं की गई। मान्यवर, जिसकी बीमारी से भी मृत्यु हो जाये उसे भी यह इसमें दिखा रहे हैं। जहां तक मा0 प्रमोद तिवारी जी जो हरियाणा की अधिग्रहण नीति की बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने हरियाणा से भी अच्छी पुनर्वास नीति 2010 किसानों के हितों में बनायी है। लेकिन मान्यवर, पूर्व में जो जमीन अधिग्रहीत की गई जिसमें अधिकांश मुआवजा दिया जा चुका है और जिसमें विकासकर्ता का भी चयन हो गया है, उस पर यह नयी नीति लागू नहीं हो सकती है। हमने भारत सरकार का जो भूमि अध्याप्ति अधिनियम-2003 की पुनर्वास नीति है उसको अंगीकृत करके मुआवजा देने की कार्यवाही की गई है। इसी तरह से बारा में भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तहसील बारा क्षेत्र में प्रस्तावित पॉवर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्राम विमरा, सेमरा, बेरोई, जोरठ, कपारी के पांच गांव में किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 04-02-2011 को ग्राम विमरा में ग्राम किसानों और पॉवर प्रोजेक्ट के अधिकारियों के मध्य उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में वार्ता हुई थी, जिसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका। परिणामस्वरूप 05-02-2011 को तीन सौ से तीन सौ पचास किसान एकत्रित होकर पॉवर प्रोजेक्ट स्थल पर लगभग 10 बजे पहुंचकर पॉवर प्रोजेक्ट के काम को कर रहे मजदूरों को काम रोकने के लिए कहा। काम न रोकने पर कुछ वाद-विवाद और कहासुनी हुई जिस पर आक्रोशित किसानों द्वारा लगभग साढ़े बारह बजे पॉवर प्रोजेक्ट की 17-18 गाड़ियों के शीशे और पीछे कर्मचारियों के रहने के लिए बनाये गये भोजनालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र आदि में तोड़फोड़ की गई तथा कार्य में

लगे मजदूरों के साथ मारपीट की गई। भोजनालय एवं निवास स्थान का सामान ग्रामवासियों द्वारा उठा ले जाया गया। पॉवर प्रोजेक्ट के घायल कर्मचारियों का मेडिकल कराया गया और पॉवर प्रोजेक्ट के अधिकारी श्री अमरनाथ सिंह द्वारा थाना शंकरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 14/2011 द्वारा धारा 395/427 भारतीय दण्ड विधान बनाम दया राम पटेल, पंकज सिंह निवासीगण ग्राम सेमरा सहित 39 नामजद और दो सौ से तीन सौ लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, पॉवर प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है, पॉवर प्रोजेक्ट स्थल पर एक प्लाटून पी0ए0सी0 और आवश्यक पुलिस बल लगा दिया गया है और स्थिति सामान्य है। मान्यवर, यह स्थिति वहां पर है और हमारी सरकार की चाहत भी है कि किसानों को उसकी जमीन का उचित मुआवजा मिले इसलिए हमारी सरकार द्वारा बेहतर ढंग से मुआवजा देने की कार्यवाही की गई है। लेकिन बाद में जब सरकार की पुनर्वास नीति-2010 आई तो कुछ लोगों द्वारा उनको उकसाया गया और नयी नीति के अनुसार मुआवजे की मांग की गई। चूंकि मान्यवर, विकासकर्ता का चयन पहले से हो चुका है, पहले से जमीन ली जा चुकी है इसलिए नयी दरों पर मुआवजा दिये जाने का का औचित्य नहीं बनता है। जहां तक नियम-56 की बात है तो यह उसकी परिधि में नहीं आता है इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप कुछ कहें उसके बाद मेरा कहना उचित नहीं होगा। आप कदाचित स्मरण करें तो मैंने एक बात कही थी कि सरकार के बीच में और आन्दोलनरत किसानों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें आन्दोलनरत किसानों की तरफ से किसानों ने हस्ताक्षर किये थे और सरकार की तरफ से तत्कालीन जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर किये थे, उस समझौते की प्रतिलिपि हमारे पास है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो करारनामा व सुलहनामा किया है, एग्रीमेण्ट किया है उससे संसदीय कार्य मंत्री जी क्यों मुकर रहे हैं, उसका सदन को जवाब नहीं दे रहे हैं और अपने उत्तर में जिक्र भी नहीं किया है, उस संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, करछना में 1850 लोगों की जमीन प्रभावित है और उसमें से 1800 लोग करार नियमावली के अन्तर्गत मुआवजा ले चुके हैं केवल 92 लोगों का अवार्ड हुआ है। जब करार नियमावली के तहत मुआवजा ले चुके हैं तो उसके अनुसार ही कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, किसानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं 21 जनवरी, 2011 को जिलाधिकारी इलाहाबाद और आन्दोलनरत किसानों के बीच में एक समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ है जिसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जो नई नीति है यह उन पर लागू होगी। क्या हो गया है, इस सरकार को, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ? समझौता जिलाधिकारी के माध्यम से करते हैं, खुलेआम करते हैं, सारी मीडिया को बुलाकर करते हैं। जबकि विधान सभा में संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि इतने लोगों को मुआवजा मिल चुका है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस करार नियमावली पर सरकार के दस्तखत हैं, जो एग्रीमेण्ट किया है 21 जनवरी, 2011 को, जिसकी समय-सीमा 4 महीने के अन्दर लागू करने की है। इस पर मैं स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

हमने पहले बता दिया कि अधिकांश किसानों ने मुआवजा ले लिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, शासन की ओर से अवार्ड जिलाधिकारी घोषित करते हैं। जिलाधिकारी ने समझौता किया है, शासन की ओर से सक्षम अधिकारी वही हैं। मान्यवर, यहां तो ऐसा लग रहा है कि शासन जो पॉवर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस ग्रुप को ज्यादा फायदा पहुंचाने की इच्छा रखता है बशर्ते उन किसानों की, जिन किसानों की जमीन जा रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

हमारी सरकार ने किसानों को सर्किल रेट से डेढ़ से दो गुना ज्यादा मुआवजा दिलवाया है और भारत सरकार के भूमि अध्यापित अधिनियम को एडाप्ट करके किया है। अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने किसानों के हित में किया है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक तथ्य रखा है इसलिए नहीं पा सकते कि इस नई नीति के अनुसार पहले करार नियमावली के अन्तर्गत मुआवजा दे दिया था। उस नई नियमावली/पुनर्वास नीति के तहत नहीं देंगे। इस नई नीति और इसके पहले की पुनर्वास नीति थी उस पुनर्वास नीति में जो प्राविधान है उसके अनुसार क्या आपने उनको दिया ? दूसरी बात, आपने मुआवजे के अलावा पुराने पुनर्वास नीति के हिसाब से क्या उनको कोई दूसरी सहायता दी ? दूसरी बात अपेक्षा यह कर रहा था कि इतने गंभीर मसले पर मा0 मंत्री जी सरकार का दृष्टिकोण रखेंगे। उन्होंने एस0डी0एम0 की रिपोर्ट हू-बहू पढ़ दिया, वह एस0डी0एम0 या कानूनगो की रिपोर्ट पढ़े, हमारा इससे क्या लेना-देना। हम जरूर चाहते हैं कि सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि वर्ष 2011 में अगर कोई किसान उद्वासित होता है तो पुनर्वास नीति किस सन से लागू की जायेगी यह बता दें। दूसरा प्रश्न जो प्रमोद तिवारी जी ने बार-बार किया कि जिलाधिकारी सरकार का एजेंट है और उसके साथ और आन्दोलनकारियों के साथ कोई करारनामा होता है उसका क्या सरकार पालन करेगी नहीं करेगी तो क्यों यह उत्तर दे दें।

श्री लाल जी वर्मा-

पुनर्वास नीति 2003 जो भारत सरकार का अधिनियम है उसको अंगीकृत करके उसके अनुसार पुनर्वास की जितनी सुविधायें थी उसको देने की कार्यवाही की गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

इस सरकार की गोली किसानों की छाती तो पहचान लेती है लेकिन अपराधियों का सीना नहीं चीरती यह सरकार पूरी तरह से किसानों की हत्यारी सरकार है। मैं सरकार की इस नीति के विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अम्बिका चौधरी समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम 56 की इस सूचना पर श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह व अन्य सदस्यों को व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसीलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

वहां पर रबर बुलेट भी बरामद हुई। वहां पर किसानों और जिलाधिकारी के बीच समझौता हुआ जिसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो जवाब दे रहे हैं वह सरकार की तरफ से बोल रहे हैं पूंजीपति की तरफ से नहीं बोल रहे हैं जिसको पैसा देना है।

श्री लाल जी वर्मा-

पूंजीपति का हितैषी कौन है यह तो एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए के टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी पूंजीपतियों की हितैषी है। जितना हमारा साल भर का बजट है उतना अकेले घोटाला करने वाले लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जिसने सबसे ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमने अभी तक घोटालों का जिक्र नहीं किया था यह सीधे घोटाले पर आ गए अगर मैं घोटाले की बात करूंगा कि प्रतिदिन के हिसाब से सवाल करूंगा मैं नहीं चाहता कि विषयान्तर हो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि यह जो नियम 56 की सूचना है इसमें समझौते का जिक्र है उस समझौते को स्वीकार करने में शरमा क्यों रहे हैं। समझौता आपने किया है या नहीं किया यह बता दें। अगर समझौता हुआ था तो उसका अनुपालन क्यों नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मंत्री जी सदन में उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है ऐसी स्थिति में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए।)

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1992 में संविधान में संशोधन करके पंचायतों को, नगर निकायों को उनकी इकाइयों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। जिस प्रकार से विधान मण्डल को लोक सभा और राज्यसभा को एक संवैधानिक दर्जा है, उसी प्रकार से स्थानीय निकाय और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हर राज्य के लिए इसकी स्थापना करना आवश्यक होगा। उसी के अन्तर्गत विगत लगभग 18 वर्ष से व्यवस्था यह चल रही थी कि चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, नगर निकाय में उसके मेयर, अध्यक्ष हों, सभापति हों उनका सीधे चुनाव वहां की जनता के द्वारा वहां के मतदाताओं के द्वारा किया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्तमान सरकार ने एक सोसा छेड़ा बात चलाई है कि हम इसमें संशोधन करेंगे न तो राजनीतिक दलों के सिम्बल पर चुनाव लड़ा जाएगा न ही मतदाताओं को यह अधिकार होगा कि सीधे-सीधे अपने सभापति या मेयर को चुन सके। उसका इनडायरेक्ट चुनाव करने की बात हो रही है। समस्त उत्तर प्रदेश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और एक अस्थिरता बनी हुई है यह सवाल हो गया है कि कैसे उस अस्थिरता को समाप्त किया जाय सरकार की तरफ से इस पर स्पष्ट बात आनी चाहिए। आखिर क्यों करना चाहते हैं जो व्यवस्था 18 सालों से चल रही है उस 18 से चली आ रही व्यवस्था में क्या दिक्कत है ? आखिर क्या परेशानी उसमें आई ? मान्यवर, मैं आपके सामने संविधान के अनुच्छेद 243 को उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें नगर पालिकाओं की स्थापना का प्राविधान है, और मान्यवर, आगे चलकर 243 (द) नगर पालिकाओं की संरचना, खंड-2 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगें। सभी स्थान का मतलब यह है कि चाहे सदस्य हों या उनके सभापति हों, चेयरमैन हों या मेयर हों। मान्यवर, स्पष्ट प्राविधानों के बावजूद भी आखिरकार सरकार ने क्यों इस बात के लिये चर्चा का विषय बनाया ? और क्यों अस्थिरता का विषय बनाया। मैं आगे जाऊंगा मान्यवर, अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम क्या हैं ? जो डायरेक्ट चुनाव न होकर इनडायरेक्ट चुनाव की तरफ जा रहे हैं। उनका क्या प्रभाव है मान्यवर ? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिला पंचायतों के चुनाव हुए उसमें जो कुछ भी भ्रष्ट तरीके अपनाये गये वह किसी से छिपे नहीं है। सदन में उनके सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है। मेरे अपने जनपद में मान्यवर, जब क्षेत्रीय समितियों के चुनाव हो रहे थे और सत्ता पक्ष के एक प्रत्याशी के खिलाफ एक दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था।

एक बहुत जिम्मेदार नेता जो एक राजनैतिक दल के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्य सभा के सदस्य भी हैं, वह उस प्रत्याशी को बुलाते हैं जो उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहा था उसको रात को अपने आवास में बुलाकर कहते हैं कि यह एक करोड़ रुपया ले लों और चुनाव से हट जाओं वरना कल तुम जेल में होगें। मान्यवर, अगर सीधे-सीधे चुनाव होता तो यह कहने की नौबत नहीं आती। जब इस तरह के दृष्टान्त विगत चुनाव में हुए तो आगे मान्यवर, नगर निकायों पर भी अपने चुने हुए आदमियों को बैठाने का यह षड़यंत्र है मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या है मान्यवर। लोकतंत्र को इस तरह से हाई जैक करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इसलिये मेरा अनुरोध है कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए आम जनता में सीधा-सीधा संदेश जाना चाहिए कि जो व्यवस्था थी वह कायम रहेगी और उसके अनुरूप ही चुने जायेंगें। आखिर क्या कारण है मान्यवर ? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय दल में, क्षेत्रीय दल में विश्वास रखता है और उसके चुनाव निशान में चुनाव लड़ना चाहता है तो आपको क्या परेशानी है। आप क्यों प्रतिबन्धित करना चाह रहे हैं। इसलिए करना चाह रहे हैं कि नगरों में आपका जनाधार नहीं हैं और फर्जी तरीके से जनाधार को सिद्ध करने के लिये जो चुना जायेगा उस पर प्रशासन से दबाव डालकर अपना उम्मीदवार उसको बनाना चाह रहे हैं। या उस पर अपना स्टाम्प लगाना चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा समर्थित उम्मीदवार था। मान्यवर, दोनों बाते हैं। यह तो संवैधानिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है कि जिस पार्टी का सिम्बल में लेना चाहूं मैं लूं। यह पार्टी का अपना दायित्व है कि वह सिम्बल दे न दें। सरकार क्यों उसमें बीच में आ रही है, रूकावट पैदा कर रही है। दूसरी बात जब संविधान निर्माताओं ने आम जनता से कहा कि लोकतंत्र में मौलिक रूप से इनकी जिम्मेदारी बने। स्थानीय स्तर पर वह भाग लें

लोकतंत्र में तो उनको आगे यह मौका दिया गया ताकि आगे जब विधान सभा के चुनाव हों, लोक सभा के चुनाव हों तो उस स्थिति को आगे और मजबूत किया जा सके, दृढ़ किया जा सके यह अधिकार उनको दिया गया तो आप उनके इस अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं। चुनाव हों, आप चाहें अपना उम्मीदवार खड़ा करें। आपका तो चुनाव चिन्ह वनों से घूमकर के पत्थरों के रूप में बदल चुका है यहां पर आ करके उसको भी दें। जो उसमें विश्वास करेंगे वो उसको वोट देंगें। जो कमल में विश्वास करेंगे वो कमल को वोट देंगे, जो पंजे पर विश्वास करेंगे वो उसको वोट देंगे। आप क्यों उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। मान्यवर, यह मेरा आग्रह है कि यह जो अनिश्चितता की स्थिति, जो अस्थिरता की स्थिति पूरे प्रदेश में इन्होंने पैदा कर दी है उसको समाप्त करने के लिये सरकार की तरफ से स्पष्ट घोषणा आनी चाहिये आज के चुनाव किस प्रकार से होंगे और मेरा यह सुझाव है कि यह एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिये। महाना जी हैं, यह लोग नगरों से प्रतिनिधित्व करते हैं इनको जरुर अवसर मिलना चाहिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हुकुम सिंह जी ने जिन विचारों को अभिव्यक्त किया है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं जब संविधान की रचना हुई सीधे-सीधे जनता के लिये जनता के द्वारा जनता की सरकार की परिकल्पना के आधार पर संविधान की रचना हुई और उस आधार पर जनता को अधिकार दिये गये सीधे-सीधे, लेकिन बीच की अवधि में यह अप्रत्यक्ष रूप से सभापतियों का और मेयर का चुनाव होता रहा लेकिन जब उसमें यह देखा गया कि इसमें भ्रष्टाचार पनप रहा है और जिनके पास धनबल है, जिनके पास बाहुबल है, वह इसमें आ रहे हैं और जनता के जो अपने अधिकार हैं उनकी मंशा को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है और उसके द्वारा चुन नहीं पा रही है तो फिर इसमें संशोधन किया गया कि इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जायेंगे और इसके बाद क्या परिस्थिति आ गई यह समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये और उससे सारी जनता परिचित हो चुकी है चाहे वह हाथी हो, चाहे वह कमल हो, चाहे वह पंजा हो, चाहे और भी कोई दल के चिन्ह हों जिनको जो वोट देना चाहता है वह दे। उसको वोट देने का संविधान में अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर अप्रत्यक्ष यही प्रथा चालू कर दी गई तो जनता की मंशा का अतिक्रमण होगा और सीधे-सीधे भ्रष्टाचार को धन बल को, बाहुबल को बढ़ावा मिलेगा और जनता अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि नहीं चुन पाएगी इसलिए मेरा आपसे आग्रह है मैं इस पर बल देता हूं कि जो जनता है जो संविधान है, पहले की जो स्थिति थी उसी के अनुसार दलीय चुनाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्ह प्रयोग के अधिकार हो और जनता द्वारा चाहे वह सदस्य का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, सभापति का चुनाव हो, अध्यक्षों का हो वह पहले की तरह जनता के द्वारा ही कराया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, अपने विचार रखने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो हमारे पूर्ववर्ती माननीय नेता हुकुम सिंह जी और माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने रखे हैं। मान्यवर, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि यह संशोधन की मंशा बनी, मैं विशेष रूप से इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सम्पूर्ण सदन का भी, मान्यवर, पीछे ऐसा भी हुआ कि जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय किया। वजह क्या है गाजियाबाद से लेकर देवरिया तक आप देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में नहीं है। इन्होंने सोचा कि किस तरह से लोकतंत्र को कब्जियाया जाए और लोकतंत्र को पूरी तरह से कब्जा करने की मंशा से और लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करने की मंशा से इस प्रकार का यह षड़यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह से हम लोकतंत्र को कब्जाये। मान्यवर, इसके साथ अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ-साथ एक बात और भी सामने आई कि मान्यवर, नगर पंचायतों में तीन, नगर पालिका परिषदों में पांच और महापालिका में दस-दस लोगों को नामित करके उन लोगों को मताधिकार दिया जाए यह भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मान्यवर, आज जिला योजना समितियों का चुनाव होता है उसमें विधायक लोगों को पदेन सदस्य बनाया गया और उसमें भी मान्यवर, उन लोगों को जिला योजना समिति में ऐसे लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाता है लेकिन आज मान्यवर, जो प्रदेश में चर्चा चल रही है जिस तरह से सरकार गुपचुप तरीके से इसका प्रयास कर रही है बाकी बात तो मान्यवर, उस समय कही जाएगी जब सदन में इस बात का बिल आएगा।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन यह बात कि पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त कर दें और बहुजन समाज पार्टी को नम्बर वन कर दे। चेयरमैन हमारे इतने बन जाएं नगर पंचायतों में नगर पालिका परिषदों में इतने चेयरमैन बन जाएं और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटकर इन लोगों ने अपने लोगों को बैठाया है धन बल और बाहुबल के माध्यम से, वही षड़यंत्र मान्यवर, नगर पंचायत नगर निगम और नगरपालिका परिषदों में किया जा रहा है प्रदेश की जनता इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जितना विरोध कर सकते हैं उतना इसका विरोध करते हैं और आपने ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, यह पूरी बात लोकतंत्र को समाप्त करने की है, आप हमारे संरक्षक हैं जो व्यवस्था सरकार करने जा रही है, उसे रोका जाना चाहिए, धन्यवाद।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बातें कही हैं, मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातें कही हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उसे सीधे काम कराने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निकाय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जनता से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। मान्यवर, जब इसका प्रतिनिधि सीधे जनता से चुना जायेगा तो उसकी जवाबदेही होगी। यदि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उसका चुनाव होता है तो उसकी रुचि क्षेत्र के विकास के लिए वह नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। यहां पर जो बात कही गई है जैसा जिला पंचायतों के चुनाव में हुआ, इससे खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। गुण्डागर्दी को बढ़ावा मिलेगा, अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 243 में व्यवस्था है कि सारे के सारे सदस्य जनता से चुनकर आयेंगे। मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है, यदि ऐसा होता है तो इससे लोकतंत्र की हत्या होगी, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जिस घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह घटी भी नहीं है। मान्यवर, हम आशाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मान्यवर, हमारा कहना है कि भारत के संविधान में संशोधन करके, 74वां संविधान संशोधन करके, उसी की मंशा के अनुरूप राज्यों पर यह छोड़ा गया था कि वह चुनाव प्रत्यक्ष करायेंगे या अप्रत्यक्ष करायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकल्प प्रस्तुत किया था और मान्यवर, यह सतत् प्रक्रिया है, दल बदलते रहते हैं परन्तु सरकार सदैव स्थायी रहती है। मान्यवर, जितने भी चुनाव हुए, बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए, जनता का विश्वास उसमें बढ़ा। मान्यवर, अब एक चर्चा चल रही है, अभी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है कि यह चुनाव इनडाइरेक्ट करना चाहते हैं यानी कि जो विकल्प इनको दिया गया था, उसका उपयोग यह कर चुके हैं, उसके बाद दूसरे विकल्प के रूप में यह करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सीधे चुनाव जो चल रहे हैं, जो सफलतापूर्वक हो रहे हैं, उसको बदला गया तो धनबल बढ़ेगा, बाहुबल बढ़ेगा और सत्ता में वह लोग बैठेंगे जो जनता से सीधे चुने हुए नहीं होंगे और इससे संविधान की आत्मा का हनन होगा। मान्यवर, संविधान की आत्मा के अनुसार एक साधारण व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रयोग करने का हनन होगा। यदि सरकार को कहीं इसे लाने की मंशा भी हो तो वह उसे न लाये क्योंकि जब संविधान संशोधन किया गया था, कई राज्यों से इसका अनुमोदन भी हुआ है, यह एक बड़ा काम है और सरकार को जो एक विकल्प चुनना था, वह एक सरकार चुन चुकी है तो दूसरी सरकार को उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो नियम-56 में प्रस्ताव आया है, यह नियम-56 के किसी भी बिन्दु को जो इसमें आवश्यकता है, पूरा नहीं करता है। मान्यवर, यदि कोई संशोधन होगा तो विधेयक के द्वारा होगा और उस विधेयक पर पूरी चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, यह कल्पना पर आधारित है, यदि ऐसा प्रस्ताव आया है तो उसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि यह किसी तरह से ग्राह्य नहीं है, यह अग्राह्य है और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें। मान्यवर, जहां तक संविधान की बात है, मा0 हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और संविधान का जो 243 (द), (ध)

है, यह सारी जो व्यवस्था दी गयी है, जिसमें नगरपालिका का है, उसको इन्होंने पढ़ा लेकिन उसके पहले का शब्द छोड़ दिया। मान्यवर, नगरपालिका की संरचना एक खण्ड 2 में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे। उसी के साथ-साथ मान्यवर, किसी भी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबन्ध कर सकेगा। यह राज्य सरकार कर सकेगी, तो मान्यवर, स्पष्ट है। मान्यवर, जहां तक इसके कार्य-स्थगन का सवाल है मान्यवर, यह किसी भी बिन्दु पर खरा नहीं उतर रहा है इसलिए मान्यवर, इस पर कल्पना के आधार पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको अग्राह्य कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

आप इस दौरान कोई विधेयक लाने वाले हैं या नहीं लाने वाले हैं। यह स्पष्ट कर दें, बात खत्म हो जायेगी क्योंकि हम तो जो अनिश्चितता की स्थिति समाज में है, उस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कराना चाहते हैं, इन्होंने और बढ़ा दी उसको। ये विधेयक लायेंगे कि नहीं लायेंगे उसका पता नहीं।

श्री अध्यक्ष-

यही तो कह रहे हैं कि कल्पना के आधार पर चर्चा न हो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह हमने कल्पना नहीं की है। यह बात तो इन्हीं की तरफ से कही गयी है और उसी के आधार पर हमने कहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा तो कहां कार्यस्थगन का विषय बनता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बताइये कि विधेयक आएगा कि नहीं आयेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ये न बतायें कि आएगा कि नहीं आएगा। इस इतना ही बता दें कि कब आयेगा। तारीख तो बता दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

जब आयेगा तो आपको पता चल जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे लगता है कि ये मना कर सकने की स्थिति में नहीं है और इनकी नियत ठीक नहीं है। इनकी खराब नियत की वजह से मान्यवर, मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करते हैं।

(तत्पश्चात् कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गये)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम बहुत ही इत्मिनान के साथ सुनना चाहते थे। तकनीकी आधार पर तो कहते रहे कि संविधान में यह है, यह नहीं। लेकिन मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या करने का षड़यंत्र है और इस षड़यंत्र के विरुद्ध हम और हमारा दल वाकआउट करता है।

(तत्पश्चात् श्री हुकुम सिंह भा0ज0पा0 के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

मैने इस सूचना पर मा0 श्री हुकुम सिंह जी को सुना, श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, श्री महाना साहब को सुना, श्री खन्ना जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, नियम-56 की इस महत्वपूर्ण सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में 14 जनवरी, 2011 को जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह था। मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद में 14 जनवरी, 2011 को जिला पंचायत के सभागार में जिसमें शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। मान्यवर, पूर्व में उसमें हमारी आस्था, श्रद्धा के प्रतीक और देश के नहीं मान्यवर, पूरे विश्व के सम्मानित महापुरुष परम श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, युग पुरुष, किसान मसीहा मा0 श्री चौधरी चरण सिंह जी की तथा संविधान निर्माता बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र लगे हुए थे। मान्यवर, जिला पंचायत के उस सभागार में इन तीन महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे और लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ और खिन्न मन से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन महापुरुषों के चित्र पर एक बैनर लगाकर महापुरुषों के चित्रों को उस बैनर के द्वारा ढकने का काम किया गया। उस शपथ ग्रहण समारोह में जिसमें नवनियुक्त हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के जिलाधिकारी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिले के अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मान्यवर, वहां ऐसी स्थिति, जहां एक तरफ इन तीनों महापुरुषों के लिये सदन में बातें कहीं जाती हैं, इन महापुरुषों के सम्मान के लिये बात कही जाती है। पूरे के पूरे मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज वहां का आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, तनावग्रस्त है। वह अपने इन महापुरुषों के चित्रों पर उस बैनर, पोस्टर लगाये जाने के कारण अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। मान्यवर, जिला स्तर पर इसको कोई दिखाया नहीं गया। इन चित्रों को ढकने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और तो और मान्यवर, प्रदेश के उस सभागार में कुछ माननीय विधायकगण, सांसदगण इन अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। यह पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इस बहुत अहम विषय पर, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मा0 चौधरी चरण सिंह जी और महात्मा गांधी जी के चित्रों पर बैनर टंगाकर उनका अपमान कराने का काम किया गया है, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, अफसोस की बात है कि यह विषय हमें सदन में बोलना पड़ रहा है। मान्यवर, महात्मा गांधी जी, श्री भीमराव अम्बेडकर जी, श्री चौधरी चरण सिंह जी, इनका नाम लेने के बाद इनका परिचय देने की मान्यवर, मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में कहीं कोई जरूरत है नहीं। मान्यवर, 14 जनवरी को वह एक सरकारी फंक्शन था। सरकार ने यह कहा था कि 14 जनवरी को वह शपथ समारोह हो, उसके अन्दर जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हों, उसमें डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट हो, एस0एस0पी0 हो मुजफ्फरनगर के और अन्य सब लोग हों और वहां पर शपथ समारोह हो रहा हो और उन तस्वीरों के सामने एक बैनर लगा दिया जाए, जिसमें पता नहीं क्या लिखा था तो मान्यवर, मैं यह मान लूं कि सरकार यह चाहती थी क्योंकि यह सरकारी फंक्शन था। मान्यवर, कोई मेरा अपना फंक्शन तो था नहीं, न लोगों का अपना था। सरकार यह चाहती थी उन महान आत्माओं का, उन महान व्यक्तियों का सम्मान न रहे, उनका अपमान हो और अगर सरकार यह कहना चाहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते थे तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवानी चाहिए और अब तक कार्यवाही हो जानी चाहिए और अगर नहीं हुई है तो उसे करवाये। मान्यवर, नहीं तो यह पूरा प्रदेश-देश यह समझेगा कि इन महान पुरुषों का अपमान इस तरह से हो तो इस सदन में हम इस बारे में जानना चाहते हैं, मान्यवर, कि आखिर सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है और वह कार्यवाही कब करवायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कौकब साहब को सुना और तोमर साहब को भी सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं तब भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस विषय को दिखवा लें। आगे श्री कृष्ण गोपाल साहब आप बोलें।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं आपको ....

श्री अध्यक्ष-

मिथिलेश जी एवं अन्य सदस्य बैठ जाएं। आपकी बात आ गई है। इसके लिए मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया हूं कि इसको दिखवा लें। इसलिए नियम-56 में अग्राह्य कर दिया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 के कार्य सूची में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पुरःस्थापन की मद रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी हमने एक विषय कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था और वह विषय था नगर निकाय में संशोधन की बात है।

(श्री कृष्ण गोपाल पटेल के बोलने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 सदस्य सुन लीजिए यह व्यवस्था जो उठा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप दो मिनट बाद बोल लीजिए। अभी इनको व्यवस्था उठा लेने दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चूंकि एजेण्डे में यह आज की कार्य सूची में है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि उस कार्यसूची में जिस विधेयक का जिक्र किया गया है वह विधेयक यही है। क्योंकि पहले से तो यह था नहीं बाद में यह पीजन होल में रखा गया। पटल कार्यालय से हम अभी लाये हैं, वहां से आकर देखा कि यह वही विधेयक है। मान्यवर, इस प्रकार से लुक्का-छिपी का जो खेल हो रहा है, सरकार का कि हमको जानकारी न दे और जानकारी के बिना एजेण्डे में कुछ भी लिख दें। हमें एजेण्डे के शीर्षक से तो पता चलेगा नहीं कि विधेयक में क्या है क्या नहीं है। मान्यवर, जब तक विधेयक हमारे पास न आये और दूसरी बात यह है कि अगर लाये भी हैं तो मैं आपका ध्यान चाहता हूं नियमावली कि नियम-114 के ओर जिसमें है कि विधेयकों को प्रस्तावित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति है। यह ऐसा विधेयक है मान्यवर, जो संविधान से सम्बन्धित है। भारत के संविधान की जो मूल भावना है मान्यवर, उस मूल भावना के विरोध में यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के लाने से पूर्व मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। न इसमें राष्ट्रपति की अनुमति ली गयी मान्यवर, और न राज्यपाल की अनुमति ली गई। ऐसी स्थिति में ऐसे विधेयक को यहां पर पेश कर देना जो सीधा-सीधा भारत के संविधान की धाराओं की, भारत के संविधान की मंशा के प्रतिकूल हो मान्यवर, यहां पर प्रस्तावित नहीं होना चाहिए था मान्यवर और उसके पहले आप निर्देश दें कि सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। मान्यवर, आज जो यहां प्रस्तावित हुआ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर के उसको एजेण्डे से निकाला जाय, पुनः इस बात पर विचार किया जाय, इस प्रकार अगर छिप-छिपा कर यहां पर बिल पेश किये जायेंगे और बिल पेश करने के बाद में मान्यवर, तमाम प्रतिपक्ष को और सदन को अन्धकार में रखा जायेगा मान्यवर, तो यह लोकतंत्र की परम्पराओं के प्रतिकूल होगा और सदन की गरिमा के भी प्रतिकूल होगा। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें, धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न मेरा भी है, अभी अगर आप सदन की कार्यवाही निकाल कर देख लें तो यह कहा गया कि जब इस पर आयेगा तब आप चर्चा कर लीजिएगा। दूसरा यह कहा गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं मौखिक रूप से आप दिखवा लें कि यह काल्पनिक विषय है तो मान्यवर, जब नियम-56 आया है, जैसे कार्य-स्थगन है उसके पहले अगर यह आ चुका है तो यह काल्पनिक कहां रहा। मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि आपको गलत सूचना दी गई है। मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको यह सूचना दी गई कि यह काल्पनिक प्रश्न है, यह अभी घटना घटित नहीं हुई है और इसलिए ऐसा हो गया जबकि इस विषय पर जब हम या हुकुम सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं तो उस समय प्रस्तुत हो चुका था और जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा तो यह कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है। मान्यवर, विधेयक जो आपके एजेण्डे में छपता है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसके अन्तर्गत क्या है, यह हमें तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जो सरकार प्रस्तुत करती है, उसके कारण भी उसके पास होते हैं, उद्देश्य भी उसके पास होते हैं। कम से कम सरकार के पास कारण भी था, उद्देश्य भी था, इसे रखना चाहिए था, हमारे पीजन

होल में जाता या हमें इस सदन में यह वितरित किया जाता, न पीजन होल में यह अभी तक मौजूद है, न मान्यवर, हमको वितरित किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने स्रोत को जो मीडिया के द्वारा यह हमको प्राप्त हुआ है। मीडिया को दिया जा सकता है, लेकिन सम्मानित सदस्यों को यह नहीं दिया गया और फिर मैं तो अपने आपको व्यवस्था पर आते हुए कहना चाहता हूं कि यह कह कर आपसे यह रूलिंग ली गई है कि यह काल्पनिक प्रश्न है, यह घटना घटित नहीं हुई है, यह जब आयेगा, तब आप चर्चा कर लीजिएगा और आपने मान्यवर, कृपापूर्वक सहृदय ढंग से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात पर विश्वास करते हुए आपने अपनी रूलिंग दे दी है तो मान्यवर, बहुत ही विनम्रता से आपकी पीठ के प्रति सम्पूर्ण आदर करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन चुका था तो न यह काल्पनिक रह गया और न ही यह न आया हुआ रह गया तो मान्यवर, कृपापूर्वक अपनी रूलिंग पर स्वयं पुनर्विचार कर लें तो बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी भूल बन जायेगी मान्यवर, मैं यह आपसे आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको दिखवा लेता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न यह है श्रीमन् कि मंत्रि-परिषद् में जो विषय विचारार्थ ले आया जाता है और पारित हो जाता है, उसको सदन के बाहर नहीं बताया जाता, लेकिन श्रीमन् सदन में एक प्रश्न उपस्थित हो और उस पर मंत्रि-परिषद् की राय स्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, उस स्थिति में सरकार की ओर से सदन को जो तथ्य अवगत कराया जाता है मान्यवर, उसको गफलत में नहीं रखा जा सकता और इस विषय पर जब यह बात आई थी तो यह उत्तर आया कि नहीं अभी तो कोई बात ऐसी हुई ही नहीं है, लेकिन श्रीमन् इसके पूर्व मंत्रि-परिषद् में इस पर सम्यक्रूप से विचार करने के बाद सरकार ने एक नीति निश्चित कर ली थी तो वह अपने निर्णय से सदन को मान्यवर, उनको पूरी तरह से अवगत कराना चाहिए कि हमारा इस विषय पर यह मत है, स्वीकार करें आप कार्य-स्थगन न करें, यह दूसरी बात है, वह कर सकते हैं। मान्यवर, लेकिन एक विषय पर जिस पर सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर ली है उसको निश्चित कर लिया है और उस पर आपको और पूरे सदन को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गुमराह करें यह कहां तक उचित है। यह एक गम्भीर प्रश्न है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो सदन के समक्ष विषय है वह सब यह जो कार्य सूची में है वह छपते हैं और वह सदन के संज्ञान में है। मान्यवर, सारे विधेयक आपके कार्यालय में संसदीय अनुभाग द्वारा दे दिये जाते हैं और उनका परिचालन सभी माननीय सदस्यों को समय के अनुसार और नियमों के अनुसार होता है। मान्यवर, जब विधेयक निश्चित रूप से यहां पर आयेगा तो उस पर विचार के समय आपको चर्चा का अवसर मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह किया है कि जब विधेयक विचार के लिए आयेगा तब आपको चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मैंने यही कहा कि नियम-56 का यह विषय नहीं बनता है, उसकी विषय वस्तु का विषय नहीं बनता है। मान्यवर, सरकार को संविधान में पूरा अधिकार प्राप्त है

कि किसी विषय में, नियम में, संशोधन करने का अधिकार रख सके। मान्यवर, जिस दिन वह विधेयक विचार के लिये लिया जायेगा आप चर्चा करा लीजिएगा। मैंने मान्यवर, इस विषय को कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य करने का अनुरोध किया था।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह मद आ गयी है। मद संख्या-23, 24, 25 और 26 के रूप में। कदाचित् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसमें अन्तर्निहित विषय वस्तु का ज्ञान नहीं रहा होगा इसलिए वह ऐसा कह गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। मान्यवर, उसके बाद की मद कार्य-स्थगन प्रस्ताव की है। अब यह बात कल्पना पर आधारित कहां से हो गया। इसीलिए हम लोगों ने नियम-56 के रूप में इस विषय को उठाया है क्योंकि यह तात्कालिक विषय था। मान्यवर, जैसे ही विधेयक पुरःस्थापित हो गया यह सदन की सम्पत्ति बन गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने यह कहा कि आप उस विधेयक के विचार के समय इस पर चर्चा में अपनी बात कह देंगे। नियम-56 में यह कहीं से नहीं आता है इसलिए मैंने इसे अग्राह्य करने के लिए अनुरोध किया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब हमें इसकी जानकारी हुई तभी हम लोगों ने इस विषय को उठाया है। मान्यवर, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पता नहीं है कि यह आ चुका है और यह उसी विषय से सम्बन्धित है तब हम लोगों को इसकी जानकारी कहां से हो जाती। मेरा निवेदन यह है कि जो इस पर आपका अग्राह्य का निर्णय है उस पर पुनर्विचार हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गयी अब आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप इस पर अपनी रूलिंग रिजर्व कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-56 में इसको अग्राह्य कर चुका हूं।

आप देखें कि आज दो विधेयक पुरःस्थापित हुए थे। मैंने उस पर मतदान कराया और हां की संख्या अधिक थी इसलिए अनुज्ञा दी। यह 10 फरवरी को ढाई बजे पटल पर रखवा दिया था। अब ये दो विधेयक यहां पर आज पुरःस्थापित हो गये हैं। अब आगे इस पर बहस होगी। अब मैं माननीय कृष्ण गोपाल पटेल जी को उनकी सूचना पर बुला रहा हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। इससे शहरी निकायों की पूरी स्थिति में भारी परिवर्तन आयेगा। इस पर आप हम लोगों को सुन लें।

(इसी बीच श्री सतीश महाना तथा भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन व पलिया में थारू जाति का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के शासनादेश की सूची जिसमें क्रम संख्या-5 पर थारू जाति अंकित है जिसके तहत उक्त समाज के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, इससे बड़ी महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसके ऊपर सुन लें। सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 में मुझे बोलने का मौका दिया। आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा संख्या है प्रदेश में। लेकिन अधिकारी उनके अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। हम मांग करते हैं कि उनके सर्टिफिकेट बनाये जायें। वह बहुत परेशान हैं कभी तहसील का चक्कर काटते हैं कभी ए0डी0एम0 के यहां जाते हैं कभी डी0एम0 के यहां जाते हैं हर जगह से उनको भगा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनके सर्टिफिकेट बनने चाहिए। अनुसूचित जनजाति में उनका रिजर्वेशन है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट बनवाये जाय।

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन और पलिया में अनुसूचित जनजाति के लोग भारी तादाद में रहते हैं और उनको जो है लगातार अनुसूचित जनजाति थारू का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 की अनुसूचित जनजातियों के शासनादेश की सूची जिसमें क्रम संख्या-5 पर थारू जाति अंकित है। जिसके तहत उक्त समाज के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये। थारू जाति के अन्तर्गत 73 उपजातियां हैं जिनका विवरण विधान सभा के पुस्तकालय, लखनऊ में उपलब्ध दि ट्राईवल्स एण्ड कास्टस नार्थ वेस्टर्न प्राविंसस एण्ड अवध के वायलूम 4 में विलियम सीक्रुक द्वारा लिखित पुस्तक में बाबू बद्री नाथ डिप्टी कलेक्टर खीरी की पुस्तक सन् 1891 में पृष्ठ सं0-387 के पैरा 12 में थारू जाति की 7 उपजातियों का डंगरिया, कठरिया, खेण्ड, डकहार, राजी, मुशहर, बोट आदि का वर्णन है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री उस्मानी जी को सुना और कृष्ण गोपाल पटेल जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं तब भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी यह थारू जाति का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है इसलिए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं इसको दिखवा लीजिएगा।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

श्री सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा कुछ जनपदों में विभाग द्वारा संचालित कार्य योजना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में बाल गृह आश्रयगृह संचालन हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव मांगे गये जिस पर विभाग द्वारा कुछ स्वैच्छिक संगठनों से सुविधा शुल्क लेकर लगभग 5 करोड़ की धनराशि एन0जी0ओ0 को अवमुक्त कर दी। सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा यह सूचना दी गयी...

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को कार्यसूची के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पुरःस्थापन की मद रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, एक मिनट रुकिये। माननीय हुकुम सिंह साहब, इन लोगों को बुला लीजिए। मैं सुन लेता हूं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। इन लोगों को बुला लीजिए, महाना साहब को बुला लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें अंधकार में रखकर अनुज्ञा दे दी गयी है। इनका आप भाषण पढ़ लीजिए, भाषण पढ़ने के बाद आप स्वयं आश्वस्त होंगे कि समस्त सदन को अंधकार में रखा गया।

श्री अध्यक्ष-

सदन में हमने मतदान कराया है, महाना साहब, हमने मतदान कराया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर पुनर्विचार कर लें, अनुज्ञा का प्रस्ताव बाद में आ जाय हमें कहने का मौका तो दें उस पर। मान्यवर, समस्त कार्यवाही सदन को अंधकार में रखकर की गयी हो वह क्या वैधानिक कार्यवाही है वह क्या नियमों के अनुरूप है, वह नियमों के अनुरूप नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष-

पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा में मैंने सदन में मतदान कराया है उसमें कौन छिपाकर काम हो रहा है इसलिए बैठ जाय। महाना साहब, यह जिस विधेयक के संदर्भ में कह रहे हैं मैंने मतदान कराया है सदन में।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संविधान में व्यवस्था हो और उस व्यवस्था पर आघात किया गया हो उसको इतने हल्केपन से नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हल्का नहीं ले रहे हैं। आपने नियम-56 में सूचना दिया मैंने उसको अग्राह्य किया कि नहीं आता है फिर आपने व्यवस्था का सवाल उठाया। माननीय मंत्री जी ने उसको कहा। आज के एजेण्डा में जिस विधेयक के संदर्भ में आपने नियम-56 में नोटिस लगाया था उसका मैंने इस सदन में मतदान कराया कि एक पुरःस्थापित करना चाहते हैं। नगर विकास मंत्री जी अनुज्ञा मांग रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों का आह्वान मैंने किया तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं तो उस समय भी कोई विचार आ सकता था जिस समय मैं अनुज्ञा दे रहा था पुरःस्थापित करने का। तो बात तो आ गयी और अब जब माननीय मंत्री जी विधेयक ला रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरा मौका है। व्यवस्था आपने उठाया और संज्ञान में लाये, यह सही है। मैंने उस पर भी कह दिया कि बाद में उसको दिखवा भी लेंगे कि कहीं कोई असंतुलन या अनियमितता हुआ है। उसको मैंने आपके सामने भी कह दिया है कि उसको दिखवा लेता हूं कि क्या स्थिति रही है। जहां तक उस विधेयक के संदर्भ की बात है तो आयेगा कि नहीं आयेगा, एक सस्पेंशन की स्थिति बनी थी, आज एजेण्डे में उसी के लिये मैंने मतदान कराया है। माननीय मंत्री जी ने पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगी, मैंने दिया भी और हां तथा न दोनों पक्षों से मतदान भी कराया। इधर से भी न शब्द आया। अब नहीं रखे हैं तो इसमें कौन सी गोपनीयता है, वह बता दें।

*आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, अभी आपने उनके अनुरोध पर कृपापूर्वक कह दिया कि हम सुन लेते हैं। यहां आप अपनी बात रखने ही तो आये हैं, कुआं में कूदने तो नहीं आये हैं। अब जब आपने कह दिया कि महाना जी अपनी जगह जाइये और आप सब लोगों से अनुरोध कर लिया कि अपनी जगह जाइये, मैं सुन लेता हूं, यह आपकी पीठ से निर्देश हो गया। अब आपके निर्देश को भी नहीं मानना और फिर यह कहना कि सदन इतने दिन चलता है, यह चलना चाहिए, यह नियम है, सदन में मान्यवर, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम यहां डिबेट्स के लिये आते हैं, अपनी बात रखने के लिये आते हैं, कुएं में कूदने के लिये नहीं आते हैं। उसके बाद भी यह कुएं में कूद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह साहब ने व्यवस्था का सवाल उठाया, सही है, यह मैं मानता हूं।

(वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष अपनी शालीनता और विनम्रता के लिये जाना जाता है। आप बहुमत में बैठे हैं और जो शैली और तौर-तरीके आजकल अपनाये जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। डांटने डपटने का काम आप न करें, मेरा आपसे अनुरोध यह है। मान्यवर, मैं तो बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि हम आपस के सम्बन्धों को देखते हुए एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखते हुए, अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां कुएं में कूदने वाली बात नहीं होती, यह जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वह आपके संज्ञान में है और तीन-तीन बार कहा गया कि कुएं में कूद गये, कुएं में कूद गये। यह कुएं में कूदना नहीं है। यहां आकर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का एक साधन है और यह पहली बार लोकतंत्र में नहीं हुआ है, जब से इस सदन का गठन हुआ होगा, तबसे यह होता आ रहा है और कभी-कभी यह भी मजबूरी होती है और किसने यह नहीं किया, आपने नहीं किया क्योंकि आप यहां थे नहीं। आपने वहां किया होगा, जहां आप थे बाकी और लोगों ने किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं इस सदन का सदस्य भी रहा हूं, यह न कहिये कि आप यहां नहीं थे।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है किया होगा जब आप यहां रहे होंगे। हमारे सामने नहीं किया। इसलिये मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये उस समय आप नहीं रहे होंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बार-बार उकसाने की बात यहां से होती है, कुएं में कूद गये, कौन कूद गये, कहां है कुंआ। हम यहां आये इसको वेल कहते हैं। यहां हम आये हैं अपनी बात कहने के लिये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह तो वही बात हो गयी कि बलात्कार के साथ-साथ रेप भी हुआ। यह तो वही बात कह दी आपने।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मैंने वह बात नहीं कही। मान्यवर, नसीमुद्दीन साहब जो है वह अपने साइज के हिसाब से और अपनी वरिष्ठता के हिसाब से सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से कहते हैं। देखिये अभी भी इन्होंने कहा है। जहां-जहां विषय की विशेषता होती है, उस पर यह बहुत बल देते हैं। रेप और बलात्कार। दोनों की तुलना कर रहे हैं दोनों पर बल दे रहे हैं। अब छोड़िये उस बात को। बात यहां पर करिये जो हमने व्यवस्था का सवाल उठाया है। आपने कृपापूर्वक अपना निर्णय सुना दिया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस विषय को गम्भीरता देते हुए अपनी रूलिंग पर पुनर्विचार कर लें। यही मेरा आग्रह है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि उस समय सदन थोड़ा अव्यवस्थित था।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप मेरा निवेदन सुन लें। मान्यवर, यह कोई कुआं नहीं है। यह पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के...

श्री अध्यक्ष-

चलिये हो गया अब बार-बार उसी बात को काहे कह रहे हैं।

सत्येन्द्र सोलंकी जी, मैं आपके विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह नियम-56 में नहीं आती, इसलिये इसे मैं अग्राह्य करता हूं। उदयराज यादव आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के साथ सदन से चले गये)

नियम-311 और नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उदयराज यादव जी, दो मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री उदय राज-

मान्यवर, पिछले कुछ महीनों से पूरे सूबे के अन्दर लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं और जितनी भी घटनायें हो रही हैं तो उनमें कहीं तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे कुछ साथी होंगे और यदि वह नहीं है तो निश्चित रूप से बसपा का झण्डा लगाकर चलने वाले लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने जो नोटिस दिया है उसमें उन्नाव जनपद की एक घटना का जिक्र किया है, घटनाएं बहुत हैं यदि आप अनुमति देंगे तो निश्चित रूप कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालने का काम करूंगा। मान्यवर, 07 फरवरी, 2011 को पूनम कुशवाहा जो नाबालिग थी और शौच के लिए जा रही थी, कुछ लोगों ने उसके साथ जबरिया बलात्कार करने का प्रयास किया, जब लड़की ने विरोध किया तो उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि पहले तो उसे सफीपुर प्राथमिक केन्द्र में उपचार के लिए ले जाया गया और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद में उन्नाव जिला अस्पताल में और उसके बाद उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया गया है। मान्यवर, इतना ही नहीं जब वह अस्पताल में जाती है तो उसका इलाज करने वाला और उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। कल जब लड़की की हालत ज्यादा गम्भीर हो गई तो डाक्टरों ने उसे अस्पताल के बाहर करने का काम किया लेकिन जब मीडिया के लोगों ने उस घटना को दिखाने का काम किया समाचार-पत्रों में छापने का काम किया तो पुनः उसे भर्ती करने का काम किया। मान्यवर, दिनांक 23 जनवरी, 2011 को कुमारी प्रिया जो निषाद बिरादरी की थी कश्यप जाति से ताल्लुक रखने वाली 13 वर्ष की लड़की थी। मान्यवर, कोतवाली सफीपुर में उसके साथ गैंगरेप किया गया, केवल उसका बलात्कार ही नहीं किया बल्कि बलात्कार के बाद उस लड़की की हत्या करने का भी काम किया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं श्रीमती गुड्डी जो सफीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मदरहा की रहने वाली है। उसके पति का देहान्त अब से करीब तीन-चार माह पहले हो गया था। मान्यवर, उनके साथ उस गांव के कई लोग गैंगरेप की तरह से बलात्कार करने का काम करते थे। मान्यवर, उसने आजिज आ करके थाने में शिकायत की और जब नहीं सुनी गई तो उसने अपने तीन बच्चों को जहर दे करके मारने का काम किया और उसके बाद स्वयं उसने जहर खा लिया। मरणासन्न स्थिति में वह आज भी जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती है। मान्यवर, अभी बांगरमऊ थाने में न्यू कटरा निवासी गुड्डी जिसकी उम्र मात्र सात साल थी उसके साथ रेप करने का काम किया गया। मान्यवर, 04 दिसम्बर, 2010 को नेहाबारी जो हमारी विधान सभा क्षेत्र की पुरवा कस्बे की थी। उसके मां-बाप इतने गरीब थे कि वह थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम असावर में शादी-ब्याह में बर्तन मांजने के लिए गये थे वहां पर सात साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आयी। मान्यवर, आज भी वह हैलट अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, अगर देखें तो आज सूबे के अन्दर तमाम ऐसी घटनायें हो रही हैं। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे कि सारी घटनाओं के मुकदमें पंजीकृत किये जा रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके अभियोग पंजीकृत नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं बता रहा हूं सबसे चिन्ता की बात यह है कि अगर बांदा की शीलू घटना को देखने का काम करें तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ है। अभी दो दिन पहले सौम्या नाम की लड़की के साथ जबरिया बलात्कार करने का प्रयास किया गया। उसका अपहरण करने का प्रयास किया। जब वह नहीं गयी तो उसकी गोली मारकर हत्या करने का काम किया गया। सबसे दुःखद यह है कि आज जब उत्तर प्रदेश की 'सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का नारा देने का काम करती है। मैं एक चीज केवल कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं उनमें 90 फीसदी घटनायें पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं। मेरा यह आरोप है कि सरकार जानबूझ करके, सत्ता में बैठे हुए लोग पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय कराने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस गम्भीर विषय पर आपसे अनुरोध करता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

श्री सुधीर कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी नोटिस पर मेरे भी दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष-

सारी बातें उदयराज यादव जी ने कह दी है, अब उसमें क्या बचा है ?

*श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मा0 उदयराज यादव जी ने जो भी बात कही है, मैं उस पर बल देता हूं। एक बात सिर्फ मैं और बताना चाहता हूं कि जो पूनम उर्फ बिटाना नाम की लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह 7 फरवरी की और रात में 9.00 बजे की घटना है, मगर इस पर एफ0आई0आर0 पंजीकृत की जाती है। 8 तारीख को। 7 तारीख को जब उसका पिता थाना कोतवाली सफीपुर में जाता है तो उसको वहां से भगा दिया जाता है और 7 तारीख की बजाए 8 तारीख को वह फिर जाता है मीडिया कर्मियों के साथ में, तब उसकी एफ0आई0आर0 लिखी जाती है। जब वह लड़की मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी। वहां के अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो गये कि उसी के तत्काल बाद 8 तारीख को उसी थाना कोतवाली सफीपुर में बमहना ग्राम सभा में एक औरत मिथलेश कुमारी जो दलित बिरादरी की है उसको रात में खींचने का काम किया जाता है। उसने थाना कोतवाली सफीपुर में जाकर शिकायत दर्ज की लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, उसकी एफ0आई0आर0 आज तक नहीं लिखी गयी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो गये कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

सुधीर कुमार जी, पूरी बात आ गयी अब बैठ जाइये, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुधीर कुमार-

आज हमारे उन्नाव जनपद की बहू-बेटियां घर से निकलने में भयभीत है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के नाम पर भय व्याप्त हो गया है, कोई भी बहू-बेटी घर से निकलने में संकोच करती हैं। आज थाने और कोतवाली में सरकारी गुण्डे बैठाकर अपराधियों की खुलेआम मदद की जाती है इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कार्य किया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक इस घटना का सवाल है 8 तारीख को लड़की के पिता ने एप्लीकेशन थाना सफीपुर में दिया और उसी 8 तारीख को मुकदमा अपराध संख्या-2002/2011 धारा-307, 354, 376, 511 भा0दं0वि0 बनाम राम सेवक तेली उसी दिन पंजीकृत हुआ।

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, उसी दिन नहीं पंजीकृत हुआ।

श्री लालजी वर्मा-

हमारी सरकार अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और विशेषकर महिलाओं के लिए और इसीलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना को विशेष अपराध माना है जिसकी प्रत्येक दिन समीक्षा रहती है और उसका परिणाम भी है कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों में कमी आयी है। अभी जो मा0 सदस्य कह रहे हैं कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 पहली बार लिखी जा रही है। हमारी सरकार ने थानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं की त्वरित गति से अपराध दर्ज करें, उस पर कार्यवाही हो और वरिष्ठ अधिकारी स्वयं प्रत्येक दिन समीक्षा करें उसकी कार्यवाही के सम्बन्ध में। उसका परिणाम यह है कि सभी जगह अपराध पंजीकृत किये जा रहे हैं और उनमें कमी भी आयी है। मान्यवर, आज मा0 सदस्य जिस बात को कह रहे हैं मेरे पास राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। मान्यवर, जब इनकी सरकार थी, सपा की सरकार थी तो उस समय 1994 में इनके मुख्य मंत्रित्व काल में 1.4 था बलात्कार शीर्षक के अन्तर्गत भारत की अपराध दर औसत थी 1.4 आज भारत की अपराध दर बलात्कार शीर्षक के अन्तर्गत 1.8 है। वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश में .9 है। वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश में अपराध दर 1.2 थी प्रेसीडेन्ट रूल में 1.2 व श्री मुलायम सिंह यादव के समय वर्ष 1994 में 1.4 था। कल्याण सिंह के समय में 1 था। राजनाथ सिंह के समय में 1.2 था आज .9 है। इसलिए इस पर पूरी तरह से नियंत्रण है प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री उदयराज यादव, श्री सुधीर कुमार व संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री उदयराज-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं उसमें संख्या में कमी इसलिए है कि मुकदमें लिखे ही नहीं जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी नोट कर लीजिए व दिखवा लीजिए। ग्राम राजेन्द्रपुर थाना मौरावां में लगभग 15 दिन पहले एक लड़की का अपहरण किया गया लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया।

श्री अध्यक्ष-

उदयराज जी आपकी सूचना मैंने अग्राह्य कर दी है। जो आपने सूचना दी उस सम्बन्ध में मंत्री जी ने बता दिया। सातवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में प्राण रक्षक दवाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों की अनुपलब्धता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसे अग्राह्य करता हूं। फिर भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। आठवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त त्रिभाषा अनुदान में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में। यह भी सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं फिर भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। नवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की है यह एस0ओ0सी0 का ट्रांसफर चाहते हैं आप वरिष्ठ मंत्री रहे हैं इस तरह की सूचना नियम-56 में नहीं लानी चाहिए नियम-56 की ग्रेविटी का ध्यान रखना चाहिए तब भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मदन चौहान की सूचना मेरठ के पूर्व सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसमें पूर्व सांसद की हत्या हुई है व अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इसको दिखवा लें। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने दो सूचना नियम-56 में दे दी इसलिए दूसरी सूचना कल आपकी ले लेंगे। एक सूचना को नियम-56 में अग्राह्य करता हूं व शासन का ध्यान

आकृष्ट करता हूं। श्री अरविन्द सिंह यादव की सूचना विधायक पर हो रहे जानलेवा हमले को देखते हुए सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायं। चौधरी साहब आप अपनी बात शुरू करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, हमारी सूचना सुन लीजिए।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, निषाद साहब की सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब सबकी सूचना हो चुकी है। मैंने आप लोगों की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब उसमें बोलने का क्या है। दो सूचना ही ली जाती हैं और मैंने 12 सूचनाएं ले ली हैं। कहिये तो मैं आप लोगों की सूचना पढ़ दूं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। मिथलेश जी, आप भी बैठिये, आपकी त्रिभाषा वाले में भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अनूप सण्डा जी आपकी प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में प्राण रक्षक दवाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों की अनुपलब्धता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है। मिथलेश जी, सिरोही जी, मदन चौहान जी, निषाद जी, अरविन्द सिंह यादव जी, आप सबकी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है। अग्राह्य होते हुए भी ध्यान आकृष्ट करा दिया है। अब बोलने से क्या हो जाता। बैठिये आप लोग। चौधरी साहब आप अपनी बात शुरू करिये।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे 2011-2012 के बजट की सामान्य चर्चा में मुझे इस चर्चा को आज प्रारम्भ करने की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा और मैं यह भी प्रयास करूंगा कि अनावश्यक रूप से उन आंकड़ों का उल्लेख न किया जाय जिनसे कोई नई तस्वीर न बनती हो। सिर्फ आंकड़े पढ़ने के लिये आंकड़े पढ़े जायं, जहां आवश्यक हो वहीं पर दिये जायं। मान्यवर, बजट सिर्फ वित्तीय प्रबन्धन की बात नहीं होती है। एक प्रकार से सरकार जो प्रदेश के संचालन के लिये वित्तीय उपाय करती है और उन स्थितियों का आंकलन करके जो अपनी योजना बनाती है। समग्र दृष्टि होती है सरकार की मान्यवर। मात्र वित्तीय प्रबन्धन के लिये बजट नहीं होता। यह पूरी तौर से सरकार की नीतियों का आइना होता है यह बजट और अगले एक वर्ष के लिये प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है, उस दिशा के लिये यह सबसे बड़ा दिशा संकेत होता है लोगों के लिये जो इसको समझ सकें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह सरकार अंततः किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहती है। श्रीमन् मैं अपनी बात आगे कहूं इससे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा इस बात के लिये कि तीसरी बार उन्होंने इस सम्मानित सदन के समक्ष बजट को प्रस्तुत किया है। एक साधारण परिवार के, पिछड़ी जाति के एक राजनीति कार्यकर्ता को इस सदन में ऐसा सम्मान मिला, मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता है। मैं पुनः उनको इस पर बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं उनसे जो अपेक्षायें रखता था कठिनाइयां हो सकती थीं। उनकी कि अकेले वह निर्णय नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बजट अकेले वित्त मंत्री प्रस्तुत जरूर करता है लेकिन वित्त मंत्री बजट अकेले तैयार तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद यह करता था कि उनकी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि से वह किसी तरह की वायदा खिलाफी नहीं करेंगे उस पृष्ठभूमि की अनदेखी नहीं करेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन श्रीमन् आलोचना करूं, सुझाव दूं, इसके पहले इस बिन्दु पर उनका पूरा बजट भाषण कई बार मैंने पढ़ लिया है और यह पूरी तरह से जिस बिन्दु पर मैं इशारा कर रहा हूं उस बिन्दु पर यह पूरी तरह से निराश कर रहा है इसकी मुझे निराशा हुई। जहां मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है उनके बजट रखने पर वही जो उनकी मजबूरियां रही होंगी, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी थी लेकिन उन सारी मजबूरियों के बावजूद मान्यवर, जो उन्होंने बजट में प्राविधान किये हैं वह पूरी तरह से निराशाजनक है।

मान्यवर, मैं सबसे पहले इस सरकार की जो दृष्टि है उसके बारे में थोड़ी पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। जब मान्यवर, इससे पहले 2007-2008 का बजट रखा था इस सरकार के बनने के बाद तो एक नई चीज आई थी बहुजन समाज पार्टी की, जो इससे पूर्व की घोषित नीतियां हैं उनसे पूरा का पूरा यू टर्न लेने का काम किया था इस सरकार ने 2007-2008 के बजट में और तबसे लेकर अब तक अपनी इन चीजों को सर्व समाज, सर्वसमाज कहकर सुधारने का जोर तो लगा रहे हैं लेकिन उनकी बात बन नहीं पा रही है क्योंकि वह आधा सर्वसमाज कहते हैं। फिर अगले वाक्य में डर जाते हैं कि इसका मैसेज कहीं दूसरा तो नहीं होगा। इसलिए पलटकर फिर आ जाते हैं तत्काल इसको दुरुस्त करते हैं तो मान्यवर उन्होंने अपने चारों शासन कालों में मैं आपका वक्तव्य पढ़ रहा हूं वैसे तो सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा है लेकिन प्राथमिकता समाज के अन्तिम सोपान पर खड़े दलित, शोषित वंचित, वर्गों को दी गई है और मान्यवर, अपनी दृष्टि आगे रखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी हास्यास्पद बात कही है। भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिए अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना, श्रीमन् इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। श्रीमन् एक बात इन्होंने यह कही है कि कर्ज हम कम करेंगे। मान्यवर, इनकी सरकार बनने के समय से थ्री पी0पी0पी0 पर इनका बड़ा जोर है। पता नहीं इससे क्या हासिल करना चाहते थे और कहां पहुंच गये। जबकि सरकार की स्थिति संख्या की दृष्टि से सशक्त है लेकिन उसके मन में किसी बात का डर है आत्मविश्वास कहां पर कमजोर हो जाता है सरकार का, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं सरकार की स्थिति ऐसी थी कि वह सशक्त तरीके से अपनी छवि को ठीक कर सकती थी अगर उसमें इस बात की इच्छाशक्ति होती और वह उनके चंगुल में न फंस गई होती।

मान्यवर, इस पी0पी0पी0 के लालच में, कहां जाकर यह सरकार फंस गई, अन्यथा सचमुच में निजी निवेश को इतना बढ़ावा दिया जा सकता था इस उत्तर प्रदेश में, हमारी जो अपनी स्थिति है

अपने संसाधनों से सरकार कुछ भी बहुत बड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं है। सरकार चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो चाहे किसी पार्टी की स्थिति हो जहां वेतन, पेंशन में और जो अनिवार्य देय हमारी है उस पर 80 प्रतिशत का व्यय हो जाता है। 20 प्रतिशत में सारी योजनायें जहां कार्यान्वित की जानी हो वहां हमें निजी निवेश आमंत्रित करना होगा। निजी निवेश आमंत्रित किये जाने के हम खिलाफ नहीं हैं लेकिन निजी निवेश आमंत्रित किये जाने के लिए जिस माहौल की आवश्यकता थी वह नहीं बना पाए। जितने वायदे हुए और जितने भी एम0ओ0यू0 का जिक्र किया उसका एक चौथाई भी धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। मैं अभी थोड़ा फीगर आपके सामने रखूंगा लेकिन आपने बार-बार यह बात कही, आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते दो तीन घरानों को तो आपने कर दिया मैं उल्लेख करूं बहुत काबिल और बहुत सशक्त मंत्रीगण हैं लेकिन उनकी क्या स्थिति है कि एक व्यक्ति के हाथ में आबकारी, खनन और खनिकर्म, एक व्यक्ति को उसका मालिक बना दिया। एक व्यक्ति को मालिक बना देने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है, उसे पूरा प्रदेश झेल रहा है। आप अपनी नीतियों को चाह करके भी न तो सर्वसमाज के लायक बना पा रहे हैं, न तो दलित समाज के लायक बना पा रहे हैं और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है, परिस्थितियां आपके सम्मुख थीं क्योंकि बजट का घाटा बहुत कम करके दिया गया था, उसके बाद भी आप उसे नियंत्रित नहीं कर सके। पूर्ण बहुमत की सरकार थी लेकिन इतनी मजबूरियों से घिरी होने की जो स्थिति है।

मान्यवर, वह इस कारण से है। उसे मोड़ा जा सकता था, परिस्थितियां अनुकूल थीं, लेकिन 4 वर्ष बीतने के बाद भी आज सरकार जो कुछ भी करना चाह रही है, उसमें उसकी हताशा साफ झलकती है क्योंकि जिन चीजों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए, उसके बजाय हर हाथ पर एक-एक बताशा रखने का काम कर दिया। सबका नाम ले लिया, लम्बा बजट है, आखिरी बजट सरकार पेश कर रही है, आगे बजट नहीं मिल पायेगा लेकिन मान्यवर, आखिरी बजट में भी सबके हाथ पर एक-एक बताशा रख दिया, इससे काम बनने वाला नहीं है। जिन योजनाओं के लिए जितनी आवश्यकता थी, आप प्लान बनाते और पूरी तरह से उस योजना को पल्लवित करने के लिए उसे पुष्पित करने के लिये आप प्रबन्ध करते लेकिन ऐसा प्रबन्ध करने के बजाय आप डर गये और डर करके सबके हाथ पर थोड़ा-थोड़ा रख दिया। मान्यवर, हमने एक किस्सा सुना था, एक गांव में घटना घटी थी। एक बड़े भारी तैराक थे और बड़े सेवक भी थे, नाव नहीं थी, कुछ लोगों को किनारे जाना था, एक ने कहा कि बहुत जरूरी है, उस पार पहुंचा दो। उन्होंने कन्धे पर लादा, आधे रास्ते आए, तब तक दूसरे ने आवाज दिया कि उससे ज्यादा जरूरी हमें जाना है, उस व्यक्ति ने उसे वही नदी में पटका और खुद किनारे चला आया। दूसरे व्यक्ति को लेने के लिए। मान्यवर, इसी तरह का प्रबन्ध यह सरकार कर रही है। किसी योजना को किनारे पर पहुंचाने का कोई प्रबन्ध करने के बजाय छोटी-बड़ी सारी योजनाओं का आपने नाम ले लिया और मान्यवर, इससे होगा क्या ? जो योजनाएं आप बनायेंगे, उसके लिए कुछ धन का आप प्रबन्ध करेंगे, यदि उसे खर्च ही नहीं कर पायेंगे तो कैसे काम चलेगा और फर्जी आंकड़ेबाजी भी करेंगे। मान्यवर, आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 98 प्रतिशत राशि खर्च हो गई। लेकिन मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ 10 पर देखें, लिखा है ''राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये गये। परिणामस्वरूप, अनुमोदित योजनाओं के सापेक्ष लगभग 98 प्रतिशत का व्यय किया गया है'', 4 फरवरी के पूर्व, 3 फरवरी की रात 12.00 बजे तक। मान्यवर, जारी कितने प्रतिशत किया गया ? जारी किये

बिना ही आपने 98 प्रतिशत खर्च कर दिया, इससे बड़ा मिथ्या कथन, इससे बड़ा कोई असत्य नहीं हो सकता है। जब सरकार ने अपनी वित्तीय स्वीकृतियां 98 प्रतिशत जारी ही नहीं की तो 98 प्रतिशत व्यय कैसे हो गया ? मान्यवर, कितना इनका व्यय हुआ है, यहां मैं केवल 2-3 विभागों का रख देता हूं और पूरे प्रदेश की लगभग यही तस्वीर है। श्रीमन् गृह कारागार में इन्होंने प्राविजन किया, 9 करोड़, 70 लाख, 824 हजार के विरुद्ध 6 करोड़ 24 लाख 9418 आपने जारी किया है, यह आपके विभाग के प्रमुख सचिव की सूचना है, प्रतिशत आप जोड़ लीजिएगा, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है। मान्यवर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्होंने 35 करोड़ 1 हजार 70 हजार के विरुद्ध 18 करोड़ 78 हजार 41 माह दिसम्बर, 2010 तक व्यय की गयी राशि के बारे में सूचना दी है। ये 98 प्रतिशत है कि नहीं, आप जोड़ लेंगे वित्त मंत्री जी के पास इंतजाम हैं जोड़ने का, वे बता देंगे कि कितने प्रतिशत हुआ है।

मान्यवर, पंचायतों में और बड़ी विचित्र स्थिति है। श्रीमन् 8800, 70000 ये मान्यवर पंचायत भवनों के निर्माण में भूमिगत नाली का, आपकी प्राथमिकता का जो सेक्टर है, रोज जिसकी समीक्षा हो रही है, उसी समीक्षा वाले बिन्दु पर बता रहा हूं। मान्यवर, 8800, 70000 के विपरीत 5300, 82000 रुपया जारी हुआ है, कितने प्रतिशत होता है आप जोड़ लीजिएगा। श्रीमन् इसी तरह से मेरे पास है। पशुपालन का तो और भी विचित्र है, ये 50 प्रतिशत मात्र जारी हुआ है और आपने खर्च कर दिया 98 फीसदी। मान्यवर, प्रत्येक विभाग की यही स्थिति है। वन विभाग की भी यही स्थिति है बल्कि इससे ज्यादा खराब है। श्रीमन् अनुदान सं0-60 में 8995.50 लाख के मुकाबले 7218.69 लाख रुपये और इसी तरह से मान्यवर, इनकी अनुदान सं0-81 में, अनुदान सं0-83 में हैं। मैंन शुरू में ही कहा था कि मैं विस्तृत आंकड़े नहीं रखूंगा। मैं आपको इंगित मात्र किया है, मेरे पास सभी विभागों के आंकड़े मौजूद हैं। मैं केवल अभी जारी की हुयी राशि की बात कर रहा हूं जो राशि जारी हुयी है उसका 60 फीसदी भी खर्चा नहीं हुआ है। एक और बड़ा विचित्र खेल है मान्यवर, कई बार इस सदन में यह सवाल आया है। मैं स्वीकार करता हूं कि वहां जो लोग बैठते हैं और यहां जो लोग बैठते हैं, बार-बार प्रतिपक्ष ने इस सवाल को उठाया है कि पी0एल0ए0 में जो पैसा चला जाता है, उसकी ठीक से मानीटरिंग करने का कोई तंत्र समुचित रूप से नहीं है। आपका डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करे, जो राशि आप बजट में प्रावधानित करते हैं, जो राशि विभाग जारी करते हैं, उस पर खर्च का क्या प्रबन्धन हो मान्यवर, इसका कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है और विभागों से जो फीगर आती है, विभागों से जो तस्वीर आती है, आपने वो पैसा आहरित किया पी0एल0ए0 में डाल दिया और खर्चा हो गया। शासन तक सूचना चली गयी कि हां यह पैसा खर्च हो गया।

जब आप धरातल पर जाकर के देखेंगे और देखते भी हैं तो आपको इसका अनुमान हो जायेगा कि ये फर्जी आंकड़े हैं। मैं दूसरी बात आज कहना चाहता हूं। मान्यवर, कि वहां चाहे वित्त मंत्री की कुर्सी पर आज आप बैठे हैं, कल कोई और दूसरा बैठेगा। लेकिन इन बातों पर कोई रोक नहीं लगायी गयी तो जो यह अनियंत्रित तरीके से जनता का पैसा और जो समुचित प्रबन्धन आप करना भी चाहते हैं उस पैसे का भी समुचित प्रबन्धन कभी भी नहीं हो सकता है, अगर इसका हिसाब किताब ठीक नहीं रखा गया। पी0एल0ए0 में रखे जाने वाले रुपये की समीक्षा के लिये, उस पर कन्ट्रोल के लिये और कम से कम अवधि के लिये कम से कम राशि पी0एल0ए0 में रखी जाय। जो वास्तव में

खर्च हो वही हिसाब में लिया जाय। यह काम करना पड़ेगा। मैं नहीं उल्लेख करना चाहता कि टू जी के घोटाले में क्या हो गया केन्द्र सरकार को, घोटालों का जिक्र अभी नहीं करूंगा। घोटालों का जिक्र तो बाद में होगा, अभी दूसरी बात सरकार के बारे में कहनी है। लेकिन जिन बातों को हम बहुत ईमानदारी के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन बातों को करने की दिशा में भी आगे चलने के सभी रास्ते बिल्कुल पूरी तरह बन्द हो जायेंगे। यह बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जो फीगर शासन के मंत्री के रूप में आप के सम्मुख उपस्थित है, वह फीगर स्वयं अपने आप में फर्जी है। खर्च की ये राशि जो आपको अवगत करायी जाती है वह सही नहीं है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं बन पा रहा है। खर्च जो आपने किया अब फिर उस पर नहीं जाना चाहूंगा। चुनावी वर्ष है तो लोक लुभावन बजट तो प्रस्तुत करना ही था, कोई बुराई नहीं। आपने राजनैतिक हितों के साधन के लिये, आप तटस्थ होकर के न्यायाधीश नहीं हो सकते। आप राजनैतिक दल हैं और राजनैतिक दल के नाते अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिये नैतिक आधार पर जितना जो कुछ करने की आपको अनुमति है, आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आपके पास तरीके हैं, अपनी प्राथमिकतायें आप बदल सकते हैं, अपनी प्राथमिकतायें आप तय कर सकते हैं। स्थिति यह है कि वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2009-10 के मध्य 50 हजार करोड़ रुपया आपका खर्च बढ़ गया और अपने कुल संसाधनों से 25 हजार 7 सौ 67 करोड़ की मात्र प्राप्तियां आपकी हो सकी। इस 25 हजार करोड़ के गैप को बाजीगरी से कैसे पूरा करेंगे। जादूगरी से आंकड़ों में अगर छाप देंगे या अच्छा भाषण आप देते हैं लेकिन आपके भाषण से तो यह गैप पूरा होगा नहीं उसको पूरा करने के लिये जो अनावश्यक फिजूलखर्ची है उसको बन्द करना पड़ेगा और जानबूझकर के जिस धन का इस्तेमाल सचमुच के वास्तविक विकास के लिये किया जाना चाहिए था उसको लोगों को मात्र आकर्षित और प्रसन्न करने के लिये खर्च करने का काम करेंगे तो मूल योजनाएं भी रुक जायेंगी। प्रदेश का विकास तो रुका ही हुआ है और उससे आगे मान्यवर, इस बाजीगरी से इसको कैसे करेंगे। श्रीमन्, इसलिए मैं आपकी इस बाजीगरी के मामले में कहना चाहता हूं कि इस बाजीगरी से काम चलने वाला नहीं है और कुछ विभागों के बजट पर बहुत जोर से मेजें बजी हैं। कस के मेजें बजीं, शिक्षा विभाग के बजट में 19 फीसदी की बढ़ोत्तरी, बहुत जोर से मेजें बजी, गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। मैं उस दिन संयोग से सदन में नहीं था, लेकिन इसकी गूंज बाहर तक सुनाई पड़ी, क्योंकि बार-बार प्रेस में भी यही बात आई, उसके आगे जोर-जोर से सबका बयान आया। शिक्षा पर बड़ा जोर और स्वास्थ्य में चमत्कार और शिक्षा में 19 फीसदी बढ़ गया। क्या बढ़ गया शिक्षा में ?

मान्यवर, शिक्षा में तो यह बढ़ गया कि स्थिति यह है कि जो शिक्षकों का अवशेष भुगतान है इनका बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता है और आपने प्रस्ताव किया है कि 80 हजार शिक्षकों की भर्ती का, भर्ती करेंगे कि नहीं पता नहीं उसके लिए प्रावधानित मात्र किया है और आपकी खर्च करने की स्थिति नहीं है और अगर होती तो अनशन पर उच्च सदन के एक सदस्य को सदस्य विधान परिषद् को 13 दिन तक बलिया में भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता। 10 महीने से बलिया जनपद में मान्यवर, अध्यापकों के घर में चूल्हा जलाने की दिक्कत हो रही है और बनिये ने उधार देना बन्द कर दिया है। आप अगर वास्तव में उस पैसे को खर्च करने की स्थिति में होते तो आपकी यह स्थिति नहीं होती लेकिन आप हैं नहीं। यह तो सिर्फ आपके आंकड़ों की बाजीगरी है और जिन लोगों ने बनाकर दे दिया उनकी निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता लेकिन करना इसलिए चाहता हूं कि नौकरशाही तो

पस्त हिम्मत है वह फंस गई है। सरकार बनने के समय से ही आपने हमारी नौकरशाही को एक गैर संवैधानिक पद कैबिनेट सेक्रेट्री के नीचे कर दिया और वह पूरी तरह से पस्त हिम्मत है। खुद भी धोखा खायी हुई है और आपको भी धोखा देना चाहती है। इसलिए इन आंकड़ों की बाजीगरी में नौकरशाही ने आपको सारी गलत सूचनाएं आगे पीछे करके लपेट दिया है। जहां पर टेस्ट होगा आप खुद करेंगे और अपने को फेल करेंगे हम काहे को आपका टेस्ट कर लें। इसलिए मान्यवर, इस सारी गड़बड़ी की वजह हम आपका इशारा हम आपकी ओर कर सकते हैं। पावर इन्फ्रास्ट्रेक्चर को बढ़ाने में आप अपनी ताकत लगा सकते थे, जिससे सचमुच का विकास होता। आपने बड़ा-बड़ा नाम लिया गंगा एक्सप्रेस-वे और उसके नाम पर जो खेल हुआ, वह दूसरे चैप्टर में बोलूंगा। लेकिन मान्यवर, चीनी मिलों की औने-पौने बिक्री जो मूल्य मिलना चाहिए वास्तविक मूल्य कहां गया, वह घोटाले का सवाल है, वह मैं दूसरे चैप्टर में बोलूंगा। लेकिन हड़बड़ी में जिन चीनी मिलों को बेच दिया, सरकारी खजाने में उनका पैसा आपने, जो मिलना चाहिए था उसका 1/10 ले लिया, तो भी कोई बात नहीं लेकिन उसको भी बेच करके इन सारी चीजों को करके आप पावर सेक्टर में इन्फ्रास्ट्रेक्चर के लिए जो कुछ करने की आपको आवश्यकता थी, वह कर पाने में सफल नहीं हुए। नारे बहुत लगे, लगा जैसे बहुत भारी काम हो जायेगा।

लेकिन मान्यवर, उनको आप नहीं कर पाये और एक और हुआ कि प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। कितनी आमदनी बढ़ रही है यह आप देख रहे हैं। इसका तो ठीक पता नहीं है लेकिन कर्ज बढ़ रहा है यह बात आपके आंकड़े भी स्वीकार करते हैं और सचमुच में इस उत्तर प्रदेश का एक-एक व्यक्ति जिस तरह से उस पर कर्जों का भार बढ़ रहा है उससे वह टूटता चला जा रहा है और आपके पास पूरे आंकड़े हैं और आपने दिया है। इसलिए श्रीमन् इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश पर 1 लाख 88 हजार 757 करोड़ 7 लाख रुपये का कर्ज है और अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 2 लाख 4 हजार 511 करोड़ हो जायेगा। कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मान्यवर, आम आदमी टूटता चला जा रहा है और हम यहां दावे कर रहे हैं विकास के कि बड़ा विकास कर लिया और उसके कर्जों का क्या होगा। कैसे कर्जों से मुक्ति मिलेगी उसको जिन किन्हीं कारणों से ही सही, लेकिन आप उससे पीछे हट गये, अगर आप उससे पीछे नहीं हटते, अगर अनुशासन बनाये रखते तो यह परिस्थिति हमारे सम्मुख नहीं आती। क्योंकि उसका परिणाम देखा हमने 2004 में मान्यवर, जहां हमारे बजट का घाटा साढ़े सात परसेन्ट, 7.4 प्रतिशत के आस-पास था, जब अपने अनुशासन के लिए हमने मान्यवर, जब स्वयं विधायन किया कि नहीं हम अनुशासित अपने वित्तीय प्रबन्धन को करेंगे और इसको दूसरी जगह नहीं जाने देंगे, तो घटकर के हमारा यह बजट का घाटा घट कर नीचे आया, 3.1 प्रतिशत पर आया, 2006-2007 के बजट में, उसके बाद की स्थिति आपने बजट प्रस्तुत किया है और फिर यह क्यों बढ़ गया, इन कारणों से बढ़ गया और फिर आप घबड़ा करके फिर उसका संशोधन ले आये। फिर आज यह संशोधन लेकर के आये। यह संशोधन मत लाइये, संशोधनों से काम नहीं चलेगा, अनुशासन की डोर तो माननीय अध्यक्ष जी, जो रखी जाती है अगर एक बार भी उसको ढीली की तो एक बार ढीली होने के बाद फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि हम आज ढीला करेंगे, हमको डायटिंग का निर्देश है, जांडिश हुई आपको तेल नहीं खाना और एक दिन समोसे खाये चार, क्या फर्क पड़ता है फिर तीन दिन के बाद अगर खा लिये दो तो क्या फर्क पड़ता है, उसके

सिर्फ लीवर सिरोसिस होगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह मैं कहना चाहता हूं, वित्तीय अनुशासन को ठीक करने के लिये जहां संकल्प था उस दिशा में हम बढ़ रहे थे कि 2010-2011 तक आते-आते हम बजट घाटे को शून्य करेंगे इस उत्तर प्रदेश में और उस दिशा में लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार मान्यवर, बढ़ रही थी।

आपने स्वयं अपने लिए बनाये हुए कानून को ढीला किया और आपने उसकी जो लिमिट ढीली की उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आप कर सकते थे अनुशासन, अगर आपने किया होता तो पांच साल के लिए आप चुनकर के आये थे, एक साल, दो साल आप इस पर अपने को और अनुशासित करते तो प्रदेश की स्थिति ठीक हो जाती और ठीक होने के बाद आप ढंग से इसे इस्तेमाल करते और बढ़िया योजनाएं ले आ सकते थे, इसलिए जो गम्भीर भूल हुई वह बजटीय प्रबन्धन के लिए मान्यवर, वह हमने मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 जो हम ले आये थे, उसमें पहला संशोधन आपने किया वह इतना खतरनाक संशोधन किया और उस खतरनाक संशोधन का दुष्परिणाम है कि आज आपको दावे करने पड़ रहे हैं, फर्जी और फर्जी दावा क्या है, मान्यवर, कैसे बजट बना है जरा इसकी तस्वीर देख लेंगे तो श्रीमन् मैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने तो बनाया ही है, उनको तो मालूम ही है, लेकिन बाकी लोगों का भी ध्यान इस पर चला जायेगा तो पता चल जायेगा मान्यवर, इसमें राजस्व बचत का उल्लेख है और राजस्व बचत का उल्लेख मैं देना चाहता हूं कैसे इन्होंने किया, इन्होंने पिछले वर्ष के राजस्व बचत से 12 गुना अधिक अगले साल इन्होंने अपने इस बजट भाषण में रख दिया, कमाल है, आश्चर्यजनक है, उतना रखते, थोड़ा बढ़ाते, कम पेश करते, मान्यवर, 12 गुना इन्होंने कर दिया, श्रीमन् आप देखें इसमें है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अगर यही सही नहीं है तो पूरा यह बजट फर्जी हो जायेगा क्योंकि जिस आधार पर हम आंकलन और अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। मान्यवर, कहते हैं बजट वर्ष में राजस्व बचत 5635.04 करोड़ अनुमानित है और 2010-2011 के बजट में 554.40 करोड़ राजस्व बचत होने का अनुमान है। मान्यवर, अनुमान है 554 का अगले वर्ष का अनुमानित है 5635, इस तरह से मान्यवर, यह बजट ले आये हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं यह बजट आपका इस तरह से साधारण ढंग से नहीं तैयार हुआ है, 12 गुना, 15 गुना, 50 फीसदी, 80 फीसदी, इस तरह से अगर ऊपर और नीचे जाने का क्रम है तो हम कहां अपने को टिकाये रख सकते हैं और कहां इन सब बातों का मतलब ढूंढे हम। श्रीमन् दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस प्रदेश के किसानों का जिक्र नहीं किया जाय और बजट में आपने खेती-किसानी के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए अगर इसका जिक्र न किया जाय और दूसरा आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है मंहगाई की चिन्ता आपने स्वयं व्यक्त की है। मान्यवर, मंहगाई पर आपने चिन्ता व्यक्त की इसके लिए आपको धन्यवाद। मंहगाई आपको याद रही इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, आपने अपने भाषण में पृष्ठ 8 पर यह लिखा है कि ''मंहगाई पर रोक लगाने की जगह केन्द्र सरकार द्वारा केवल यह बयान देकर कि यह समस्या क्षणिक है तथा कुछ दिनों में मंहगाई दर नियंत्रण में आ जायेगी, यह समझ लिया गया है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी है, जबकि मंहगाई की समस्या खत्म होने की जगह विकराल रूप धारण करती जा रही है। यह अत्यन्त दुखद है कि केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार इसे छोटी समस्या बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है।''

मान्यवर, जो केन्द्र सरकार की दृष्टि है उसका आपने उल्लेख किया है। उसका आपने सही उल्लेख किया है। केन्द्र सरकार गाफिल है। उसकी जिम्मेदारी लेने के स्थान पर उसको नियंत्रित करने के स्थान पर केवल वह बयान देती जा रही है। प्रधान मंत्री एक बयान दे रहे हैं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि बता दूं कि कब तक महंगाई थम जायेगी। फिर वहां के एक मंत्री जी का बयान आ गया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। फिर दूसरे जो प्रभारी मंत्री हैं उनका बयान आ गया कि सारी दुनिया में मंहगाई बढ़ी है। हमारे यहां जो मंहगाई बढ़ी है वह कम बढ़ी है। यह लोग उसी से संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि अभी लोगों की कमर टूटी नहीं है।

(माननीया मुख्य मंत्री के सदन में प्रवेश करने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हमारा यह सौभाग्य है कि माननीय नेता सदन यहां पर मौजूद हैं। जो इस तरह भाषण में गलतियां हुई हैं उसको ठीक करायेंगी उससे वित्त मंत्री जी का कुछ भार हल्का हो जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिल्कुल कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे लगे कि इस बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण लगाने की उसकी कोई मंशा भी है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयासों का तो उल्लेख किया है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस सम्बन्ध में इसे दूसरे का बच्चा बनाकर उसके कंधों पर ही सारी बात डाल दी है। महंगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की भी कोई भूमिका हो सकती है उसके बारे में एक शब्द भी इस पर खर्च करने का आपने काम नहीं किया है। मान्यवर, यह संघीय ढांचा है इसमें केन्द्र सरकार की अपनी भूमिका है और राज्य सरकारों की अपनी भूमिका होती है। केन्द्र सरकार जिन वस्तुओं पर नियंत्रणकारी उपाय कर सकती है। वह उसके कदम होते हैं। लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती है।

राज्य सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए एक वाक्य भी नहीं कहा है। केवल अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने आगे कहा है कि ''राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के ठोस कदम उठाये गये हैं। हमारी सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चावल, दाल, खाद्य, तिलहन एवं खाद्य तेल पर स्टाक सीमा लगाई गई है। चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 31 मार्च, 2011 तक लागू की गई है।'' मान्यवर, यह विचारणीय विषय है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो हर चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं क्योंकि वह सारी महंगाईयों की मां है। मान्यवर, जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अपने आप और चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इन स्थितियों से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये हैं। आस-पड़ोस के प्रदेशों के मुकाबले आपका कर ढांचा टेढ़ा है, करों की दरें 25 से 30 प्रतिशत है। उसके चलते यहां पर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं क्योंकि इस तरफ आपने ध्यान देने का काम नहीं किया है। आपके द्वारा इस बढ़ती महंगाई से प्रदेश की जनता को निजात दिलाने के लिए जो प्रयास किये जाने चाहिए वह आप नहीं कर पा रहे हैं। चावल की स्टाक सीमा के बारे में आपने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है। आपने बस इसमें यह कहा है कि रियायती मूल्य पर प्याज, पीली मटर, चीनी एवं अरहर की दाल की बिक्री

कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से की जा रही है। मान्यवर, आप भी सरकार में बैठे हुए हैं आपसे सरकार के मंत्री जी लोग मिलते होंगे आपको रिपोर्ट देते होंगे। आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे लोगों से मिलते होंगे, लोग आपको महंगाई के बारे में जानकारी देते होंगे कि उनकी हालत आज क्या हो रही है। मान्यवर, आपके प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है यदि जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलती है। आपने जो कहा है वह औपचारिकता है। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए क्या-क्या और आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं इस पर आपकी कोई सोच नहीं है। इसके बारे में जो आपकी परिभाषा है उसके बारे में मैंने पहले उल्लेख कर दिया है। मान्यवर, जो कृषि की स्थिति है वह बहुत कठिन है। किसान इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिस देश में सर्वाधिक आबादी इसी पर आधारित हो, हम अपने प्रदेश की बात करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आबादी है वह कृषि पर आधारित है चाहे कृषि मजदूर हो वह भी जब कृषि लाभान्वित होगी तब जाकर के उसके घर पर भी अनाज जायेगा। हम जिस भी योजनाओं को चलाना चाहें अगर खेती लाभप्रद नहीं है तो हम किसी बेहतर आर्थिक स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुरू में आजादी के बाद से जो दिशा बनी, श्रीमन् दूसरी ओर मैं नहीं भटकना चाहता कि मैं केन्द्र और दूसरी योजनाओं की चर्चा करूं मैं बिलकुल केन्द्रित हूं जो बजट हमारे सामने रखा गया है इस पर लेकिन जो किसानों की दुर्दशा हुई जो किसानों की बुरी हालत हुई है, अपनी ओर से बयान दे देने मात्र से या यहां संख्या बल पर मैं खड़ा हो जाऊं और मेरे पीछे के लोग मेजें बजा दें या कोई बड़े पावरफुल मिनिस्टर साहब खड़े हो जाय और उनके पीछे उनके डर के मारे लोग मेजें पीट दें तो इससे किसान की हालत ठीक होने वाली नहीं है। माननीया नेता सदन मौजूद हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हुआ यह है कि इस प्रदेश में किसान की स्थिति बेहतर होने के बजाय खराब हुई है। पिछली बार कहा और उसके पिछली बार कहा कृषि मंत्री जी ने, आपने अपने बजट भाषण में इसके पहले सरकार की नीतियों में कहा कि हम खाद का बफर स्टाक बनायेंगे, कब बनायेंगे मुझे पता नहीं, कहां-कहां बनायेंगे यह भी पता नहीं आपको पता नहीं तो हमको कहां से पता होगा। आपको पता नहीं आपने तो एक वाक्य कह दिया लेकिन आपको स्वयं पता नहीं तो हमको और प्रदेश को कहां से पता होगा। लेकिन मान्यवर, यूरिया खाद की किल्लत जिस पैमाने पर हुई है।

माननीया नेता सदन, मैं आपको बताना चाहता हूं कारण जो होंगे वह आपके अफसर क्या बताते हैं मुझे नहीं पता लेकिन आप यह जान लीजिए कि यूरिया खाद की जितनी किल्लत इस रबी के फसल में हुई है पूरे अपने स्मरण में मैं बता सकता हूं एक किसान के घर से आता हूं, स्वयं खेती से जुड़े हुए हम लोग हैं कभी इतनी किल्लत दिक्कत यूरिया खाद की इस प्रदेश में नहीं हुई। डाई की हो जाती थी कई बार। डाई बोने के समय कम आती थी क्योंकि इम्पोर्ट होती थी कई बार आ गयी, कई बार नहीं आई, केन्द्र ने भेज दिया नहीं भेज दिया पोर्ट पर उतर गया पोर्ट से आ गया वहां माल गोदाम में उतर गया, यार्ड में फंस गया जो भी होता हो, डाई की दिक्कत होती थी। लेकिन यूरिया की इतनी कठिनाई हुई है और आंकड़े आपके बोलेंगे अपनी जगह पर बहाने चाहे जितने कृषि वैज्ञानिक बनायेंगे लेकिन असली रिपोर्ट आप ले लीजिएगा। रबी की फसल निश्चित रूप से कमजोर होगी और हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय यह निश्चित कमजोर होगी यूरिया के अभाव के कारण। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो पहले से भी आपके संज्ञान में होगी। इसलिए जो किसानों की स्थिति है, गन्ना किसान की क्या स्थिति है आप कह देंगे कि हमने

गन्ना का इतना मूल्य बढ़ा दिया। मिलों की कब पेराई शुरू होती थी, पेराई अक्टूबर में शुरू होनी चाहिए थी और पेराई कब शुरू हुई। मैंने फिर कहा कि आंकड़े और डेट बता देने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमन् किसान तो पूरी तरह से चाहे आलू का किसान हो, गन्ने का किसान हो, गेहूं बोने वाले किसान हो, सब परेशान हैं और इन किसानों की परेशानी आपके उन भ्रष्ट अधिकारियों ने बढ़ाई है आपका कितना भ्रष्टाचार में हिस्सा है मुझे नहीं मालूम, मैं आपकी ओर इंगित नहीं कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से धान की खरीद में जितना घोटाला हुआ है पूरी तरह से किसान का धान खरीदा नहीं गया बिचौलियों को वह बेचकर भागने को बाध्य हुए और उनके माध्यम से फिर वही दे दिया गया कभी कोई शिकायत बता दी गयी कभी कोई शिकायत बता दी गयी। इसलिए खेती किसानी पर आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वह प्राथमिकता नहीं बन सकी। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से श्रीमन्, यह बताना चाहता हूं। थोड़ी बातें और हैं।

मान्यवर, पूर्वांचल से मैं आता हूं और बहुत पिछड़े जिले से मैं आता हूं जो सरहदी जिला है और अकेले सरहदी जिले की नहीं पूरे पूर्वांचल की स्थिति क्या है और पूर्वांचल पर आपकी दृष्टि क्या है। आपने क्रिटिकल गैप पूरा करने के लिए एक शानदार इंतजाम रखा है 291 करोड़ पूर्वांचल के विकास के लिए चूंकि बहुत पिछड़ गया है इसलिए क्रिटिकल गैप के लिए आपने रखा है और पूर्वांचल विकास निधि में पिछले साल आपने क्या प्रबन्ध रखा था उसके पिछले साल क्या प्रबन्ध था आप सरकार में 13 मई, 2007 को आये उसके पहले क्या था उसके आंकड़े देख लीजिएगा। बढ़ने के बजाय वह घटने की ओर आ रही है।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए)

आपके बजट का आकार दुगने से बड़ा हो गया। वर्ष 2007 में और 2011 में इन तीन-चार सालों के फासले पर हमारे बजट का आकर दुगने से बड़ा हो गया, बड़ी प्रसन्नता है लेकिन इस दुगने आकार में मान्यवर, पूर्वांचल को जो उसके विकास के लिये राशि मिल सकती थी वह आधी हो गयी। 117 विधान सभा क्षेत्रों वाले इस अंचल में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि जहां दूसरे प्रदेशों में, हम बिहार का नाम लेना चाहते हैं कि जहां मजदूरों का पलायन रुका दूसरे प्रदेशों में जाने के लिये, वहीं उत्तर प्रदेश में हमारा मजदूरों का पलायन बढ़ा है। इसके दो कारण हैं एक तो कृषि हमारी लाभप्रद नहीं रही और दूसरे मनरेगा वाली जो योजना है, उसके लिये पिछले साल आपने राज्यांश के रूप में प्रस्तावित जितनी राशि किया था, उसमें इस बार घटा दिया 900 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया। अब जब उसमें भी आप घटायेंगे तो काम कैसे चलेगा। जब आप केन्द्र द्वारा जो योजना चलाई जा रही हैं उसमें जो राज्यांश के तौर पर आप प्रस्तावित करते हैं वह राज्यांश भी आपका मजदूरों के लिये विशुद्ध रूप से घटकर 900 करोड़ से 500 करोड़ हो जाता है तो आपकी दृष्टि क्या है मजदूरों के प्रति। आप चाहे जितनी जोर से नारा लगा लीजिए और चाहे जितनी जोर से लोगों में भ्रम फैला लीजिए। लेकिन इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। जिस दलित की आप बात करते हैं उस दलित का नाम लेकर आप चाहे जितनी योजनाओं का उल्लेख करते रहें मान्यवर, उसकी स्थिति तो तब ठीक होगी जब उसके घर में आपके बजट से निकलने वाला रुपया ठीक से, ईमानदारी से पहुंच जायेगा, यह रुपया उसके विकास के लिये होगा और उसके चूल्हे पर जो पतीली रखी जाती है, उसकी दाल के लिये होगा, उसकी रोटी के लिये होगा। तब जाकर उसकी स्थिति में बेहतरी आयेगी,

वह रुपया उसके बच्चों की पढ़ाई के लिये होगा, उसके बीमार मां-बाप की दवाई के लिये होगा अन्यथा विकास नहीं हो सकता और उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ।

मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं बस मैं दो बातों पर और उल्लेख कर दूं। माननीया मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता की बात इन क्षणों में माननीया नेता सदन के सामने कहने की स्थिति है। इसमें आपको वेलेन्टाइन डे सूझता हो तो आप वेलेन्टाउन डे मनाइये आपको मुबारक। हम वेलेन्टाइन डे की ओर अपनी नजर ले जाने की स्थिति में अभी नहीं है। मान्यवर, पिछड़े वर्गों की जितनी आबादी है हमारे प्रदेश में और उनकी शादी के लिये, उनकी बीमारी के लिये जो अनुदान की व्यवस्था है आपने मान्यवर, अभी बढ़ाया है। कुछ वर्गों के लिये आपने कहा है कि हम बढ़ा दे रहे हैं लेकिन पिछड़े वर्गों के लिये आपने नहीं बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछड़े वर्गों की शादी अनुदान की स्थिति पर जिले का आंकड़ा आप प्रस्तुत कर देंगे कि कितने लोगों ने उसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया और कितने लोग उसके लिये पात्र पाये गये और उन पात्रों में से कितने प्रतिशत को आप दे सके। यह आप रख दीजियेगा। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जिलों से आंकड़े मंगाकर आप प्रदेश के पैमाने पर रख देंगे कि पिछड़े वर्ग के कितने लोगों ने शादी के लिये अनुदान का प्रार्थना-पत्र दिया, पात्र लोगों ने और उसमें से कितनों को दिया जा सका। कारण, क्या आपके पास बजट नहीं है। बहुत थोड़ी व्यवस्था है उसके लिये, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा जिनके नुमाइन्दे के तौर पर आप वहां बैठे हैं। मान्यवर, उनकी स्थिति इतनी दयनीय और गम्भीर है। मान्यवर, इसलिए यह स्थिति है। एक विषय रह गया है उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मान्यवर, पिछली सरकार के कार्यकाल में जो प्रारम्भ में अधूरे कार्य थे, उनको पूरी तरह ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया, कई जगहों से सामान भी उठा लिया गया मैं अपने क्षेत्र का जिक्र क्यों करूं, उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलना है। हमारे क्षेत्र में एक पुल था, उसका पूरा पैसा हम देकर गये थे लेकिन वह इन चार सालों में पूरा नहीं हुआ। आगे भी जब तक मान्यवर, भाव यही बना रहेगा कि विपक्ष में बैठे लोग शत्रु हैं तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोग तो वहां के शत्रु नहीं हैं। इसके अलावा एक बात बहुत जरूरी छूट जा रही थी, उसके बिना तो मान्यवर, सब कुछ बेकार हो जायेगा। श्रीमन् भयमुक्त, अपराधमुक्त और भष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था पर सब कर दिया इन्होंने। श्रीमन् सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त यह प्रदेश है कि नहीं, यह तो पता नहीं है लेकिन पारदर्शी भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेन्ट भ्रष्टाचार, जहां से देखना चाहिए वहां से देख लीजिए। पारदर्शिता इतनी है कि भ्रष्टाचार में कहीं कोई कुछ दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक विषय कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पर आज 20 बलात्कारों की लिस्ट आयी, परसों 50 बलात्कारों की लिस्ट आई और उस पर जो बात मैं कहना चाहता था चूंकि नेता सदन अब चली गयी है। लेकिन मैं आपसे जरूर जोर देकर कहना चाहता हूं कि आंकड़े देकर माननीय मंत्री जी कानून व्यवस्था का जिक्र नहीं किया जाता। आपके राज में यह हो गया, फलां प्रदेश में यह हो गया। आंकड़े देकर कानून व्यवस्था कोई सरकार नहीं बना सकती। श्रीमन् यह कहा जायेगा कि बलात्कार में उत्तर प्रदेश अभी पीछे हैं, दूसरे प्रदेशों से इसलिये हम उसके बराबर आने का विचार करेंगे। यह दृष्टि होगी सरकार की। एक जघन्य कृत्य हो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो, उसके बाद उसकी हत्या हो और उसमें ऊंचे लोगों का नाम आये, इस पर शर्म करने के बजाय, इस पर इन्तजाम करने के

बजाय अगर यह होगा कि आंकड़े में उत्तर प्रदेश में हम बलात्कार में अभी पीछे हैं तो इसलिए बड़ा संतोष है हमको तो इससे तो काम नहीं चलेगा। इस दृष्टि से कभी ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं हो सकता और ला एण्ड आर्डर ठीक न होने की वजह क्या है। सरकार की ओर से जो बयान जाना चाहिए उन बयानों के लिये आपने पुलिस अधिकारी को ढूंढ लिया है। भाषण देने का काम अब राजनेता नहीं करेंगें।

भाषण देने का काम अब सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। एक घटना पिछले दिनों बुन्देलखण्ड में हुयी। एक भूखे नंगे निषाद जाति के डकैत को पुलिस ने मारा। छः पुलिस वाले शहीद हुये। सरकार का हेलीकाप्टर उतरा, बड़े-बड़े अधिकारी गये। 3-4 दिन लग गया, एक अंडरवियर पहने, 48 घण्टे से भूखे को गोली मारने और इनकाउन्टर करने में। मुझसे लोगों ने कहा कि यह तो बड़ा आसान है, आप लोगों ने बिना वजह इतनी मेहनत की। अगर आपकी संसदीय कार्य मंत्री जी से बात होती हो तो उन्हें बता दीजियेगा। तब अवसर नहीं मिला इसलिए अब बता रहा हूं। हमने कहा कि क्या उपाय था, तुम पहले क्यों नहीं बताये। तो उन्होंने यह कहा कि उपाय यह था कि पुलिस विभाग में एक अधिकारी इनके बड़े ऊंचे पद पर है और भाषण देने में बड़े माहिर हैं। उन्हीं को एक लाउडस्पीकर देकर के वहां भेज दिया जाता वह देर तक भाषण करते, तो निश्चित ही वह अपनी बन्दूक फेंककर भाग जाता और कहता कि गोली चाहे जितनी मारो लेकिन अब यह तुम्हारा भाषण मुझसे बर्दाश्त होने लायक नहीं है, मैं सरेन्डर कर देता हूं। मान्यवर, निश्चित वह बन्दूक छोड़कर आगे चला आता, आपने बिना वजह 6 लोगों को मरवा दिया और करोड़ों रुपया बर्बाद करवा दिया। 48 घण्टे तक गोली चलाते रहे। आप उसका भाषण करवा देते और हो जाता। भाषण से सारा इंतजाम हैं माननीय अधिष्ठाता जी, इसलिये श्रीमन् ला एण्ड आर्डर के सवाल पर जो आंकड़ेबाजी आप करते हैं उस आंकड़ेबाजी से यह काम नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपका ध्यान आपकी दृष्टि और आपकी दिशा की ओर ले जाना चाहता हूं। आपकी दृष्टि इस ओर हो कि जो घटना निन्दनीय है, शर्मनाक है उसको उस तरीके से स्वीकार करें। जिस तथ्य को आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, उस तथ्य को स्वीकार किये बिना आप उसका उपाय क्या करेंगे। आपके जेहन में वह चीज आयेगी ही नहीं। आपके मन में वह संवेदनशीलता पनपती ही नहीं। अगर आपके सामने कोई सवाल आता है कि इतनी गम्भीर घटना हो गयी तो तुरन्त आंकड़े और तुरन्त उस दरोगा का बचाव, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ला एण्ड आर्डर खराब होने की वजह ही यही है। ला एण्ड आर्डर खराब होने की सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार प्रत्येक स्तर पर। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार और जब भ्रष्टाचार व्याप्त है तो आपमें नैतिक बल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते और भ्रष्टाचार के बाद उस पर नियंत्रण नहीं रह गया है।

मान्यवर, कुछ अधिकारी इस प्रदेश में ऐसे हैं वह ऊंचे तल पर बैठाये गये हैं या नीचे तल पर बैठाये गये हैं यह मुझे नहीं पता। लेकिन मान्यवर, इस सरकार के मंत्री तक उनसे हिलते हैं। उनसे बड़े अदब से बात करते हैं और मान्यवर, मेरी यह मदद कहां से हो पाई, मुझे बहुत सारी जानकारी हमारे उन मित्रों ने दी, जो यह बात नहीं कह सकते थे, उन लोगों ने मुझसे कहा है। इसलिए माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संक्षेप में अभी इन बातों का उल्लेख करना चाहता था। कुछ और बातें हैं अगर आप अनुमति देंगे। लेकिन हमारे मित्रों को बड़ी पीड़ा हो रही है। अब इनकी पीड़ा के लिये हम क्या करें। हम तो उनकी मदद नहीं कर सकते। हम तो इन लोगों की पीड़ा सदन में और आप तक

पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा मामला है। कोई किसी दल में चला जाये, सेवानिवृत्त होने के बाद चला जाये तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बनारस में सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है और उस प्रत्याशी को उसी विधान सभा क्षेत्र जहां से वह एम0एल0ए0 का प्रत्याशी घोषित हुआ है वहीं पर एक पुल के उद्घाटन में बहुत बड़े अधिकारी की हैसियत से उनकी नाम पट्टिका लग रही है, यह कौन सी नयी रीति है यह बात समझ में नहीं आती। आपने एक बार प्रत्याशी घोषित कर दिया तो आपकी नीयत स्पष्ट हो गई और फिर उन पदों पर बैठने वाले, बड़े-बड़े फैसले करने वाले लोग कैसे सही निर्णय कर पायेंगे यह हमें बता दीजिए।

मान्यवर, नहीं हो सकता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जब एक बार आपका इंटरेस्ट हो गया तो आप कभी इंटरेस्ट से मुक्त नहीं हो सकते। मैं बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं कह रहा हूं कि 27 सौ करोड़ की सड़कें किस कम्पनी को किसकी पार्टनरशिप में दी गई। विभाग का बजट आये तो उस समय इस पर बात करेंगे। आज सिर्फ इशारा करना चाहते हैं और यदि आप समझ रहे हैं कि आपकी यह तानाशाही चल जायेगी तो हुस्नी मुबारक की तानाशाही नहीं चली, दुनिया में जहां-जहां तानाशाही है सभी तानाशाहों पर खतरे हो गये हैं और उत्तर प्रदेश में भी आपकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। यह अत्याचार, भ्रष्टाचार और तानाशाही आपकी चलने वाली नहीं है। कानून-व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी एक ओर एक अधिकारी को आप तीन हजार करोड़ रुपये का निर्णय लेने का मालिक बना देंगे और उसके विधान सभा क्षेत्र में ले जाकर उसकी नाम पट्टिका लगवायेंगे और उसको प्रत्याशी भी घोषित कर देंगे। मान्यवर, इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि राजनीति में आ रहे थे तो थोड़े दिन धैर्य रख लेते। स्थिति बहुत डावाडोल है, बहुत बड़ा बजट जिस विभाग का हुआ करता है उस विभाग में अधिकारी नहीं रह गये हैं। सर्वोच्च पदों पर संविदा में लोग रखे जा रहे हैं अब हमारे प्रदेश में काबिल इंजीनियर नहीं रह गये हैं सारे काबिल इंजीनियर समाप्त हो गये हैं। एक काबिल रह गया है और उसको संविदा पर रखने की आवश्यकता हो गई है। सर्विस का विस्तार एक साल, सर्विस का विस्तार दो साल और अब नहीं हो सकता था तो उसे संविदा पर रख दिया। कैसे होगा विकास, कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार और नहीं रुकेगा भ्रष्टाचार नहीं होगा विकास तो कैसे कानून-व्यवस्था ठीक होगी। मान्यवर, पस्त हिम्मत पुलिस है और हतोत्साहित नौकरशाही है। पुलिस क्या करे उसे आपने अपराधियों की सुरक्षा में लगा दिया है, वह बताना चाहती है कि यह अपराधी है आप कहते हैं कि इसे बचाना है। विधायक बलात्कारी, मंत्री बलात्कारी, बलात्कारी बसपा नेता, उसकी सूची नहीं पढ़ेंगे। मान्यवर, यदि पुलिस को इनकी तावेदारी में लगा दिया जायेगा तो वह आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको ध्यान होगा कि यहां स्वास्थ्य निदेशालय में अफसर शीला की जवानी डांस पर थिरकता है, सारा प्रदेश देखता है, शर्म से डूब मरने की आवश्यकता है। शीला की जवानी और शीलू प्रकरण यह दोनों घटनाएं कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई तो नहीं है। क्या मानसिकता यहां तक आ गई है कि यहां का अधिकारी स्वास्थ्य निदेशालय में हाथ में जाम ले करके नाचता है और दूसरी ओर उसका राजनैतिक पक्ष इस नाच को आगे बढ़ाकर बलात्कार में तब्दील कर देता है। इन दोनों के बीच रिश्ता है या नहीं इसे भी जांचने का समय आ गया है। हम कहते हैं कि दोनों के बीच रिश्ता है। इसलिए जब आप कानून-व्यवस्था पर बात करते हैं तो आपका उपहास होता है, कानून-व्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं है। जब छिनैती हो जाती है और हम कहते हैं कि वहां चेन छीन ली गई तो आप बताने लगते हैं कि आपके राज में क्या हुआ। हम बताते हैं कि

वहां डकैती हो गई तो आप कहते हैं कि नहीं-नहीं उनसे मतलब नहीं है पुराने समय में क्या हुआ इसका हवाला ले करके आ जायेंगे। इसलिए मान्यवर, यह स्थिति है। मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, सरकार स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग बलात्कारी नहीं हो सकती। आई0पी0सी0 में प्राविधान है कि महिला बलात्कार नहीं कर सकती। सरकार स्त्रीलिंग है, बलात्कार नहीं कर सकती। बलात्कारी सरकार नहीं है लेकिन बलात्कारों की सरकार है और बलात्कारियों की सरकार है, यह बात पूरी तरह से साफ है और इतिहास आपको इसी नाम से याद करेगा। इसलिए श्रीमन्, इस बजट में हमने जो कुछ कहने का प्रयास किया है। वह सिर्फ आपकी ओर यह इशारा करने का काम किया है कि अब भी समय है, आप सचेत हो जाईये। आप पूरी तरह से उसको बदल करके और ठीक से जनता के विकास के लिये समुचित योजनायें ले करके आईये। अब भी हिदायत कीजिए और बजट पारित करने के पहले आपके पास पूरा अवसर है कि अपने आंकड़ों को ठीक करके ले आइये और सही ढंग से एक ऐसा बजट ले आईये जिससे यह प्रदेश सचमुच में विकास की ओर उन्मुख हो सके और जिनके लिए शपथ लेकर, जिनकी सेवा के लिए हम लोग आये हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस मैराथन सम्बोधन के बाद में बहुत कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं रहा फिर भी मैं दो-चार बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह हर सरकार की बाध्यता होती है कि वर्षभर खर्चे करने के लिये विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए विधान मण्डल की अनुमति लें और इस हेतु मुख्य रूप से बजट आता है। अबकी बार भी आया है। हम लोग सब आंकड़ों की बात करते हैं कि फलॉ विभाग के लिए इतना पैसा, फलॉ विभाग के लिए इतना पैसा, फलॉ योजना के लिए इतना पैसा। मान्यवर, मैं संविधान की उद्देशिका देख रहा था उसमें एक शब्द है 'समाजवादी' 'समाजवादी व्यवस्था' की संरचना करना, एक उद्देश्य है। जब इस उद्देश्य की ओर मेरा ध्यान गया, एक ओर जब हम 403 सदस्य बैठ करके बजट की चर्चा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरी ओर मान्यवर, मुम्बई नगर का एक उद्योगपति केवल अपना रिहायशी मकान बनाता है और उस रिहायशी मकान पर जो खर्च आता है, बहुत से विभाग उससे नीचे है। यह स्थिति है समाजवादी संरचना की। पर वास्तव में केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या सिर्फ दल हो, कमी कहीं न कहीं रही है। हम गरीब आदमी की बात तो करते रहे लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो हमारी योजनायें हैं वह गरीब आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है ? अगर बजट का पूरा आंकलन हम कर लें तो प्रति व्यक्ति साढ़े तीन रुपये से अधिक नहीं पड़ रहा है, इतना बड़ा विरोधाभास इस देश में पैदा हो गया है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को या विधान मण्डल को दोषी नहीं बनाता लेकिन हां, दोष इस व्यवस्था का है और इस संवैधानिक व्यवस्था में ही इस संविधान की धज्जियां उड़ायी गयी हैं रही वर्तमान बजट की बात मैं एक-एक बिन्दु पर ध्यान चाहता हूं। (इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री जी उठकर जाने लगे) ठीक है, आप कार्य-मंत्रणा के लिए जाइये। यहां उपाध्याय जी, वन मंत्री जी और अनेक सारे मंत्री हैं। शिक्षा के पिलर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी है। पूरा शिक्षा जगत है। शिक्षा की जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति है उस पर थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले मैं जो प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है पिछले 4 वर्ष में, उसकी एक झलक देना चाहता हूं। विकास शुरू होता है गोमतीनगर से और चलता-चलता रास्ते में कोई स्टेडियम आता है तो उसका पता नहीं। केन कमिश्नर का दफ्तर आता है उसका पता नहीं। नेता विरोधी दल का मकान आता है उसका पता नहीं आगे चलकर जब जेल रोड पर पहुंचता है तो पहुंचता-पहुंचता कृष्णापुरी में पहुंचता है वहां पर हरे भरे पेड़ हजारों की संख्या में नीम के वृक्ष थे उनका पता नहीं एक 10 फीट की सड़क छोड़ी जाती है जिसमें बैठकर वह लोग इतनी हवा ले पाते हैं जो उनके जीने के लिए काफी है दूसरी तरफ भवन सिंचाई विभाग का था जिसमें तमाम तरह की जांच होती थी वैज्ञानिक लोग वहां बैठते थे और योजनाएं बनाते थे कुछ ही घण्टों में उसका पता नहीं। विकास की गति कितनी तेज रही कि इतना बड़ा काम वर्षों में नहीं हो सकता था वह आपने कुछ ही घण्टों में करके दिखा दिया। इस गति से विकास चलता रहा अच्छा हुआ यह लखनऊ से आगे नहीं गया लखनऊ से आगे जाता तो दिक्कत आ जाती।

गाजियाबाद नोयडा में कुछ और हो रहा है उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। जो विकास मैंने यहां देखा जब हम सड़क पर चलेंगे तो बहुत अच्छे-अच्छे राजस्थान के पत्थर आपको दिखाई देंगे लेकिन दाई तरफ जब आप झांककर देखेंगे। तो पालीथीन फटे हाल में गरीब महिलाएं दिखाई देंगी यह संख्या एक दो नहीं हजारों में है। छोटे बच्चे विलख रहे हैं किसी के हाथ में टीन का कटोरा है एक लखनऊ वह है जिसको देखकर हम अचम्भित हो जाते हैं जिसको देखकर आगे चार वर्षों में याद किया जाएगा कि हम भी विधान सभा में बैठे थे जब लखनऊ का निर्माण हुआ था अगर देखना था तो गरीब आदमी की तरफ झांकना चाहिए था कम से कम उन लोगों के लिए व्यवस्था कर देते। कोई भी आदमी आएगा देखकर शर्म से गर्दन झुक जाएगी कि यह किस प्रकार का समाज है किस प्रकार की व्यवस्था है एक ओर भूखों प्यासे लोग तड़प रहे हैं जो फ्लाई ओवर बना रहे हैं उसके नीचे जाकर देखें कि क्या हालत है वही उनके शौच का स्थान वही उनके खाना बनाने का स्थान वहीं उनके सोने का स्थान है यह हालत इस लखनऊ के विकास की है। दूसरी तरफ चलें यह बात आई कि समाज कल्याण में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं सही बात है इस बजट भाषण में भी जब महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था तब भी नेता सदन ने बड़े विस्तार से उठाया कि हमने समाज कल्याण के अन्तर्गत योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सही दर पर अनाज उपलब्ध कराना, पर्याप्त उपलब्ध कराना एक बात कही कई केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण कम संख्या निर्धारित की है बी0पी0एल0 राशन कार्ड में संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन जितनी संख्या है क्या आप लोगों ने उसका सही इंतजाम किया है क्या आप लोगों ने सुनिश्चित किया है कि पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड दिये जायं यह काम तो राज्य सरकार का है यह काम तो केन्द्र सरकार का नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग जिनके पास दो मंजिला मकान हैं ऐसे-ऐसे लोग जिनके पास 50-50 बीघा खेती की जमीन है ऐसे-ऐसे लोग जिनके उद्योग चल रहे हैं उन लोगों के नाम बी0पी0एल0 सूची में शामिल है। गरीब जिसके लिए बी0पी0एल0 की कल्पना की गई थी वह मारे-मारे घूम रहे हैं। मैं अपने जनपद में एक गांव में बैठा हुआ था मैंने सब बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को बुलाया ग्राम प्रधान से सूची मंगाई और ग्राम प्रधान की सूची जब मैंने देखी तो उसमें संख्या 288 परिवारों की थी कार्ड कितने बने 88 मैंने जिलाधिकारी से सम्पर्क किया उनसे कहा कि ऐसा क्यों हैं तो मुझे जानकारी मिली बिल्कुल विरोधाभासी पूरे जनपद में परिवारों की संख्या 40 हजार राशन

कार्ड 55 हजार इसका कौन दोषी है इसका मतलब यह है कि राशन कार्ड ज्यादा भी है लेकिन ऐसे अपात्र लोग हैं जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है उनको जारी कर दिया गया क्यों कि इसकी समीक्षा नहीं होती है। मंत्रीगण जाते हैं समीक्षा करते हैं करनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी भी जा रही हैं खाली सी0सी0 रोड, नाली देखकर, लीपा पोती देखकर चूना कहां लगा है क्या यह समीक्षा है। समीक्षा होगी कि कहीं किसी जिले में बैठ कर एक बार कम से कम देखते कि कितने राशनकार्ड बने हैं ? जो बी0पी0एल0 हैं उनको वंचित करके गलत आदमियों को क्यों दिया गया ? अगर एक बार इसको देखकर 4-5 अधिकारियों को जेल में डाल दिया गया होता तो व्यवस्था ठीक हो जाती लेकिन उस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। स्कूल में जाते हैं सिर्फ मध्यान्ह भोजन की बात होती है मिड-डे मील पर चर्चा होती है। बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे स्वस्थ होंगे, हृष्ट-पुष्ट होंगे खाना खाकर। मैं इस सदन में खड़े होकर ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं गांव में जाता हूं मेरी आदत है बच्चों को इकट्ठा कर लेता हूं उनसे पूछता हूं कि स्कूल जाते हो, कहते हैं हां जाते हैं। खाना क्या मिलता है कहते हैं नमकीन चावल। बोर्ड लगा है स्कूल में पूड़ी सब्जी खीर। दूसरे दिन चपाती दाल हलवा। बोर्ड लगे हैं मान्यवर। मैंने कहा कि जिस दिन से स्कूल गये हो खाना बनना शुरू हुआ है कभी हलवा मिला है खाने को ? या जो बोर्ड लगा है उसमें जो लिखा है, मिला है खाने को। यह तो संयोग से मैं उस जनपद की बात कर रहा हूं जो कि ज्यादा सम्पन्न है। बाकी जगह क्या होता होगा उसकी कल्पना हम कर सकते हैं ? योजना है, पैसे का आवंटन है, पैसे के आवंटन के बावजूद भी जो मिल रहा है उसकी स्थिति स्पष्ट है। बहुत अच्छी योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो मिलता है जिसके बारे में केन्द्र सरकार देती है और उसके बारे में यहां पर भी कहा गया कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं भेजा।

मान्यवर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप लोग सब चुनकर आये हैं उन्हीं लोगों में से चुनकर आये हैं कभी बैठकर देख लीजिए गांव में कि कितनी विधवाएं ऐसी हैं जिनको एक साल पहले पेंशन मिल गई थी उसके बाद से पेंशन नहीं मिली। रोज चक्कर काट-काट कर परेशान हो रही हैं। कितने वृद्ध ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, पेंशन के लिये रोज घूम रहे हैं। कोई मंत्री आए हैं, कोई सांसद आए हैं विधायक आए हैं तो वे कहते हैं कि जायेंगे हम अपनी बात रखेंगे। आज सारी व्यवस्था चौपट है। इस व्यवस्था को चौपट करने में कोई एक सरकार दोषी नहीं है। इस व्यवस्था को चौपट करने में कहीं न कहीं कमी रही है और वह कमी बढ़ती जा रही है। इस व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यह नियंत्रण इसलिये नहीं हो पा रहा है कि शायद वह हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता यह है कि जो कुछ नहीं हो रहा है उसका भी हम श्रेय लेने का प्रयास करें और इसी मानसिकता के कारण यह सब कुछ हो रहा है। अभी मुजफ्फरनगर में कुछ वर्ष पूर्व समाज कल्याण अधिकारी बेबाक होकर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था और उन ठेकेदारों को चयनित किया उसने जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का पैसा फर्जी बिल दिखाकर खाये जा रहे थे। क्या मिला उसको ? गोली। मौत के मुंह से निकलकर आया वह। कार्यवाही क्या हुई, सबके सामने है। कौन हिम्मत करेगा, दूसरा अधिकारी जाकर। वह सही कहेगा कि जैसा चल रहा है चलने दो। मैं भी हिस्सेदारी ले लूं। कौन गोलियों का शिकार बनेगा। तो आवश्यकता इस बात की थी कि बजट में हम उल्लेख कर लें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख कर दें तो ठीक है पर आपको भी मैं साधुवाद देता हूं कि जब जब भी घोषणाएं हुई हैं आपने तालियां बजाने में कोई कमी

नहीं छोड़ी। इसके लिये मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपके मन में एक पीड़ा होनी चाहिए। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग, जिस पर आज बहुत चर्चा हुई प्रश्नों के माध्यम से। डेंगू की चिकन गुनिया की और बातों की लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जब डेंगू का प्रकोप हुआ किस तरीके से नागरिकों का शोषण किया गया। मैं डाक्टरों का बहुत सम्मान करता हूं।

मान्यवर, लेकिन उनमें भी एक वर्ग ऐसा है जिसने भरपूर खून चूसा उन लोगों का जिनको साधारण बुखार हो गया, कहा कि टेस्ट कराकर लाओ। जहां वो टेस्ट कराने के लिये गये वहां पहले ही फोन कर दिया। प्लेटलेट्स कम हैं या नहीं टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट में लिख दिया कि प्लेटलेट्स कम है जब लिखा कि कम है तो वह परिवार जो मौत से जूझ रहे हैं उनके दिमाग में आ गया कि यह बचने वाला नहीं है और जो पैसा मांगा गया वह पैसा उन्होंने दिया। ऐसे-ऐसे डाक्टर मान्यवर, बोर्ड लगा दिये गये डेंगू के विशेषज्ञ। कहां से सीख के आये वो, इस तरह से डेंगू के विशेषज्ञ बन गये, चिकन गुनिया के विशेषज्ञ बन गये इसके बाद नीचे लेटा दिया गया। कुर्सी पर बैठा दिया गया और ड्रिप लगा दिया गया। दो दिन ड्रिप लगाने के बाद में परीक्षण करवाया, प्लेटलेट्स तो कम थे नहीं कह दिया कि ठीक हो गया। इस तरह से लाखों-लाखों रुपया वसूला गया। विभाग का काम केवल अस्पताल बनाना नहीं, दवाइयों को उपलब्ध कराना नहीं। विभाग का काम यह भी था कि फर्जी डाक्टर बनकर के जो डाक्टर के नाम पर कलंक हैं वह लोग किस तरह से जनता का शोषण कर रहे थे। मान्यवर, कहां गये वह सी0एम0ओ0 कहां गये वह डायरेक्टर कहां गये थे यह अधिकारी। हरेक की जानकारी में था अगर मैं गिनती करूं इस बात की कि सब लोगों का हिस्सा बंधा हुआ था इसमें अपवाद छोड़कर इसलिए सुपरविजन नहीं हो रहा था इसलिए चेकिंग नहीं हो रही थी। बस नोट प्यारे थे जिस बात की जिम्मेदारी थी वह जिम्मेदारी निभे या न निभे इस बात की चिन्ता नहीं थी। मान्यवर, अभी एक घोषणा की गई और अच्छी घोषणा लगती है सबको शिक्षा विभाग का उच्चीकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं आज भी कुछ विधेयक आए, इससे पहले भी आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है प्रदेश में शिक्षा का विकास होना चाहिए। कभी यह भी ध्यान दिया कि जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या हालत है आपके राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय है जाकर कभी देखा उसकी क्या हालत है। कितनी फैकल्टी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और कितनी फैकल्टीज उस विश्वविद्यालय में है हमारी सरकार ने मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और तो आप बनाये जा रहे हैं लेकिन वहां जाकर देखा कि चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तीन साल से तीन फैकल्टी 14-14 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है भवन खड़े हैं करीब-करीब 50 करोड़ रुपया लग चुका है। लेकिन तीन साल से न तो छात्र है और न अध्यापक हैं और विश्वविद्यालय की स्थापना करके तालियां बजाई जा रही हैं जो बने हैं जिन पर गरीब की जनता का पैसा लगा है बजट का पैसा लगा है लेकिन उनको देखने की जरूरत नहीं है। सरकारी डिग्री कालेज हैं उनकी हालत क्या है उनको देख लीजिए, सरकारी इण्टर कालेज की हालत क्या है उसको देख लीजिए, जब योजना आयोग का उपाध्यक्ष, वह संवैधानिक पद है और वह माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखता है पत्र प्रकाशित होता है और वह कहता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है ? उसके उदाहरण देता है कि दर्जे पांच का कोई बच्चा हिन्दी की कोई एक पंक्ति नहीं लिख सकता है, दर्जा सात का बच्चा अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता है। ऐसी शिक्षा का फायदा क्या हुआ ? उनको डिग्री देने का फायदा क्या हुआ ? आज क्या यह सही नहीं है कि जो प्राइवेट बच्चे

बैठते हैं टेन्थ में या ट्वेल्थ में वह छांटते हैं कहां से सेन्टर पर कौन सी नकल संभव है और वहीं का फार्म भरते हैं कुछ किया आपने इसके लिए कोई प्रबन्ध किया गया। उस स्कूल में जहां वह सेन्टर लगेगा, वहां पर तीन तरह की योजनायें हैं और तीन तरह की फीस है एक फीस तो यह कि खुद कापी लाओगे उत्तर खुद ढूढोंगे तो रेट यह होंगे। उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे हमारी सहायता लोगे तो रेट यह होंगे। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखवाओगे तो रेट यह होंगे, जहां शिक्षा की यह व्यवस्था हो तो हम सोचेंगे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आगे बढ़ पायेंगे ? कुछ कर पायेंगे क्या ? एक बच्चा जो एम0बी0ए0 करने के बाद इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया, इत्तेफाक से मेरे पास भी आया, उसने कहा कि मैं 6 जगह एप्लाई कर चुका हूं मुझे कोई बुलाता नहीं, एम0बी0ए0 करके तीन साल से घूम रहा हूं कई सिफारिश करके इण्टरव्यू के लिए बुला लिया गया। उससे पूछा गया कि कौन से विश्वविद्यालय से पास किया, उसने विश्वविद्यालय बता दिया मैं विश्वविद्यालय का नाम नहीं लेना चाहता हूं विश्वविद्यालय की बदनामी होगी। कहां के रहने वाले हो, फलॉ जगह का रहने वाला हूं, मैनेजमेन्ट कोर्स कहां से किया, फलॉ जगह से कोर्स किया है। इण्टरव्यू हो चुका है जॉब पर रख लो, क्योंकि इसलिए कि इन संस्थाओं ने इतना नाम बदनाम कर लिया, बच्चों को इतना शोषण कर लिया कि आगे कोई इनको नौकरी देने को तैयार नहीं है मान्यवर सुशासन में क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है ऐसी संस्थाओं में जहां प्लेसमेंट के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिये जाते हों या प्लेसमेंट के नाम पर हजारों बच्चों को इकट्ठा किया जाता हो और प्लेसमेंट के नाम पर फर्जी कम्पनियों को बुलाया जाता हो, बच्चों को आश्वासन देकर उनका शोषण किया जाता हो।

मान्यवर, यह कोई एक दिन की बात थोड़े ही है, दिन प्रतिदिन की बात है। एक माननीय मंत्री जी जाएं और निर्भीक होकर देखें जहां माता-पिता और बच्चों का शोषण हो रहा है आप जाते और दो-चार लोगों को जेल भेज देते। लेकिन मैं कहूंगा तो शायद आपको अच्छा न लगे। मान्यवर, मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि शायद मंत्री जी का उधर ध्यान जाए और कुछ अच्छा हो जाए।

मान्यवर, सरकार को इन बिन्दुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। मितव्ययिता की बात है, मैं उदाहरण के तौर पर नेता सदन से कहना चाहता हूं, इस भारत वर्ष में कोई और मुख्य मंत्री है क्या, जिनकी सुरक्षा में दो-दो हेलीकाप्टर चलते हों। देश में केवल 3 पद ऐसे हैं, राष्ट्रपति का, प्रधान मंत्री का और उप राष्ट्रपति का, जहां एक प्लेन उनकी सुरक्षा के लिए चलता है। मान्यवर, संदेश यहां से जाना चाहिए, गांव में रहने वाले लोगों तक। इसलिए मैं सोचता हूं कि मितव्ययिता का संदेश यदि जाएगा या उच्चतम स्तर से जायेगा। कृषि के बारे में कहूंगा, चुनौती आ गयी है, जोत बहुत छोटी होती जा रही है। आज यदि हम गांव में जाकर पूंछे कि औसत जोत क्या है तो 5-7 बीघे से ऊपर नहीं आ पायेगी तो ऐसी स्थिति में क्या वह कृषि लाभप्रद हो सकती है और मान्यवर, खास बात यह है कि यदि घर में कोई व्यक्ति है तो कभी न कभी तो उसे मदद की आवश्यकता पड़ती है लेकिन उसे कोई सहयोग देने वाला नहीं है। यदि नीति बनानी है, कृषि के बारे में तो निश्चित रूप से छोटी जोत को आधार मान करके बनायें कि उसके लिए कितना इनपुट दिला सकते हैं, कैसे उसके लिए हम मशीनरी को उपयुक्त बना सकते हैं, कैसे उसे कम कीमत पर दिला सकते हैं, उसके लिए नीति बनायें, वरना यह प्रदेश जो सर्वोच्च स्थान पर होता था, सबसे निम्न स्थान पर पहुंच जायेगा। मान्यवर, खाद के बारे में काफी कुछ कहा गया है, मैं भी कह दूं। हर बार कहा गया कि बफर स्टोर, बफर स्टोर,

मान्यवर, हमें भी उसका पता मिल जाये, हमारे पास भी किसान आते हैं, मैं भी बता सकूं लेकिन आज तक उसका पता नहीं मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं यूरिया नाम की चीज नहीं और आप बफर स्टोर की बात कर रहे हैं। मंत्री जी बैठे हैं, रामवीर उपाध्याय जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि कोई किसान अपने नलकूप के लिए कनेक्शन लेने के लिए जाता है तो उसे कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत है, कोई वजह है ? अगर किसान अपने नलकूप के कनेक्शन के लिए पैसा भी जमा कर रहा है तो उसे कनेक्शन देने में क्या अड़चन है ? किसान हमारे पास आते हैं कि एक फोन कर दीजिए। ऐसी स्थिति में कैसे खेती होगी, कैसे उत्पादन बढ़ेगा ? नहरों की बात है, पानी तो किसी तरह से मिल करके सरकार ने पश्चिम के लिए जो नीति बनायी थी कि जो फालतू पानी है उसको यमुना में पहुंचा दें, पहुंच गया लेकिन नहरों की सफाई तो हमें खुद करना पड़ेगा। आप एक-दो साल की जानकारी कर लीजिए, उसका पेमेन्ट हो गया होगा, ठेकेदारों ने फर्जी बिल बनाकर दे दिया होगा, ऐसी स्थिति में सफाई कैसे होगी। आप कुछ तो काम करके दिखाइये कि यह काम हो रहा है।

मान्यवर, बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह है कि शिक्षा, सिंचाई, सड़कें जो हैं, आज सड़कों में तीन-तीन फुट गहरे गड्ढे हैं, कहो तो नाम बता दूं, यह ग्रामीण सड़कें नहीं है, स्टेट हाई-वे है। मैंने आग्रह भी किया था। मा0 मुख्य मंत्री जी से कि कम से कम एक सड़क पर गाड़ी से चली जाओ। एक सड़क पर चले जाओ और गाड़ी आपकी सही सलामत वहां तक पहुंच जाय तो जिस कम्पनी ने उस गाड़ी को बनाया है तो उसको ईनाम दें। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर, मुजफ्फरनगर-कैराना, करनाल-मेरठ रोड, दिल्ली-सहारनपुर ये सारी सड़कें ऐसी हैं जो यातायात के लायक नहीं रही है तो क्या करेंगे बजट का, क्या करें उस विभाग का और इंजीनियर से कहो मान्यवर, बस इतना एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता के साथ माफी मांगते हुये कहना चाहता हूं कि आज ये संदेश क्यों हैं और वह अधिकारी इतने दुस्साहस के साथ जवाब दे रहे हैं, अगर हम उनसे कहें कि काम ठीक करो और वह हमसे यह कहे कि कहां से करें, 5 परसेन्ट तो वहां से सोर्स से कट जाता है। मान्यवर, इस पर दुख नहीं होगा क्या, हम भी इस सदन के सदस्य हैं, पीड़ा तो हमारे मन में भी होगी कि क्यों ऐसा कह रहा है ये, इसकी हिम्मत कैसी हुयी ऐसा कहने की। मैं चाहता हूं अगर यह बात गलत है तो सिद्ध करके दिखा दो कि गलत है और अगर लिया जा रहा है तो सुशासन की और भ्रष्टचार को मिटाने की बात न कहो। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिव गणेश लोधी-

मान्यवर, सरकार द्वारा यह चौथा बजट पेश हुआ है। इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है जिसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं तो किसान का बेटा हूं। मैं यह जानता हूं कि जिस प्रदेश या जिस देश का किसान भूखा होगा। जिस देश के किसान को पानी नही मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, वह देश वह प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि हमारी नेता सदन अभी पिछले दिन यहां अपने विचार रख रही थीं और यह कह रही थीं कि हमने पिछड़े वर्गों के लिये बहुत बड़ा काम किया है, मैंने मंत्रालय बना दिया है। पिछड़े वर्ग के मंत्री जो हमारे बीच में बैठते हैं, इस समय हैं नहीं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि 54 परसेंट आबादी पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में है, पिछड़े वर्गों के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा दे करके आप सरकार में आये हो। दलित कह-कह करके आपने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आज प्रदेश का

दलित भुखमरी के कगार पर है। उसके लिये आपके पास कोई योजना नहीं है। आपने कांशीराम आवास योजना बनायी, उसमें बड़े लोग पैसे वाले लोग आ गये और वो योजना जो आपकी बनी है, वह भी कमीशन से बनी है और कई बिल्डिंग आपकी टूट रही है प्रदेश में। ऐसी खबरें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं। मान्यवर, यह बजट चौथा बजट है, इस बजट में अच्छा होता कि नहरों की सफाई के लिये बढ़िया व्यवस्था होती, अच्छा होता बिजली के बिल में कुछ माफी होती। अच्छा होता अगर किसान के ट्रैक्टर में कुछ छूट होती, अच्छा होता कि आज आप नहरों में अच्छा पानी लाने के लिये योजना बनाते, किसान के खेत में पानी जाता, फसल लहलहाती। लेकिन मैं तो देखता हूं रायबरेली जनपद, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं। वहां धन्यवाद दूंगा केन्द्र सरकार को जिन्होंने पैसा देकर के नहर की सफाई प्रदेश सरकार के माध्यम से सफाई कराने का काम किया। 106 करोड़ रुपया दिया उसमें से 80 परसेंट पैसा पता नहीं कहां चला गया। कमीशनखोरी में नहर जहां की तहां पड़ी रही। आज जब केन्द्र सरकार रायबरेली में रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करती है। अभी नेता सदन कह रही थी कि हमने रोजगार के अवसर पैदा किये, कौन से अवसर पैदा किये। पुलिस को भर्ती करके, अरे पुलिस को भर्ती करके कोई रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो जाते। यह तो अपने व्यवस्था दी है, यह तो आप कहीं से पैसा ला करके व्यवस्था करके उनको तनख्वाह देंगे। ये रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार के अवसर ये हैं कि आप यू0पी0 में प्रोडक्शन करते। आप बढ़िया कारखाने लगायें, वहां पर माल का प्रोडक्शन हो, उसे विदेशों में बेचा जाय, रेवेन्यू पैदा होती वो है रोजगार के अवसर और उसमें जो लड़के काम करें वे रोजगार के अवसर होते हैं। राज्य सरकार को बताना पड़ेगा कि रोजगार के अवसर क्या होते हैं। रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं। आज रायबरेली में एम्स बनने जा रहा था। इसी प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी। अरे आज एम्स बनता तो वह यू0पी0 में बनता, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। अगर वहां एम्स बनता तो वहां कम से कम हजार दो हजार कर्मचारी काम करते। वहां पर लोगों को दवा का अवसर उपलब्ध होता। आज हिन्दुस्तान में 7 एम्स बनने हैं, गर्व की बात है केन्द्र सरकार को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि रायबरेली और उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने एम्स की व्यवस्था की। प्रदेश सरकार एम्स के लिये जमीन देने के लिये तैयार नहीं है। रेल कोच कारखाना जहां पर 10 हजार आदमी काम करता 4 साल तक लटका दिया सरकार ने मुकदमें लिखवा दिये। लोगों को जेल भिजवाया और रेलवे के अधिकारियों को होमगार्ड के लोगों ने लाठियों से पीटा है, डी0आर0एम0 जैसे बड़े अधिकारियों को। यह सरकार रोजगार के अवसर पैदा करेगी। रेल कारखाना बनने जा रहा था, जहां पर 10 हजार कर्मचारी काम करते उनको तनख्वाह मिलती उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते, लेकिन क्या हो गया है इस सरकार को ? कैसे सरकार यह चाहती है वही नारायण गुरू, वहीं अम्बेडकर पार्क, वहीं प्रतिमा, वही मूर्ति ले देकर बजट वही उल्टा-सीधा चला जाता है। 80 प्रतिशत तो ऐसे गांव हैं, जहां कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। लोग जिस तरह से गांव में जाते हैं। हर ब्लाक में कोई भी राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, अनपढ़ लड़की देश के विकास में कैसे सहयोग करेगी। काश अगर हर ब्लाक में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोला जाता, राजकीय डिग्री कालेज खोला जाता और बच्चे पढ़ते तो उनके बच्चे बाहर भी जाते वहां से भी पैसा पैदा करते लेकिन आज बच्चों की युवा नीति पूरी तरीके से परास्त हो गई है।

आज मैं धन्यवाद दूंगा केन्द्र सरकार को कि आज मैं जब देखता हूं हरियाणा को जहां पर गोल्ड मेडल की लाइन लग जाती है, वहीं उत्तर प्रदेश में युवा चीख-चीख के चिल्लाता है, उसके पास खेलने की जगह नहीं है। खेल मंत्री मेरे पास बैठे हैं उनके पास कोई वजह नहीं है गांव का एक किसान का बेटा आज 18 साल का लड़का, जब कहता है कि मैं कहां खेलने जाऊं क्रिकेट तो वह कहां खेलता है, नहर जहां पानी बहता है, उसको क्रिकेट का फील्ड बनाकर खेलता है। धन्य है सरकार मैं तो कई दिनों से इस बजट के बारे में सोच रहा था कि कैसा बजट होगा यह किसान के लिए। मैं तो यह जानता हूं कि यहां किसान के बेटे तो है नहीं। ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं ये किसान के बेटे नहीं हैं। हमारी नेता सदन वह भी किसानी के बारे में नहीं जानती है। उनकी जो पृष्ठभूमि है वह किसानों की नहीं है। किसानी क्या होती है किसान कैसे जमीन का सीना फाड़ करके अन्न पैदा करता है। यह इनको पता नहीं है। इनको तो पता इस बात का है कि योजनाएं बनाओ कमीशन 60 परसेन्ट लो, बढ़िया-बढ़िया बिल्डिंग बनाओ और कैंट एरिया में मकान बनाओ और दिल्ली के गाजियाबाद के पास पौस इलाके में बढ़िया-बढ़िया कोठियां बनाओ, बढ़िया रंगीन टी0वी0, बंगले लो और देख लो इसी तरह पूरा दलित रहता हो। ऐसे नहीं आज दलित झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहा है। उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, नरेगा के बल पर वह जिन्दा रहने की कोशिश करता है। कैसे इस प्रदेश का विकास होगा। विधायक निधि के मामले में अगर बता दूं ये उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारी 23-23 परसेन्ट विधायक निधि का कमीशन खा रहे हैं। अगर 23 प्रतिशत इनकी जेब में चला जायेगा तो कैसे प्रदेश का विकास होगा। कहां ये अधिकारी बड़ा डण्डा लेकर के बड़ा ताव दिखाते हैं कि हम बड़ा अनुशासन प्रिय है बिजली के मामले में बताना चाहूंगा, आज बिजली हमारे रायबरेली के सतावां क्षेत्र जहां पर मैं विधायक हूं, वहां पर तीन पावर हाउस है, वहां पर बिजली का जो पावर स्टेशन है वह पूरी तरह से छूटा पड़ा है। सरकार के पास पेण्डिंग है अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली किसानों को डंडा मारके प्राइवेट लोगों को दे दिया। जूते मारकर वह किसान को बिजली का पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहा है। ये बिजली विभाग के लोग सीना चौड़ा करके कह रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से यह किसान विरोधी बजट है, जिसकी मैं निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वे बातें जो सदन में समाजवादी पार्टी की ओर से या हमारे नेता की ओर से आ चुकी है उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। विशेष रूप से 4-5 बातों पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की कुर्सी खाली है। परम्परा यह रही है कि यदि संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं मान्यवर, तो उनके स्थान पर किसी न किसी वरिष्ठ सदस्य को होना चाहिए।

(मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री का स्थान ग्रहण कर लिया)

मान्यवर, बजट भाषणों में कुछ बातों को विशेष रूप से प्रयोग किया गया। पेज नं0-7 पर 'कानून द्वारा कानून का राज' इसी के नीचे- 'प्रदेश के विकास का एक सकारात्मक वातावरण, जन सुविधाओं से भरपूर एक नया माहौल बना'। भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, मैं अपनी बात को

इसी के संदर्भ में विशेष रूप से कहना चाहूंगा। वर्तमान सरकार ने अपने बजट भाषण में और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में भी मंहगाई के ऊपर चिन्ता व्यक्त की, लेकिन पूरी तरीके से केन्द्र सरकार को दोषी ठहराया और ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार उसमें भागीदार नहीं है। मान्यवर, जब डीजल की मंहगाई बढ़ती है तो पूरी मंहगाई का सिनेरियो बढ़ता है क्योंकि डीजल ट्रान्सपोर्ट को प्रभावित करता है, कृषि को प्रभावित करता है और इण्डस्ट्री को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार 17 रुपये 23 पैसे, 17.23 परसेण्ट टैक्स डीजल पर ले रही है वर्तमान में और पेट्रोल पर मान्यवर, 26.55 परसेन्ट टैक्स ले रही है, मान्यवर, अगर इस सरकार को मंहगाई की इतनी ही चिन्ता थी तो कम से कम अपने आप इस कर से जनता को राहत देकर यह कर 17 परसेन्ट के बजाय, 10 परसेण्ट भी हो सकता था, 8 परसेन्ट भी हो सकता था, पांच परसेन्ट भी हो सकता था और पेट्रोल पर भी मान्यवर, 26 के बजाय 10, 11, 12, 14 परसेन्ट हो सकता था। बिहार में सरकार बनी, बिहार की सरकार ने हमारी जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी दल हैं, उन्होंने किसानों को 15 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी बिहार के किसानों को हमारी सरकार ने वहां पर दी तो मान्यवर, यह सरकार भी इस प्रकार का अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करती तो पूरे किसान जो आज खेती के ऊपर लगभग 72 परसेण्ट किसान निर्भर है। मान्यवर, वह कम से कम इस बात पर राहत महसूस करता कि हां अगर केन्द्र सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे आंसू पोछने का काम किया और मंहगाई को कम करने की दिशा में एक विशेष प्रयास किया।

मान्यवर, अब कानून-व्यवस्था की बात, कानून के द्वारा कानून का राज, मान्यवर, जो कहा जाता है, इस सरकार की सबसे बड़ी जो मैं पहले भी कह चुका हूं, पुलिस को इस सरकार ने गोद ले रखा है, पुलिस इस सरकार की दत्तक पुत्र हैं। मान्यवर, आपने कई सवाल के जवाबों में और पीछे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, एन0सी0आर0बी0 उसकी 2009 की रिपोर्ट में मान्यवर, पुलिस के ऊपर खासतौर से रिपोर्ट है, उसका जिक्र हम आपके सामने करना चाहते हैं। मान्यवर, वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ 10953 शिकायतें मिलीं, जिसमें से 7912 शिकायतें सही पाई गईं, यह मान्यवर, खाकी वर्दी का कमाल है जो हिन्दुस्तान में अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आयेंगे वह कहेंगे उत्तर प्रदेश क्राइम रिकार्ड में नीचे, ऊपर से लेकर 34 नम्बर पर है, इण्डिया टुडे में छप गया। मान्यवर, उन्होंने शायद इस बात का संज्ञान नही लिया कि ब्यूरो की यह रिपोर्ट कि जिसमें 7912 शिकायतें पुलिस के खिलाफ सही पाई गई और यह आंकड़ा मान्यवर, वह है जो हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में खाकी वर्दी के ऊपर लगा हुआ एक ऐसा बदनुमा दाग है जो रिकार्ड से धोया नहीं जा सकता और इसका जवाब वर्तमान सरकार के पास नहीं है। जहां तक सवाल आंकड़ों का है, तो आप आंकड़े भी देख लीजिए, लूट और डकैती, विशेष रूप से इन्हीं दो बातों पर रहूंगा, वर्ष 2008 में यह सरकारी आंकड़े हैं, पुलिस वेबसाइड पर है, हमारे घर के नहीं हैं, 2008 में डकैती थी 111, लूट की घटना थीं, 1552 वर्ष 2009 में डकैती बढ़कर हो गई 152, लूट बढ़कर हो गई 1717, वर्ष 2010 में डकैती की घटनाएं हो गई 170 और लूट की 2007, मान्यवर, 59 डकैतियां और लगभग 500 लूट यह प्रदेश में बढ़ोत्तरी हुई तमाम बढ़ोत्तरी के साथ, अगर इसको किसी भी प्रकार से सरकार चेक करती या इसका संज्ञान लेती, कितनी लूट हुई और उसमें पुलिस ने कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाया है, कितने वाहन चोरी हुए और

पुलिस ने कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई है, इसकी मान्यवर, चिन्ता होनी चाहिए थी, विशेष रूप से यह मैं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, आज सबसे बड़ा पब्लिक परसेप्सन क्या है। मान्यवर, अगर पब्लिक परसेप्शन आप देखें तो बिहार जो पहले कभी हिन्दुस्तान का कानून-व्यवस्था के मामले में सबसे खराब राज्य माना जाता था। आज उससे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। मान्यवर, बिहार के लोग जब उत्तर प्रदेश में आते हैं और उनसे बातचीत होती है तो उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिहार से बदत्तर हो गयी है। सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मान्यवर, दण्ड विधान एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून-व्यवस्था को ठीक कर सकती है। अगर तत्परता से अपराधियों को दण्ड मिल जाय तो निश्चित रूप से क्राइम घटेगा। मान्यवर, हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं कि जब लोग गंगा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है जब हम अपने स्वार्थ के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने बच्चे की भी कसम खाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज ऐसे हजारों लोग मिल जायेंगे जो बात-बात में अपने बच्चे की कसम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान्यवर, मैंने बहुत सी पंचायतें की हैं जिसमें लोग अपने बच्चे की कसम खाने के लिये तैयार हो गये। मान्यवर, इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में सुधार के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे हमारी मनःस्थिति ठीक हो। इसमें हमें कोई लॉग टर्म प्लानिंग की दिशा में सोचना होगा कि आखिरकार कैसे हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को ठीक बना सकते हैं। कैसे हम अच्छी मानसिकता के द्वारा समाज को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह सब बातें लांग टर्म प्लानिंग के तहत सरकार को विचार करनी चाहिए।

मान्यवर, जहां तक बी0एड0 एजूकेशन सिस्टम की बात है आज लगभग साढ़े चार लाख लोग बी0एड0 बेरोजगार हैं उनकी कोई बात इस बजट में नहीं की गयी है। बी0एड0 बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में सरकार मौन है। मान्यवर, शिक्षा मित्रों के जरिये आज बेसिक एजूकेशन चल रही है। अभी हमसे पूर्व एक नेता ने कहा कि केन्द्रीय योजना आयोग ने एक मत व्यक्त किया है कि यहां पर कक्षा तीन दर्जे का बच्चा सात का और नौ का पहाड़ा भी ठीक से नहीं कह सकता है। यह चिन्ता की बात है। मान्यवर, आज प्राइमरी स्कूलों में स्कूलों के पास बिल्डिंग है शिक्षा मित्र है टीचर है प्रधानाचार्य हैं खाने की व्यवस्था है कपड़ों की व्यवस्था है लेकिन बेसिक एजूकेशन की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाय इस ओर कोई आपकी योजना नहीं है। मान्यवर, अम्बेदकर जी जीवन भर यही उद्घोष देते रहे कि हम शिक्षित बनें, हम शिक्षित बनें। जब माननीया मुख्य मंत्री यहां पर आई थीं तो यह उम्मीद हुई थी कि बेसिक एजूकेशन को बढ़ाने की ओर और उसकी गुणवत्ता की ओर भरपूर ध्यान दिया जायेगा। लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हम यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार अपनी गिरेबान में झांककर देखे कि उसने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं और चिन्ता भी करे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। मान्यवर, हमने पी0डब्लू0डी0 का बजट देखा है इसमें यह कहा गया है कि 867 करोड़ रु0 उन क्षेत्रों को दिये जायेंगे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। मान्यवर, इसको देखकर हमारे कई मित्रों के दिलों में शायद यह ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा हो जाता कि काश हमारा क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो जाता तो जो कुछ सड़कें बनने से बची हुई है वह बन जाती। मान्यवर, बजट के एलोकेशन का यह तरीका तो ठीक नहीं है। मान्यवर यह एलोकेशन का कौन

सा तरीका है कि अगर कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो पुल भी बन जायेंगे सड़कें भी बन जायेंगी और सब कुछ प्राथमिकता के आधार पर होगा।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था का कोई आधार लेकर यह बात कही जाती तो बात अलग होती। लेकिन सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आधार पर यह व्यवस्था करना कहां तक उचित है। इससे तो यहां बैठे अन्य लोग यह सोचने लगे हैं कि हमारे यहां कोई नक्सल की घटना हो जाय तो शायद जल्दी से सड़कें बन जायें। मान्यवर, ऐसी कोई नीति जिससे जनता में गलत भावना पैदा हो और प्रेरित होकर गलत काम करने लगे वह ठीक नहीं है इससे न तो जनता का कोई भला होने वाला है और न यह प्रदेश के हित में है। मान्यवर, कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गयी। मान्यवर, कृषि का क्षेत्र हमारे यहां प्राथमिकता का क्षेत्र है। लेकिन मान्यवर, कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए आज कोई भी चिन्ता सरकार की नहीं है। मान्यवर, वैसे तो खाद की कमी बनी रहती है लेकिन ब्लैक में कोई भी कमी नहीं है। मान्यवर, अभी तक डी0ए0पी0 वगैरह खाद ब्लैक में मिलती थी लेकिन पहली बार यूरिया भी ब्लैक में मिलने की बात सामने आयी है। मान्यवर, हमारे यहां शाहजहांपुर में पुवायां तहसील है वह मिनी पंजाब माना जाता है वहां पर पेडी और वीट का प्रोडक्शन और उसका प्रोक्यूरमेंट बहुत अच्छा और ज्यादा हुआ है। मान्यवर, यह तहसील कई वर्षों से टाप पर चल रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के जो कृषक हैं जिन्होंने अधिक उत्पादन करके इस प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाया है उनको प्रोत्साहन देने के लिये 24 घण्टे बिजली देने की आप काम करें। आप चाहें तो अपने विभागीय अनुदानों की मांगों के समय इसकी घोषणा कर सकते हैं। उससे प्रोत्साहित होकर वह कृषि उपज के क्षेत्र में कई तहसीलों से आगे निकलेगा। हम चाहेंगे कि आप हमारी बात पर ध्यान देंगे। मान्यवर, जहां तक अस्पतालों का सवाल है मेरे एक सवाल के जवाब में आया था कि लगभग 3500 से 4000 डाक्टरों की कमी है और शाहजहांपुर इससे अछूता नहीं है। हमारे जिला अस्पताल में 20 डाक्टर हैं 43 डाक्टर होना चाहिए। ट्रामा सेन्टर को बने 4 साल हो गये 23 डाक्टर कम हैं, टेक्निशियन हैं नहीं, दवाओं की व्यवस्था के नाम पर 381 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के लिए दिया गया जो अपर्याप्त है, पूरे तरीके से अपर्याप्त है इसके ऊपर फिर से सोचना चाहिए सरकार को। दवा के साथ-साथ उसमें रसायन भी शामिल है केमिकल भी शामिल है जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि हर हालत में इसकी चिन्ता करें कि तत्काल डाक्टरों की नियुक्ति हो क्योंकि अस्पताल में डाक्टर नहीं होगा तो अस्पताल की बिल्डिंग का क्या होगा। मान्यवर, अस्पताल में दवाई नहीं होगी तो वहां पर कौन जायेगा। इसलिए इस पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दवा का बजट बढ़ाया जाय और तत्काल जिन पी0एच0सी0 और जिला अस्पताल मुख्यालयों पर जहां डाक्टर नहीं हैं वहां डाक्टरों की तैनाती की जाय।

मान्यवर, इन्वेस्टमेन्ट का बात मैंने पढ़ी 9700 करोड़ का इनवेस्ट वर्ष 2011 में पूरा हो जायेगा। गुजरात हिन्दोस्तान में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पिछले दो सालों में 11 लाख करोड़ का विदेशी इनवेस्टमेन्ट और बाहरी इनवेस्टमेन्ट गुजरात में हुआ। उड़ीसा जो हमसे बहुत छोटा राज्य है गुजरात की तो दूरी भी हमसे ज्यादा है लेकिन उड़ीसा तो बहुत छोटा राज्य है, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा जैसे राज्य को मिल गया। इस सरकार को भी सोचना चाहिए। पब्लिक परसेप्शन है,

नया उद्योगपति क्यों नहीं आता, नया उद्योगपति आने में क्यों घबराता है इसलिए कि वह जब सबेरे अखबार खोलता है तो मान्यवर, उसे अखबार में खून के धब्बे सवेरे-सवेरे दिखाई पड़ते हैं कि यहां पर सरकाटी लाश बरामद, दो बोतल शराब सहित बन्दी और खून के धब्बे अखबारों के पहले पन्ने पर दिखाई पड़ते हैं इसलिए बाहर का इनवेस्टर यहां पर नहीं आता। मान्यवर, दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान्यवर, विधायकों को इण्डिया मार्का-2 नल, ऐज ए मैटर आफ राइट पुरानी सरकारों में जितनी भी सरकारें रहीं जब यह लोग इधर बैठते थे तो इस सुविधा का उपभोग किया लेकिन आज एक विधायक की हैसियत इस सरकार में यह नहीं रह गयी कि हम अपनी मर्जी से एक नल लगवा सके। अधिकार किसको हैं मान्यवर, अधिकार है जिलाधिकारी को, अधिकार है सी0डी0ओ0 को, अधिकार है परगनाधिकारी को, जिन लोगों के माध्यम से इण्डिया मार्का-2 नल लग रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि नल कहां लगते हैं। उनके सामने कोई मानक नहीं है वह जहां-तहां नल लगवाते हैं। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि विधायकों के लिए कम से कम 200 इण्डिया मार्का-2 नल लगवाये जायें। मान्यवर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच 30 वर्ष से प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से किसी भी स्थान के लिए संस्तुति नहीं करी पीछे एक जसवन्त सिंह आयोग बैठा था उसने आगरा के लिए पहले संस्तुति की थी आज भी यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे इस विधान सभा से चाहे स्वमोटो अपने आप एक प्रस्ताव पास करके अपने विभाग से कम से कम एक संस्तुति भेज दे दिल्ली में कि हम इस स्थान पर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव इस प्रदेश से जाना चाहिए।

मान्यवर, प्रदूषण के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि 7.49 करोड़ पेड़ लगने की बात इस बजट में कही गयी लेकिन वह पेड़ जिन्दा कितने रहे। हर बार हम बजट भाषण में देखते हैं कि पेड़ लगाने की बात तो आती है लेकिन यह नहीं आता है कि इतने पेड़ पिछले साल लगाये गये थे और इतने जिन्दा रहे। जिन्दा रखने की कोई योजना नहीं, ट्रीगार्ड जो सरकार की तरफ से लगवाया जाता है वह इतना लचर है कि साल भर छोड़ दीजिए वह एक महीना खड़ा नहीं रह सकता और उसकी ग्राउटिंग के ऊपर तमाम सवाल हो सकते हैं। वृक्षारोपण आज के समय की महती आवश्यकता है यह शहरी और देहाती क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए एक मात्र उपाय है इसलिए कम से कम इस ओर ध्यान देते हुए माननीय वन मंत्री और नगरीय मंत्री जरूर इस बात की चिन्ता करेंगे वह वृक्षारोपण में पेड़ों को जिन्दा रखने की चिन्ता जरूर करें। मान्यवर, मैं दो बातें अपने क्षेत्र की कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, नगरों में अतिक्रमण बढ़ रहा है और आबादी बढ़ने के साथ-साथ सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर में एक-एक रिंग रोड बनायी जाये अगर यह बनायी जायेगी तो नागरिकों को सुविधा मिलेगी और कम से कम लोगों को अतिक्रमण से भी निजात मिलेगी, समय कम बरबाद होगा और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। इसलिए प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में एक-एक रिंग रोड इस तरह से बनायी जाये जो पूरे नगर को किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट करती हो। हम अपने शाहजहांपुर के लिए मांग करते हैं कि निगोही रोड से अजीजगंज, जलालाबाद रोड और बरेली रोड पर जो अजीजगंज जर्रा के घाट पर मिलता है उस पर विशेष रूप से एक नया रोड बनाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी समाप्त कर दूंगा। आप भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक भी जिला पूर्ति अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ आपने कार्यवाही की हो। आप एक-एक डी0एस0ओ0 की आमदनी पूछ लीजिए। जितनी आबादी उसके सवाये यूनिट के कार्ड बने हुए हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। हमारे क्षेत्र में एक जी0एफ0 गांधी मैदान डिग्री कालेज हैं वहां कई वर्षों से स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। मैं लगभग हर सत्र में स्थायी प्रधानाध्यापक के लिए अपनी बात उठाता हूं मैं आपके माध्यम से मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी से एक स्थायी प्रधानाध्यापक की मांग करता हूं जिससे कि कम से कम चार हजार छात्रों का भविष्य अन्धकारमय न हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, सामान्य बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बजट के पहले पन्ने पर लिखा है कि प्रदेश में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों तमाम नाम लिखे हैं और कहा गया है कि इनके नाम पर पार्क और विश्वविद्यालय स्थापित करके इनको बेहतर सम्मान देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में लगभग 25 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है। मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के नाम से रामपुर में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है। उन्होंने भी इस देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। चूंकि वह धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इसलिए उनके नाम पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इस बजट में उनको भी मान्यता मिलती तो हम समझते कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी उद्धार हो गया। इसमें फिर आगे लिखा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और समाज के सभी उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं धरती पुत्र मा0 मुलायम सिंह यादव जी का उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन साल के शासनकाल में जो युवा वर्ग बेरोजगार थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम उन्होंने किया था। उनका कहना था कि जब तक हम रोजगार नहीं दे पायेंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उन्होंने उन बेरोजगारों को जो स्नातक थे उनको 6 हजार रुपये साल में बेरोजगार भत्ता देने का काम किया था। इससे बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं रुकी थीं और जो निराशा की जिन्दगी गुजर-बसर कर रहे थे उन युवाओं में एक आशा जगी थी। इस धनराशि से नौकरियों के प्रार्थना-पत्रों में ड्राफ्ट इत्यादि लगते हैं उनका और जो रजिस्ट्री वगैरह करते थे उसका खर्च निकल आता था। मान्यवर, 6 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती फिर भी सरकार ने उसे बन्द कर दिया। यह चौथे साल का बजट था हम सोच रहे थे कि इसमें बेरोजगारों के लिए भी कुछ होगा। हमारे नेता जी ने कहा था कि अगली सरकार में इस धनराशि को हम बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देंगे। इस योजना का भी इस बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। कृषि की बात आयी। हमारा प्रदेश 80 प्रतिशत कृषि आधारित प्रदेश है और खास कर हम लोग जिस क्षेत्र, तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी से आते हैं वहां गन्ना भरपूर मात्रा में होता है। पिछले वर्ष गन्ने का 265 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान हुआ लेकिन इस वर्ष 200 रुपये भी मिलना मुश्किल है, इसकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। गन्ने का रेट 300 रुपये होना चाहिए था। किसान मित्र, किसानों को उन्नतिशील खेती करने के लिए उनको सलाह देते थे, इस सरकार ने उस किसान मित्र योजना को भी खत्म कर दिया। मैं समझ रहा था कि यह चुनावी वर्ष का बजट है जो हजारों-हजार किसान मित्र लखनऊ में आ करके आन्दोलन/प्रदर्शन किया था उनको लाठियों से पीटा गया था, तमाम लोग गोमती नदी में कूदकर चले गये थे, तमाम गायब हो गये। उन किसान मित्रों की योजना के बारे में भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं जब गांवों में हम लोग जाते हैं तो वहां पर तमाम ऐसे लोग, गरीब लोग जो दबे-कुचले समाज से, अनुसूचित जाति से होते हैं, मुस्लिम समाज से होते हैं उनके जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। जब इस बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि यहां पर गरीबों की संख्या 1 लाख है और प्रदेश से हमको राशन कार्डों की संख्या 50 हजार ही मिली है। मैं समझता था कि इस बजट में उन गरीबों के लिए राशन कार्ड देने की व्यवस्था होगी जिससे उनको राशन, गेहूं और चावल मिल जायेगा जिससे वह अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें कोई योजना नहीं है। मान्यवर, मोअल्लिम उर्दू डिग्री धारक बेरोजगार हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। कई बार प्रदेश में लखनऊ की राजधानी में आन्दोलन किया, लाठियां चली और उनको दिलासा भी दी गयी सरकार की तरफ से कि उनको रखा जायेगा। इस बजट में उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। धन्य है, धरती पुत्र मा0 मुलायम सिंह यादव, जिनकी पिछली बार सरकार थी उन्होंने पूरे सदन में 403 विधायक जो चुनकर आते हैं उनको अपने क्षेत्रों में विकास करने के लिए 10 कि0मी0 पक्की सड़क देने का काम किया था बिना भेदभाव के, पार्टी से ऊपर उठ करके, चाहे जिस दल का विधायक हो, वह 10 कि0मी0 सड़क अपने क्षेत्र में चाहे जहां निर्माण करायें। 10 गांव समग्र करें, जो गांव पिछड़े हैं, दलित समाज के हैं या कमजोर वर्ग के लोगों के हैं जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है ऐसे 10 ग्रामों को उन्होंने समग्र करने का अधिकार मा0 विधायकों को दिया था और 225-225 इण्डिया मार्क-टू हैण्डपम्प क्षेत्र में जहां पर पेयजल की समस्या है मा0 विधायकों की संस्तुति पर लगने थे उसको भी इस सरकार ने खत्म कर दिया था। मैं समझ रहा था कि यह चुनावी बजट है इसमें मा0 विधायकों को शायद हैण्ड पम्प दे देंगे लेकिन कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है और यह व्यवस्था हो गयी उनकी कि अब जल निगम के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार, दलाल वह जिसकी सिफारिश करेंगे सी0डी0ओ0 और डी0एम0 से उसके वहां नल लगेगा। हम लोग जब गांवों में दलितों की बस्तियों में, कमजोरों की बस्तियों में जाते हैं तो वह लोग गांव के नाम बताते हैं सिंगाही कस्बा है निघासन क्षेत्र में, बरोठा कस्बा है, सहनखेड़ा गांव है, वहां पर दलित समाज के अनुसूचित जाति के लोग आये और कहा कि पेयजल की हमारे यहां व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कि हम क्या बतायें, हम लोगों का अधिकार ही सरकार ने छीन लिये। पिछली सरकार ने 225-225 हैण्डपम्प दिये थे तो वह सही जगह वास्तविक जहां जरूरत थी वहां पर मा0 सदस्य विधान सभा के लगाने का काम करते थे। आज हम जिलाधिकारी को लिख कर दें फिर वह जांच करायेंगे और हमारी जांच ...

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

वही ठेकेदार और दलाल करेंगे कि कहां नल लगना है और कहां नहीं। अगर वह संस्तुति करेंगे तभी लगेगा। इतना ही नहीं मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने 10-10 गांवों को विद्युतीकरण करने का अधिकार सदस्यों को दिया था तमाम सदस्य उधर भी बैठे हैं उन्होंने भी किये होंगे मुस्करा रहे हैं हमारी बात पर उसको भी खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। इस बजट में 10-10 गांव के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है। लखीमपुर खीरी में ग्राम अमीन खां पुरवा में हम गये थे वहां पर दलित समाज के लोग आए उन्होंने बताया कि केवल दो खम्भे लगाकर बिजली उनकी बस्ती में पहुंच सकती है। बरोठा गांव में दो खम्भे लगकर दलित समाज में बिजली पहुंच सकती है। लेकिन बिजली नहीं है। उन दलितों के घरों में अंधेरा है जिनके नाम पर हम सरकार में आए। उजाला कहां हैं जहां उजाले की कोई जरूरत नहीं है अभी हमारे नेता अम्बिका चौधरी बता रहे थे बी0जे0पी0 के खन्ना साहब बता रहे थे कि उजाला गोमती नगर से लेकर आलमबाग तक है। उजाला जिन गरीबों के यहां होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है। धन्य है धरती पुत्र मुलायम सिंह जी जिन्होंने हमारे जनपद में तीन-तीन चार-चार चीनी मिल खोलने का काम किया था जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिला था। खम्भार खेड़ा चीनी मिल, पुरलिया चीनी मिल, अजवापुर चीनी मिल, कुम्भी चीनी मिल में किसानों को गन्ना जाने का काम किया। आज सरकार से मिली भगत करके अधिकारियों से चीनी मिलों में घटतौली हो रही है और किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

कांटे पर जो आपरेटर लगाये गये हैं उनको कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है इस बजट में अगर यह व्यवस्था होती कि चार कारखाने हमारे जनपद में चीनी की फैक्ट्रियां लगी थीं इस सरकार में एक भी फैक्ट्री लग जाती। इतना ही नहीं लखीमपुर से बिलरायां, तिकुनियां निघासन मार्ग है उसमें एक पचपेड़ी घाट का पुल है पचपेड़ी घाट के पुल से निकलकर पूरे जनपद को हम लोग जाकर मिलते हैं अनुसूचित जनजाति का पूरा क्षेत्र ही उधर है। पचपेड़ी घाट के पुल के लिए माननीय नेता जी ने 220 करोड़ रुपये पिछली सरकार में मंजूर किये थे उसको भी इस सरकार ने वापस लेने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें और भी सदस्य हैं। आपके दल के बोलेंगे।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इतना ही नहीं कोई एक पुल भी जनपद खीरी में नहीं बना। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दलितों के साथ आरक्षण देने के लिए इस सदन से प्रस्ताव करके केन्द्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव करते तो हम इसका स्वागत करते। यह बजट मुस्लिम विरोधी है इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट के समर्थन में हमें बोलने का अवसर दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल निर्देशन में एवं मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत किया गया बजट जनहित में है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी द्वारा निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बहुत सराहनीय कदम उठाने का कार्य किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जैसे ही 13 मई, 2007 को सत्तासीन हुई वैसे ही गरीबों, सदियों से मुरझाए हुए चेहरों पर खुशियां लाने का काम किया जिस बेटी को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाता था उस बेटी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई। जैसे ही बेटी 10वीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी उसको 15 हजार रुपया और एक साइकिल देने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसके बाद उन्होंने जब 12वीं में जो हमारी बेटी जायेगी उसको 10 हजार रुपये देने का काम किया यही नहीं शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी नेता ने लिया। उसके बाद हमारी नेता बहिन कुमारी मायावती जी ने जो इस सूबे की मुख्य मंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं उन्होंने 15 जनवरी, 2009 को एक अहम फैसला लिया कि अब कोई बेटी हमारी मारी नहीं जायेगी बल्कि उसकी पूजा होगी। उन्होंने 15 जनवरी, 2009 को यह फैसला लिया कि बेटी के जन्म पर 20 हजार रुपये को फिक्स कर दिया जायेगा और जब वह 18 वर्ष की होगी तो उसको एक लाख रुपये दिया जायेगा। एक बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के द्वारा उठाये गये कदम बहुत सराहनीय हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं जो जनहित में प्रस्तुत किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने सदियों से जो पिछड़े लोग थे, सताए हुए थे, जो बेबस लोग थे उनके लिए मान्यवर, काशी राम शहरी विकास योजना के तहत शहर में विकास करने का काम किया। गांवों के विकास के लिये डा0 साहब बी0आर0 अम्बेडकर के नाम से गांवों का विकास करने के लिये योजनाएं लागू करने का काम किया। गांवों में सी0सी0 रोड, बारात घर की व्यवस्था किया। बिजली पानी की व्यवस्था करने का काम किया और उस गांव को स्वच्छ रखने के लिये सफाई कर्मियों की व्यवस्था करने का काम किया। हमारी नेता बहिन कुमारी मायावती जी जो इस सूबे की मुख्य मंत्री हैं उन्होंने जनहित के अनेक कार्य किये। 2014 के आते-आते इस प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया है जो कि सराहनीय है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस विभाग के कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने जनहित में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने का काम किया है। मान्यवर, आज विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम किया जा रहा था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी, माफियागिरी बढ़ रही है।

मान्यवर, वह अपने साढ़े तीन साल का वह शासनकाल भूल गये जिसमें पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था। वह दिन भूल गये जब उस साढ़े तीन साल के शासनकाल में हमारे ही भाई ब्लाक प्रमुख स्वर्गीय अखिलेश पाण्डे की दिन दहाड़े हत्या होती है और दो अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या होती है। एक साथ तीन-तीन लोगों की निर्मम हत्या होती है। ब्लाक परिसर में हत्या होती है,

उस समय कौन था ? वह कौन लोग थे ? पूछिये इनसे। सवाल करिये। यह आज सदन में बात करते हैं। यह बात करने लायक नहीं हैं। साढ़े तीन साल में इन्होंने प्रदेश के लोगों के लिये क्या किया है वह सबके सामने हैं। जनता जानती है, जनता ने इनको नकारने का काम किया है। मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2011-2012 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।

*श्री सनातन पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बजट का पहला पन्ना में पढ़ रहा था। इसमें लिखा गया है सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय। हमारे अधिष्ठाता महोदय, जहां पर बैठे हैं उनके ऊपर जो चित्र लगा है वह महात्मा गांधी का है जिनको हम बापू कहते हैं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश है। यह सूफी संतों का प्रदेश रहा है। भगवान राम कृष्ण की जन्म-स्थली भी है। बजट भाषण को पढ़ते हुए आगे गये तो देखा इसमें लिखा है। साथ ही, देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरूषों खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले जिनका जन्म इस प्रदेश से बाहर। छत्रपति शाहू जी महाराज, इनका जन्म इस प्रदेश से बाहर हुआ। नारायण गुरू, जो तमिलनाडू से, बाबा साहब जो कि महाराष्ट्र से और काशी राम जिनका जन्म भी इस प्रदेश से बाहर हुआ। उत्तर प्रदेश का सदन, उत्तर प्रदेश का बजट, 17 करोड़ जनता की निगाहें इस पर हैं। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले, उत्तर प्रदेश में कोई सन्त महापुरुष पैदा नहीं हुआ, जिसमें दो शब्द लिखकर हम इनको दे पाते। वित्त मंत्री जी जब बजट पढ़ रहे थे तो माननीय सदस्य मेज थपथपा रहे थे हमको लग रहा था कि यह डरे हुए हैं। सहमें हुए हैं अपनी बात को भूल गए वह हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा ही नहीं हुए हैं। सारी बातों पर हम अपनी बात नहीं कह सकते है क्योंकि समय से आप बांधने का काम किए है मूलभूत सुविधायें जो हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं कभी बात आ जाती है प्राथमिक विद्यालय की, कभी बात आ जाती है विद्युतीकरण की, कभी आ जाती है रोड की और कभी सिंचाई की, कभी स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के विषय में तो आपने बजट में प्राविधान किया है आगे क्या सोच है उसकी आप अच्छी तरह से जानते है। माननीय मंत्री जी सत्तापक्ष के बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग पूरब छोर से आते हैं बलिया जिले में सरकारी अस्पताल बोर्ड टंगा हुआ है बी0पी0एल0 और आई0पी0एल0 के लिए मुफ्त में दवा की व्यवस्था। अस्पताल तो है दवा नहीं हैं अस्पताल में मशीन है खराब है। अस्पताल में भवन हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं महिला अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन महिला सर्जन नहीं है। पूरे बलिया में एक भी महिला सर्जन नहीं है अस्पताल में। किसका आप इलाज करेंगे, प्रसव पीड़ा को लेकर महिला कहां जाती होगी इस बात पर आपने गौर किया। इस पर कभी विचार किया, भाषण तो दे लेंगे हम, मेज थपथपा लेते हैं डरके मारे, अच्छा लगता था विद्युत मंत्री जी से बात करते हुए बहुत अच्छा लगता था, मैंने आपसे छोटी सी अपने क्षेत्र के विषय में एक रसड़ा जगह है हमारे बलिया क्षेत्र में, वहां पर बिजली को दो शिफ्टों में चाहे जो आपूर्ति करते हों आठ घंटे, दस घंटे, उसको दो शिफ्ट में करने का आपसे सविनय अनुरोध किया था। बड़े ईमानदारी के साथ बहुत कम समय में आपने मेरे अनुरोध को मान लिया था और उस पर आदेश कर दिया था। आपने आदेशित किया था कि इनकी मांग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसार रसड़ा क्षेत्र में बिजली रसड़ा बाजार को दो शिफ्ट में दिया जाए, लेकिन क्या मजबूरी थी, हम तो समझते थे कि इन्होंने जो पैड पर लिख दिया जो आदेश दे दिया वह आदेश हो गया लेकिन आपके आदेश का माननीय मंत्री जी पालन नहीं हुआ। तब हमें लगा माननीय मंत्री जी कि आप भी कहीं से कमजोर पड़ गये हैं और आपकी भी कहीं से कोई नस दबी हुई है। आप अपने पद को बचाने के लिए कहीं से भयभीत हैं। यह सत्य है और रोड के मामले में माननीय चौधरी साहब बोल रहे थे पूरे प्रदेश का बजट तीन हजार करोड़, यह बजट किसका है सड़क का, उसमें एक माफिया ठेकेदार जिसका इस सरकार में बैठे हुए लोगों से सांठ-गांठ है वह अकेले 27 सौ करोड़ का काम करता है और बाकायदा गांवों में जाता है बिना आपके स्वीकृति के शिलान्यास करता है लोगों को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि कल से सड़क बननी शुरू हो जाएगी। मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं मुझे नहीं पता चलता है कि सड़क कब किस प्रस्ताव में गई हुई है। यही नहीं बाकायदा वह यह भी कहता है।

मान्यवर, वह हमी को धता देने का काम नहीं करता है वह सत्ताधारी के साथ जुड़कर ठेकेदारी कर रहा है। वह सत्तापक्ष को धता देने की बात करता है कहता है यह सत्ता के मुख्य मंत्री का क्या मतलब होता है मेरे तार वहां से भी जुड़े हुए है जब चाहूंगा तब चुनाव लड़ूंगा और घोषणा करता है अखबारों की प्रतियां छपाई जाती है कोई संज्ञान उसका नहीं लिया जाता है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि वह एक करोड़ का व्यक्ति 27 करोड़ का काम कर रहा है मुझे आपत्ति नहीं है वह 27 हजार करोड़ का काम कर जाए पूरा प्रदेश उसके पीछे चले मुझे मतलब नहीं है आप चलेंगे हम लोग चलने वाले नहीं है लेकिन आप सदन में सुधार की बात करते हैं आप पी0डब्लू0डी0 का बजट देकर गड्ढामुक्त करने की बात करते हैं। आप गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, मैं जब से एम0एल0ए0 बना हूं, चार साल बीत गए, मैं लिखता रहा लेकिन एक भी सड़क की मरम्मत नहीं करा पाया। मरम्मत के नाम पर एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई। मैं कमेटी में भी हूं, बार-बार मैंने प्रमुख सचिव से भी कहा लेकिन एक भी पैसे की स्वीकृति सड़क मरम्मत के नाम पर नहीं हुई, आप प्रदेश के विकास की बात करते हैं। हम लोग बिल्कुल किसान हैं, हम लोग जब-जब डी0एम0 से मिले होंगे, एक दिन के लिए केवल क्रय केन्द्र खुलता था, दूसरे दिन बन्द हो जाता था कि बोरा नहीं है। किसान का धान क्रय केन्द्र के बाहर रखा हुआ था और मजबूरी में किसान ने आठ रुपये, पौने आठ रुपये में बिचौलियों को धान बेचने का काम किया है और जो बीज का पैसा है वह भी घुमा-फिरा कर मा0 मंत्री जी तक पहुंचने का काम हुआ है, यह मेरा मानना है। मान्यवर, मैं इस सदन का सदस्य हूं, सिंचाई विभाग के नाम पर हमारे यहां दो छोटी-छोटी नहरें हैं, हजौरी माइनर और नरहा माइनर। मैं कहता हूं, गर्मी के दिनों में ही देख लिया जाए, उसमें रिसाव होता है और सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद होती है। मंत्री जी का जवाब आता है कि पैसे नहीं है। रिसाव बन्द करने के लिए पैसे नहीं हैं और बजट बढ़ाकर आपने पहुंचा दिया कितने प्रतिशत ? मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए वर्ष 2006-07 में कितना बजट था, 19 हजार करोड़, 2007-08 में कितना हुआ, 25 हजार करोड़, कितना बढ़ा ? 40 प्रतिशत। वर्ष 2007-08 का वर्ष 2008-09 में कितना हुआ, 25 हजार करोड़ का, 35 हजार करोड़, कितना बढ़ा ? 40 प्रतिशत। इसी प्रकार से 2009-10 में कितना हुआ 35 हजार करोड़ से 39 हजार करोड़ और इस बार कितना बढ़ा है, 39 हजार करोड़ से 42 हजार करोड़। आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हमारी निगाह में यह बजट प्रदेश की 17 करोड़ जनता को बरगलाने

वाला, हताश करने वाला और किसान विरोधी बजट है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने इस वर्ष का बजट देखा, देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मान्यवर, इसमें महान सन्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब आदि महापुरुषों के नाम पर पार्कों, मूर्ति की स्थापना आदि के लिए पैसा रखा गया है। हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है, अच्छा होता कि इन महान सन्तों और गुरुओं को जाति और धर्म में न बांटा जाता। हमारे देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद और हमारे उत्तर प्रदेश की ही ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी आदि लोगों की भागीदारी कम नहीं है। अगर उनके नाम पर भी पार्को को या उनके नाम पर लाइब्रेरी आदि के लिए बजट रखा जाता तो बहुत अच्छा होता। युवाओं में, नौजवानों में देश के प्रति हौसला अफजाई होती, देश के प्रति काम करने का मन बनता, ईमानदारी उनमें उत्पन्न होती। मान्यवर, मैं जहां से चुनकर आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है। मान्यवर, वहां खेती के साथ-साथ बड़े खिलाड़ी भी पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे बजट देखकर बड़ी निराशा हुई। हमारे जनपद ने उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का काम किया है, चाहें वह शूटिंग का खेल रहा हो, कबड्डी का खेल रहा हो, हैण्डबाल का खेल रहा हो, यदि उनके लिए भी बजट में कुछ व्यवस्था कर दी जाती तो अच्छा होता। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध हे, उन खिलाड़ियों के लिए, इन खेलों के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ट्रेनिंग सेण्टर आदि की व्यवस्था की जाए तो अच्छा होगा। मान्यवर, इससे पूर्व हमारे जिले के अन्य सदस्यों ने भी बात कही है। मान्यवर, ये अपराधमुक्त की बात करते हैं, गड्ढामुक्त सड़कों की बात करते हैं। आज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कोई व्यक्ति आने लगे तो ऐसा रास्ता नहीं है कि बाईरोड अगर वह आये और उसकी गाड़ी सही सलामत बच जाये। आप जब दिल्ली से होते हुये बागपत होते हुये मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ते हैं तो वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़के कहीं है ही नहीं। मुजफ्फरनगर से शामली का रास्ता नार्मली 40 मिनट का है, पर कम से कम दो घण्टे में वह रास्ता तय किया जाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस सड़क की, पी0के0 मार्ग की मरम्मत हेतु भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, आज ये अपराधमुक्त की बात करते है, अपराधमुक्त नहीं मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार अपराधयुक्त है। अपराध को खत्म करने के लिये सबसे बड़ा काम होता अगर हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करते। आज बेरोजगारी दूर नहीं हुयी है। मैं मानता हूं कि भर्ती हुयी है, पर भर्ती के साथ-साथ बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा काम होता अगर छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता। रोजगारपरक उद्योग दिये जाते। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में छोटे रोजगारपरक उद्योग खोले जाने चाहिए। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट वर्ष 2011-12 पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में महंगाई की जो स्थिति और परिस्थिति है, उससे कोई अछूता नहीं है। चीजों के दाम 2 गुने हो गये हैं, बहुत सी खाद्य वस्तुओं से लेकर के और रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो वस्तुयें हैं, उनके दाम 4-4 गुना बढ़ गये हैं। डीजल-पेट्रोल के दाम तो साल में तीन-तीन, चार-चार बार बढ़ाने का काम सरकारें कर रही हैं। मान्यवर, महीने में दो बार, पिछले महीने में दो बार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गयी। प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। मान्यवर, बजट भाषण में मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006-07 में रुपये 15865 से बढ़कर वर्ष 2007-08 में रुपये 17602 हो गयी है। मान्यवर, 2008-09 में बढ़कर के 20004 तथा 2009-10 में बढ़ करके रुपये 23132 हो गयी है। मान्यवर, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात तो हम करते हैं लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जिस प्रतिशत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उससे कहीं 2 गुना, 3 गुना ज्यादा प्रतिशत में महंगाई बढ़ रही है। मान्यवर, गरीबी रेखा का अनुमान भी यह लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति की आमदनी 18 हजार वार्षिक से कम है, उसे गरीबी रेखा का एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है और उसे गरीबी रेखा की सुविधायें प्राप्त होने लगती है। मान्यवर, हम लोग कई बार इसको देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं जो 18 हजार रुपये तो 10 हजार रुपये भी उनकी वार्षिक आमदनी नहीं है। उनके नाम गरीबी रेखा से बाहर रहते हैं। जिनकी वार्षिक आय 18 हजार से कहीं ज्यादा हैं, वे गरीबी रेखा का कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि गरीबी रेखा का जो 18 हजार का मानक है, यह केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और बढ़ती हुयी महंगाई को देखते हुये, यह संभव क्या नहीं है कि जिस प्रकार से आपने इंदिरा आवास केन्द्र सरकार की योजना थी, आप सबको आवास नहीं दे पा रहे थे। आपने उसके पैरेलल एक दूसरी योजना चलायी और गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को आवास देने की व्यवस्था आपने प्रदेश से कर दी। मान्यवर, यह अच्छा कार्य है इसकी बुराई नहीं करते। लेकिन 18 हजार का जो गरीबी रेखा का मानक है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी भी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मान्यवर, इस पर सरकार अगर ध्यान देगी तो अच्छा होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि आज की बढ़ते हुए महंगे समय में 18 हजार के मानक को अगर हम गरीबी रेखा का मानक देते हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के साथ हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, विकलांग कल्याण का बजट वर्ष 2011-12 का रु0 365 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। विकलांगजन के भरण-पोषण अनुदान योजना हेतु रु0 259 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे सामने कुछ आंकड़े है मा0 केन्द्र सरकार ने विकलांग विधेयक लाया था, लेकिन प्रदेश की सरकार एक कानून लाई थी। मान्यवर, 1997 में विकलांग कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, उसमें यह कहा गया कि 3 प्रतिशत विकलांगों को नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, वह बैकलांग चलता आ रहा है। उसकी प्रगति शून्य है और हद तो तब हो गई मान्यवर, हमारे समाज में हम विकलांगों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी नजर से देखते हैं कि जैसे वह हमारे समाज से बाहर है, लेकिन टेलेन्ट की कमी उनमें नहीं है। मान्यवर, इलाहाबाद में एक पाण्डेय लड़की है, दोनों हाथ उसके नहीं है और पैर से वह ड्राइंग बनाने का काम करती है और उसको कई बार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, मान्यवर, इसी प्रकार से एक निषाद लड़की है, इलाहाबाद में उसके केवल एक हाथ है, लेकिन तैराकी में वह जमुना का इस किनारे से उस किनारे तक पूरा पार कर जाती है। वह भी कई स्पर्धाओं में विजेता रही है। मान्यवर, इन लोगों में टेलेन्ट है। ऊपर वाला अगर कुछ छीन लेता है तो उनमें कुछ-न-कुछ गुण अतिरिक्त जरूर देता है, लेकिन मान्यवर, तो 3 प्रतिशत का कोटा रखा गया नौकरियों में लेकिन उसमें भी भेद-भाव कर दिया गया। अनुसूचित वर्ग की जो बैकलॉग भर्ती है उसको भरने में तो हम पूरा दिमाग लगाते हैं, लेकिन मान्यवर, जो विकलांग जनों की बैकलॉग की भर्ती है, उसमें हम कैसे गति लाए इसके लिए सरकार बहुत ही संवेदनहीन है। सरकार द्वारा संवेदनशीलता इसमें दिखाई जानी चाहिए। मान्यवर, अभी इलाहाबाद नगर निगम में विज्ञापन संख्या-765/2008 यह सितम्बर, 2008 में विज्ञापन दिया गया और इसमें विकलांगजनों के लिए 9 नौकरियों के लिए प्रस्तावित किया गया। मान्यवर, वह भी अनुपात में नहीं था। कायदा तो यह होना चाहिए था कि अगर 9 नौकरियां हैं तो उसमें से 03 दृष्टिहीन को, 03 जो अन्य विकलांग हैं उन्हें और मूक बधिर को 03 नियुक्तियां उसमें दी जानी चाहिए थीं, लेकिन उसमें भी असमानता बरती गई। जब उसमें आपत्ति की गई तो पूरा का पूरा विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। चलिए यह भी बात सहने योग्य थी कि विज्ञापन को निरस्त करके और सामान्यतया उसको ठीक करके और फिर से विज्ञापित किया जाए। मान्यवर, वर्ष 2011 में पूरा दोबारा विज्ञापित किया गया। विज्ञापन संख्या-डी-635 में किया गया और मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये जो 9 नियुक्तियां होनी थी, इसको घटाकर के 04 कर दी गई। बाद में पता चला कि पुराने विज्ञापन के आधार पर 05 नियुक्तियां अन्दर-ही-अन्दर कर ली गई। मा0 अधिष्ठाता महोदय, विकलांगजनों के प्रति भी यह सरकार कितनी संवेदनहीनता दिखलाती है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, शकुन्तला मिश्रा जी के नाम से अभी मैं पिछले महीने कई जगहों पर बोर्ड लगे हुए देख रहा था कि विज्ञापन छपे थे कि ऑल इण्डिया दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट का। मान्यवर, यह अच्छी बात है कि खेलकूद में भी विकलांगजनों को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन जिस प्रदेश के विकलांगजन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और अपनी विकलांगता को देखते हुए, जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, उनको अगर क्रिकेट टूर्नामेंट न खिलाकर, अगर प्रदेश भर के विकलांगों को इकटठा किया गया होता, उनसे उनके कष्ट को पूछा गया होता और कष्ट को पूछकर के उस पर राय बनाकर के कोई राय बनाकर के उसका कोई निराकरण किया गया होता, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सराहनीय कार्य होता। मान्यवर, महंगाई बढ़ रही है, और आज भी विकलांगों को 300 रुपये मासिक ही दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ गई है, सारी चीजें बढ़ गई हैं लेकिन विकलांगों को जो देय धनराशि है उसको बढ़ाने का सरकार ने कोई न तो विचार किया है और न ही उस पर कोई रास्ता आगे निकालना चाहती है। मान्यवर, मेरा अपना सोचना यह है और मेरा ख्याल है कि सारे सदन का यह सोचना होगा कि हमारे समाज में जो इस प्रकार के लोग हैं। उनके प्रति हमारी सहानुभूमि होनी चाहिए और सहानुभूति के साथ-साथ हम उनके लिए कितना काम कर सके कितना उनकों हम आगे बढ़ा सकें इस पर निश्चित रूप से हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गंगा प्रदूषण के विषय में भी इस बजट में जिक्र है, मान्यवर, बजट में है कि प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के साथ ही

साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रुपये 25 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की उपमा मिल गई है, मान्यवर, 25 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था से हम कितना प्रदूषण मुक्त गंगा नदी को या अन्य नदियों को, झील, झरनों को कर पायेंगें, यह अपने आप में सोंचने की बात है। मान्यवर, गंगा नदी में, आप अगर कानपुर से चलिये, कानपुर में उन्नाव में टैनरियों का पानी, सीवेज का पानी, मान्यवर, आगे बढ़िये फतेहपुर में भी जो गंदा पानी है वह भी नदियों में पहुंच रहा है। इलाहाबाद में हर वर्ष माघ का मेला लगता है, 12 वर्ष में एक बार कुम्भ का मेला आता है। मान्यवर, 125 करोड़ का बजट कुम्भ के मेले के लिए पास तो कर दिया गया है, स्वीकृत तो कर दिया गया है लेकिन मान्यवर, गंगा जी में जो साफ पानी आना चाहिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं का गई है, हर बार जितनी बार भी कुम्भ का मेला लगता है, मान्यवर, साधु-सन्तों को वहां धरना करना पड़ता है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है और मा0 उच्च न्यायालय की शरण में जाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत पानी पीछे से छोड़ा जाता है, वह भी नरौरा से न छोड़ कर के नहरों का पानी छोड़ा जाता है। मान्यवर, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी का जवाब मिला था, मैंने प्रश्न पूछा था कि गंगा नदी में इलाहाबाद में कितना सीवेज का पानी कितना ज्यादा डिस्चार्ज होता है, मान्यवर, 300 एमएलटी पानी डिस्चार्ज प्रतिदिन होता है, जो गंगा नदी में छोड़ा जाता है और उसको साफ-सुथरा करने की व्यवस्था मात्र 100 एमएलटी पानी की है। मान्यवर, इसका मतलब हो गया कि 200 मिलियन टन पानी रोज गंगा नदी में इलाहाबाद जैसे मात्र शहर में प्रदूषण वाला जल छोड़ा जाता है। मान्यवर, धार्मिक आस्था है लोगों की, वहां कल्पवासी रहते हैं, कल्पवास करते है एक महीना, उसी जल से स्नान करते हैं, उसी जल से अपने भोजन को पकाते हैं, उसी जल का आचमन करते हैं और मान्यवर, जब वहां कल्पवासियों को इस चीज का पता लगता है, इस प्रकार की स्थितियों से उनको जानकारी होती है तो इससे धार्मिक भावना भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं आहत होती है तो गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार को और ज्यादा जागरूक होना चाहिए था और जागरूक होकर के इसमें बजट की व्यवस्था कुछ ज्यादा की जानी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में है कि सब के लिए आवास इस योजना के अन्तर्गत धन दिया गया, मान्यवर, सबके लिए आवास की तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है केवल मुझे लगता है कि एक वर्ग विशेष के लिए धन का आवंटन करके आवास की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, मैं अभी आज भी सुबह के समय नियम के अन्तर्गत इस बात की चर्चा कर रहा था कि इलाहाबाद में स्टेट लैण्ड की जमीन पर कम से कम लाखों मकान बने हुए है, मान्यवर एक तरफ तो आप सबको मकान देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वह स्टेट लैण्ड पर जो बने आवास हैं मध्यवर्गीय लोगों के आवास हैं, उस जमीन को फ्रीहोल्ड न कर के उन मकानों पर रोज बुल्डोजर चलेगा, इस बात का डर उनको सताये रहता है तो जब सबको आवास देने की बात आप करते है, सबको कालोनी बना कर के दे रहे हैं, तो कम से कम पूरे प्रदेश में स्टेट लैण्ड पर बसे हुए जो लोग हैं, जो अपना मकान निर्मित कर चुके हैं, उनको भी, निर्माणाधीन मकानों को भी न गिराये जाने का कुछ न कुछ आदेश दिया जाना चाहिए और उनको नियमित कर देना चाहिए, आगे मकान उस पर न बन पायें, इसकी व्यवस्था करें उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस एक बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की यह सरकार चल रही है, लेकिन इस पूरे बजट भाषण में, मान्यवर इस पूरे बजट में

सामान्य जनों के लिए क्या योजना है क्या अगर वह कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, वह गरीब नहीं हो सकता, कोई क्षत्रिय जाति का व्यक्ति है, वह गरीब नहीं हो सकता, कोई वैश्य समुदाय का व्यक्ति है, वह गरीब नहीं हो सकता, मान्यवर, अगर वह गरीब है तो उसको भी सामान्य रूप से उसको भी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए, जो इस पूरे बजट भाषण में सामान्य वर्ग के लिए कहीं पर कोई भी सुविधा न दी गई है और न इस पर मान्यवर, कोई जिक्र किया गया है। मान्यवर, यह जो सर्वजन हिताय की बात यह सरकार कहती है इन सब बातों से ऐसा लगता है कि यह एकजन की सरकार चल रही है। मान्यवर, मैं पंचायत चुनावों का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। मान्यवर, अभी कुछ महीने पंचायतों के चुनाव हुए। पंचायतों के चुनावों में जो धांधली हुई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। पूरे प्रदेश में जो सरकारी पक्ष से सम्बन्धित लोग खड़े हुए थे पुलिस प्रशासन उनके प्रोटेक्शन में खड़ा रहा। मान्यवर, उनके नामांकन पर्चों में यदि कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हुई तो अधिकारियों ने बुलाकर उसे ठीक करा दिया ताकि उनका पर्चा खारिज न होने पाये। लेकिन दूसरी तरफ यदि प्रधानी में कोई विपक्षी दल से सम्बद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका पर्चा किसी न किसी बहाने से खारिज करने का प्रयास किया गया और यदि उस समय खारिज नहीं कर पाये तो गिनती के समय उसे किसी न किसी तरह से बाहर करने की कोशिशें की गयीं। मान्यवर, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसमें सरकार के साथ खड़ा रहा। मान्यवर, यही नहीं उस चुनाव में मतपेटियों को भी लूटने का काम किया गया और जो सरकारी पक्ष के लोगों के इसमें कृत्य थे उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गयी। उल्टे दूसरे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हैं। मान्यवर, यह सब चिन्ता और चिन्तन का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट के सम्बन्ध में जो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये है। उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

*श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट के सम्बन्ध में माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, वर्ष 2011-2012 के बजट का आकार रु0 169416.38 करोड़ है जो वर्ष 2010-2011 के बजट से 10.6 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, गत वर्षों के मुकाबले दुगुनी महंगाई बढ़ी है। मान्यवर, जितनी परियोजनायें बनायी जा रही है या बनी हैं उनको बनाने के लिए जो मैटिरियल प्रयुक्त होता है वह काफी महंगा हो गया है। आप इस 10.6 से कैसे कवर करेंगे यह चिन्तन का विषय है। मान्यवर, आज जितनी योजनायें बन रही है वह सब अनुपयोगी बन रही है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मान्यवर, जगह-जगह पर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। मान्यवर, हमारा बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर विकास के नाम पर केन्द्र सरकार की ओर से योजनायें दी जा रही हैं वह अनुउत्पादक सिद्ध हो रही है। उनमें बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। वह सब अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है। मान्यवर, आज वहां पर जरूरत सिंचाई के विकास की है, बिजली उपलब्धता की है, पेयजल व्यवस्था की है। पेयजल की समस्या वहां पर इतनी जटिल है कि लोगों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। वहां पर हैण्डपम्प की समस्या है। मान्यवर, आज विधायक कोई हस्ती नहीं है कि अगर कोई प्यासा है तो उसके यहां एक हैण्डपम्प दे सके। इसमें विधायकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। जिलाधिकारी और सी0डी0ओ0 से कह दिया गया है कि आप हैण्डपम्प लगवायेंगे। जबकि जहां जरूरत होती है जनता हमें बताती है। वह अधिकारी तो एसी के बंगलों में बैठते हैं और योजनायें बनाते हैं। मान्यवर, वहां पर कौन आदमी प्यासा है वह तो जनप्रतिनिधि को ही पता होता है। मान्यवर, हमारे यहां पी0डब्लू0डी0 और सिंचाई विभाग है जो इसके माननीय मंत्री जी हैं उनके पास दूसरे विभाग भी हैं। इस तरह से उनके पास 10-12 विभागों का कार्य है उनके पास समय नहीं है कि वे वहां की समस्याओं को देख सकें। मान्यवर, वहां पर जो भी टेण्डर होते हैं उनमें एक घर से बैठकर सारे टेण्डर बना दिये जाते हैं और पेटी भर दी जाती है। उसका परिणाम यह है कि मंत्री जी जिस पुल का उद्घाटन करते हैं वह 13 दिन के बाद ही टूट जाता है। जो मेडिकल कालेज का भवन बना उसकी छत टूटकर गिर गयी। उसमें एक व्यक्ति दब गया।

मान्यवर, जो तटबन्ध बन रहे हैं उसमें एक दलित व्यक्ति दब गया था किसी तरह से उसको समझा बुझाकर उससे रिपोर्ट नहीं लिखवायी गयी। जो तटबन्धों का वहां पर काम है बिना काम के उसमें भुगतान किया जा रहा है। अरबों रुपयों का इस तरह से नुकसान किया जा रहा है। लेकिन उसमें औने-पौने कार्य दिखाकर उसे एक नम्बर करने की कोशिशें की जा रही हैं। मान्यवर, बांदा में जो नलकूप की स्थिति है उससे वहां का किसान आन्दोलित है। वहां पर किसान मोटर लिये बैठा हुआ है उसका कोई पुरसाहाल नहीं है। इसी तरह से वहां पर पम्प नहरें बिजली न आने के कारण चल नहीं पा रही हैं। इसके अलावा मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना में बड़ा हांक रही है कि हमारी सरकार यह कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी का दौरा लग रहा है तो उन्हीं गांवों को अधिकारी सेलेक्ट करते हैं जो पहले से पूरी तरह से संतृप्त हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जाती हैं तो पूरी साफ सफाई हो जाती है स्कूल वह जाती हैं तो बच्चों से पूछती हैं कि मास्टर आते हैं कि नहीं आते हैं खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। मान्यवर, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ वह यह नहीं पूछती कि मास्टर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं जरा पहाड़ा पढ़कर सुना दीजिए, किताब पढ़कर सुना दीजिए। मान्यवर, यह हालत है कि बच्चे जब सुबह आते हैं स्कूल में पढ़ने तो रसोई में खाना बनने लगता है तो बच्चों की निगाह रसोई की तरफ रहती है, मास्टर जब आते हैं तो मास्टर की निगाह रसोई की तरफ रहती है कि कहीं कोई चोरी करके न ले जाय और एस0डी0आई0 आता है तो उसकी निगाह वहीं रहती है कहता है, क्यों भाई, कितना मिड-डे-मील आया, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा।

मान्यवर, हम बधाई देना चाहेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पिछले शासनकाल में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे एक कक्षा में 3 बच्चों को स्कालरशिप मिला करती थी। पहली बार मुलायम सिंह यादव जी ने सभी समाज के बच्चों को सवर्ण समाज के बच्चों को, पिछड़े समाज के बच्चों को सभी को छात्रवृत्ति देने का काम किया ऐतिहासिक योजना कन्या विद्या धन देने का काम किया, बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया लेकिन इस सरकार में सारी योजनाएं खत्म कर दी गयीं। आज पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जो शादी अनुदान का पैसा है पिछड़े वर्ग की पुत्रियों को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैं बताना

चाहता हूं कि 16 जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा देने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था जिस ऐक्ट के तहत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1994 की धारा के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करके अनुसूचित जाति की सुविधा देने का काम किया गया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सफाई कर्मी है उसी तरह से सभी वर्गों को सफाई कर्मी में नियुक्ति करने का काम किया। सवर्ण समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनारिटी के लोग झाड़ू लगाने का काम करें लेकिन उनको सुविधा देने का कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय नेता सदन ने 4 मार्च, 2008 को एक भाषण यहां दिया था, बड़ा स्वागत किया गया था हमने भी सोचा था माननीय मुख्य मंत्री जी बोल गयी कश्यप, निषाद, बिन्द, राजभर, प्रजापति समाज के लोग अनुसूचित जाति का मानक पूरा करते हैं इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दी जानी चाहिए हम इसकी मानीटरिंग करेंगे और प्रधान मंत्री को पत्र लिख दिया। माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय से पत्र आ गया कि निर्धारित प्रपत्र में आप इसका सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजिये लेकिन मान्यवर, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं गयी। सरकार जाने की स्थिति में आ गयी है और खाली वोट लेने के लिए यहां भाषण दे दिया कि हम अनुसूचित जाति के पक्ष में है लेकिन मान्यवर, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इसके अलावा बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में बालू और मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। बेसमेन्ट खोदे जा रहे हैं करोड़ों की राजस्व की हानि हो रही है। कुछ लोग जो सत्ता दल में है उनकी हनक में मान्यवर, करोड़ों का नुकसान यह सरकार करवा रही है। इसके अलावा मान्यवर, हम बताना चाहते हैं कि अभी ला-एण्ड-आर्डर के नाम पर जिस तरह से सत्ता दल के लोग जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं हर जिले में देखने को मिल रहा है चाहे शीलू निषाद का मामला ही हो। एक निषाद समाज की बेटी थी मान्यवर, उसके साथ अत्याचार हुआ। विधायक के यहां संरक्षण लिया उसके पिता ने सोचा बसपा का कार्यकर्ता था उसने सोचा हमारे नेता के यहां सुरक्षित रहेगी लेकिन वहां वह लड़की सुरक्षित नहीं रही उसके साथ गैंगरेप किया गया और इसके बाद वह मुंह न खोल पाये उसे जेल भेज दिया गया तो कम से कम उसको देखना चाहिए था कि उसकी क्या हालत है उसकी डाक्टरी नहीं कराई गयी और न दवा इलाज की व्यवस्था की गयी। एक जेलकर्मी शहनवाज बेगम जिसकी ड्यूटी लगी थी उसने इसका विरोध किया और कहा कि लड़की की हालत बहुत खराब है ब्लड जा रहा है तो आनन-फानन में उसके कपड़े बदलवा दिये गये, जेल अधीक्षक ने नये कपड़े दे दिये लेकिन उसकी दवा इलाज का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया। मान्यवर, जब न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब जाकर उस लड़की को राहत मिली और मुकदमा दर्ज हुआ।

मान्यवर, न्यायालय के आदेश से शीलू निषाद रिहा तो हो गयी लेकिन 32 दिन जेल में रहने वाली शीलू को अभी तक न्याय नहीं मिला। उसको गांव में कैद कर दिया गया है आज हमने बात किया शीलू 3 दिन से बीमार है, उसको पेचिस पड़ रही है कि सरकार का आदेश है, तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जायेगा। नारायणी के कोतवाल हैं, एस0पी0 के आदेश पर कहते हैं कि तुम कहीं नहीं हिल सकती हो चाहे मरो चाहे जियो। अगर तुम्हें बयान बदलना है, अगर विधायक के पक्ष में बयान देना है तो तुम्हें सारी सुविधा मिलेगी। मान्यवर, उसके ऊपर कोई केस नहीं है जो था, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के दरवाजे खुल गये। लेकिन यह बलात्कारी सरकार के दरवाजे नहीं खुले। इस तरह की तमाम घटनायें हैं, अभी फतेहपुर में एक मामला सामने आया है, माननीय एक मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, एक वहां हाजी इस्माइल खां कानूनगो हैं, वह प्रतिनिधि उनके यहां जाते हैं और कहते हैं कि हमको जाति

प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र दीजिये, मनमानी रिपोर्ट लगवाना चाहते थे, जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई तो मौलाना की दाढ़ी खींचने का काम किया और रायफल की बट से पीटने का काम किया। मान्यवर, आज भी वहां कर्मचारी आन्दोलित हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी चूंकि माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं इसलिये रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मान्यवर, चाहे कालपी के विधायक का मामला हो, आज पूरे प्रदेश में गैंग रेप हो रहे हैं, तमाम घटनायें हो रही हैं और यह गूंगी बहरी सरकार सुन रही है और इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि बजट में जो इन्होंने तमाम थोथी घोषणायें की हैं, यह ढपोरशंख बजट है। इसमें किसी प्रकार की योजना नहीं है, इसमें केवल अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये बजट में व्यवस्था रखी गयी है और यह बजट पूरी तरह पिछड़ा वर्ग विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और सर्वजन समाज का विरोधी है, केवल इसमें नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

*श्री शिव प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने बजट भाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री, इंसाफ की देवी बहन मायावती जी ने सीमित साधनों में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिये जो बजट में प्रावधान किया है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। बहन जी ने मान्यवर, कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत और उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया पेंशन योजना के तहत कई अच्छे काम किये हैं। बहन जी ने जो यह सब कार्य किये हैं, जबसे देश आजाद हुआ है तबसे लेकर आज तक किसी भी सरकार की निगाह वहां पर नहीं गयी कि गांव भी बहुत ज्यादा प्रदूषित रहते हैं। हमारी नेता बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के गांवों के लिये सफाई की व्यवस्था की और लगभग 96 हजार सफाई कर्मियों की नियुक्ति करके गांवों की सफाई की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का काम किया है और लगभग 35 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की और इतनी पारदर्शिता से की कि केन्द्र सरकार ने पुलिस भर्ती में इस पारदर्शिता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहन मायावती जी ने और हमारी सरकार ने लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की और उनकी नियुक्ति करके शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम किया। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले जब उत्तर प्रदेश में इण्टर का परीक्षाफल 40 प्रतिशत रहा करता था और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आयी इन्होंने एक वर्ष में ही इतनी बढ़िया पढ़ाई कराई कि इण्टर का रिजल्ट 80-90 प्रतिशत तक आने लगा। अधिष्ठाता महोदय, सपुस्तक परीक्षा योजना, स्वकेन्द्र परीक्षा योजना के तहत इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि सब लड़के पास होने लगे। मान्यवर, मैं इटावा जिले के भरथना का विधायक हूं। ला-एण्ड-आर्डर के सम्बन्ध में आपको बताना चाहूंगा कि जहां से सपा मुखिया कई बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनके नेता प्रतिपक्ष वहां से वर्तमान में विधायक हैं, उनकी विधान सभा में कुंजपुरा गांव पड़ता है जो व्यक्ति जिन्दा था उसको मरा हुआ दिखाया और मरा हुआ दिखाकर उसका पोस्टमार्टम कराया और रमेश फौजी जो जसवंत नगर से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव लड़ चुके थे उनको मर्डर केस में फंसाया। मा0 अधिष्ठाता महोदय हमने अपने सहयोग से उसे जिन्दा पकड़ा और उसे अदालत में पेश किया और तब जाकर वह उस मुकदमें से बरी हो पाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जसवंत नगर विधान सभा में ही श्याम सिंह यादव सपा सरकार के शासनकाल में जिला पंचायत का पर्चा भरने आये थे उनको भरी कचहरी से समाजवादी पार्टी के लोग मारते-पीटते हुए ले गये थे और इतना मारा था कि एक महीने बाद ही श्याम सिंह यादव की मृत्यु हो गई थी। अधिष्ठाता महोदय, वहीं एक गांव पड़ता है बसवां, वहां की दो लड़कियां आज भी गायब हैं, उनके घर से ट्रैक्टर लूट लिया गया था, भैंसे छोर ली गई थी, आज तक उनका कोई पता नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इनके मंत्री के गनर की हत्या हुई इनके मंत्री गनर की हत्या के दोषी हैं और आज तक उस प्रकरण में कोई रिपोर्ट नहीं हुई। हमारी भरथना विधान सभा में एक मड़िया गांव पड़ता है वहां का एक मुनिया बैण्डवाला है वह एक दिन में तीन लोगों की हत्या करता है। मोटर साइकिलें नहर के किनारे खड़ी कर देता है और लोगों को मार करके नहर में बहा देता है। विधूना कोतवाली में उसके खिलाफ पचासों अपराध दर्ज होते हैं और कुछ नहीं भी दर्ज होते हैं लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जाता है। इटावा शहर में ही प्रिंस गांधी एक जगह है वहीं पर सेंगर अधिवक्ता हत्याकाण्ड समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, न तो आज तक रिपोर्ट लिखी गई और न ही कोई कार्यवाही हुई। यह लोग कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। इनके शासनकाल में सैकड़ों मृतकों के नरकंकाल मिले उस निठारी घटना को एक सामान्य घटना बताया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 17 जून, 2006 को हमारा भाई ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था। 31 सदस्यों में से हमारे पास 48 सदस्य थे। मा0 अधिष्ठाता महोदय मुझे वोट नहीं डालने दिया गया, मुझ पर पुलिस ने गोली चलायी और मुझ पर रासुका लगवाया गया और साढ़े चार महीने की जेल करायी, 17 मुकदमें हम पर इनकी ही सरकार में लगाये गये थे। ये लोग पंचायत चुनाव की बात करते हैं इस बार पंचायत चुनाव इतना अच्छा हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी चुनाव जीत कर आया। यह इस बात का प्रमाण है यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से गरीबों ने भी चुनाव लड़ा और जीतकर भी आये और एक-एक वोट से चुनाव जीते हारे गये हैं। यह तो वही हुआ कि ''नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज की गई।'' एक शेर कहना चाहूंगा :-

माना कि चमन को सॅवारने में हमसे कुछ कलियां झड़ गई होंगी,
यही इल्जाम लगता है वतन की बेवफाई का और
जिन्होंने सत्ता के मद में पूरा चमन ही रौंद डाला
वह दम भरते हैं वतन की रहनुमाई का।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए एक काण्ड हुआ और मेरे प्रधानाचार्य को उसमें फांसा गया और मुझे भी उसमें फंसाने की कोशिश की गई। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि भरथना विधान सभा से मैं जीतकर आया हूं और मुझे फिर भरथना से टिकट मिल गया है और यह सोचते हैं कि मैं इनकी सल्तनत को चुनौती दूंगा। इसलिए यह सोचतें हैं कि इन पर थोड़ा सा आरोप लगा दो और बहन जी न्याय की देवी हैं इनको पार्टी से निकाल दिया जायेगा, हम निष्कंटक हो जायेंगे और हमारा कांटा निकल जायेगा। इसलिए मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रकरण पर ये समाचार-पत्र मेरे पास है। (मा0 सदस्य ने समाचार-पत्र दिखाये) (प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों ने कहा

कि सदन में समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।) मेरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने खुल करके यह कहा कि शिव प्रसाद यादव बिल्कुल निर्दोष है। तमाम बुद्धिजीवियों ने भी यही कहा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जिन्होंने आरोप लगाया उनके पुतले फूंके गये। लखना बाजार पूरी तरह से बन्द रहा, मेरे प्रकरण पर इतना जनाक्रोश था कि वहां पर जूते-चप्पल मारकर-मारकर पुतले फूंके गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है और निश्चित रूप से 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की सरकार है जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आगे से जब भी कोई आरोप लगे और किसी पर भी चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष पर किसी पर भी कोई आरोप लगाये, मा0 अधिष्ठाता महोदय, ऐसी कोई मशीन बनायी जाए जो आरोप लगाने वालों के भी लगायी जाए और जिस पर आरोप लगा रहे हैं उस पर भी लगायी जाए और यह सिद्ध किया जाए कि कौन बलात्कारी है और कौन बलात्कारी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री शिव प्रसाद यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आरोप लगने बन्द हो जायेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात न कहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस बजट भाषण के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बातें कहीं और एक सूचना भी दी है इनके सवाल पर भा0ज0पा0, कांग्रेस और ब0स0पा0 सारी पार्टियां सब एक हो गयी हैं। आपने बताया, इसके लिए बधाई।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

किसी जिन्दा व्यक्ति को मरा नहीं दिखाया इसलिए इनके पक्ष में लोगों ने बोला।

श्री अम्बिका चौधरी-

ब0स0पा0, भा0ज0पा0 और कांग्रेस तीनों मिले हुए हैं यह सूचना ब0स0पा0 के लोग दे रहे हैं, इसके लिए बधाई।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

चौधरी जी, आप क्यों डर रहे हैं मशीन नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के लगायी जायेगी, आप न घबड़ायें।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे वक्त दिया। विपक्ष के आदरणीय अम्बिका चौधरी जी ने इस चर्चा को शुरू किया और अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये उन सबसे अपने को सम्बद्ध करते हुए थोड़े से समय में कुछ चीजें लाना चाहूंगा। यह जो साहित्य हमें मिला है। उसके तीसरे पन्ने पर मैं सीधा आता हूं। इसके पन्द्रहवें पंक्ति में लिखा हुआ है कि उन्नतिशील प्रजाति के बीजों की आपूर्ति की

व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है आगे भी एक चीज बजट भाषण में आयी है कि नहरों की लम्बाई इस सूबे के अन्दर 73,926 किलोमीटर है। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पास जानकारियां गलत हैं। मैंने बड़े-बड़े विद्वानों से पूछा कि क्या मायावती जी के शासनकाल में सारी नहरें खोदी गयी हैं, पता लगा नहीं, आजादी के पहले से यह नहरें खुदी हुई हैं लेकिन वित्त मंत्री जी ने उनका उल्लेख बजट भाषण में इस तरह से किया है कि जैसे पौने चार साल के शासन में सारी की सारी नहरें मायावती की सरकार ने खोद डाली हों। मान्यवर, इतने लम्बे नहरी सिस्टम को, जिसे वह अंग्रेज जिन्होंने इस देश का शोषण किया वह बनाकर हमें दे गये। हम आज उनका मेन्टीनेंस तक नहीं कर पाते हैं। हमारे पूरे सिंचाई तंत्र के लिए जो बजट रखी गयी है वह 190 करोड़ रुपये की बजट पूरे वर्ष के लिए, पूरे सिंचाई तंत्र को व्यवस्थित करने के लिये है। उसके बाद पक्ष की ओर से ऐसे तबले बजाये जाते हैं तालियां बजायी जाती हैं कि बड़ा क्रान्तिकारी बजट ला करके रख दिया है। मान्यवर, इसी बजट में लिखा हुआ है कि पूरे सूबे में खेती के बोने का रकबा 254.15 लाख हेक्टेयर है और उसमें सिंचाई की सुविधायें कितनी हैं, मात्र 65 लाख हेक्टेयर के लिए किसान की आप क्या मदद करेंगे किसान को आप बीज दे सकते हैं किसान को सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं और उसके साथ समय से उर्वरक उपलब्ध करा सकते हैं। कोई काम आप कर नहीं सकते बजट लेकर आ गए और उस पर ताली बजाना शुरू हो जाता है बड़ी अजीब-अजीब विसंगतियों हैं। आप जानने की कोशिश करिए गरीबों के लिए बड़ी चिन्तित है यह सरकार आज की तारीख में भी बी0पी0एल0 परिवारों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है जिस स्मार्ट कार्ड की बीमा योजना जो लागू है 17 जनपद इस प्रदेश में ऐसे हैं जिन में कार्ड नहीं बन सके। गरीबों को यह सुविधा नहीं मिल रही है केवल प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की बात है लेकिन 17 जिले ऐसे हैं जिसमें मेरा जनपद भी आता है जहां बी0पी0एल0 परिवार अपनी छोटी-छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए तरस रहे हैं। और मान्यवर, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो हमने 15 हजार से सामान्य व्यक्ति की आय 21 या 22 हजार पहुंचा दी। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप सत्तारूढ़ हुए थे उस वक्त 15 हजार रुपए में जितनी चीजें खरीद में आ जाती थी क्या 21 हजार में आप उन्हें खरीद सकते हैं। मुद्रास्फूर्ति से आंकड़े बाजी करके इन्फ्लेशन को अपनी योग्यता बताकर हमने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा दिया है इन शुतुमुर्गी नीतियों से आप जनता के कोपभाजन होने से नहीं बच सकेंगे। एक वर्ष से तो हम चिल्ला रहे हैं इसी सदन में कई बार लिखकर दिया कि जन औषधि आउट लेट नाम से एक योजना है जेनरिक दवाइयां। दवाई कम्पनियां अपने नाम से लेबिल चिपकाकर उसकी कीमत तीन-चार गुना ज्यादा वसूलती है।

केन्द्र ने एक योजना बनाई है जेनरिक नाम से यानी जिस नाम से वह दवाई ईजाद की गई उसी नाम से दवाई उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि आउट लेट खोला जाय। जहां तक मेरे संज्ञान में है केन्द्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को इस बावत एक पत्र भी लिखा है उस पत्र को लिखे हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गए लेकिन जन औषधि आउट लेट योजना जो गरीबों को सुविधा देने वाली योजना है मैंने भी विधान सभा में प्रश्न लगाए लेकिन इस योजना के बारे में मुझे दिखाई नहीं देता कि सरकार कहीं चिन्तित है। बड़ी बड़ी छोटी चीजों से लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं गरीब लोगों तक सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं मैं यह मानता हूं कि संसाधन ज्यादा नहीं होंगे अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि सरकार की जितनी आय है उसका 80 फीसदी वेतन आदि में चला जाता है लेकिन बचे

हुए 20 प्रतिशत का हम सही इस्तेमाल कर लें अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाकर गरीबों को उससे लाभ मिल जाय मैं समझता हूं कि यही सरकारों का काम होना चाहिए। मान्यवर, एक योजना का बड़ा जोर शोर से उल्लेख किया गया आगरा की पेयजल योजना के लिए पिछले साल के बजट में 300 करोड़ का प्राविधान किया गया था। यह लगता है कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बजट भाषण में उसको स्थान दिया गया है इस वर्ष इसी पेयजल योजना के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है मान्यवर, यह पिछले साल जब मंजूर हुई थी पिछला बजट आने से पहले ही मैंने सबूतों सहित यह आरोप लगाया था कि इसी तरह की एक पेयजल योजना आगरा से मात्र 40 कि0मी0 दूर राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका आकार भी इससे बड़ा है और उसमें धौलपुर से चम्बल नदी से पानी को उठाकर भरतपुर ही नहीं बल्कि आस-पास के 40-50 गांवों और डींग और वुम्हेर जैसे कस्बों को पानी पहुंचाने की योजना बनाई। उस योजना की लागत हमारी आगरा वाली योजना से लगभग आधी है। मैंने मांग की थी कि वहां से डी0पी0आर0 राजस्थान सरकार से मंगा ली जाय। राजस्थान सरकार से क्या कारण है ? मुझे लगता है कि या जो हमारे सूबे के इंजीनियर बहुत निकम्मे हैं कि उन्होंने दूने पैसे की योजना बना ली या फिर इस वर्ष फिर उसमें कोई जांच नहीं बैठी। नियम-51 के तहत मैंने सदन में अपनी बात को उठाया था, आज तक अधिकारियों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे उसका उत्तर नहीं मिला लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे उसका उत्तर दिया जाय लेकिन कम से कम सूबे के धन की बर्बादी तो रोक लीजिये। इस साल फिर उसमें 500 करोड़ का प्राविधान बजट में स्पेशली एक योजना के लिये देखकर मेरा माथा ठनका और मेरा निश्चित मानना है कि परियोजना के अन्दर भ्रष्टाचार होगा। उसी परियोजना को इस सरकार के अन्दर मान्यता मिलेगी और उसी के लिये बजट का प्राविधान किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त कीजिये।

डा0 अनिल चौधरी-

आगरा पेयजल परियोजना के लिये खासतौर से माननीय अधिष्ठाता जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आगरा पेयजल परियोजना का परीक्षण करा लिया जाय। और उसी के पैरेलल जो धौलपुर की पेयजल परियोजना है उससे उसका कम्पेरिजन कर लिया जाय। 40 कि0मी0 क मात्र दूरी में इतना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए था और इसी के लिये बार-बार उसमें धन का प्राविधान कर दिया जाता है। मान्यवर, अस्पताल में डाक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षकों की कमी। खेती के लिये बड़ी क्रांतिकारी बाते की जाती हैं। हमारे सूबे में मृदा परीक्षण का कार्य शुरू हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं इस योजना के लिये जो आप लाये हैं। लेकिन जरा उसके परीक्षणों पर तो गौर करिये। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने नमूने आये काबर्निक पदार्थ हमारी मिट्टी के अन्दर अगर .8 प्रतिशत से कम होंगें तो वह भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नमूनों में कार्बन का अंक .2 से लेकर .35 के बीच आया। मैं सरकार से यह जाना चाहता हूं कि अगर सूबे के किसानों की चिन्ता है, अगर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कार्बन का अंश बढ़ाने के लिये कोई योजना लाने का काम करते तो शायद मैं इस बजट का स्वागत करता। पिछले साढ़े तीन साल से हम मांग कर रहे हैं कि जो डार्क घोषित ब्लाक हैं। अति दोहित और क्रिटिकल जिनके अंदर भूगर्भ जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे

चला गया है हमें उसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए और हमें एक यह कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर जितना जल बचा हुआ है उसका हम संरक्षण करें। मैंने मांग की थी कि बुन्देलखण्ड में आपने स्प्रेंन्कुलर और ड्रिप इरिगेशन से 90 प्रतिशत तक सब्सीडी लघु और सीमान्त कृषकों को देने का काम किया। मैंने मांग की थी कि यह जो डार्क ब्लाक हैं यह ज्यादातर पश्चिम में हैं और मेरा मानना है कि जहां नहरों की टेल है वह ब्लाक खास तौर से है। राय साहब पूर्वांचल में भी होंगें लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां नहरों की टेल है वहां यह ब्लाक हैं। उनको भी अगर रिप्रंकुलर और ड्रिप इरिगेशन से युक्त कर दिया जाय तो हमको लगता सरकार कुछ काम कर रही हैं। उसका होने न होने का कोई अर्थ है। इसके लिये बजट में कोई समावेश नहीं किया गया है। आप ने समय दिया। मैं अनुशासनहीनता नहीं करूंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा थोड़े से समय में। मेरे मन में आया है। पृष्ठ-4 पर लिखा हुआ है भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार। छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना। बड़ी अजीब बात है, आप कह रहे हैं कि छोटे किसानों की जमीन का आप अधिग्रहण नहीं करेंगें। जरा निकलवा तो लीजिये आंकड़े। कि सूबे के अन्दर 80-85 फीसदी किसान तो है ही छोटा। लघु और सीमान्त और आप क्या कर रहे हैं मैंने पहले भी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा में भी इसको रखा। प्रश्नों के माध्यम से इसको रखा, कार्य स्थगन के प्रस्ताव में हमारी पार्टी के सभी लोग लाये थे इसको 9 तारीख को। पूरे सूवे के अन्दर जो लूटमार हो रही है जमींनों की और उसको जो सरमायेदारों की जिस तरीके से बेचा जा रहा है और उसके बाद आपकी जो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए था जो नैतिकता का तकाजा है और किसानों को जो बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। इसका मतलब आप समझते है सारे मूर्ख लोगों का साम्राज्य आ गया है। सारे सूबे की जनता मूर्ख है कि आपकी इन बातों को मान जाएगी। कम से कम भगवान से डरो, एक बात बता रहे हैं इस सदन के अन्दर कितना ही झूठ बोल लीजिए असत्य बोल लीजिए कितनी तालियां बजा लीजिए बाहर जब आप निकलकर जाएंगे तो बाहर आपकी हजामत बनाने का काम जनता एक वर्ष बाद कर देगी।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2011-2012 के आय व्यय पर साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी सत्तापक्ष के माननीय सदस्य जो कानून व्यवस्था पर बोल रहे थे मैं कहना चाहता हूं अभी पंचायत के जो चुनाव हुए हैं पूरे प्रदेश में 129 लोग मारे गए हैं हजारों लोग घायल हुए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो और पुलिस के आंकड़े इस बात के गवाह हैं हमारे देवरिया जनपद में प्रिंयका कांड, बनट्ठा थाने का कुशवाहा कांड जहां रामबहादुर कुशवाहा की हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए थे। पटनवापुर का कांड हुआ। पटनवापुर में साधू की हत्या हुई इस सरकार में साधू की जान भी खतरे में हैं मनोज पाल 22 साल का नौजवान, जिसके शरीर में पांच गोलियों लगी और वह घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। और संजू यादव और भोलू यादव को गोली लगी लेकिन वह बच गए। मंदिर की प्रबन्ध समिति के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करके उनको परेशान किया जा रहा है। यह कानून व्यवस्था का हाल है मान्यवर, उत्तर प्रदेश की इस समय आबादी 17 करोड़ के आसपास है साढ़े आठ करोड़ पिछड़े

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ग के लोगों की आबादी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के अलावा, माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं जैसे अन्य वर्गो के छात्रों के लिए जैसे आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0आई0टी0 के लिए कोचिंग संस्थान खोले गए हैं या खोलने पर विचार कर रहे हैं, यह बता दें कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई कोचिंग संस्थान खोले हैं या खोलने पर विचार इस बजट में किए हैं। मान्यवर, जब एशियन और ओलम्पिक गैम होते हैं तो एशियन ओलम्पिक गेम में 60 के0जी0 का पहलवान 55 के0जी0 के पहलवान से नहीं लड़ेगा। 60 के0जी0 का पहलवान 50 के0जी0 के पहलवान से नहीं लड़ेगा। इसलिए भारत के संविधान के आर्टिकिल 340 में यह व्यवस्था की गई है विशेष अवसर के सिद्धान्त के तहत हम, जहाज चलाने वाले का मुकाबला मोटरसाइकिल चलाकर नहीं कर सकते है। इसलिए पिछड़ों के आरक्षण की बात कही गई और वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2011 तक, यह फरवरी का महीना चल रहा है पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की जो भी नियुक्ति की गई है उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति नहीं ली गई है यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह बहुत गम्भीर मामला है हम आग्रह करते है माननीय वित्त मंत्री जी से, जब मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो साफ-साफ यह बता दें पूर्वाचल की आबादी सात करोड़ है 27 जिले हैं और 27 जिलों के विकास के लिए 299 करोड़ की व्यवस्था की गई। बजट भाषण में कहा गया है कि 13 करोड़ रुपया हम अधिक दे दिए हैं इस साल, बुन्देलखण्ड निधि में चार गुना वृद्धि की गई है और सात करोड़ की आबादी का पूर्वांचल, गन्ना जो हमारी नगदी फसल है। और पूर्वांचल की 29 चीनी मिलों में से 13 चीनी मिलें बन्द हो गई। देवरिया जनपद जो गन्ने के लिए जाना जाता है, गन्ना हमारी जीवन रेखा है और देवरिया जिले की 5 चीनी मिलों में से 4 चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। गौरी बाजार की, कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिल वर्ष 96 में बन्द हो गई और वर्ष 2007 में जैसे ही सरकार सत्ता में आई तो कारपोरेशन की बैतालपुर, देवरिया और भटनी चीनी मिलों को बन्द करने का निर्णय जून, 2007 में ही आपने ले लिया और इन चीनी मिलों को बन्द तो किया ही औने-पौने दाम में इन चीनी मिलों को बेचने का भी आपने काम किया है। भटनी चीनी मिल, वर्ष 1920 की चीनी मिल है और भटनी चीनी मिल में करीब 52 बीघा जमीन (करीब 35 एकड़) सहित, जो मिल का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में जमीन की गणना नहीं की जाती है कि जमीन की कीमत कितनी है, लेकिन मान्यवर, 4 करोड़ 70 लाख में भटनी चीनी मिल को बेच दिया गया। जिले में एक मात्र चीनी मिल और इस देश की पहली चीनी मिली सन् 1903 में लगी थी, प्रतापपुर जो बिहार के बार्डर पर है, वही एक चीनी मिल चल रही है इसके कारण देवरिया में गन्ना किसानों का जो क्षेत्रफल है, वह 13 प्रतिशत घट गया। इन चीनी मिलों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको वी0आर0एस0 देकर हटा दिया गया और चीनी मिल का जो विक्रय पत्र है, हम चाहते हैं, हमारी राय है कि जैसे चीनी मिल आपने बेचा है, 5 करोड़ में देवरिया की चीनी मिल जो 1936 में लगी, उसको भी बेच दिया और 1933 की बैतालपुर चीनी मिल को भी आपने बेचने का काम किया है। ऐसी प्रदेश की 11 चीनी मिलों को औने-पौने दाम पर आपने बेच दिया है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मान्यवर, आज जो पूर्वांचल का हिस्सा है, वह बाढ़ से तबाह है। वहां गरीबी है, बेकारी है, भुखमरी है और यहां के नौजवान बेहाल हैं, वह यहां से पलायन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, बड़ी नदियों के किनारे बड़े-बड़े शहर बसे हैं और बड़ी नदियों के किनारे बसने वाले बड़े शहरों को बचाने के लिए वहां इंजीनियर हैं, लेकिन इस सरकार का ध्यान इधर कत्तई नहीं गया कि कुछ ऐसे भी जिले हैं, जहां नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं, पहुंचती हैं। मान्यवर,

हमारे यहां एक छोटी गण्डक नदी है। जब बरसात का समय आता है तो बड़ी नदियों से भी विकाराल रूप वह धारण करती है जिसके कारण नदी के तट पर जो बसे करीब दो दर्जन गांव हैं, यह नदी की धारा में विलीन हो जायेंगे, इसके लिए इस बजट के अन्दर कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, मैं पी0ए0सी0 का भी मेम्बर हूं, हमने प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग से पूछा कि देवरिया जनपद के नालों की सफाई के लिए कितना पैसा दिया है, उन्होंने 50 लाख रुपया बता दिया, जिलाधिकारी के माध्यम से पैसा सिंचाई विभाग को चला जायेगा और नहरें साफ कर दी जायेंगी। लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कहीं नहर की सफाई नहीं हुई है, कहीं सिल्ट की सफाई नहीं हुई है, हमारे गौर रजबहा से लेकर प्रानपुर माइनर, कहीं भी नहरों की सफाई नहीं हुई है। नहरों की सफाई न होने के कारण पूरी तरह से सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाया है और फसलें बर्बाद हुई हैं जहां सिंचाई के और कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, जो बजट रखा गया है, 1 लाख 69 हजार 418 करोड़ रुपये का, इस बजट के अन्दर जो व्यवस्था की गई है, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में इतने पैसे, टैक्स के रूप में इतने पैसे प्राप्त करेंगे, दिया गया है, यदि पूरा ब्यौरा देंगे तो काफी समय लगेगा लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज जो स्थिति हैं, हर आने वाला बच्चा जो है, उसके ऊपर भी 10 हजार रुपये का कर्ज लदेगा, इस तरह का बजट मा0 वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है।

मा0 अम्बिका चौधरी जी ने बजट के विरोध में जो बातें रखी हैं, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे देवरिया जनपद की है। एक बाबू लाल यादव हैं खुखन्दू थाना, नूनखार, मान्यवर, देश आजाद हो गया लेकिन नूनखार आजाद नहीं हुआ है। नवम्बर से लेकर के अब तक वहां पर दो गंभीर घटनायें हुई हैं। एक में जोगेन्द्र शर्मा की हत्या नवम्बर के महीने में हुई और दूसरी में बाबू लाल यादव जो दो बार प्रधान रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी प्रधान हैं। वह 11 तारीख को सुबह 7 बजकर 20 मिनट पर घर से बाहर निकल करके दाढ़ी बनवाने के लिये जा रहे थे और जैसे दाढ़ी बनाने के लिये नाऊ ने साबुन लगाया गया और अभी आधी दाढ़ी ही बनाई थी कि तब तक 5 लोगों ने गुमटी के अन्दर घुसकर के उनके ऊपर गोलियां चलाई। एक गोली उनके सिर पर लगी, दूसरी गोली उनकी बांह में लगी, तीसरी गोली उनके पेट में लगी। वह जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, इस वक्त वह के0जी0एम0सी0 के ट्रामा सेन्टर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर, जो आंकड़े हमने इस प्रदेश के संसदीय जीवन के प्रस्तुत किये हैं, वह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश के संसदीय जीवन में इतनी निकम्मी सरकार प्रदेश की जनता को कभी देखने को नहीं मिली है और अब आप क्या परिवर्तन लायेंगे। जब तो आप बिडिंग बांध रहे हैं, कल आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपका हिसाब करने के लिये तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अम्बिका चौधरी जी ने आय-व्ययक के विरोध में अपनी जो बात रखी है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती अरुणा तोमर-

मान्यवर, 2011-12 के आय-व्ययक/बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का आपने समय दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं, आपको धन्यवाद देती हूं और हमारे सभी साथी, हमारे आदरणीय चौधरी जी और अन्य साथियों ने जो बात रखी है, मैं अपने आपको उसके साथ सम्बद्ध

करते हुए अपनी दो तीन बातें कहूंगी क्योंकि दो मिनट का ही टाइम मिला है। हम महिलाओं को तो वैसे भी समय बहुत कम मिलता है। हमेशा महिला चिल्लाया करती हैं, हम देखते हैं कि हाउस में महिलायें शोर मचाती हैं लेकिन समय नहीं मिलता है। लेकिन आज जरूर मैं इतना कहना चाहती हूं क्योंकि सामने के साथी हमारे बहुत ही बातचीत में इतना ज्यादा निपुण हैं कि अपनी बात को चाहे जितनी भी ज्यादा गम्भीर बात हो उसको इतना साधारण तरीके से कह देते हैं और केवल यह बात कह करके अपना पीछे हट जाते हैं कि आपके समय में यह हुआ। हमारी बातें गिनाने लगते हैं। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि उनके समय में क्यों हो रहा हैं जो हमारे समय में हुआ है तो हम तो इधर आ गये हैं। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां रही हैं लेकिन क्या आप भी वही करना चाहते हो और क्या साल भर बाद आप भी इधर आना चाहते हो। क्या यह बात ठीक होगी कि हमारे गुणों को गिनाते रहेंगे, अपने को नहीं देखेंगे तो कल तो ऐसा न हो कि आप इधर आ जाओ और यही हमको कहना पड़े जो आप कहते हो बड़ी सफाई के साथ कि हमारे समय में नहीं आपके समय में हुआ है। आपकी व्यवस्था जो हैं, किस व्यवस्था को मैं कहूं, बिजली की यह स्थिति है कि आप रात में अगर बिजली देते हैं तो शायद रात भर में 10 बार बिजली जाती है, 10-10 मिनट के लिये बत्ती मिलती है। किसान रो रहा है आज की यह स्थिति है क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैं यह जानती हूं कि आज स्थिति आपके यहां ये है कि हम मजदूरों को भेजते हैं तो पूरी रात भर की मजदूरी बेकार जाती है। बैठे रहते हैं रात भर जागते हुए और आपकी बत्ती 10-10 मिनट, आधे घण्टे से ज्यादा नहीं मिलती। यही दिन में हालत है, आज यह स्थिति है कि बिजली का बिल लोग बराबर देंगे, सिंचाई की स्थिति यह है कि नहरों में पानी नहीं आता, पानी आपका तब आयेगा जब किसानों की बुआई खत्म हो जायेगी, जब सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। आबपाशी किसानों को बराबर देनी पड़ रही है।

आज यह स्थिति है कि कानून व्यवस्था की और यह स्थिति है विकास की। इस तरह से आप बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं, किसानों के बीच जाते हैं। नहरों में पानी नहीं रहता है। किसान हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सत्ता में नहीं विपक्ष में बैठे हुए हैं। हम अपनी बात अगर आपके अधिकारियों से कहते हैं तो 10 बार फोन करने के बाद भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं और खास करके जो महिला विधायक हैं, उनको तो कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको यह लगता है कि महिला विधायक है, कह देंगे हम लोगों का फोन जायेगा कि दुबारा हमसे बात करो तो इस बात से सम्पर्क नहीं करते। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ यह बात आज कह रही हूं क्योंकि यह देखते हुए कि आज चार साल का समय बीत गया है, मैं अनायास हाउस में कोई बात ऐसी बात नहीं करती हूं। लेकिन आज जो स्थिति है इसको आप देखिये, जो सच्चाई है, यह चीज तो अब सामने आई है। आज आप कहते हैं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आज स्थिति यह है कि अगर एक फोन कोई विधायक कर दें, तो जो काम होता है विपक्ष का तो यह काम भी नहीं होगा। अगर वह सच काम भी है तो आज लोग यह कहते हैं कि विपक्ष के विधायक से फोन मत कराईये अगर आपका सही काम भी है तो आप फंस जायेंगे। इससे हम ले देकर कुछ काम कर लेंगे लेकिन विपक्ष के विधायक ने किसी थाने में फोन करें, न किसी अधिकारी को फोन करें आज आपके राज में यह स्थिति हो गई है। यह सच्चाई है। इसको आप सुनिये। क्योंकि आप सच्चाई से अवगत नहीं हैं। यह बात सत्य कि सत्ता वाले जब तक सत्ता पर रहते हैं सच्चाई नहीं देखते हैं, तब तक उनको यह लगता है कि सारा काम मैं बहुत अच्छे

तरीके से कर रहा हूं, लेकिन जब विपक्ष में आते हैं तो उनको समझ में आता है। आप इसे देखिये क्योंकि हमें तो सत्ता और विपक्ष दोनों में बैठने का मौका मिला है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज इसमें सब लोग बहुत ही योग्य बैठे हुए हैं और बहुत नये हैं जो कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं वह सब कुछ जानते हैं इसलिये मैं कह रही हूं। आज आप कहते हो कि कानून-व्यवस्था अच्छी है, महिलाओं के प्रति लेकिन आज कोई महिला बता दे कि मैं बहुत ही सुरक्षित हूं। हम लोग चलते हैं तो जब सरकारी गनर नहीं मिलता है तो अपना बॉडी गार्ड बैठाकर रास्ते चलते हैं, क्योंकि स्थिति यह है कि सुरक्षित कोई नहीं है। आप लोग चलते हैं तो आप लोगों के पीछे-4-4 गाड़ियां लग के चलती हैं, ये गाड़ियां क्यों चलती हैं, जब आप सुरक्षित हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो क्या जरूरत है 4-4 गाड़ियां लेकर जाने की आप लोगों के लिये। इतने लोगों को ले जाने की जरूरत है। आप बता दीजिये, कह दीजिये हमें जवाब दे दीजिये ताकि हम समझ जायें कि आप की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप कहते हैं कि महिलाओं के लिये, कौन-सी महिला सुरक्षित है, कौन सी मां सुरक्षित है, घर में जो बैठी हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिये भेजती हैं, और सोचती हैं कि मेरी बेटी स्कूल से घर सुरक्षित लौट आए उसकी आबरू बच जाए तो समझ लीजिये बहुत बड़ी बात है। 4-4 साल की लड़कियां, 10-10 साल की लड़कियां, 15-15 साल की लड़कियां, बहू बेटियां क्या सुरक्षित हैं आज ? बहन मायावती जी हैं, ये महिला मुख्य मंत्री हैं, क्या इनके राज्य में यह हाल है। सुबह जब पेपर पढ़ा जाता है तो पूरे पेपर में क्या आता है बहुत जोरदारी से हम लोग कहते हैं-''बलात्कार'' यह शर्म की बात है, हमारे लिये, आपके लिये और पूरे हाऊस के लिये कि बलात्कार न हो गया कोई रामराज हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, इस चीज की गहराई पर जाकर हमको इस बात को देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम आप पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इसकी गम्भीरता को देखिये। आप इसकी गहराई में जाइये क्यों ऐसा हो रहा है। यह बढ़ता जा रहा है, जितना हम रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक महिला होने के नाते एक महिला समझती होगी हमारी मुख्य मंत्री भी इस बात को समझती हैं कि किसी महिला पर एक बार ऐसा आरोप लग जाये तो वह महिला जिन्दा मर जाती है। आपको मालूम होगा कि उस महिला की क्या स्थिति होती है, अगर वह जिन्दा भी है तो समाज के सामने मुंह उठाकर नहीं देख सकती है। आप उसको लाख-दो लाख रुपये देकर उसका सम्मान लौटा लायेंगे। आप चले जायेंगे 2 लाख रुपये दे देंगे, तो 2 लाख रुपये देकर क्या आप उसका सम्मान लौटा देंगे। आप उसको 10 लाख रुपये भी दे देंगे, लेकिन यह बताइये कि उसका सम्मान कौन लौटा के देंगे। जीवन में अगर आदमी सम्मान से नहीं जियेगा तो वह क्या जियेगा। आज हम सम्मान के लिये बैठे हैं। इस जगह पर। अगर हम किसी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े शब्दों में आप लोग कहते हैं कि हम महिलाओं के लिये बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? केवल हम आज यहां पर तैयार करके आते हैं कि मुझे प्रश्न का उत्तर देना है, लोग क्या बोलेंगे और उसका किस तरह से और किस सफाई से जवाब दे दें और लोग सुन लें। ज्यादा बोलो तो लोग हंसते हैं, हमने कोई मजाक नहीं किया, सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप देखिये कि क्या स्थिति है आज हम समाज के बीच में मुंह उठाकर जी नहीं सकते हैं, समाज से अगर बात करते हैं तो वे लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आप लोग महिला की इतनी बात नहीं उठा सकती हैं, हम लोग क्या

कहें आपसे इस बात के लिये। आप लोगों ने बहुत सी योजनायें निकाली हैं। क्या केवल एक ही वर्ग में गरीब महिलायें हैं क्या ? एक ही वर्ग में बेटियां गरीब हैं क्या ? आपने किया तो ठीक है जितनों के लिये बी0पी0एल0 कार्ड हो उतनों का बी0पी0एल0 कार्ड बनाओ इसके अलावा कोई ऐसी योजना बनायें, जिससे जिनको बी0पी0एल0 कार्ड नहीं दे सकते केन्द्र की वजह से उनको हम कुछ ऐसी योजना बनायें, जो गरीबी रेखा के अन्तर्गत आते हैं, उनको ग्राम के प्रधान, या वहां का जो चुना हुआ सदस्य है, उससे लिखवा कर उनको उससे जोड़ने की कोशिश की जाए, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। केवल विचार यह होता है कि विपक्ष ने क्या किया था। हम आज अगर सत्ता में हैं तो उनकी कितनी कलई उधेड़ें और अपनी को छिपायें। इससे हम लोग नहीं बचेंगे। कल जब हम इसके बाद बाहर जायेंगे तो जनता हिसाब लेगी। हम लोग कोई ऐसे-वैसे नहीं हैं सब लोग चुनकर आये हैं और कल जनता किसके साथ क्या कर सकती है, इसे हम और आप देखेंगे।

आज आपके राज में प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है कि कोई भी अधिकारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होता है, हम विधायक लोग जाते हैं तो अधिकारी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से देगा, देने के बाद उसमें यह नहीं कि कौन आया है, हम तो बहुत ही नम्रता के साथ, हमारी आदत चाहे जितने दिन हो गये, हाऊस में मुझे दस साल होने जा रहा है, लेकिन मैं जल्दी कुछ कहती नहीं हूं लेकिन मैं देखती हूं कि अधिकारियों की कुछ ऐसी बदतमीजी कि बहुत तकलीफ होती है कहने की बात एक बार कह कर मैं दोबारा उस अधिकारी को फोन नहीं करती हूं कुढ़न की वजह से, चाहे कोई एस0ओ0 हो, दरोगा हो क्योंकि हम लोग सम्मान के साथ रहते हैं, दस साल का समय हो गया है, मैं कभी थानें में खड़ी हो करके कभी किसी की एक कप चाय नहीं पी होगी केवल इसलिये कि अगर एक कप चाय इनकी आज हम पी लेंगे तो कल को यह हमें अपना गुलाम समझेंगे, जो काम है थाने के बाहर ही हम काम बता देते हैं, काम करिये, आज यह स्थिति है, इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से यह निवेदन करते हैं कि इन चीजों पर आप बैठ करके गौर करिये, एक दूसरे पर आक्षेप न करके गौर करके अगर इसको सुधारना चाहते हैं आप तो इसको रोकने की कोशिश करें। आज आप यह जो कह रहे थे कि हम इसको रोक रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि काम रोक तक रहा है, अगर रोकता तो यह काम आगे न होता। हमारे कानपुर के इतने काण्ड हैं, आज इतना समय नहीं है कि हम उन सबको गिनायें, इसीलिये आज मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन देख रहे थे कि कम है, नहीं कल मैं ले आती। मैं उन काण्डों के बारे में क्या बताऊं, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि अपनी आत-बात खुद से कहें एक औरत को जब यह बात कहनी पड़ती है तो लज्जा से वह झुक जाती है, क्योंकि वह औरत है, इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार 'एडवोकेट'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2011-2012 के इस बजट चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय-समय पर जन्में सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों जिनकी बदौलत हम लोग इस स्तर पर पहुंचे हैं उनको नमन करते हुए आज जो यह बजट ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' पर आधारित हम लोगों की नेता बहन कुमारी सुश्री

मायावती जी के दिशा-निर्देश पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा तैयार है जो पूरे इस प्रदेश की जनता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिया जा रहा है, जिसमें सभी किसान, व्यापारी, मजदूर, गरीब, कर्मचारी हर वर्ग के लोग प्रसन्न हैं, इस बजट का मैं थोड़ा सा सारांश पर बताना चाहता हूं, इधर विपक्ष में बैठे हुए तमाम पार्टियों के साथी बहुत से विचार व्यक्त किये, बहुत से आरोप-प्रत्यारोप किये, लेकिन मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, इस प्रदेश को विकासयुक्त वातावरण बना कर उत्तम प्रदेश बनाना है, अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, कानून का राज स्थापित करने के लिये जब से यह सरकार बनी है वह आज कानून का राज धरातल पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमारी माननीय बहन विधायक जी ने तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाया, लेकिन आप सभी विपक्षियों को कम से कम यह सीख लेना चाहिये कि कानून का राज आज इस प्रदेश में आज आम जनता, आम गरीब, किसान, मजदूर के मुंह पर यह जनरल बात आ रही है कि कानून का राज स्थापित है, इसके उदाहरण के तौर पर आप लोग देख रहे हैं, यह पहली सरकार है जो अपने सांसद, विधायक, मंत्री को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दे रही है। मान्यवर, उनका जहां स्थान है वहां उन्हें भेजा जा रहा है। मान्यवर, अभी विरोधी पार्टी का अधिवेशन हो रहा था, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, यह उस अधिवेशन में कहा गया कि हल्ला बोलो और मिस्र की तरह व्यवस्था कायम करो। मान्यवर, यहां प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। आप लोग तो इस तरह से कह करके देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आपकी ऐसी बातों को प्रदेश की भोली भाली और जागरूक जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि इस प्रजातंत्र में आपको जो अधिकार दिये गये हैं उसमें हर पार्टी यही कहती है कि हम समता मूलक समाज बनायेंगे। हर पार्टी आज हमारी पार्टी के विचारों पर चलाना चाहती है। हमारी पार्टी जो यह गैर बराबरी की व्यवस्था है, उसको समाप्त करना चाहती है। मान्यवर, केन्द्र सरकार जिसकी आर्थिक नीतियां गलत हैं वह हमारी सरकार की नीतियों में लगातार अवरोध उत्पन्न करके बदले की भावना के साथ काम करते हुए यहां के विकास के लिये एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही है। मान्यवर, आज देश के कई भाग आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन आप खुद गवाह हैं कि जब से बहन मायावती जी की सरकार बनी है कोई यहां पर नक्सलवाद की घटना हुई है। यहां की जनता की आस्था और विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। यहां पर कानून का राज स्थापित हो रहा है। आप पहले अपने समय का रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। आप जो आरोप हम पर लगाते हैं आपके समय का रिकार्ड क्या है। मैं अब मान्यवर, थोड़ी सी बात बजट व्यवस्था पर कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्डों के सम्बन्ध में जो 2002 की व्यवस्था है उसमें संशोधन की बात सरकार की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार ने जो बी0पी0एल0 आदि की व्यवस्थाओं से वंचित हैं उनके लिये महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू की है जिसमें 400 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद की बात है। तो जो महिलायें गरीब हैं उनके उत्थान के लिये ही इसमें काम किया गया है। यह सब योजनायें सर्वसमाज के लिये हैं। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसमें सर्वसमाज के लोगों के लिये गरीब लड़कियों की शादी के लिये 10 हजार रु0 शादी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। चाहे वह ब्राह्मण समाज की लड़की हो या क्षत्रिय समाज की लड़की हो। दलित समाज, अल्पसंख्यक हो, सबको इसमें मदद का मौका मिल रहा है। इसी तरह से आप देखें सावित्री बाई फूले आर्थिक शिक्षा

मदद योजना है इसमें मदद की जा रही है। इसी तरह से गरीब लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में सबल बनाने के लिये योजना बनाई गई है। मान्यवर, तमाम ऐसी योजनायें लागू की जा रही हैं। मान्यवर, आप देखें जो समाज कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या हम लोगों का भी उद्धार होगा। हमारे क्षेत्र में विकास नजर आयेगा वहां पर सीसी रोड, नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, अस्पताल एवं मिनी सचिवालय हर चीज देखने को मिल रही है। रोस्टर के हिसाब से बिजली मिल रही है। टेल तक नहरों में पानी पहुंच रहा है। मान्यवर, इतिहास साक्षी है कि नौगढ़ में कभी पानी नहीं गया था। विपक्षी पार्टी की सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी नौगढ़ गये थे लेकिन वहां पानी नहीं पहुंचा पाये। इस समय नौगढ़ तक पानी पहुंच रहा है। सिंचाई व्यवस्था का यह वहां का एक मुख्य साधन है। बिजली मिल रही है। यह सरकार ने वह काम कर दिखाया है। इसलिये कम से कम आप लोगों को सीख लेनी चाहिये अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिये। यहां कानून का राज है यहां सर्व समाज का सम्मान है। उत्तम प्रदेश बनाना है वह काम धरातल पर होते रहेंगे। पूरे गरीब मजदूर, चाहे किसान, व्यापारी सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। सभी लोगों के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है चाहे लघु सीमान्त किसान हों। चाहे किसान हों या महिला हर व्यक्ति के लिये इसमें प्रावधान है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देश पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2011-2012 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, समय कम है मैं कुछ मुख्य बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर जिसकी चर्चा हमारे अन्य साथियों ने की है मान्यवर, इसमें लिखा है कि देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में महान संतो, गुरुओं व महापुरुषों, खास तौर से हमारे महापुरुषों के नाम लिखे हैं, जिसे मैं कोड कर रहा हूं। मान्यवर, महान सन्तों की बात कही गई है निश्चित तौर पर जिन महानुभावों के नाम लिखे हुए हैं उन्होंने देश और समाज के लिये कुछ न कुछ काम किया होगा। किया है हम सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। मान्यवर, जिस विधान सभा का मैं सदस्य हूं और जिस सदन के अन्दर बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं यह उत्तर प्रदेश की वह पावन भूमि है इस भूमि ने महान सन्तों को ही जन्म नहीं दिया, महान क्रान्तिकारियों को ही जन्म नहीं दिया बल्कि साक्षात भगवान का जन्म भी इस भूमि से जुड़ा रहा है। मान्यवर, शास्त्रों में चर्चा है कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब जन्म लिया तो मान्यवर, वह भूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश की भूमि को चुना और मान्यवर, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वह भी मथुरा उत्तर प्रदेश की भूमि को उन्होंने चुना। मान्यवर, यह बात मैंने इसलिये शुरू की है क्योंकि देश का हर कोना महत्वपूर्ण है और हर महापुरुषों का इस देश के लिये कोई न कोई योगदान है। उत्तर प्रदेश की धरती पर जब बजट लिखा जा रहा हो और उसकी सामान्य चर्चा पर सन्तों की बात की जा रही हो और उस भूमि पर जन्मे लोगों को हम छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं लेकिन उन लोगों का अपमान भी हो जा रहा है हमारे द्वारा जिन्होंने हमारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये लड़ाई लड़ी है। मैं ज्यादा लम्बी बात न कहते हुए बुन्देलखण्ड की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, इस सरकार के बनने में बुन्देलखण्ड का बड़ा योगदान है। हमारे बहुत से सम्मानित साथी सामने बैठे हैं जो बुन्देलखण्ड से चुनकर आ रहे हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि उनके पास महत्वपूर्ण ओहदे हैं। सरकारी में काफी बड़ भार हैं उनके ऊपर लेकिन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद बुन्देलखण्ड अछूता रह गया। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम इस चर्चा में नहीं है। मान्यवर, जिनकी चर्चा पूरे देश में होती हो, दुनिया में होती हो और इतने महत्वपूर्ण साथी बैठे हैं वह लोग भूल रहे हैं। मान्यवर, वह लोग भूल रहे हैं जिन्हें याद है कि वीरांगना झलकारी बाई ने हमारी खातिर अपने प्राण देकर आजादी की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया। मान्यवर, अगर चयन का कोई और आधार है तो बात अलग है। हम महापुरुषों की श्रेणी में जायें, महान खिलाड़ियों की श्रेणी में जायें, कबियों की श्रेणी में जायें तो हर क्षेत्र में बुन्देलखण्ड की भूमि ने इतिहास रचा है। मेजर ध्यान चन्द्र देश की धरोहर नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे खिलाड़ी जन्मे जिन्होंने एक मिसाल कायम की खेल में अपनी विधा से। और जिसका लोहा पूरी दुनिया के लोगों ने माना। मान्यवर, मेजर ध्यान चन्द्र का नाम इसमें नहीं जुड़ पाया। मान्यवर, अगर कबियों की चर्चा करें तो उस बुन्देलखण्ड की भूमि ने महान कवि मैथली शरण गुप्त को जन्म दिया, बहुत सी ऐसी प्रतिभाओं को, बहुत सी ऐसी विभूतियों को जन्मा है उस भूमि ने लेकिन इतने सारे सम्मानित साथी हमारे बैठे रहे और बजट बनता रहा बड़े-बड़े विभागों पर उनका ध्यान बना रहा लेकिन एक किसी महापुरुष का नाम नहीं जोड़ पाये यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे दुख है मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसी न किसी महापुरुष का नाम इसमें जरूर जोड़ा जाय। जिन्होंने इस देश के लिये अपना योगदान दिया हो।

मान्यवर, बहुत लम्बी चर्चा नहीं करूंगा। मान्यवर, बजट बहुत बड़ा है। एक लाख उनहत्तर हजार चार सौ सोलह करोड़ बहुत बड़ा बजट है। बुन्देलखण्ड के लिये भी तमाम बातें इसमें कही गई हैं। मैं तो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने साथियों की तरफ जिनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मान्यवर, विकास के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी चर्चा हो रही है पिछले 3 साल से मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें उठा रहा हूं कोई बजट सत्र ऐसा नहीं है जिसमें मैंने सदन का ध्यान आकर्षित न कराया हो। एक पुल है वह ऐसा पुल है जो हमीरपुर और झांसी को जोड़ता है यह 3 साल से एक स्लैप पड़ना बाकी है, 12-13 करोड़ रुपये का खर्च है। सिर्फ इस बात का अपराधी है यह पुल कि माननीय मुलायम सिंह की सरकार में बनाया गया था यह पुल। इसमें 2-4-5 करोड़ रुपये खर्च होना है और यह बहुत बड़े भू-भाग को जोड़ने का साधन बन सकता है लेकिन पता नहीं पिछले 3 साल से बुन्देलखण्ड को पैसा दिया जा रहा है लेकिन उस पर एक स्लैप नहीं पड़ पा रही है जिससे वह पुल जुड़ सके। मान्यवर, हर सत्र में मैंने यह बात उठाई है कि मान्यवर, बुन्देलखण्ड का विकास चाहते हो तो बुन्देलखण्ड की भूमि को सिर्फ पानी चाहिये।

मान्यवर, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम पानी के अभाव में गरीब हैं, परेशान हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की दुर्दशा का सिर्फ कारण पानी है और मान्यवर, पानी के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। मान्यवर, बेतवा जैसी नदी हमारे उस क्षेत्र से गुजर रही है, मैं बसनई बांध की बात उठा रहा हूं कम से कम 100-200 गांव जिससे सिंचित होते हों, उस पर केवल 2-4 करोड़ रुपये खर्च

होना है, तीन साल से मैंने हर सत्र में इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है, लेकिन इतना बजट होने के बाद भी यह काम नहीं हो रहा है। सिर्फ नहर से लिंक अप होना था, लेकिन यह बसनई बांध नहीं बना पाये। इसी तरह से हमारे यहां की एक सड़क, जो सरकार के सारे मानकों में आती है, दो तहसीलों को जोड़ रही है, दो प्रदेशों की सीमाओं को जोड़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं वहां से विधायक हूं और हर बार यह बात उठाता हूं कि इस सड़क को बनाओ। बड़ी मुश्किल से इस बार टेण्डर भी हुआ है, लेकिन पता नहीं टेण्डर में क्या कमी कर दी गई कि उस पर सिर्फ 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं, इस कारण जो काम हो रहा है वह खत्म होता चला जा रहा है। मान्यवर, मेरी आपसे मांग है कि जो वर्तमान में काम चल रहे हैं, चाहे वह जो भी बांध बनाये जा रहे हैं और सरकार के दावे चाहे कुछ भी हों लेकिन एक भी बांध ऐसा नहीं है जो इस तीन साल की सरकार की योजना का बना बांध हो। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार के बने बांध को बनाने का ठेकेदार आपको मिल गया।

मान्यवर, आप जो नहर की सी0सी0 लाइनिंग कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता बड़ी खराब है। पिछली बार भी मैंने इस सवाल को उठाया था, वहां जांच कमेटी जाती है पता नहीं क्या होता है। इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आग्रह है कि इस बजट में, उपेक्षित क्षेत्रों के लिये जो आवश्यक चीजें हैं जो जरूरी चीजें हैं, जो जनजीवन से जुड़ी चीजे हैं, उनको जोड़ा जाय, इससे लोगों को लाभ हो सके, यह पैसा किसी एक की जागीर नहीं है, यह पूरे प्रदेश की जनता का पैसा है। मान्यवर, यह किसी एक मद में खर्च कर दिया जाय, किसी वर्ग विशेष के लोगों को लाभ दे दिया जाय, यह कहीं न कहीं भेदभाव है, पक्षपात है और अन्याय है। मान्यवर, इस पैसे पर सबका अधिकार है इसलिये हर वर्ग के लोगों को इन योजनाओं में शामिल होना चाहिये खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्योंकि इनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, इसलिये इसमें संशोधन किया जाय। मान्यवर, मैं इसी के साथ अपनी बात पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

आय व्ययक पर साधारण चर्चा आगे जारी रहेगी।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें बहुत कुछ नहीं है। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

संशोधन केवल इतना है कि जो पीछे बैठे हैं उनको भी मौका दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई संशोधन नहीं आ रहा है। इसलिये प्रस्ताव रख दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये)

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

2-इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या-9 सन् 1932 की अनुसूची एक का प्रतिस्थापन

2-भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड दो, खण्ड एक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव रखने का आशय यह है कि आप देखें.....

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मद सं0-32 भी इसी के साथ रखवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

ग्राम्य विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जहां तक हमारे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, आप देखें कि 23 दिसम्बर को आपने अध्यादेश प्रख्यापित किया और निश्चित रूप से 23 दिसम्बर से पहले मंत्रि-परिषद् ने निर्णय ले लिया था कि विधान मण्डल का अधिवेशन बुलाया जाये। जब विधान मण्डल का अधिवेशन बुलाने का आपने निर्णय लिया तो फिर अध्यादेश लाने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, यह तो आपको एक असाधारण शक्ति दी गई है कि जब सत्र न हो, बैठने की उम्मीद भी न हो, विषय बहुत गम्भीर हो यानि कि ऐसा विषय जिसे तुरन्त लागू होना आवश्यक हो तभी अध्यादेश लाया जाता है। एक अधिनियम चल रहा था और उसमें प्रावधान था कि सार्वजनिक नालियों में कूड़ा-कचरा डालने में प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसमें दिक्कत यह आयी कि क्या आप इस अधिनियम को लागू कर पाये। आप चार साल से सत्ता में हैं कभी आपने इस बात का परीक्षण किया कि सार्वजनिक जगहों पर क्या कूड़ा-कचरा डालना रोका गया, क्या कभी आपने रोके जाने की व्यवस्था की ? मान्यवर, जहां जायेंगे आप देखेंगे कि नालियां चोक हो रही हैं, यहां तक कि सीवेज लाइन चोक हो रही है। जिसकी जहां मर्जी है वहां प्लास्टिक डाले, कूड़ा-कचरा डाले। आप उसको लागू नहीं कर सकते और उसका क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। नदियों के पास निर्माण पर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं और विधेयक में यह भी नहीं ला रहे हैं कि कितना फासला

(इस समय 6 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

होना चाहिये, इस पर आप बाद में सौदा करेंगे कि किसको अनुमति दी जाये, किसको न दी जाये ? आपका मन साफ होता तो अभी कह देते कि चार किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा, दो किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा। मेरी मान्यवर, दो आपत्ति है कि जब 23 दिसम्बर को लागू किया उस समय इस अध्यादेश को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उस समय सत्र आहूत हो चुका था। जब सत्र आहूत हो चुका था और उसमें संशोधन विधेयक लाना ही था इसलिए अध्यादेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के माध्यम से नहीं आना चाहिए था यह अध्यादेश की शक्तियों का सरासर दुरुपयोग है। दूसरी बात जो मैंने कही कि पहले जो प्रावधान था जब उस प्रावधान को अभी तक आप लागू नहीं कर पाये, 71 जिलों का प्रदेश है, बहुत बड़ा विभाग है उसमें आप एक भी उदाहरण दे दें कि जहां पर नाली को रोकने में सीवेज लाइन को रोकने, कचरे को रोकने में, प्लास्टिक को डालने में कोई आपने कार्यवाही की और व्यवस्था की हो कि नहीं डाला जायेगा, फिर आप निर्माण पर क्या रोक लगा देंगे ? जब अब तक नहीं रोक पाये तो आगे कैसे रोकेंगे क्या इसकी कोई व्यवस्था आपने की है ?

तीसरी मेरी आपत्ति वह है कि जब आप विधेयक लायें तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि कितने किलोमीटर क्षेत्र तक आप प्रतिबन्ध लगायेंगे ? वह भी इसमें नहीं है, इसमें लिख दिया कि नियम बाद में बनाये जायेंगे। यही सबसे बड़ी आशंका की बात है, इसका मतलब कि जो फैक्ट्री लगायेगा वह एप्लीकेशन ले करके इनके पास दौड़ता रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये। मेरा आशय कुछ नहीं है मैं तो चाहता हूं कि पूर्ण प्रतिबन्ध लग जाये कम से कम हमारे जीने का एक सहारा बन जाये। इसलिए मैंने चाहा कि प्रवर समिति बन जायेगी तो इन सारी बातों पर विस्तार से विचार हो जायेगा और एक सबल विधेयक, प्रभावी यहां पर लाया जायेगा।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आज संशोधन प्रस्तुत हुआ है जिस पर मा0 हुकुम सिंह जी ने अपने विचार रखे हैं, इसके सम्बन्ध में सिर्फ एक निवेदन करना है। अगर किसी भी वस्तु जो आपत्तिजनक है उसके निर्माण पर रोक नहीं लगेगी, अगर किसी बहुत खतरनाक जीव की इण्ट्री पर रोक नहीं लगेगी तो उसके बाद उसके दाँत में कौन सी जाल फंसा दी जायेगी जिससे वह कम खतरनाक रह जायेगा। यह करना ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को सचमुच अगर प्रभावी करना है तो मात्र आपने संशोधन के लिए विधेयक प्रसतुत किया है इससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं नहीं समझता हूं कि पूरा सदन और पूरा प्रदेश इससे पूर्णतया सहमत होगा कि इस प्लास्टिक को नालियों में डाले जाने से, सीवरेज लाइन में डाले जाने से, नदियों में डाले जाने से जो स्थिति पैदा हुई है वह अत्यन्त भयावह है और हर हालत में इसको रोका जाना चाहिए। रोके जाने की मूल भावना से किसी को कोई इंकार नहीं हो सकता लेकिन इसके लिए यह विधि पर्याप्त नहीं है बल्कि आपको कोई दूसरी विधि ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि उसके मूल रूप से उसके निर्माण के बिन्दु पर ही उस पर आप प्रभावी रोक लगा सकें, सिर्फ नदियों के किनारे या इन किनारे की बात करने की बात कहने से फिर वह बनकर आयेगा और उसकी बिक्री होगी तो अन्ततः उन जगहों पर आयेगा और इसका दुरुपयोग होगा। अपने ढंग से तय करके कि इससे भ्रष्टाचार को अलग बढ़ावा मिलेगा कि किसी को हम छोड़ देंगे, किसी को पकड़ लेंगे, अपने ढंग से यह काम करेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि एक दूसरी प्रभावी विधि इस सन्दर्भ में बनाने की आवश्यकता है कि निर्माण के बिन्दु पर ही उसको ठीक से रोका जा सके और नियंत्रित किया जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अधिनियम का सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-4300/2006 रिवर गंगा पोल्यूशन बनाम राज्य सरकार, इस पर मा0 उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2010 को एक आदेश पारित किया और यह निर्देश दिया कि गंगा नदी की मुख्य धारा के दोनों ओर दो किलोमीटर के परिक्षेत्र में प्लास्टिक व पॉलीथीन के उपयोग को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में पर्यावरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-21 अक्टूबर, 2010 द्वारा गंगा नदी की मुख्य धारा के दोनों ओर दो किलोमीटर के क्षेत्र में प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को एतद्द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 को सुनवाई के दौरान पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20-10-2010 के गंगा नदी की मुख्य धारा के दोनों ओर दो किलोमीटर के क्षेत्र में प्लास्टिक/पॉलीथीन के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाने के परिपेक्ष्य में पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश 21 अक्टूबर, 2010 का संज्ञान लेते हुए पारित आदेश दिनांक 25-10-2010 में यह निर्देशित किया कि उक्त आदेश दिनांक 21-10-2010 किस वैधानिक शक्ति के अधीन निर्गत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, यह बहुत स्पष्ट है। प्लास्टिक चूंकि केन्द्रीय सब्जेक्ट है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा (5) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसी व्यक्ति/अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी को निर्देश जारी कर सकता है परन्तु किसी उत्पाद विषयक को प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश जारी करने के अधिकार इसमें सन्निहित नहीं हैं। इन परिस्थितियों में यह अधिनियम आज यहां पटल पर रखा गया है और जहां तक मेरा अपना मानना है कि चूंकि इसमें मुख्यतः गंगा नदी से दो किलोमीटर की दूरी पर प्लास्टिक का प्रयोग न हो, प्रतिबन्धित किया जाना था इसलिए यह विधेयक लाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं यह सोच रहा था कि इस पर कोई संशोधन का प्रस्ताव नहीं आयेगा।

*श्री हुकुम सिंह-

सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि जो काम हमारा है जो काम सरकार का है हम नहीं कर पा रहे हैं वह उच्च न्यायालय या दूसरे न्यायालय के आदेश के अनुरूप हम करते हैं। आखिर हमारा दृष्टिकोण विकसित क्यों नहीं हो सका कि हम खुद ही संज्ञान लें अगर लिये होते तो उच्च न्यायालय का संदर्भ न देते आपने लिया था आपने केवल इतना कहा था कि नालियों में प्लास्टिक और कूड़ा नहीं पड़ना चाहिये लेकिन उसको आप रोक नहीं सके वह पड़ रहा है और सबकी जानकारी में है आगे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया तो आप अध्यादेश भी ले आए और संसोधन विधेयक भी ले आए इसलिये मेरा कहना यह है कि आज गम्भीर चुनौती कार्यपालिका को और विधायिका को भी यह है और कहीं जनता में यह संदेश जा रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिये हमेशा न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है अच्छा होगा कि जनहित की बातों को हम खुद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना शुरू करें साथ ही साथ अगर आप एक सप्ताह रुक जाते तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता 23 दिसम्बर को आप अध्यादेश ला रहे हैं और 4 जनवरी को सदन आहूत कर रहे हैं दो-चार महीने का अन्तर होता तो बात समझ में आती। यह अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति आपको दी गई है वह असामान्य परिस्थितियों के लिये है सामान्य परिस्थितियों के लिये नहीं है। अगर संविधान की धज्जियां हम ही उड़ाने लगेंगे तो रक्षा कौन करेगा क्या हम न्यायालय के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमने सदन को बुलाने का निर्णय ले लिया महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश हो गये कि सदन को बुला लिया जाय सभी सदस्यों को संदेश भी चला गया सन्देश जा रहा है सदन को आहूत करने का और फिर आप अध्यादेश ला रहे हैं यह उचित नहीं है। इस पर विचार करना चाहिये। दूसरी बात मैंने यह कही कि नदियों के किनारों के अलावा और भी जगह कूड़ा कचड़ा बढ़ गया है इस पर ध्यान दें राजनीति में भी कूड़ कचड़ा बढ़ गया है और भी जगहों पर कूड़ा कचड़ा बढ़ गया है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिये कैसे उससे मुक्ति पाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अध्यादेश और विधेयक वह लाए जैसा कि हुकुम सिंह जी ने कह दिया मुझे इस पर कुछ नहीं कहना लेकिन सिर्फ गंगा नदी के किनारे के लिये चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया इसके लिये गंगा नदी के किनारे दो कि0 मी0 तक इस विधेयक के हिसाब से आप प्रस्ताव ले आए हैं इस अधिनियम को बनाकर रोके जाने का प्रस्ताव ले आए हैं अन्य नदियों को भी इससे बचाया जाय। यह बात पूरी तरह से होनी चाहिये आपने गंगा नदी की बात कही इसलिये यह स्पष्ट कर दूं कि अन्य नदियों व इसके अलावा पानी के अन्य जो श्रोत हैं जो इससे प्रभावित हैं सबकी चिन्ता है इसलिये इसका क्षेत्र विस्तृत करना चाहिये और अगर कवर्ड नहीं भी है तो आप इसको संशोधित करके इसको और व्यापक बनाने का काम करेंगे यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन और उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन और उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000 में धारा-3क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात :-

''3-क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अथवा अन्यथा प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में ऐसी नदी या स्थान या सरोवर और छोटी नदी भी हैं से ऐसी दूरी के भीतर, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, किसी सार्वजनिक स्थान, दुकान या प्रतिष्ठान में किसी भी प्रयोजन के लिये विक्रय, उपयोग नहीं करेगा या विक्रय या उपयोग की अनुमति नहीं देगा :

कतिपय स्थानों पर प्लास्टिक के विक्रय और उसके उपयोग पर प्रतिषेध

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नदी, सरोवर या छोटी नदी एक से अधिक जिला से होकर बहती हो वहां राज्य सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न दूरियां अधिसूचित की जा सकेंगी।''

धारा 8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में 'शब्द और अंक' ''धारा-3'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा-3 या धारा-3-क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 18 में उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्योदेश संख्या 2 सन् 2010

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सरवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(6) राज्य सरकार प्राप्ति और व्यय के समस्त महत्वपूर्ण मदों का विवरण प्रस्तुत करते हुये मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करेगी।''

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में,

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(क) राजकोषीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक राजस्व घाटा शून्य करेगी और राजस्व सन्तुलन बनाये रखेगी या तत्पश्चात् अधिशेष प्राप्त करेगी।''

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट वर्ष तक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी और तत्पश्चात् इस स्तर को बनाये रखेगी।''

(ग) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(च) यह सुनिश्चित करेगी कि राजकोषीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक उस वर्ष के प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पाद के बयालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो।''

धारा 6 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(6) सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के विशेष सन्दर्भ में सरकार की वित्तीय स्थिति की प्रास्थिति की समीक्षा करने के लिये एक स्वतंत्र अभिकरण नियुक्त करेगी। ऐसी समीक्षा का कालनियतन उसी प्रकार होगा जैसा कि विहित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इसमें कुछ शाब्दिक संशोधन हैं लेकिन मेरी आपत्ति इसमे यह है कि विधेयक यहां से पास हुआ, महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो गये। जो शब्द इसमें उस समय थे आपत्ति तो उस समय होनी चाहिये थी जब उसको अधिनियम बनने से पहले वही शब्द थे उन शब्दों को ठीक मानकर के महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गये। जब वह अधिनियम बन गया तो उसके बाद में यह आपत्ति पता नहीं किन परिस्थितियों में आती है कि फलां शब्द के स्थान पर फलां शब्द रख दिया जाय। यह स्थिति तो तब आती जब यहां से पास होकर गया था और महामहिम राज्यपाल के पास में था और वहां सचिवालय को कोई आपत्ति थी कि नहीं भई यह शब्द ठीक नहीं है। इन शब्दों के स्थान पर फलां शब्द आना चाहिये। तब तो बात समझ में आती तब यह वापस आ जाता और हम पास करते इसको, विचार करते इस पर लेकिन अधिनियम बनने के बाद अच्छा आप उससे एक कदम और आगे गये। आपने यह किया कि उन्होंने इसमें कुछ आपत्ति भेजी, आपत्ति भेजने के बाद में जब यहां विधान सभा आहूत की गई थी तो फिर आपने अध्यादेश जारी कर दिया छोटी सी बात के लिये अनावश्यक रूप से। दूसरी बात जो मान्यवर, सदल प्रसाद जी ने प्रस्ताव रखा है ऐसा लगता है कि यह रैगिंग केवल जो आपके विभाग की जो संस्थाएं हैं उन तक सीमित है क्या ? बाकी तो जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं उप मंत्री भी बैठे हैं वहां रैगिंग होती रहेगी क्या ? केवल आपके यहां ही प्रतिबंध होगा क्या उसका ? शैक्षणिक संस्थाओं ने जब रैगिंग की बात आई है तो शिक्षा मंत्री तो हैं यहां। लगता यह है कि यह रैगिंग के पुराने माहिर हैं। (हंसी) हां एक जगह रहे मुझे पता है। यह रैगिंग के पुराने माहिर हैं यह नहीं चाहते हैं कि रैगिंग की बीमारी हटे यहां से। इसलिये यह तो लाये नहीं प्रस्ताव। इनके ऊपर

छोड़ दिया। उनके यहां रैगिंग का स्कोप ही कहां है जो यह लाये हैं रैगिंग का प्रस्ताव। जहां रैगिंग हो रही है, वह रैगिंग करा रहे हैं बराबर और जहां रैगिंग का क्षेत्र ही नहीं है तो उनका रैगिंग कर दिया आपने। इसलिये मान्यवर, मेरा आशय है कि कहीं न कहीं समरसता और समन्वय का अभाव है। एक मंत्री बराबर रैगिंग के पक्षधर बैठे हैं और दूसरे जिने पास कोई विभाग भी नहीं है वह रैगिंग का संशोधन विधेयक ला रहे हैं और वह भी किस लिये कि पहले सदोष नहीं लिखा था अब सदोष लिख दिया है। मान्यवर, मैं खुद समझने में असमर्थ हूं।

दोनों शब्द ऐसे हैं इसको शब्द कोष में तलाशना पड़ेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसमें अन्तर क्या था ? भाव में अन्तर है ? शब्दों में अन्तर है ? कुछ तो अन्तर हो ? विधान सभा बैठी है ? विधान परिषद बैठी है, विचार होता है ? विचार होने के बाद में सरकार के पास में बहुत बड़े विभाग हैं। भाषा विभाग आपके पास है। यहां पर कोई चीज आने के पहले भाषा विभाग में जाती है न्याय विभाग में जाती है वहां से निकलने के बाद में तब यहां पर आती है और यहां से निकलने के बाद राजभवन में जाती है। राजभवन अगर उसको ठीक समझता है तो उस पर हस्ताक्षर कर देता है। आपको भी कहना चाहिए था कि इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों का मतलब एक ही है भाव एक ही है और इसी कारण से मान्यवर, मैं इस बात पर सहमति भी व्यक्त कर रहा हूं कि उस बात से सहमत न होते हुए जो शिक्षा मंत्री हैं वह संशोधन प्रस्ताव नहीं लाए और मजबूर होकर दूसरों को लाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) इसे 8 दिसम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2010 की धारा-2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में, खण्ड (घ) में,-

(क) शब्द ''अन्यायपूर्ण नियंत्रण'' जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द ''सदोष अवरोध'' रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''अन्यायपूर्ण परिरोध'' जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द ''सदोष परिरोध'' रख दिये जायेंगे;

निरसन एवं अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2010

3-(1) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधीनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है त्रुटि हो रही है। मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत कर दें।

श्री सदल प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाऐं वक्तव्य के लिए स्वीकृत की जाती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर में यूरिया व डी0ए0पी0 खाद को बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से नेपाल भेजे जाने के सम्बन्ध में हैं, श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले वेतन की व्यवस्था समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित टिकैतराय तालाब के सुन्दरीकरण की व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में है, निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा की जौहरपुर, अलोना, दौलतपुर, त्रिवेणी, कनवारा व मदन पर पम्प नहर को सही ढंग से न चलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में स्वदेशी चीनी बनाने में हो रही मानकों की अनदेखी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम अहरों में प्राइमरी हेल्थ सेण्टर खोले जाने के सम्बन्ध में है तथा श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत पान की खेती करने वाले कृषकों की फसल नष्ट होने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का विचार किया जाता है। श्री अनूप सण्डा की जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर द्वारा स्थानीय अल्पसंख्यक लोगों के उत्सवों पर हो रही छुट्टी को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर स्थित महाराजगंज बाजार एवं बालापुर टिकरिया रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित भोपा रोड से मखियाली गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, श्री काशीराम की रामपुर की राणा शुगर मिल करीगंज शाहबाद द्वारा किसानों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री कुबेर सिंह की एटा स्थित मण्डी समिति आवागढ़ को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा श्री भोला पासवान की एस0आर0एम0 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली के प्रधानाचार्य द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :-

1-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

2-श्री विद्यासागर गुप्ता,

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

4-श्री यशपाल सिंह चौहान,

5-श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल,

6-श्री उदयभान करवरिया,

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह,

8-डॉ0 राजेन्द्र सिंह,

9-श्री लल्लू सिंह,

10-श्री हरपाल सिंह,

11-श्री दीनानाथ कुशवाहा,

12-डॉ0 अजय तोमर,

13-श्रीमती मिथिलेश पाल,

14-डॉ0 अनिल चौधरी,

15-चौ0 रवीन्द्र प्रताप,

16-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

17-श्री लालजी यादव,

18-श्री राधेश्याम जायसवाल,

19-श्री अरविन्द सिंह यादव,

20-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल,

21-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी तथा

22-श्री कृष्ण गोपाल पटेल।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिकल कालेज के पास मिर्जापुर गांव की भूमि अवैधानिक तरीके से अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 अध्यक्ष विधान सभा के समक्ष नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि आधुनिक आवासीय योजनाओं.....

रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के विकास के लिये शासन भूमि अधिग्रहण हेतु सुनिश्चित विधान नियमावली एवं मार्गदर्शक सिद्वान्त तय किये हैं जिसके तहत शासन प्राथमिकता पर कृषियेत्तर भूमि का अधिग्रहण करते हुये अपवाद परिस्थितियों में कृषि भूमि का अधिग्रहण करता है तथा नई आवासीय नीति के तहत भूमि अध्याप्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही करता है तथा नागरिकों को आपत्ति दाखिल करने का अवसर देता है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मेडिकल कालेज एवं फर्टिलाइजर्स के नजदीक स्थित मिर्जापुर गांव के करीब 90 से 100 काश्तकारों की 5.449 हे0 ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जहां पहले से मकान, दुकान, जानवरों के रहने के घर, हैण्डपम्प, बोरिंग विद्यालय तथा मदरसे बने थे।

अधिग्रहण के लिये अधिकारियों ने एक गलत पुनर्वास रिपोर्ट तैयार की तथा त्रृटिपूर्ण एवं असत्य रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है तथा खाली जमीन उपलब्ध है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस आधार पर उन अल्प सीमान्त दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है जिनके पास औसत प्रति व्यक्ति 2-3 डिसमिल जमीन होगी।

अधिग्रहण में आवासीय निर्माण के नाम पर अर्जेन्सी दिखलाकर सीधे धारा-17 की कार्यवाही की गयी और नागरिकों को आपत्ति दाखिल करने का अवसर भी नहीं दिया गया जबकि 2005 से अधिग्रहीत हो रही जमीन में अर्जेन्सी जैसी कोई चीज नहीं थी। संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत बिना सुनवाई का अवसर दिये भूमि का अधिग्रहण करना विधि स्थापित सामान्य न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है। नागरिकों में इस अलोकतांत्रिक, विधि विरुद्ध अधिग्रहण के विरुद्ध अत्यधिक आक्रोश है तथा नागरिकों ने अभी तक मुआवजा भी नहीं लिया है। जमीनों को प्राधिकरण के नाम स्थानान्तरित हो जाने के बावजूद जब वास्तविक रूप से कब्जा लिया जायेगा तो खून-खराबे की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है। इस अधिग्रहण को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गयी। प्राधिकरण से प्राप्त आख्यानुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण का सृजन दिनांक 05-01-1977 को हुआ था। प्राधिकरण का सृजन होने के पश्चात् गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवनों/भूखण्डों का निर्माण करने हेतु कुल 162.885 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में से 99.077 हेक्टेयर भूमि का भू-प्रयोग आवासीय परिवर्तित किया गया था, जिसमें से 16.188 हेक्टेयर भूमि छोड़कर शेष भूमि का प्रयोग गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिये जाने के कारण प्राधिकरण का लैण्ड बैंक शून्य की स्थिति में हो गया था। गोरखपुर महानगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव एवं आवासीय भवनों/भूखण्डों की बढ़ती हुई मांग तथा शासन द्वारा आगामी वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये भूमि का अधिग्रहण करना नितान्त आवश्यक हो गया था।

शासनादेश दिनांक 18-02-2001 द्वारा गठित भूमि चयन समिति द्वारा दिनांक 12-4-2001 को स्थानीय निरीक्षण करके गोरखपुर से देवरिया को जाने वाली रोड पर ग्राम-जंगल सिकरी उर्फ खोराबार व ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार की तथा गोरखपुर से महाराजगंज को जानी वाली रोड से मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर को जाने वाली रोड पर ग्राम-मानबेला, फत्तेपुर, सलेमपुर उर्फ मुगलपुर, हमीदपुर, पोखरभिण्डा उर्फ करीमनगर एवं ग्राम-मिर्जापुर की भूमि जिसका भू-प्रयोग महायोजना के अनुसार आवासीय था एवं भूमि मौके पर समतल, कृषक एवं दोफसली थी, का चयन किया गया तथा दिनांक 19-4-2001 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में उक्त ग्रामों की भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया एवं प्राधिकरण का लैण्ड बैंक शून्यवत होने तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं जनसंख्या के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये प्राधिकरण को भूमि की तात्कालिक आवश्यकता है। अतएव उक्त ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण भू-अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 के साथ धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में ग्राम-जंगल सिकरी उर्फ खोराबार की 38.458 हेक्टेयर ग्राम-खोराबार उर्फ सुबाबाजार की 32.358 हेक्टेयर, ग्राम-मानबेला की 77.539 हेक्टेयर, फत्तेपुर की 34.636 हेक्टेयर, सलेमपुर उर्फ मुगलपुर की 5.143 हेक्टेयर, हमीदपुर की 7.839 हेक्टेयर, पोखरभिन्डा उर्फ करीमनगर की 6.048 हेक्टेयर एवं

ग्राम-मिर्जापुर की 5.449 हेक्टेयर योग-207.470 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भू-अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 के अन्तर्गत राजकीय विज्ञप्ति, दो स्थानीय समाचार-पत्रों तथा ग्राम में मुनादी द्वारा प्रकाशन वर्ष 2003-04 में किया गया तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में भू-अध्याप्ति अधिनियम की धारा-6(1)/17 के अन्तर्गत राजकीय विज्ञप्ति दो स्थानीय समाचार पत्रों तथा ग्राम में मुनादी द्वारा प्रकाशन वर्ष 2004-05 में किया गया। अधिग्रहण की कार्यवाही में भू-अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 प्रभावी होने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय से पूर्व अधिग्रहण से प्रभावित खातेदारों को अनुमानित प्रतिकर का नियमानुसार 80 प्रतिशत धनराशि वितरित करके 191.592 हेक्टेयर भूमि पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2005-07 के मध्य कब्जा दिया गया। तदुपरान्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त ग्रामों की 188.559 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित कर दिया गया है तथा शेष 18.911 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। उक्त अभिनिर्णय घोषित भूमि में से ग्राम-मानबेला की 26.286 हेक्टेयर भूमि पर राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना विकसित की गई।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 08 ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत करने के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की मांग पर रु0 49,33,35,779.50 की धनराशि अग्रिम भेज दी गयी है और काश्तकारों को प्रतिकर वितरण का कार्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

ग्राम-मिर्जापुर की 5.449 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10-5-2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया, जिसके सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की उपधारा-4 के अधीन राजकीय विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 12-1-2004 को दैनिक समाचार-पत्र चेतना विचारधारा में दिनांक 9-2-2004 में तथा हिन्दी दैनिक राष्ट्रचिन्ह के दिनांक 10-02-2004 के अंक में प्रकाशित कराया गया। ग्राम में ढोल मुनादी दिनांक 10-06-2004 को करके विधिवत् प्रकाशन करा दिया गया था तथा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-6(1)/17 के अन्तर्गत राजकीय विज्ञप्ति में प्रकाशन दिनांक 07-01-2005 को तथा दो स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र स्वतंत्र चेतना के दिनांक 11-1-2005 के अंक में तथा राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 11-01-2005 के अंक में ग्राम में ढोल मुनादी दिनांक 28-02-2005 को करके विधिवत् प्रकाशन कराया गया। धारा-6 के प्रकाशन के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय में अधिग्रहण के सम्बन्ध में कुल 09 याचिका दाखिल करके विभिन्न खातेदारों द्वारा अपनी भूमि को अर्जन से मुक्त करने के लिये अनुरोध किया गया था जिसको मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासन के समक्ष भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-48 के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त करने के लिये विभिन्न खातेदारों द्वारा 09 प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका शासन द्वारा विभिन्न तिथियों में खारिज कर दिया गया। अधिग्रहण की कार्यवाही में अधिनियम की धारा-17 प्रभावी होने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अधिग्रहण से प्रभावित खातेदारों को अनुमानित प्रतिकर का 80 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार वितरित करके दिनांक 20-8-06 को 3.159 हेक्टेयर व दिनांक 22-2-2007 को 2.197 हेक्टेयर कुल 5.346 हेक्टेयर भूमि को गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को कब्जा करके एवार्ड वाद संख्या-1379/2002 पर दिनांक 29-7-2010 को 5.131

हेक्टेयर भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया गया, जिसका प्रतिकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा कुल 1,53,52,292.48 प्रतिकर निर्धारित किया गया है तथा 0.318 हेक्टेयर भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त ग्राम की 5.131 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अधिग्रहण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो गई है।

ग्राम-मिर्जापुर की अधिग्रहीत 5.131 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने से कुल 138 काश्तकार प्रभावित हुये हैं और जिसमें से एक काश्तकार द्वारा रु0 56,000.00 करार द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा प्रतिकर की धनराशि रु0 54,91,459.75 आर0डी0 में जमा कर दिया गया है तथा शेष प्रतिकर की धनराशि के वितरण के लिये खातेदारों को नोटिस जारी की जा रही है।

प्राधिकरण की आख्यानुसार उक्त ग्राम की भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव प्रेषित करने के समय एवं भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 के अन्तर्गत प्रकाशन होने के समय उक्त ग्राम की समस्त 5.449 हेक्टेयर भूमि कृषक एवं दोफसली थी और इसमें धान एवं गेहूं की फसल बोई जाती थी, तत्समय प्रस्तावित उक्त भूमि में कोई भवन विद्यमान नहीं था तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 के प्रकाशन होने के पश्चात् प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा कलेक्टर से बिना अनुमति प्राप्त किये ही अधिग्रहण की गयी भूमि में किये गये अवैध निर्माण, भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-24 के परन्तुक 7 के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है और ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(i), 28(i), 28(ii) के अन्तर्गत अवैध निर्माण वाद कायम करके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार ग्राम-मिर्जापुर की 5.131 एकड़ भूमि गोरखपुर विकास की अधिग्रहीत भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के पक्ष में नामान्तरण भी हो चुका है।]

जनपद रायबरेली स्थित अठेहा डीह एवं उदयपुर रजबहा की रि-मॉडलिंग के लिये स्वीकृत विश्व बैंक से करोड़ों रुपये की धनराशि में किये गये गबन के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से .....

रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[होकर प्रवाहित होने वाली अठेहा रजबहा, डीह रजबहा एवं उदयपुर रजबहा की री-मॉडलिंग के लिये रु0 5.00 करोड़ (रुपये पांच करोड़) से अधिक की धनराशि विश्व बैंक से स्वीकृत हुई थी-किन्तु भ्रष्टाचार की इन्तहां करते हुये उक्त धनराशि की बंदरबांट की गयी और उसका उपयोग नहीं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया। व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गयी और आरोपी उस धनराशि को बांटकर निगल गये। जनपद रायबरेली के सम्बन्धित अभियंता एवं ठेकेदार की मिलीभगत और साजिश के कारण आवंटित धनराशि से 10 प्रतिशत भी कार्य नहीं कराया गया, तथा रजबहों की खदाई नहीं करायी गयी जिससे जो पानी इन नहरों में आता भी था वह 'न' के बराबर हो गया और टेल तक पानी पहुंचना बन्द हो गया। इस तरह से उपरोक्त रजबहों के खुदाई/ री-मॉडलिंग के लिये प्रदान की गयी धनराशि का पूरी तरह दुरुपयोग करके उसका गबन किया गया और विषम परिस्थिति से जूझ रही जनता को निजात दिलाने की बजाय उसकी कठिनाई और बढ़ा दी गयी। इस प्रकरण की पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक जांच की जानी चाहिये तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये और जो कार्य नहीं कराया गया है उसे जनहित में तत्काल कराया जाना चाहिये जिससे लोगों की परेशानियों का समाधान हो सके, तथा दोषियों को दण्डित किया जाय ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो। इन रजबहों के लिये आवंटित की गयी धनराशि से रजबहों की खुदाई/री-मॉडलिंग का कार्य न कराये जाने एवं टेल तक पानी न पहुंचने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है वहीं उनमें चिन्ता तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।

वक्तव्य :-

अठेहा रजबहा, जिसकी लम्बाई 34.422 कि0 मी0 है तथा शीर्ष जल प्रवहन क्षमता 214 क्यूसेक, जायस रजबहा के कि0 मी0 16,277 के चैनेज पर दायें बैंक से निकलता है। डीह रजबहा जिसकी लम्बाई 70.524 कि0मी0 तथा शीर्ष पर जल प्रवहन क्षमता 701 क्यूसेक, जौनपुर शाखा कि0मी0 22.067 के दायें बैंक से निकलता है। इसी प्रकार उदयपुर रजबहा जिसकी लम्बाई 21.301 कि0मी0 तथा शीर्ष पर जल प्रवहन क्षमता 72 क्यूसेक, जो डीह रजबहा के कि0मी0 42,262 के बायें बैंक से निकलता है। इन रजबहों में जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर एवं प्रतापगढ़ में सिंचाई होती है।

विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत इन रजबहों की री-माडलिंग कार्य प्रस्तावित किया गया था। री-माडलिंग के कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, डब्लू0 एस0 आर0 पी0 मण्डल, रायबरेली द्वारा रु0 12.32 करोड़ के तीन अनुबन्ध गठित किये गये, जिसके विरुद्ध शारदा सहायक खण्ड-45, रायबरेली एवं शारदा सहायक खण्ड-41, रायबरेली द्वारा अब तक रु0 9.54 करोड़ के कार्य कराये जा चुके हैं। इन अनुबन्धों के विरुद्ध कराये जा रहे कार्यों की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतों की जांच माह सितम्बर, 2010 में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा दो मुख्य अभियन्ताओं की एक समिति गठित कर करायी गयी। जांच समिति द्वारा जांच के समय तक कराया गया कार्य सही पाया गया, परन्तु उस समय टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत सही पायी गयी। वर्तमान में सभी रजबहों और माइनरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है। यह भी संज्ञान में लाना है कि विश्व बैंक की प्रक्रिया के अनुसार कार्यों का सर्वेक्षण, परिकल्पन एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य स्वतंत्र रूप से नियोजित कन्सलटेन्ट के माध्यम से सम्पादित कराया जाता है। कार्यों के सम्पादन की पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं विश्व बैंक के मापदण्डों के अनुरूप ही होती है। भौतिक रूप से अनुबन्धों

के विरुद्ध कार्य कराये गये हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं की जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय देखे गये। इस प्रकार धन के दुरुपयोग एवं कार्य न कराये जाने की शिकायतें तथ्यात्मक न होने के कारण निराधार है।]

प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा पट्टी, आसपुर में इन्दिरा आवासों के निर्माण एवं वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, तालाब के निर्माण आदि में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 8-2-2011 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा की ग्राम सभा साल्हीपुर, कंजास, पूरब पट्टी, शाहपुर, मन्दाह, बरासराय तथा ब्लाक आसपुर देवसरा के ग्राम मढरामऊ, पूरा, हरी का पूरा एवं ब्लाक पट्टी के ग्राम सरसतपुर, नोही, रायचन्द्र पट्टी तथा ब्लाक बाबा बेलखर नाथ धाम के ग्राम सभा पड़रीजबर, दोनई के ग्राम सभा निधि प्रथम खाता सहित अन्य खाते, एम0डी0एम0, नरेगा, बी0पी0एल0 कार्ड, इन्दिरा आवास सहित अन्य आवास के निर्माण में बिचौलिये की भूमिका, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नीतियों के क्रियान्वयन में व्यापक चूक, तालाब निर्माण, वृद्धा, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, कूपों के निर्माण, तालाब के निर्माण, विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष, भूकम्प अवरोधी कक्ष, भोजनालय कक्ष, स्मार्ट कार्ड तथा अन्य ऐसे सभी कार्य जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कराया गया है, में व्यापक रूप से नियमों का विचलन एवं आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें जहां सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है वहीं सरकार एवं शासन द्वारा अपेक्षित लक्ष्य एवं कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई एवं मानक पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी उच्च स्तरीय तकनीकी समिति से गहन जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 एवं सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग से आख्या प्राप्त की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि मा0 सदस्य (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह) द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के उक्त चारों विकास खण्डों की लगभग उन्हीं ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित उक्त बिन्दुओं को इंगित करते हुए नियम-51 के अन्तर्गत विधान सभा में दिनांक 3-2-2010 को भी सूचना दी गयी थी तथा उक्त सूचना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 8-2-2010 को सदन में वक्तव्य दिया गया था। तत्समय दिये गये वक्तव्य में यह अवगत कराया गया था कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 4-2-2010 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रातपगढ़ व जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी, प्रतापगढ़ की तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गयी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह भी अवगत कराना है कि तत्समय सदन में दिये गये उक्त वक्तव्य का अंश ''जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।'' आश्वासन बन गया। उक्त बिन्दु से सम्बन्धित आश्वासन संख्या-105/2010 पर मा0 विधान सभा आश्वासन समिति की दिनांक 30-12-2010 को बैठक में साक्ष्य निर्धारित था। उक्त साक्ष्य के समय मा0 श्री मोती सिंह का मा0 अध्यक्ष, विधान सभा आश्वासन समिति, उ0 प्र0 को सम्बोधित पत्र दिनांक 29-12-2010 की प्रति जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र में मा0 सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त विकास खण्डों की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के सम्बन्ध में स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करने के कारण दिनांक 3-2-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत विकास कार्यों की जांच हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः परीक्षण कराने पर शिकायत बलहीन पायी गयी। अतः मैं उक्त प्रश्न को वापस लेता हूं। उक्त प्रश्न के संदर्भ में कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।]

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मछली पर फार्मोलिन लेप के सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[तथा लखनऊ जिले में 11 टेस्टिंग करायी गयी। किसी में भी फार्मोलिन की उपस्थिति नहीं पायी गयी। राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में भेजे गये सैम्पुल में भी फार्मोलिन की पुष्टि नहीं पायी गयी।

भिण्डी, परवल, करैला, तरोई आदि सब्जियों को खतरनाक रसायनों से रंगे जाने के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये 13 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये 15 व्यक्तियों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभियुक्त बनाया गया तथा स्थल पर ही 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जहां तक आक्सीटोसिन इन्जेक्शन के प्रयोग का प्रश्न है, इस बारे में प्रदेश सरकार द्वारा इसके दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में कठोरतापूर्वक प्रवर्तन की कार्यवाही करायी गयी है। दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 86 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया एवं 27,70.52 एम्पुल लिक्विड आक्सीटोसिन जब्त कराया गया।

खाद्य तेल में अपमिश्रण को रोकने हेतु दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सघन प्रवर्तन की कार्यवाही के फलस्वरूप 30 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये 37 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया तथा 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराते हुये रु0 38,67,758/- मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त/नष्ट करायी गयी। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ यथा खोया, पनीर आदि के सम्बन्ध में की गयी सघन प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत 139 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये 243 लोगों को अभियुक्त बनाया गया तथा 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा रु0 82,35,890/- मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त/नष्ट करायी गयी।

सरकार द्वारा समस्त खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोकथाम हेतु कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुये मात्र दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 की अवधि में ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 526 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 821 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुये 494 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 4,64,74,126/- मूल्य के अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जब्त/नष्ट कराये गये साथ ही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत 2,779 वाद सक्षम न्यायालयों में योजित कराये गये।

मा0 न्यायालय द्वारा मिलावट के वादों का विचारण कर 416 व्यक्तियों को कारावास तथा रु0 4,15,950/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थल पर ही विश्लेषण के लिये टेस्टिंग किट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का प्राथमिक विश्लेषण कर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार एफ0डी0ए0 आपके द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वार घर-घर दूध, दाल तथा चावल आदि की स्थल पर ही मिलावट की जांच करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत अभियान के अवधि में 3205 नमूनों का टेस्ट कराया गया।

विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोकथाम हेतु सरकार पूर्ण रूप से सचेष्ट है।]

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय, शाहजहांपुर में हार्ट स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन्स एवं सी0टी0 स्केन मशीन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[संयुक्त चिकित्सालय शाहजहांपुर में 312 शैय्यायें स्थापित है। इस चिकित्सालय का ट्रामा सेन्टर भारत सरकार के वित्त पोषण से स्थापित है। इसकी स्थापना इस प्रतिबन्ध के अधीन हुई थी कि ट्रामा सेन्टर का संचालन चिकित्सालय में उपलब्ध मानव संसाधन से ही किया जायेगा। इस प्रकार ट्रामा सेन्टर हेतु पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। तद्नुसार ही चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों/टेक्नीशियनों से ट्रामा सेन्टर का भी संचालन किया जा रहा है। चिकित्सालय हेतु स्वीकृत चिकित्सकों के 43 पदों के सापेक्ष कुल 22 चिकित्सक कार्यरत हैं जिसमें 02 फिजिशयन, 01 चेस्ट फिजिशियन, 02 बाल रोग विशेषज्ञ, 01 रेडियोलाजिस्ट, 01 पैथालाजिस्ट, 01 स्किन स्पेशलिस्ट, 02 एनेस्थेटिस्ट, 01 जनरल सर्जन, 03 आर्थो सर्जन, 02 नेत्र सर्जन, 02 ई0 एम0 ओ0 व 01 वरिष्ठ डेन्टल सर्जन तैनात हैं। प्रश्नगत चिकित्सालय हेतु न्यूरो फिजिशयन/सर्जन के पद स्वीकृत नहीं है। इसलिये न्यूरो फिजिशियन/सर्जन के पद पर तैनाती नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में न्यूरो फिजिशियन/सर्जन का कार्य फिजिशियन द्वारा देखा जा रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, सुपर स्पेशियलिटी विधा में आते हैं जिनकी कमी प्रदेश में है। लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के चयन हेतु संस्तुति के लिये अधियाचन लगातार प्रेषित किये जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर इस चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र के कैम्पों में जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों को भेजने की मंशा यही होती है कि कैम्प में स्थानीय जनता को चिकित्सक की विशेषता का लाभ मिल सके जो जनहित में आवश्यक भी है। सी0 टी स्कैन मशीन अतिविशिष्ट श्रेणी में आती है। इसलिये जिला अस्पताल के मानकों में सम्प्रति यह सम्मिलित नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011 में प्रश्नगत चिकित्सालय के उच्चीकरण हेतु उपकरणों व साज-सज्जा के लिये रु0 2,88,29,000/- की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1339/पां-1-10-5(73)/06, दिनांक 07-01-2011 द्वारा दी गयी है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल चिकित्सालय, शाहजहांपुर में उपलब्धता के आधार पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ से चिकित्सालय तथा ट्रामा सेन्टर का संचालन करते हुये आम जन को चिकित्सा एवं उपचार की सुविधायें प्रदान करने हेतु भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी शहर में नगर निगम व जलकल विभाग के कारण शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति एवं सीवरों के ओवर फ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, नगर निगम वाराणसी में गृहकर .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[शासन द्वारा विहित नियमों के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 से आवासीय भवनों में स्वकर प्रणाली द्वारा तथा अनावासीय भवनों में सम्पत्ति के लागत मूल्यांकन के आधार पर ही किये जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 में जब स्वकर प्रणाली लागू हुई थी, तत्समय वार्षिक किराया मूल्यांकन आवासीय भवनों का 10 प्रतिशत एवं अनावासीय भवनों का 25 प्रतिशत सामान्य कर लागू था लेकिन अनावासीय भवनों के कई प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये थे जिसमें नगर निगम अधिनियम में निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिशत से अधिक कर लगाये जाने के कारण पुनः संशोधित कर प्रणाली के बारे में तत्कालीन प्रशासक द्वारा वर्ष 2006-07 में सभी आवासीय और अनावासीय दोनों प्रकार के भवनों पर सामान्य कर की दर नगर निगम अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार 15 प्रतिशत समान रूप से लागू की गयी जो यथावत है। वर्ष 2006-07 में किसी प्रकार की टैक्स की सामान्य बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है बल्कि टैक्स की जो दरें नियमों के प्रतिकूल थीं उसे ठीक किया गया।

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 की धारा 4-क (1) के अन्तर्गत प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू मासिक किराये की दर या भूमि किराये की दर पुनः नियत करने का प्राविधान किया गया है उसके तहत 6 वर्षों बाद वर्ष 2010-11 में पूर्व में नियत दरों को समाचार-पत्रों में विज्ञापित करके नगर आयुक्त द्वारा संशोधित किया गया जिसके अनुसार शून्य से 50 प्रतिशत तक विभिन्न श्रेणियों में बढ़ोत्तरी हुई नगर निगम अधिनियम की धारा 88(2) के अन्तर्गत एक प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा करके दिनांक 24-5-2010 को प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर आयुक्त द्वारा बढ़ाई गयी दरें वापस ले ली जाय परन्तु दरें दिनांक 16-5-2010 को अंतिम करके प्रकाशित की जा चुकी थीं और उसे अन्तिम किये जाने के बाद निरस्त करना नियमानुकूल नहीं था। अतः विधिक परामर्श लेकर उसके अनुसार बिल जारी किये गये। उक्त दरों के निर्णय हेतु नगर आयुक्त प्राधिकृत है। अतः उसे लागू रखने में कोई अनियमितता नहीं है। वाराणसी नगर निगम वर्तमान में आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है जिसे दृष्टिगत रखते हुये दरों संशोधित करना अपरिहार्य था। दिनांक 03-02-2011 को संशोधित बजट की बैठक बुलाई गयी थी जिसका पार्षदों का एक वर्ग बहिष्कार करके धरने पर बैठ गया और सीवर की

व्यवस्था को ठीक करने, दूषित पेयजल को रोकने तथा बढ़े हुये गृहकर को वापस लेने की मांग की गयी।

अतः बढ़े हुये गृहकर (सामान्य कर) को नगर निगम वाराणसी की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वापस लिया जाना उचित नहीं है। वाराणसी नगर की सीवर व्यवस्था 60 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह व्यवस्था तत्समय नगर की आबादी को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। इसके उपरान्त वाराणसी नगर की आबादी बढ़ती गयी। जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी में सीवर सफाई कर्मचारी न होने के कारण व्यवस्था के तहत नगर की सीवर सफाई एवं अनुरक्षण कार्य ठेकेदारी प्रथा पर करायी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जलकल विभाग द्वारा विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद दि0 01-04-2010 से 31-01-2011 तक कुल 1551 नग मेनहोल कवर लगाये गये, 582 मेनहोलों की मरम्मत करायी गयी एव लगभग 536 मीटर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की मरम्मत एवं बदलने का कार्य किया गया। सीवर समस्या के निदान हेतु कुल 36 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग से जलकल विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रांस वरुणा क्षेत्र की सीवर व्यवस्था हेतु रु0 309.12 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी जिसके अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे है। सिस वरुणा क्षेत्र वाराणसी के लिये सीवर व्यवस्था हेतु जायका सहायतित रु0 496.90 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसमें भी कार्य कराये जायेंगे। वाराणसी नगर के स्टार्म वाटर ड्रेनेज हेतु रु0 191.62 करोड़ की योजना जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन टर्न की आधार पर कराया जा रहा है। पीकआवर में सीवर ओवर फ्लो की समस्या होती है जिसका निदान जल संस्थान द्वारा करा दिया जाता है।

वाराणसी नगर के अधिकांश क्षेत्रों में पाइप लाइन अत्यधिक पुरानी और जीर्ण-शीर्ण है जिससे लीकेज की समस्या उत्पन्न होती है जिसे जल संस्थान द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर ठीक करा दिया जाता है। वाराणसी जल सम्पूर्ति योजना प्रायरिटी-1 फेज-1 भारत सरकार द्वारा रु0 86.10 करोड़ की स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत लाइनों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी नगर के लिये स्वीकृत की गयी पेयजल/सीवर योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर समस्या का समाधान हो जायेगा।]

उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय, जौनपुर में आई सी0 यू0, सी0 सी0 यू0 वेन्टीलेटर डायलिसिस की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद अन्सारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री जावेद अन्सारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[08-02-2011 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद जौनपुर में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव तथा उपलब्ध चिकित्सकों की लापरवाही तथा दवाओं की कमी से जनता को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है तथा आई0सी0यू0, सी0 सी0 यू0, वेन्टीलेटर, डायलिसिस आदि का इन्तजाम न होने से गरीब हृदय रोगियों को महंगे नर्सिंग होमों की सलाह दी जाती है। महंगे खर्च उठाने में असमर्थ तमाम रोगी उपचार के अभाव में मर जाते हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय, जौनपुर में फिजीशियन, सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक्स, रेडियोलाजिस्ट, पैथालाजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, डेन्टल सर्जन व ई0 एम0 ओ0 के स्वीकृत 27 पदों के विरुद्ध 22 चिकित्सकों द्वारा नियमित मरीजों के हित में सेवायें प्रदान की जाती है। चिकित्सालय में समस्त जीवनरक्षक औषधियां एवं सामान्य औषधियां उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस मद में रुपये 7095000.00 (रुपये सत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र) का आवंटन किया गया है। पैथालाजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड व ई0सी0जी0 आदि की जांचे नियमित रूप से की जा रही है तथा उपलब्ध समस्त उपकरण क्रियाशील है। आई0 सी0 यू0, आई0सी0सी0यू0, वेन्टीलेटर तथा डायलिसिस की सुविधा सुपरस्पेशलिस्ट की कमी के कारण प्रत्येक जिले में उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिये मरीजों को वाराणसी के मण्डलीय चिकित्सालय में सन्दर्भित किया जाता है।]

कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज एफ0 आई0 आर0 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने एवं विधायक के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 08-02-2011 को सूचना दी गयी है कि .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 19 जनवरी, 2011 को उनकी पत्नी के मोबाइल नं0 9415234003 पर मोबाइल नम्बर 9045637470 से काल आई तथा 20-1-2011 को उनकी पत्नी के इसी नम्बर पर मोबाइल नं0 6335361131 से काल आई। काल करने वाले ने धमकी दी जिसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 24-1-2011 को कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज कराई गई है किन्तु अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पूर्व भी दिनांक 24-2-2008 तथा दिनांक 10-3-2008 को हजरतगंज,

लखनऊ कोतवाली में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई तथा लखीमपुर कोतवाली में भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई जिसमें अभियुक्त जमानत पर छूट गये हैं जिससे उन्हें तथा उनके परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ है। उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने तथा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

जनपद लखनऊ के कोतवाली हजरतगंज में दिनांक 24-1-2011 को दर्ज एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ की आख्या के अनुसार थाना हजरतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-44/2011 धारा 507, 506, 384 भादवि की विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री एल0के0 मिश्रा थाना हजरतगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचक द्वारा मुकदमें में अज्ञात अभियुक्त के नाम व पता की जानकारी हेतु प्रयोग में लाये गये मोबाइल नम्बर को सर्विलांस पर लाया गया तथा उसकी काल डिटेल प्राप्त की गई। यह बात प्रकाश में आई कि वादी मुकदमा की पत्नी के मोबाइल नम्बर 9415234003 पर मोबाइल नम्बर 9335361131 से दिनांक 20-1-2011 को समय 15.34.16 पर बात होना पाया गया है तथा मोबाइल नम्बर 9045637470 से बात होना नहीं पाया गया है। अभियुक्त का पता ज्ञात करने हेतु क्लाइन्ट अप्लीकेशन फार्म निकलवाने की प्रक्रिया प्रचलित है। प्रकरण में पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा अभियुक्तों का पता करने एवं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

माह फरवरी व मार्च, 2008 में जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज में दर्ज कराये गये एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक की आख्या के अनुसार सी0डी0 प्लेयर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में काफी प्रयास एवं छानबीन से माल मुल्जिमात का कोई पता न लगने के कारण विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 12-3-2008 को मा0 न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी, मा0 विधायक द्वारा उनके मोबाइल नं0 9415172650 पर मोबाइल नं0 9792227998 द्वारा गन्दी-गन्दी गालियां एवं जान से मार देने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर मु0अ0सं0-226/08 (चिक सं0-199) पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना से अभियुक्त दिनेश कुमार भार्गव पुत्र रामधार भार्गव निवासी-थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर का नाम प्रकाश में आया जिसे गिरफ्तार कर दिनांक 04-08-2008 को जेल भेजा गया तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्त दिनेश कुमार भार्गव के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-70/08, दिनांक 04-04-2008 को मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्ष 2009 में कोतवाली सदर जनपद खीरी में मु0अ0सं0 2445/09 धारा 334/504/506 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ राजेश भटपुरवा कालोनी थाना गोला, जनपद खीरी वर्तमान पता-एन0 15 बी 69 थाना मुखर्जी नगर, पुरानी दिल्ली के विरुद्ध विवेचना से जुर्म धारा 504/506 भा0दं0वि0 का अपराध पाया गया। जिसके विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दिनांक 13-12-2008 को प्रस्तुत किया जा चुका है। दि0 15-01-2009 को मोबाइल फोन द्वारा गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में कोतवाली सदर जनपद खीरी में धारा 504/506 भा0दं0वि0 बनाम समीम पुत्र नामालूम निवासी-हिदायतनगर थाना कोतवाली

सदर जनपद खीरी के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जनपद लखीमपुर खीरी की आख्या के अनुसार वर्ष 2008-09 के पश्चात् विगत लगभग 02 वर्षों में किसी प्रकार की जान-माल की धमकी आदि की बात प्रकाश में नहीं आयी।

मा0 सदस्य के पास एक डी0वी0बी0एल0 गन, एक 315 बोर रायफल व 32 बोर रिवाल्वर है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 25-4-2001 में निहित प्राविधानों के अनुकूल एक सुरक्षाकर्मी पदेन (निःशुल्क) दिनांक 15-5-07 से प्रदत्त है। जनपदीय सुरक्षा समिति लखीमपुर खीरी एवं लखनऊ में अपनी संयुक्त आख्या में इन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है और जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा की गई संस्तुत से सुरक्षा शाखा अभिसूचना विभाग की भी सहमति के दृष्टिगत मा0 सदस्य डा0 आर0ए0 उस्मानी को 'एक्स श्रेणी' की सुरक्षा प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 07 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक : 14 फरवरी, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73-74 पर)

जनपद-बागपत के विकास खण्ड-छपरौली में मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को रोजगार दिये जाने की ग्रामवार सूचना

क्रमांक	ग्राम का नाम	रोजगार प्राप्त परिवार संख्या
1	सोन्टी	26
2	मुकन्दपुर	18
3	बासौली	17
4	सूपराजपुर	15
5	रठौड़ा	39
6	हलालपुर	21
7	चान्दन हेडी	18
8	ख्वाजा नगला	19
9	ककौर कला	49
10	बदरखा	16
11	तिलवाड़ा	12
12	नागल	16
13	टाण्डा	13
14	बोढ़ा	37
15	किरठल	38
16	हेवा मीरापुर	16
17	ककड़ीपुर	06
18	रमाला	14
19	लूम्ब	24
20	असारा	13
21	सिलाना	17
22	शेरपुर	22
23	लुहारा	11
24	तुगाना	20
25	कुरडी	18
26	बाछौड़	23
	योग :	**538**

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 160 पर)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-159 का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अनुपूरक सामग्री

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2009-10 में प्राप्त धनराशि	वर्ष 2010-11 में प्राप्त धनराशि
1	आसपुर देवसरा	200000	390000
2	बिझला	1310000	600000
3	बेहटा	1301240	600000
4	धरौली	391500	490000
5	दियावां	1089800	380000
6	दाउदपुर	766000	590000
7	कोंपा	397000	200000
8	भीखमपुर	400000	200000
9	छतौना	400000	370000
10	नगर	380000	200000
11	पूरा	(ग्राम पंचायत पूरा के पास 1-4-09 को 2.887 लाख उपलब्ध था, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009-10 में कोई व्यय न करने के कारण 2009-10 में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।)	400000
12	रौजा	683000	430000
13	हरिका पूरा	300000	200000
14	महडौरा	1074500	200000
15	कादीपुर	175000	200000
16	सोनपुरा	400000	310000
17	देवरखा	400000	300000
18	इब्राहिमपुर	300000	200000
19	अतरौरा मीरपुर	1753800	380000
20	विनैका	1658000	600000
21	सैलखा	759000	200000

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2009-10 में प्राप्त धनराशि	वर्ष 2010-11 में प्राप्त धनराशि
22	नचरौला	1351000	590000
23	रामगंज	ग्राम पंचायत रामगंज के पास 1-4-09 को अंकन 4.476 लाख उपलब्ध था। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009-10 में कुल अंकन 2.034 लाख ही व्यय किया गया। व्यय का प्रतिशत कम है। जिस कारण वर्ष 2009-10 में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।	200000
24	संग्रामगंज	1040600	330000
25	मानापुर	1382000	480000
26	रसूलपुर हैदरपुर	1094000	390000
27	गहबरा	1165000	360000
28	लबेदा	400000	200000
29	पर्वतपुर सुलेमान	779400	500000
30	हरईपट्टी	500000	300000
31	लाखीपुर कपसा	624000	490000
32	बनपुरवा	920000	925000
33	बींद	476500	490000
34	भुसहर	736200	600000
35	औराइन	627000	490000
36	सपहाछात	1332000	490000
37	आमापुर	1398500	600000
38	ढांढर	1007000	380000
39	पिपरी मुतकरपुर	861000	390000
40	अकारीपुर	628000	200000
41	भांटी खुर्द	1075000	340000
42	गोहानी	781600	340000
43	घरहिया	625000	540000
44	धौरहरा	650000	370000
45	धनेपुर	600000	400000

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2009-10 में प्राप्त धनराशि	वर्ष 2010-11 में प्राप्त धनराशि
46	पूरे दलपतशाह	722000	300000
47	रामपुर बवरिहा	952600	370000
48	कबीरपुर	925400	600000
49	तीबीपुर	575000	420000
50	गौरामाफी	1077792	360000
51	बैजलपुर	1042540	200000
52	रमगढ़ा	400000	300000
53	पीथापुर	763440	490000
54	तेलियानी	612100	200000
55	महुली	ग्राम पंचायत महुली के पास 01-04-09 को अंकन 5.372 लाख उपलब्ध था। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009-10 में कुल अंकन 3.929 लाख ही व्यय किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र एवं मांग-पत्र न प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2009-10 में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।	400000
56	कोटिया	844860	310000
57	उदईशाहपुर	211200	300000
58	मढ़रामऊ	300000	200000
59	गोदलपट्टी	982800	380000
60	सेतापुर	1379100	360000
61	चिलावां	100000	500000
62	परहत	471200	340000
63	भनईपुर	569700	200000
64	उमरडीहा	700000	380000
65	सदहा	978600	310000
66	डाही	957000	390000
67	दमडी	637360	380000

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2009-10 में प्राप्त धनराशि	वर्ष 2010-11 में प्राप्त धनराशि
68	डेढुआ	912540	200000
69	भरोखन	721800	250000
70	रेडीगारापुर	200000	340000
71	पूरेबंशीधर	451000	200000
72	गोविन्दपुर	389600	310000
73	रमईपुर नेवादा	400000	200000
74	बाभनपुर	973200	540000
75	मझिगवां	985500	390000
76	गंधियावां	427345	300000
77	दफरा	300000	360000
	योग :	**55156317**	**28615000**

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 168 पर)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-160 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री

विकास खण्ड आसपुर देवसरा जनपद-प्रतापगढ़

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	आसपुर देवसरा	529000	
2	बिझला	920500	
3	बेंहटा	528000	
4	धरौली	600000	
5	दियावां	100000	
6	दाउदपुर	812000	
7	कोंपा	191000	
8	भीखमपुर	300000	
9	छतौना	265000	
10	नगर	510000	
11	पूरा	690000	
12	रौजा	243000	
13	हरी का पूरा	400000	
14	महडौरा	408000	
15	कादीपुर	0	ग्राम पंचायत कादीपुर के पास 1-4-2007 को अंकन 1.210 लाख उपलब्ध था, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2007-08 कोई व्यय नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष 2007-08 में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गई।
16	सोनपुरा	269400	
17	देवरखा	400000	
18	इब्राहिमपुर	100000	
19	अतरौरा मीरपुर	649700	
20	विनेका	774514	
21	सैलखा	351400	

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
22	नचरौला	698000	
23	रामगंज	150000	
24	संग्रामगंज	400000	
25	मानापुर	340000	
26	रसूलपुर हैदरपुर	742100	
27	गहबरा	396000	
28	लबेदा	138000	
29	पर्वतपुर सुलेमान	900000	
30	हरईपट्टी	628900	
31	लाखीपुर कपसा	671400	
32	बनपुरवा	515860	
33	बींद	260000	
34	भुसहर	724900	
35	औराइन	1615000	
36	सपहाछात	1603880	
37	आमापुर	1434364	
38	ढांढर	770000	
39	पिपरी मुतकरपुर	766000	
40	अकारीपुर	267960	
41	भांटीखुर्द	150000	
42	गोहानी	150000	
43	घरहिया	300000	
44	धौरहरा	396000	
45	धनेपुर	288000	
46	पूरे दलपतशाह	451000	
47	रामपुर बवरिहा	521000	
48	कबीरपुर	5835000	
49	तीबीपुर	100000	
50	गौरामाफी	422866	
51	बैजलपुर	675512	
52	रमगढ़ा	463000	

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
53	पीथापुर	551000	
54	तेलियानी	200000	
55	महुली	200000	
56	कोटिया	401000	
57	उदईशाहपुर	420000	
58	मढरामऊ	150000	
59	गोदलपट्टी	500000	
60	सेतापुर	802900	
61	चिलावां	200000	
62	परहत	200000	
63	भिनईपुर	300000	
64	उमरडीहा	200000	
65	संदहा	200000	
66	डाही	465000	
67	दमडी	400000	
68	डेढुआ	182000	
69	भरोखन	300000	
70	रेडीगारापुर	100000	
71	पूरेबंशीधर	100000	
72	गोविन्दपुर	200000	
73	रमईपुर नेवादा	200000	
74	बाभनपुर	723200	
75	मझिगवां	100000	
76	गधियावां	0	ग्राम पंचायत गधियावां के पास 1-4-2007 को अंकन 0.5946 लाख उपलब्ध था, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2007-08 में कोई व्यय नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष 2007-08 में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गई।
77	दफरा	300000	
	योग :	**33959856**	

खण्ड विकास अधिकारी,
आसपुर देवसरा-प्रतापगढ़।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-160 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री

विकास खण्ड आसपुर देवसरा जनपद-प्रतापगढ़

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	आसपुर देवसरा	554596	
2	बिझला	1680000	
3	बेंहटा	90000	
4	धरौली	100000	
5	दियावां	1248000	
6	दाउदपुर	598000	
7	कोंपा	739500	
8	भीखमपुर	907000	
9	छतौना	100000	
10	नगर	675000	
11	पूरा	401000	
12	रौजा	493336	
13	हरी का पूरा	839500	
14	महडौरा	214900	
15	कादीपुर	100000	
16	सोनपुरा	501500	
17	देवरखा	299000	
18	इब्राहिमपुर	352000	
19	अतरौरा मीरपुर	1250000	
20	विनेका	1550000	
21	सैलखा	896000	
22	नचरौला	1400000	
23	रामगंज	702000	
24	संग्रामगंज	1350000	
25	मानापुर	1122000	

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
26	रसूलपुर हैदरपुर	965000	
27	गहबरा	688200	
28	लबेदा	705378	
29	पर्वतपुर सुलेमान	655000	
30	हरईपट्टी	275000	
31	लाखीपुर कपसा	1050000	
32	बनपुरवा	1230100	
33	बींद	350000	
34	भुसहर	303600	
35	औराइन	1247000	
36	सपहाछात	1959000	
37	आमापुर	1974300	
38	ढांढर	994000	
39	पिपरी मुतकरपुर	850000	
40	अकारीपुर	185400	
41	भांटीखुर्द	150000	
42	गोहानी	900000	
43	घरहिया	876300	
44	धौरहरा	740000	
45	धनेपुर	942000	
46	पूरे दलपतशाह	800000	
47	रामपुर बवरिहा	847300	
48	कबीरपुर	941000	
49	तीबीपुर	436000	
50	गौरामाफी	1113200	
51	बैजलपुर	1296600	
52	रमगढ़ा	305000	
53	पीथापुर	1022000	
54	तेलियानी	499000	

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	अन्य विवरण
55	महुली	990000	
56	कोटिया	1179600	
57	उदईशाहपुर	1534000	
58	मढरामऊ	535000	
59	गोदलपट्टी	907800	
60	सेतापुर	1489085	
61	चिलावां	673500	
62	परहत	800000	
63	भिनईपुर	332200	
64	उमरडीहा	948000	
65	संदहा	817110	
66	डाही	1071750	
67	दमडी	588408	
68	डेढुआ	866000	
69	भरोखन	561570	
70	रेडीगारापुर	552500	
71	पूरेबंशीधर	162700	
72	गोविन्दपुर	449000	
73	रमईपुर नेवादा	641050	
74	बाभनपुर	1235100	
75	मझिगवां	895000	
76	गधियावां	453800	
77	दफरा	904330	
	योग :	**62363713**	

खण्ड विकास अधिकारी,
आसपुर देवसरा-प्रतापगढ़।

पी0एस0यू0पी0-एल0 10 विधान सभा (23)-5-5-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।